लोक-सभा
वाद-विवाद

द्वितीय माला

खण्ड ५७, १९६१/१८८३ (शक)

[२१ अगस्त से १ सितम्बर १९६१/२० श्रावण से १० भाद्र १८८३ (शक)]

2nd Lok Sabha

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
Fumigated
On 3.12.83
Parliament Library

चौदहवां खण्ड, १९६१/१८८३ (शक)

(खण्ड ५७ में अंक ११ से २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

अंक ११--सोमवार, २१ अगस्त, १९६१/३० श्रावण १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३० से ७४२, ७४४ से ७४६, ७४९ और ७५१ . १७९९--१८२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७२७, ७२९, ७४३, ७४७, ७४८, ७५० और ७५२ से ७८२ . . . . . १८२३--३९

अतारांकित प्रश्न संख्या १७२५ से १७३२, १७३४ से १७३७ १८३९--१९२९

स्थगन प्रस्ताव--

(१) स्वामी रामेश्वरानन्द जी पर बम फकने की कथित घटना १९२९-३०

(२) भारतीय गांव पर पाकिस्तानियों द्वारा कथित धावा . १९३०-३१

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . . १९३१-३२

राज्य सभा से सन्देश १९३२-३३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में १९३३

समिति के लिये निर्वाचन--

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् १९३३-३४

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . १९३४--५६

ब्लिट्स के सम्पादक के नाम समन जारी करने के बारे में . १९५३

दैनिक संक्षेपिका १९५७--६८

अंक १२--मंगलवार, २२ अगस्त १९६१/३१ श्रावण, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७८३ से ७८६, ७९८, ७८७, ७९०, ७९२ से ७९४, ७९६, ७९७, ७९९ और ८०० १९६९--९४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ७९१, ७९५, ८०१ से ८५५ . १९९४--२०१६

अतारांकित प्रश्न संख्या १९३८ से २०८८ २०१६--७८

स्थगन प्रस्ताव के बारे में--

यमुना के बांध का टूटना . . . २०७८--७९

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

खम्भात और अंकलेश्वर तेल क्षेत्रों में तेल का उत्पादन २०७९--८०

सभा पटल पर रखे गये पत्र २०८०--८१

प्राक्कलन समिति--

एक सौ उन्तालीसवां प्रतिवेदन . . २०८१

विषय	पृष्ठ
मार्टिन एस० लाइट रेलवे यात्री संघ की शिकायतों के बारे में याचिका	२०८१
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२०८१—२११३
दैनिक संक्षेपिका	२११४—२३
अंक १३—बुधवार, २३ अगस्त, १९६१/१ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५६ से ८५८, ८६० से ८६५, ८६७, ८६८, ८७३, ८७५ और ८७६	२१२५—४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८५९, ८६६, ८६९, ८७०, ८७१, ८७२, ८७४ और ८७७ से ८९३	२१४८—५९
अतारांकित प्रश्न संख्या २०८९ से २२००	२१५९—२२०८
स्थगन प्रस्ताव—	
१. यमुना के बांध का टूटना	२२०८-०९
२. नागालैंड में दुर्घटना	२२०९-१०
३. जम्मू में नन्दपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण	२२१०-११
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२२११-१२
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना	२२१२—१५
प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश	२२१५
प्राक्कलन समिति—	
एक सौ चालीसवां प्रतिवेदन	२२१५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तास्सीवां प्रतिवेदन	२२१६
तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि	२२१६-१७
दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक—पुरःस्थापित	२२१७
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव	२२१७—५०
दैनिक संक्षेपिका	२२५१—५८
अंक १४—गुरुवार, २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९७, ८९८, ८९९, ९०१, ९०४, ९०५, ९०७, ९१०, ९१२, ९१४, ९१६, ९१८, ९२१, ९२३ और ९००	२२५९—८१

विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ८९६, ९०१, ९०३, ९०६, ९०८, ९०९, ९११, ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२० और ९२२	२२८१--८६
अतारांकित प्रश्न संख्या २२०१ से २३१४, २३१६ से २३५६ .	२२८७--२३४९
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--	
भारी वर्षा के कारण दिल्ली की कुछ बस्तियों में पानी भर जाना	२३५०-५१
सभा का कार्य .	२३५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२३५१-५२
इन्डियन एयर लाइन्स कोरपोरेशन द्वारा वायुयान में राष्ट्रपति के डाक्टरों को स्थान न देने के बारे में वक्तव्य .	२३५२-५३
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव .	२३५३--६३
आय कर विधेयक--	
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव .	२३६३--८०
श्री करांजिया द्वारा भेजा गया तार	२३८०-८१
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन .	२३८१
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२३८१--८६
दैनिक संक्षेपिका .	२३८७--९५
अंक १५--शुक्रवार, २५ अगस्त, १९६१/३ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९२४ से ९३५ . .	२३९७--२४२०
प्रश्नों के लिखित उत्तर--	
तारांकित प्रश्न संख्या ९३६ से ९७९ . . .	२४२०--३९
अतारांकित प्रश्न संख्या २३५७ से २५०२, और २५०४ से २५१२ .	२४३९--२५०२
निधन संबंधी उल्लेख . . .	२५०३-०४
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	२५०४-०५
उत्तर प्रदेश में बाढ़ .	२५०५
सभा पटल पर रखे गये पत्र . . .	२५०५
सभा का कार्य	२५०६
श्री करांजिया को जारी किये गये समन के बारे में . .	२५०६,४०--४३
कार्य मंत्रणा समिति--	
छियासठवां प्रतिवेदन	२५०६-०७

विषय	पृष्ठ
आय कर विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	२५०७—१५
खंड २ से १२ .	२५१५—२१
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
सत्तासीवां प्रतिवेदन	२५२१
सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारियों के पुनः सेवा में लगाये जाने पर प्रतिबन्ध के बारे में संकल्प . .	२५२१—२५
पटसन का मूल्य निर्धारण करने के बारे में संकल्प तथा	
कच्चे पटसन की कमी के बारे में चर्चा .	२५२५—४०
अंशदायी स्वास्थ्य सेवा योजना के बारे में संकल्प .	२५४०
दैनिक संक्षेपिका	२५४४—५३
अंक १६—सोमवार, २८ अगस्त, १९६१/६ भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८२, ९८४, ९८६, ९८७, ९८९, ९९१, ९९३, ९९५ से ९९९ और १००४ से १००८ .	२५५५—८३
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ९८३, ९८५, ९८८, ९९०, ९९२, ९९४, १००० से १००३ और १००९ से १०१६ .	२५८४—९१
अतारांकित प्रश्न संख्या २५१३ से २६२३ .	२५९१—२६४०
संत फतह सिंह के साथ बातचीत के बारे में वक्तव्य .	२६४०—४३
स्थगन प्रस्ताव के बारे में . . .	२६४३
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना .	२६४४
दिल्ली में मकानों के गिरने से कथित मृत्यु	२६४४
सभा पटल पर रखे गये पत्र	२६४४
राज्य सभा से संदेश .	२६४४
विशेषाधिकार	२६४५, ७२—७३
धार्मिक न्यास विधेयक .	२६४५
संयुक्त समिति के प्रतिवेदन उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना .	२६४५
विधेयक पुरस्थापित—	
१. समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक	२६४५
२. उद्योग (विकास तथा विनियमन) संशोधन विधेयक . .	२६४६

आय कर विधेयक २६४६--६९

प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में
खंड १३ से २९८ और अनुसूची १ से ५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . . २६६९--७२

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २६७३--८४

दैनिक संक्षेपिका . . . २६८५--९१

अंक १७--मंगलवार, २९ अगस्त, १९६१/७ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०१६क, १०१७ से १०२४, १०२६, १०२७, १०२९, १०३१ और १०३५ से १०३७ . . २६९३--२७१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०२५, १०२८, १०३०, १०३२ से १०३४ और १०३८ से १०४४ . . . . २७१४--२१

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२४ से २६५० और २६५२ से २७५१ . २७२१--७५

स्थगन प्रस्ताव--

प्रसाद नगर के निवासियों की झोंपड़ियों के गिराने के बारे में नोटिसों का दियाजाना २७७६--७७

सभा पटल पर रखे गये पत्र २७७७

तेल परियोजनाओं के बारे में ई० एन० आई० से बातचीत के बारे में वक्तव्य २७७७--७८

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर पूर्व सूचना के बारे में २७७८

श्री करांजिया की भर्त्सना २७७८--७९

धार्मिक न्यास विधेयक . . . २७७९

संयुक्त समिति के प्रतिवेदन को उपस्थापित करने का समय बढ़ाया जाना

उच्च न्यायालय न्यायाधीश (सेवा की शर्तें) संशोधन विधेयक, १९६१--

पुरःस्थापित . . . २७७९

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . २७८०--९४

पंजाबी सूबे के सम्बन्ध में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये वक्तव्य के बारे में चर्चा २७९४--२७२९

दैनिक संक्षेपिका . २८३०--३६

अंक १८--बुधवार, ३० अगस्त, १९६१/८ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५, १०४६, १०४८ से १०५२, १०५५, १०५६, १०६२, १०६३ और १०६८ २८३७--६१

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०४७, १०५३, १०५४, १०५७ से १०६०, १०६४ से १०६७ और १०६९ से १०९७ . . . २८६१--७८

अतारांकित प्रश्न संख्या २७५२ से २७६५ और २७६७ से २९११ . २८७८--२९४१

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना--

मास्टर तारासिंह और योगिराज सूर्य देव की गिरफ्तारी के वारंटों का जारी किया जाना २९४१-४२

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . २९४२-४३

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति--

अठास्सीवां प्रतिवेदन २९४३

सदस्य द्वारा त्यागपत्र . . . २९४३

अनुदानों की अनुपूरक मांगें (सामान्य), १९६१-६२ . २९४३--४८

भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक--

विचार करने का प्रस्ताव . २९४८--७३

बाढ़ की स्थिति के बारे में प्रस्ताव . २९७३--९३

दैनिक संक्षेपिका २९९४--३००३

अंक १९--गुरुवार, ३१ अगस्त, १९६१/९ भाद्र, १८८३ (शक)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०९८, ११०१, ११०६, ११०८, ११०९, १११२ और १११५ से १११७ ३००५--२६

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या १०९९, ११००, ११०२ से ११०५, ११०७, १११०, ११११, १११३, १११४ और १११८ से ११२७ ३०२६--३६

अतारांकित प्रश्न संख्या २९१२ से ३००० और ३००३ से ३००८ . ३०३६--७६

अविश्वास का प्रस्ताव ३०७६--७८

पटल पर रखे गये पत्र . . ३०७८-७९

कुछ अंशों का निकाल दिया जाना ३०७९

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति सम्बन्धी समिति--

पच्चीसवां प्रतिवेदन ३०८०

विधेयक पुरस्थापित--

(१) जमा धन बीमा निगम विधेयक . ३०८०

(२) विनियोग (संख्या ४) विधेयक ३०८०

विषय	पृष्ठ
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	३०८०—९३
खंड २ से ४ और १	३०९८
पारित करने का प्रस्ताव	३०९८—३१०६
समाचार पत्र (मूल्य और पृष्ठ) जारी रखना विधेयक—	
विचार करने के प्रस्ताव	३०९४—९७
खंड १ और २	३०९७
पारित करने का प्रस्ताव	३०९८
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक	३१०६–०७
प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३१०६–०७
भारत के खेतिहर मजदूरों के बारेमें दूसरी जांच के प्रतिवेदन संबंधी प्रस्ताव	३१०७—१९
मदुरै में बस और रेलगाड़ी की टक्कर के बारे में आधे घंटे की चर्चा	३११९—२२
दैनिक संक्षेपिका	३१२३—२९
अंक २०—शुक्रवार, १ सितम्बर, १९६१/१० भाद्र, १८८३ (शक)	
प्रश्नों के मौखिक उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११२८ से ११३०, ११३४ से ११३८, ११४१ से ११४४, ११४६, ११४८, ११४७	३१३१—५४
प्रश्नों के लिखित उत्तर—	
तारांकित प्रश्न संख्या ११३१ से ११३३, ११३९, ११४०, ११४५ और ११४९ से ११५७	३१५४—६०
अतारांकित प्रश्न संख्या ३००९ से ३१३४, ३१३६ से ३१४४ और ३१४६ से ३१४९	३१६०—३२१७
सदस्य द्वारा व्यक्तिगत स्पष्टीकरण	३२१७
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—	
आसाम से कुछ मुसलमानों का कथित निकाला जाना	३२१७
सभा पटल पर रखे गये पत्र	३२१८
सभा का कार्य	३२१९–२०
गन्ना उपकर (वैधकरण) विधेयक—पुरस्थापित	३२२०
विनियोग (संख्या ४) विधेयक, १९६१—पारित	३२२१
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक—	
प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव	३२२१—३४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—	
अठ्ठासीवा प्रतिवेदन	३२३४

विषय	पृष्ठ
सरकारी नौकरी (निवास की आवश्यकता) संशोधन विधेयक (धारा ५ का संशोधन)--(श्री ले० अचौ० सिंह का)--पुरःस्थापित	३२३४
खाद्यान्नों का मूल्य निर्धारण विधेयक (श्री झूलन सिंह का)--वापस लिया गया--	
विचार करने का प्रस्ताव	३२३४--३६
संविधान (संशोधन) विधेयक (अनुच्छेद २२६ का संशोधन) (श्री नरसिहन् का)--परिचालित करने का प्रस्ताव	३२३६--४१
धार्मिक पूजा स्थानों का प्रत्यावर्तन विधेयक (श्री प्रकाशवीर शास्त्री का)--विचार करने का प्रस्ताव . .	३२४१--६२
दैनिक संक्षेपिका	३२६३--७०

नोट : मौखिक उत्तर वाले प्रश्न मे किसी नाम पर अंकित यह + चिह्न इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उसी सदस्य ने पूछा था ।

GMGIPND—LS III—1210 (Ai) LS—10-10-61—125.

लोक-सभा वाद-विवाद

लोक-सभा

बुधवार, २३ अगस्त, १९६१
१ भाद्र, १८८३ (शक)

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

नये बांट और माप

+

†*८५६. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
{ **श्री कालिका सिंह :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नये बांट तथा माप की कीमतें बहुत ऊंची रखी गयी हैं; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें कम करने के लिए क्या कार्यवाही की जा रही है या की जाने वाली है ताकि छोटे छोटे दुकानदार उन्हें खरीद सकें और उनका उपयोग कर सकें ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** (क) दिल्ली प्रशासन ने उत्पादन लागत के आधार पर मीट्रिक बांटों के मूल्य निर्धारित किये हैं। अन्य राज्य सरकारों अथवा प्रशासनों ने ऐसा करना आवश्यक नहीं समझा।

(ख) दुकानदारों से ऐसी कोई शिकायत नहीं मिली है कि नये बांट तथा माप के बहुत ऊंचे मूल्य लिये जा रहे हैं।

†**श्री दी० चं० शर्मा :** क्या विभिन्न राज्यों में मूल्यों को समान रखने का प्रयत्न किया गया है अथवा इनके मूल्यों को निर्धारित करने का काम प्रत्येक राज्य पर छोड़ दिया गया है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** दिल्ली के अतिरिक्त अन्य किसी भी राज्य ने मूल्य निर्धारित नहीं किये हैं क्योंकि इसके बारे में कोई शिकायत नहीं थी। सच यह है कि इस समय बांटों का संभरण मांग से अधिक है तथा उनके मूल्य निर्धारित करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

1178 (ai) LSD—1.

†श्री दी० चं० शर्मा : क्योंकि छोटे छोटे दुकानदार निरक्षर हैं और मंत्री को शिकायतें भेजने के साधन उनके पास नहीं हैं इसलिए क्या सरकार इस ओर ध्यान देगी कि बांटों के मूल्य कम किये जायें जिससे छोटे छोटे दुकानदारों को किसी प्रकार की हानि न हो ?

†श्री सतीश चन्द्र : यदि माननीय सदस्य को कोई शिकायत मिली है तो वह कृपा करके उसे हमारे पास भेज दें। हम उस पर विचार करेंगे। परन्तु स्थिति यह है कि १०० ग्राम से दो किलोग्राम तक के बांटों का सैट, जिसको दूकानदार सामान्यतः इस्तेमाल करते हैं, ६ रुपये से ७ रुपये तक मिलता है।

†श्री दी० चं० शर्मा : पुराने बांटों तथा मापों की तुलना में इन नये बांटों तथा मापों के मूल्य कम हैं अथवा अधिक ? मैं यह भी जानना चाहता हूं कि क्या इन नये बांटों के मूल्य बढ़ रहे हैं ?

†श्री सतीश चन्द्र : मैं पुराने बांटों के मूल्य नहीं जानत हूं। कच्चा लोहा, कोयला, तथा मजदूरी व्यय का ध्यान रख कर दिल्ली में मूल्य निर्धारित किये गये हैं। इनकी गणना की गई और निर्माताओं के लिए पांच प्रतिशत का लाभ रखा गया है। मूल्य केवल दिल्ली में निर्मित बांटों के निर्धारित किये गये हैं। इन मूल्यों के अधिक होने के बारे में हमें कोई शिकायत नहीं मिली है।

पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण

†*८५७. +
- श्री राम कृष्ण गुप्त :
- श्री चुनी लाल :
- सरदार इकबाल सिंह :

क्या प्रधान मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १६ मई, १९६० को पूर्व पाकिस्तान सीमा पर भारतीय राज्य क्षेत्र में पाकिस्तानियों के अतिक्रमण के बारे में संयुक्त जांच इस बीच हुई है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†श्री राम कृष्ण गुप्त: क्या यह सच नहीं है कि अगले दिन होने वाली बैठक नहीं हुई थी और यदि यह सच है तो इसके क्या कारण हैं ?

†श्री सादत अली खां : इस घटना के अगले दिन १७ मई, १९६० को संयुक्त जांच हुई थी परन्तु कोई समझौता नहीं हो सका क्योंकि पाकिस्तानी अधिकारियों ने कहा कि भारतीय पुलिस दल अवैध रूप से पाकिस्तान प्रदेश में घुस आया था। बाद में हम ने पाकिस्तान अधिकारियों से कहा कि दोनों घटनाओं, अर्थात् ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए तथा हथियारों की वापसी के लिए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के स्तर पर एक संयुक्त जांच की जाये, यही संयुक्त जांच की गई है।

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री बांगशी ठाकुर :** इस आधार पर कि पाकिस्तानी अधिकारियों द्वारा बाधा डालने के कारण त्रिपुरा के सबरूम सबडिवीजनल नगर को फेनी नदी के कटाव से नहीं रोका जा सका तथा जिले के स्तर पर हुई अब तक की बातचीत से भी कोई लाभ नहीं हुआ है, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस मामले को केन्द्रीय स्तर पर लेगी क्योंकि बातचीत भारत सरकार तथा पाकिस्तान सरकार के बीच हो रही है ?

†**श्री सादत अली खां :** मैं समझता हूं कि वह यह जानना चाहते हैं कि क्या उपाय किय गये हैं। नियम १९५९ में बनाये गये थे और तब से यह घटना पहली बार हुई है। वास्तव में घटनायें कम हो गई हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न अतिक्रमण के बारे में है। उससे माननीय सदस्य का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** इस घटना के बाद से पाकिस्तान को कितनी अतिक्रमण की घटनायें बताई गई हैं और क्या कार्यवाही की गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू):** इस प्रश्न से सम्बन्धित विवरण बार बार सभा पटल पर रख दिये जाते हैं। अतिक्रमण के प्रश्न उन क्षेत्रों के सम्बन्ध में उठते हैं जिन पर दोनों दल दावे करते हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** समाचारपत्रों के समाचारों से पता लगता है कि कुछ मामलों में वह हमारी भूमि में घुस आये थे। उसके बारे में कोई विवाद नहीं था।

†**अध्यक्ष महोदय** : शांति, शांति। विवाद होने तक ऐसी घटनायें होती रहती हैं।

कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन

+
†*८५८. **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री म० ला० द्विवेदी :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री प्रमथनाथ बनर्जी :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कारखानों में अधिक अच्छी सुरक्षा व्यवस्था रखने के लिए कारखाना अधिनियम, १९४८ में संशोधन करने के प्रस्ताव पर सरकार ने इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). प्रस्ताव, विभिन्न राज्य सरकारों, अखिल भारतीय मालिक तथा मजदूर संगठनों को टिप्पणी के लिए परिचालित कर दिया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** इस अधिनियम का संशोधन करने वाले प्रस्तावों के ब्यौरे क्या हैं ?

†**श्री आबिद अली :** प्रस्ताव उत्तम सुरक्षा उपायों के लिए है।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** प्राक्कलन समिति ने अपने ८४वें प्रतिवेदन में बताया है कि कारखानों में दुर्घटनायें बढ़ रही हैं तथा उत्तम सुरक्षा क़दम उठाये जाने चाहिए। मैं जानना चाहता हूं कि उस सिफारिश का क्या हुआ और उसको कितना लागू किया जा चुका है ?

†**श्री आबिद अली :** इन प्रस्तावों में यह सारी बातें हैं।

†**श्री तंगामणि :** कारखानों में उत्तम सुरक्षा व्यवस्था करने के लिए कारखाना अधिनियम में संशोधन करने का प्रस्ताव राज्य सरकारों तथा विभिन्न संगठनों की राय जानने के लिए भेज दिया गया है। क्या इन प्रस्तावों को दस्तावेज़ के रूप में सभा पटल पर रखा जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** इन प्रस्तावों के आधार पर राज्य सरकारें तथा संगठन टिप्पणी करेंगे तथा तब संशोधन विधेयक बनाया जायेगा। जिसको यहां पर प्रस्तुत किया जायेगा और उस पर चर्चा होगी।

श्री रामसिंह भाई वर्मा : क्या श्रीमान् के सामने यह भी सुझाव आया है कि मौजूदा एक्ट में जो सुरक्षा की व्यवस्था है उस पर अमल कराने के लिये फैक्टरी इंस्पेक्टरों का भी अभाव है, इसलिये देखरेख पूरी तरह नहीं हो पा रही है ?

श्री आबिद अली : यह सच है कि इंस्पेक्टर ज्यादा होने चाहिए और इस बारे में लेबर मिनिस्टर्स से चर्चा भी की गयी थी, और कुछ कार्रवाई हो भी रही है।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** कारखाना अधिनियम में संशोधन करने के लिये राज्य सरकारों से किन मुख्य मदों पर निर्णय मांगा गया है ?

†**श्री आबिद अली :** क्योंकि मामला प्रारम्भिक स्थिति में है इसलिये सभी ब्यौरे देने में कठिनाई होगी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** माननीय मन्त्री ने अभी बताया कि यह मामला राज्य सरकारों को सौंप दिया गया है। क्या किसी राज्य सरकार के विचार अब तक मिले हैं ?

†**श्री आबिद अली :** हमने केवल पिछले महीने प्रस्ताव भेजे हैं।

†**श्री तंगामणि :** क्या कुछ महीने पहले हैदराबाद में हुए कारखाना मुख्य निरीक्षकों के सम्मेलन द्वारा की गई कुछ सिफारिशों को इन प्रस्तावों में शामिल कर लिया जायेगा ?

†**श्री आबिद अली :** उन पर भी विचार किया गया था।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** संशोधन विधेयक कब पुरस्थापित होगा। क्या हम आशा करें कि यह आगामी सत्र में आयेगा ?

†**श्री आबिद अली :** मुझे सन्देह है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंचायतों और पंचायत समितियों के जरिये खादी की बिक्री

†*८६०. श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि

(क) खादी के उत्पादन और उसकी बिक्री को बढ़ावा देने तथा उसमें मदद पहुंचाने का काम पंचायतों और पंचायत समितियों को सौंपने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है; और

(ख) इस मामले में खादी-ग्रामोद्योग आयोग की क्या राय है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

यद्यपि पंचायतें तथा पंचायत समितियां खादी के उत्पादन और बिक्री से सम्बन्धित कार्य का भार वहन करना नहीं चाहेंगी परन्तु पंचायतों को ऐसे अभिकरण के रूप में मान्यता दी गई है जिसको खादी तथा ग्रामोद्योग आयोग द्वारा निधियां दी जायेंगी । एकीकृत विकास (नया मोड़) के कार्यक्रम के सम्बन्ध में आयोग का विचार है कि पंचायतों तथा पंचायत समितियों को सम्बद्ध किया जाय । इस कार्यक्रम में ग्राम इकाई के संगठन के लिय पंचायतें सिफारिश करने वाली संस्थायें होंगी जबकि पंचायत समितियां चालू करने वाली, सिफारिश करने वाली तथा योजना बनाने वाली संस्थायें होंगी । पंचायत तथा पंचायत समितियां आयोग तथा राज्य बोर्ड आदि की उत्पादन तथा अथवा बिक्री के लिये सहकारी समितियों के संगठन में सहायता करेंगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : पंचायती राज संस्थाओं तथा इस संगठन के बीच प्रभावोत्पादक समन्वय करने के लिये क्या प्रभावोत्पादक कदम उठाये गये हैं ?

†श्री मनुभाई शाह : प्रभावोत्पादक समन्वय करने लिये अभी समय नहीं आया है क्योंकि पंचायती संस्थायें सभी स्थानों पर अभी बन रही हैं । परन्तु राज्य बोर्डों से सम्बन्ध बनाये हैं और उस ने राज्य खादी बोर्डों को आदेश दे दिये हैं कि जिला परिषद्, पंचायत समिति तथा स्थानीय पंचायतों से सम्बन्ध बनाये रखें जिससे वह कार्य का संगठन करें तो उनको सभी प्रकार की सहायता दी जायेगी ।

†श्री हरिश्चन्द्र माथुर : क्या माननीय मंत्री जानते हैं कि जयपुर में हुई पंचायती संघ की अन्तिम बैठक में राजस्थान के मुख्य मंत्री समेत सभी ने इस सम्बन्ध में असन्तोष जाहिर किया था और समन्वय करने की तथा इन पंचायत संस्थाओं को आगे बढ़ाने की आवश्यकता बताई थी । मैं जानना चाहता हूं कि क्या तब से इस मामले में कोई कार्यवाही की गई है ?

†श्री मनुभाई शाह : इस मामले के बारे में उन्होंने हमें कोई पत्र नहीं भेजा है । हम स्वयं अपनी ओर से राज्य सरकारों को लिखते रहे हैं कि यदि कोई पंचायती संस्था जिले अथवा जिला परिषद् के स्तर पर इस काम को करना चाहेंगे तो उसका हम स्वागत करेंगे ।

†श्री रामनाथन चेट्टियार : यदि पंचायतें तथा पंचायत समितियां खादी का उत्पादन अपने हाथों में ले लें तो क्या उनको कोई सहायता दी जायेगी ।

†श्री मनुभाई शाह : खादी बनाने वाली सभी संस्थाओं के लिये यह सामान्य सहायता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री पलनियाण्डी :** द्वितीय पंचवर्षीय योजनावधि के गत दो वर्षों में अधिक इकट्ठा हो जाने के कारण हम खादी तथा सूत खरीदने की स्थिति में नहीं हैं। सरकार इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाने जा रही है।

†**श्री मनुभाई शाह :** इसका इस प्रश्न से कोई संबंध नहीं है क्योंकि पंचायती समितियों ने अभी काम करना आरम्भ किया है।

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि किन किन राज्यों में यह काम प्रारम्भ होने की सम्भावना है और कौन कौन राज्य एसे हैं जिन्होंने इस के सम्बन्ध में अभी तक कोई ठीक तरीके से उत्तर नहीं दिया है ?

श्री मनुभाई शाह : खादी का काम सब जगह ठीक से हो रहा है। अब किस तरीके से ठीक तरीके से पंचायत को आर्गेनाइज करेंगे, इसके लिये समय चाहिये। जब पंचायत को और भी काम-काज करना है तो कितनी हद तक वह खादी का काम लेंगे वह सब तय करके हम को लिखेंगे।

†**श्री आचार :** विवरण में यह बताया गया है :

"इस कार्यक्रम में पंचायतें सिफारिश करने वाली संस्थायें होंगी।"

क्या इसका यह अर्थ है कि यह केवल परामर्शदात्री होगी और उसको कोई काम नहीं दिया जायेगा ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रश्न ही नहीं है। आयोग को विभिन्न समितियों द्वारा दिये गये उत्तरों से हमको पता लग जाता है कि काम करने के लिय ही सहकारी समितियां बनाई गई हैं।

†**श्री हेम बरुआ :** क्या यह सच है कि पंचायती संस्थायें खादी का उत्पादन तथा बिक्री करने की जिम्मेदारी लेने के लिये अधिक उत्सुक नहीं है तथा यदि हां, तो काम न करने की इच्छा वाले आदमियों से काम कराने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं ऐसा नहीं समझता हूं। इन मामलों में उन्होंने न तो कोई उत्साह दिखाया है और न ही इंकार किया है। ऐसी संस्थाओं में ऐसे कार्य धीरे धीरे किये जा सकते हैं।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या सरकार का विचार जिला परिषदों तथा पंचायत समितियों को प्रत्यक्षतः अनुदान देने का है जिससे वह खादी के उत्पादन तथा बिक्री में उत्साह ले सकें।

†**श्री मनुभाई शाह :** जी हां। हमारा यही विचार है।

श्री खुशवक्त राय : क्या मैं जान सकता हूं कि सरकार ने इस बात पर भी ध्यान दिया है कि पंचायत और पंचायत समितियों में आपस में झगड़ा है और इससे खादी की बिक्री में कमी पड़ेगी ?

श्री मनुभाई शाह : ऐसा कुछ होने की सम्भावना नहीं है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि क्या मंत्री जी के ध्यान में यह बात आई है कि पंचायतों के जिम्मे लैण्ड टैक्स के कलैक्शन का काम है और इसके अलावा उसके पास आपस के झगड़े फैसला करने का भी काम है तो यह खादी जैसे रचनात्मक पवित्र काम को क्या यह पंचायत समिति कर पायेंगी ?

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री मनुभाई शाह : ऐसे बहुत से अभिप्राय हमारे पास आये हैं । अलग अलग किस्म के हमारे सामने रक्खे हैं । हमने उनको बिल्कुल स्वतन्त्र रक्खा है अर्थात् जिसको जो करना हो लिख कर भेजे हम उसकी इमदाद करेंगे ।

†**श्री हरिश्चन्द्र माथुर :** क्या इस मामले पर कभी सामुदायिक विकास मंत्रालय से बातचीत हुई थी तथा यदि हां, तो इस चर्चा के क्या परिणाम निकले ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह प्रश्न अब उत्पन्न नहीं होता है । मैं सभा में बताता रहा हूं कि पंचायत बड़ी महत्वपूर्ण संस्था हैं तथा इन पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हैं । यह संस्थायें अभी बन रही हैं । अतः इस समय वैज्ञानिक रूप में किये जाने वाले खादी के कार्यक्रम पर चर्चा करना असम्भव है ।

नमक का उत्पादन

†*८६१. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :**
श्रीमती इला पालचौधरी :
श्री न० म० देव :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नमक के उत्पादन के लिये तीन कारखाने रसकारी क्षेत्र में स्थापित किये जाने वाले हैं;

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित कारखाने कहां बनाये जायेंगे और प्रत्येक कारखाने की लागत क्या होगी; और

(ग) क्या औद्योगिक प्रयोजनों के लिये नमक तैयार करने तथा उपोत्पाद के रूप में सोडियम सल्फेट बनाने की कोई योजना है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) से (ग). यद्यपि अभी कोई अन्तिम निर्णय नहीं लिया गया है परन्तु इस समय की स्थिति का विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

क्योंकि रासायनिक उद्योगों में ही अतिरिक्त नमक की खपत होगी इसलिये सरकारी क्षेत्र में नमक कारखाने बनाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है । नमक की खपत अधिकांशतः रासायनिक उद्योग के गैर-सरकारी क्षेत्र में होती है । गैर-सरकारी क्षत्र में नमक के कारखाने स्थापित करने के लिय उपयुक्त पार्टियां आगे आ रही हैं; देश के नमक क्षेत्रों में पार्टियों द्वारा स्थान का चुनाव करने पर यह कहां स्थापित होंगी इस का निर्णय किया जायेगा । तीसरी योजनावधि में लगभग २० से ३० लाख टन औद्योगिक नमक का उत्पादन करने का लक्ष्य है ।

राजस्थान सरकार स्वयं डिडवाना में एक सोडियम सल्फेट कारखाना स्थापित कर रही है । सांभर झील पर सरकारी क्षेत्र में एक नमक धोने व सोडियम सल्फेट का कारखाना स्थापित करने की एक योजना है जिस को स्वीकार कर लिया गया है और ब्यौरे बनाये जा रहे हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** विवरण के अनुसार नमक कारखाने केवल गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित होने हैं। क्या सरकार को आशा है कि गैर-सरकारी फर्में तीसरी योजना के औद्योगिक नमक उत्पादन के लक्ष्य २० से ३० लाख टन पूरे कर लेंगी ?

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं पिछली बार बता चुका हूं कि भारत में नमक का आवश्यकता से अधिक उत्पादन होता है और आयात करने के बजाय हम इस का अब निर्यात करते हैं। इसलिये हम समझते हैं कि गैर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र के वर्तमान नमगक कारखानों के संयुक्त प्रयत्नों से हमारे लक्ष्य पूरे हो जायेंगे।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मैं औद्योगिक नमक के बारे में कह रहा था।

†**श्री मनुभाई शाह :** मैं औद्योगिक तथा खाने के दोनों नमकों का जिक्र कर रहा हूं।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** नमक बनाने के लिय गैर-सरकारी फर्मों के कितने प्रस्ताव मिले हैं ?

†**श्री मनुभाई शाह :** गैर-सरकारी फर्मों से बहुत से प्रस्ताव मिले हैं।

†**श्री स० चं० सामन्त :** समाचार पत्रों में समाचार छपे हैं कि इन में से एक कारखाना सरकारी क्षेत्र में होगा, क्या इस में कोई सच्चाई है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** हमारा पश्चिम बंगाल सरकार से पत्रव्यवहार हो रहा है और हम ने उन्हें परामर्श दिया है कि यदि कन्टाई क्षेत्र का विकास किया गया तो उस को तीन अथवा दो बड़े भागों में विभाजित किया जायेगा और इन में से एक भाग राज्य क्षेत्र में होगा।

श्री दामानी : इन कारखानों में कितने सोडियम सल्फेट के उत्पादित होने की आशा है और वह हमारी आवश्यकताओं को कितना पूरा कर सकेंगे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** केन्द्रीय सरकारी क्षेत्र—हिन्दुस्तान नमक—का उत्पादन एक वर्ष में लगभग २५,००० टन होगा तथा राजस्थान राज्य क्षेत्र परियोजना से ११,००० टन होगा। इस से देश लगभग आत्मनिर्भर हो जायेगा।

कोयला खानों में ठेके के मजदूर

†*८६२. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस प्रश्न की जांच करने के लिये कि कोयला खानों में कौन-कौन सा काम ठेके के मजदूरों से कराया जा सकता है, कायम की गई जांच अदालत ने क्या प्रगति की है ; और

(ख) समिति द्वारा कब तक रिपोर्ट पेश किये जाने की आशा है ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). जांच न्यायालय की रिपोर्ट अक्तूबर १९६१ तक मिल जाने की आशा है परन्तु न्यायालय के अकेले सदस्य को मैडिकल अवकाश पर जाना पड़ा इसलिये यह बताना संभव नहीं है कि रिपोर्ट कब तक मिल सकेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या न्यायालय के न्यायाधीश ने किसी कोयले की खान का दौरा किया है क्योंकि उन्होंने मध्य प्रदेश तथा आन्ध्र प्रदेश में किसी भी कोयला खाना का दौर नहीं किया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आबिद अली :** उन्होंने पार्टियों को नोटिस दे दिया था, प्रश्नावलि बना ली गई थी तथा उनको परिचालित कर दी गई थी । निर्देश पदों में संशोधन कर लिये जाने के बाद पार्टियों को और नोटिस भेज दिये जायेंगे। वह नियमित कार्यवाही आरम्भ करने के लिये सोच रहे थे परन्तु इसी बीच बीमार पड़ गये और छुट्टी चले गये । उन के अगले महीने के अन्त तक लौट आने की आशा है । वह दोनों पक्षों को संतुष्ट करने के सभी प्रयत्न करेंगे ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** क्या विभिन्न संघों तथा अखिल भारतीय संगठनों की ओर से प्रति-निधान मिले थे तथा रिपोर्ट बनाने से पहले क्या इस अधिकारी ने उन सभी पर विचार कर लिया है अथवा उन का विचार करने का इरादा है ?

†**श्री आबिद अली :** मैं निश्चित रूप में नहीं बता सकता हूं कि जो कुछ मिला है वह सभी उन को भेज दिया गया है । मैंने बताया है कि प्रश्नावली बना ली गई है और परिचालित कर दी गई है । यदि कोई संघ कोई बात अफसरों को बताना चाहता है तो वह लिख कर ऐसा का सकता है ।

†**श्री काशीनाथ पांडे :** ठेकेदारों द्वारा काम कराने की पद्धति से मजदूरों का उत्पीड़न ही हुआ है इसलिये क्या मंत्रालय का विचार इस पद्धति को बन्द करने के लिये जांच कराने का है ?

†**श्री आबिद अली :** इस अफसर की रिपोर्ट मिल जाने पर मामले पर विचार किया जायेगा ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या यह सच है कि जांच न्यायालय के यह सदस्य तीन मजूरी वर्गों के सभापति, राष्ट्रीय न्यायाधिकरण के सदस्य भी हैं तथा यदि हां, तो वह ऐसे महत्वपूर्ण काम के लिये पर्याप्त समय किस प्रकार देते हैं ?

श्री आबिद अली : वह बड़े ही योग्य तथा शीघ्र काम करने वाले न्यायाधीश हैं। उन्हों ने स्वयं कहा है कि उन के पास काम कम है । इसलिये इस जांच का काम भी अन्य कामों के साथ साथ उन को सौंप दिया गया था ।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त :** मजूरी बोर्ड ?

†**श्री आबिद अली :** जी हां, मजूरी बोर्ड समेत ।

कोयला खान भविष्य निधि योजना में अंशदान

+

†*८६३. { **श्री कुन्हन :**
श्री त० ब० विट्ठल राव : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने कोयला खान भविष्य-निधि योजना में अंशदान की दर बढ़ाने के संबंध में कोई निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया है ; और

(ग) यह कब से लागू किया जायेगा ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)**:(क) से (ग). मामले पर कोयला खान सम्बन्धी औद्योगिक समिति की अप्रैल १९६१ में हुई बैठक में विचार किया गया था। जबकि मज़दूरों के प्रतिनिधि अंशदान की दर ६¹/४ प्रतिशत से बढ़ा कर ८¹/२ प्रतिशत करने के पक्ष में थे; तभी मालिकों के प्रतिनिधि इस के विरोधी थे। मामला निर्णय के लिये सरकार पर छोड़ दिया गया है। सरकार मामले की जांच कर रही है।

†**श्री कुन्हन**: अंशदान की दर बढ़ाने का प्रश्न बहुत दिनों से लम्बित है। निर्णय कब लिया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: कुछ समय से इस पर विचार हो रहा है। सिद्धान्ततः कोई अन्तर नहीं है। सरकार संबंधित मंत्रालयों का परामर्श ले रही है और शीघ्र ही कोई निर्णय ले लेगी।

†**श्री त० ब० विट्ठलराव**: औद्योगिक समिति ने अप्रैल में सिफारिश की थी। मामला सरकार तथा मालिकों के लिये नया नहीं है। जब नन्दा जी ने बताया था कि उन्हों ने निर्णय कर लिया था तब से मामला लम्बित है। क्या इस महीने में कोई निर्णय ले लिया जायेगा ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: निर्णय अप्रैल में लिया गया था। अब हम सम्बन्धित मंत्रालयों की सलाह ले रहे हैं और शीघ्र ही कोई निर्णय कर लेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: कोयला खानों में अंशदान को ६¹/४ प्रतिशत से ८¹/२ प्रतिशत करने का प्रश्न सामान्य प्रश्न में शामिल कर दिया जायेगा अथवा इस पर अलग से निर्णय किया जायेगा?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: यद्यपि दोनों प्रश्न आपस में सम्बन्धित है परन्तु मैं समझता हूं कि हम इस प्रश्न पर स्वतंत्र रूप में निर्णय लेंगे।

†**श्री स० मो० बनर्जी**: सामान्य प्रश्न पर कब निर्णय होने जा रहा है? क्या इस में समय लगेगा अथवा १९६१ में ही निर्णय हो जाने की आशा है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: इस प्रश्न पर स्वतंत्र रूप से निर्णय किया जायेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: माननीय उपमंत्री ने बताया कि शीघ्र ही निर्णय किया जायेगा। क्या हमें कोई निश्चित तिथि बताई जायेगी कि उस तिथि तक निर्णय ले लिया जायेगा।

†**श्री ल० ना० मिश्र**: निश्चित तिथि बताना कठिन है। परन्तु हम शीघ्र ही निर्णय ले लेंगे।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: निर्णय लेने में क्या कठिनाई है ?

†**श्री ल० ना० मिश्र**: १५ दिन, एक महीना, अथवा दो महीनो में निर्णय ले लिया जायेगा। वर्ष नहीं लगेगा।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव**: क्या कई महीने लगेंगे ?

†**अध्यक्ष महोदय**: उन्हों ने शीघ्र कहा है। मैं समझता हूं कि वर्ष के अन्त तक।

†**श्री ल० ना० मिश्र**: बहुत अच्छा। वर्ष के अन्त तक।

---

†मूल अंग्रेजी में

कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति

+

*†८६४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत की सभी कपड़ा मिलों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को अब कार्यान्वित कर दिया है ;

(ख) यदि हां, तो कितने कारखानों ने अभी तक वैसा नहीं किया है ;

(ग) क्या कानपुर के कारखानों ने अर्थात् अथर्टन पश्चिम और एलगिन मिल्स नं० २ ने भी वह सिफारिशें कार्यान्वित की हैं ; और

(घ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). ४२६ मिलें में से ३३ मिलों ने मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित नहीं किया है ।

(ग) और (घ). जी नहीं । इन इकाइयों पर मजूरी बोर्ड की सिफारिशें लागू होने वाली नहीं है ।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** प्रश्न के भाग (ग) के उत्तर में माननीय उपमंत्री ने कहा कि इन इकाइयों पर ये सिफारिशें लागू होने वाली नहीं हैं । क्योंकि दोनों मिल लाभ कमा रहे हैं, क्या सरकार इन मिलों में भी मजूरी बोर्ड की सिफारिशों को कार्यान्वित करने के बारे में विचार करेगी ?

†**श्री आबिद अली :** माननीय सदस्य किस मिल का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री स० मो० बनर्जी :** एलगिन मिल संख्या २ और अथर्टन पश्चिम दोनों लाभ कमा रहे हैं ।

†**श्री आबिद अली :** अथर्टन पश्चिम के बारे में कानपुर के माननीय सदस्य को मालूम होना चाहिये कि यह भारी घाटे में चल रहा है । यह सूचना दी गई है कि आवश्यक नवीकरण, मरम्मत आदि के पश्चात् अधिकृत नियंत्रक ने २७ जुलाई, १९५९ को मिल का काम संभाला । दिसम्बर १९५९ के अन्त तक मिल के चलने से १९,९२,४६१ रुपये की हानि हुई । पिछले वर्ष के घाटे को मिलाकर यह ८४,४२,६७७ रुपये होता है । दिसम्बर १९६० में समाप्त होने वाले वर्ष का लाभ ७,९०,५९७ रुपये है । १ जनवरी, १९६१ को शुद्ध हानि ७८,०६,१०९ रुपये थी ।

†**श्री पलनियाण्डी :** मजूरी बोर्ड के पंचाट को कार्यान्वित करने के लिये त्रिदलीय समिति की जो हाल में बैठक हुई थी उसमें क्या फैसला किया गया था ?

†**श्री आबिद अली :** चर्चा का यह परिणाम था कि यह पता चला कि केवल ३ प्रतिशत से कम मजदूरों को मजूरी बोर्ड की सिफारिशों का लाभ प्राप्त नहीं हुआ था । निस्संदेह, जिन मिलों ने सिफारिशें कार्यान्वित नहीं की हैं उनकी संख्या बड़ी प्रतीत होती है, परन्तु ऐसे मिल भी हैं, जिनमें मजदूरों की संख्या कम है और अधिकांशतः ऐसे हैं । उनके बारे में यह फैसला किया गया था कि राज्य सरकारों, मजदूरों और मालिकों के संगठनों के सहयोग से, केन्द्रीय सरकार का एक अफसर इनमें से प्रत्येक मिल के बारे में जांच करे और यह पता लगाए कि वे वास्तव में असमर्थ थे या करने को इच्छुक नहीं थे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

श्री रामसिंह भाई वर्मा : अभी बताया गया है कि ये मिलें नुक्सान में जा रही हैं। जब वेज बोर्ड की सिफारिशों में ऐसी कोई बात नहीं है कि लास-मेकिंग मिलें वेज बोर्ड की सिफारिशों पर अमल न करें और न गवर्नमेंट के आर्डर में ऐसी कोई बात है तो फिर वर्कर्ज को वेज बोर्ड की सिफारिशों से अगर फायदा होता है, तो क्यों न दिया जाए?

श्री आबिद अली : गवर्नमेंट रेज़ोल्यूशन में तो इसके बारे में इशारा है। मतलब यह है कि अगर मिले नुक्सान कर रही हैं, उस सूरत में अगर उन पर और बोझा डाला जाए और उसकी वजह से अगर वे बन्द हो जाती हैं तो यह न वर्कर्ज चाहते हैं और न ही हम चाहते हैं।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे :** क्या यह सच है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने मजूरी बोर्ड द्वारा की गई सिफारिशें की सामान्य वृद्धि अथर्टन पश्चिम के मजदूरों को देने का फैसला कर लिया है?

†**श्री आबिद अली :** सब चीजें इस बात पर निर्भर है कि किस सीमा तक यह विशिष्ट मिल अतिरिक्त भार बर्दाश्त करने में सक्षम है। प्रयत्न इस बात का किया जाना चाहिये कि कोई मिल बन्द न होने पावे। जैसा मैंने पहले कहा, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं चाहेगा।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे :** मेरे प्रश्न का उद्देश्य और था। मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस मंत्रालय ने उत्तर प्रदेश सरकार से पूछा है कि क्या उसने ऐसा फैसला कर लिया है या नहीं। यदि उन्होंने पुछा नहीं तो मामले की जांच करवा ली जाए।

†**श्री आबिद अली :** मेरे पास वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय का एक पत्र आया है, जो १८ अगस्त का है। और उसमें यह कहा गया है कि मिल पर और अधिक भार डालना संभव नहीं होगा।

†**श्री काशीनाथ पाण्डे :** मैंने पता किया है कि उन्होंने ऐसा फैसला किया है।

†**श्री आबिद अली :** हो सकता है ऐसा हो। यदि माननीय सदस्य की यह जानकारी है तो मैं इसे स्वीकार करता हूं।

†**श्री पलनियाण्डी :** क्या कोई समय सीमा नियत की गई है जिसके अन्तर्गत उन इकाइयों को इसे कार्यान्वित करना होगा जिन्होंने अभी तक पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया है?

†**श्री आबिद अली :** जहां तक प्रतिवेदन की प्राप्ति का संबंध है, जिसका मैंने अभी उल्लेख किया है, यह छः सप्ताहों में आ जाएगी और इसके उपरांत उचित कार्रवाई की जाएगी।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या यह सच है कि मजूरी बोर्ड की सिफारिशें भिवानी के पंजाब कपड़ा मिल में कार्यान्वित नहीं की गई हैं, यदि हां, तो सरकार इसके बारे में क्या कार्रवाई करने का विचार करती है?

†**श्री आबिद अली :** पंजाब में छः मिले हैं जिनमें से दो ने इसको पुर्णतः कार्यान्वित किया है, तीन ने अंशतः कार्यान्वित किया है और एक ने कार्यान्वित नहीं किया है। यह विशिष्ट मिल सरकार के निर्णय के अन्दर आता है, जिस के अनुसार मजूरी बोर्ड की सिफारिश लागू नहीं होती।

†**श्री तंगामणि :** माननीय उप मंत्री ने बताया है कि ३३ मिलों ने अभी मजूरी बोर्ड के पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया है। इन ३३ मिलों में कितने मजदूर इस पचाट में आयेंगे; और मद्रास राज्य के उन मिलों में कितने मजदूर हैं जिन्होंने इसे कार्यान्वित नहीं किया है? क्या यह सच नहीं

†मूल अंग्रेजी में

है कि मजूरी बोर्ड ने इन मिलों की क्षमता का विचार किया है और देने की उन की असमर्थता का प्रश्न नहीं उठता ?

†**श्री आबिद अली :** मद्रास में, उन मिलों की संख्या जिन्होंने इस पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया है, उनमें मेरी सूचना के अनुसार केवल २२३३ कर्मचारी हैं। जिन मिलों ने पंचाट को कार्यान्वित किया है उन में मजदूरों की संख्या ६६७३३ है और जिन मिलों ने इसे अंशतः कार्यान्वित किया है, उनमें कर्मकरों की संख्या १५३५ है। अतः केवल २२३३ कर्मकर ऐसे हैं जिनको यह लाभ प्राप्त नहीं हुआ है और निस्संदेह जैसा मैंने पहले कहा है, एक जांच की जाएगी।

†**श्री स० मो० बनर्जी :** यदि ये ३३ मिल, जिन्होंने अभी तक पंचाट को कार्यान्वित नहीं किया है, छः सप्ताहों के अन्दर, जैसा कि माननीय उपमंत्री ने बताया है इसे कार्यान्वित नहीं करते, क्या सरकार विधान बनाएगी ?

†**श्री आबिद अली :** यह स्वीकार किया जाना चाहिये कि पंचाटों के मामले में भी, जो संविहित रूप से लागू होते हैं, कुछ प्रतिशत मालिक उनको कार्या न्वित नहीं करते हैं और उनके बारे में कानूनी कार्रवाई की जाती है, जब कभी कभी उनका समापन होता है। माननीय सदस्य को स्वीकार करना चाहिये कि लगभग ६ लाख कर्मकरों में से केवल तीन प्रतिशत से कम लोगों को लाभ प्राप्त नहीं हुआ है, और जब यह स्वैच्छिक है और कानूनी तौर पर लागू नहीं किया जा सकता, तो यह अनुभव करना चाहिये कि काम बहुत अच्छा हो गया है और संतोषजनक तरीके से। अन्यों के बारे में भी यह बात नहीं कि वे केवल असमर्थ हैं, उनकी अनिच्छा भी है और कुछ मामलों में असमर्थता भी है। जैसा कि मैंने पहले कहा है, जांच की जा रही है और जहां इसका कारण अनिच्छा है, उचित कार्रवाई की जाएगी।

डाक-तार विभाग की इमारतें

*८६५. { **श्री भक्त दर्शन :**
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २७ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १७५६ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) डाक-तार विभाग के भवन-निर्माण के लिये केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की जिस विशेष शाखा की स्थापना की गई थी, उसने अपने कार्य में अब तक क्या प्रगति की है ; और

(ख) १९६१-६२ के वित्तीय वर्ष के लिये उसके अन्तर्गत किस प्रकार का भवन-निर्माण कार्य स्वीकार किया गया है।

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** (क) इस कक्ष की स्थापना द्वारा की गई प्रगति को इतनी शीघ्र आंकना संभव नहीं है।

(ख) काम में डाक व तार विभाग, टेलीफोन ऐक्सचेंज़ों, रहने के क्वार्टरों, डाक घरों की इमारतों, रैस्ट हाउसों के लिये अनेक इमारतों का मिर्माण कार्य शामिल है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री भक्त दर्शन :** श्रीमान्, क्या माननीय मंत्री जी के ध्यान में यह बात आयी है कि स्टाफ की कमी की वजह से अभी तक पूरी प्रगति नहीं हो रही है, यानी जब तक कम से कम हर एक सरकिल में एक एक्ज़ीक्यूटिव इंजिनियर नहीं रखा जाता तब तक काम की पूरी प्रगति नहीं हो सकती है ? क्या इस पर विचार किया जा रहा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह सच है कि अभी तक पदों पर लोग नियुक्त नहीं हुए हैं, किन्तु जहां तक वरिष्ठ पदों विशेषकर ऐक्ज़ीक्यूटिव इंजिनियरों के पदों का सवाल है वे सब भरी जा चुकी हैं। सूची से, जो मुझे दी गई है, मैं देखता हूं कि बहुत से छोटे पद, जैसे सैक्शन अफसर, ओवरसियर और क्लर्क आदि के पद अभी तक भरे नहीं गये हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमान् क्या यह सत्य है कि संचार मंत्रालय ने यानी कम्युनिकेशन्स मिनिस्ट्री ने इस मंत्रालय को यह लिखा है कि इस काम से उनको पुरा सन्तोष नहीं है क्योंकि काम बहुत ढीले ढंग से हो रहा है और जो उम्मीदें वे रखते थे वे पूरी नहीं हो रही हैं ? इसलिए क्या अब इस काम में कुछ तेजी लायी जाएगी ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह सच है कि प्रगति बहुत संतोषजनक नहीं हुई है। परन्तु जैसा मैं ने बताया, कारण यह है कि यह नया कक्ष कुछ महीने पूर्व ही बनाया गया था और अब तक सभी पद भरे नहीं गये हैं। इसके अलावा, यह देखा गया है कि इस कक्ष के कार्यभार को देखते हुए कुछ और अधिक पदों की आवश्यकता होगी और चीफ़ इंजिनियर ने एक अनुसूची तैयार कर ली है। हमने गृह-कार्य मंत्रालय और वित्त मंत्रालय से इन पदों के निर्माण के लिये प्रार्थना की है।

†**श्री अ० मु० तारिक :** प्रश्न के भाग (क) के संबंध में माननीय उपमंत्री ने बताया है कि इस कक्ष द्वारा की गई प्रगति को इतना शीघ्र नहीं आंका जा सकता। यह उसी उत्तर की पुनरुक्ति है जो २७ अप्रैल, १९६१ को उन्होंने दिया था जब उन्होंने कहा था कि कक्ष की स्थापना पर ली गई उन्नति को इतना जल्दी आंका नहीं जा सकता। उन्होंने ७ या ८ महीनों के बाद वही उत्तर दुहरा दिया है। बिल्कुल प्रगति न होने का क्या कारण है और कुछ प्रगति करने में कितना समय लगेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** काम को शीघ्र कार्यान्वित करने के लिये एक नया कक्ष बनाया गया था। यह छः या सात महीने पहले ही तो खोला गया था और काम समूचे देश में बिखरा हुआ है। अधिकांश काम बहुत छोटा है और देश के दूरस्थ-भागों में है जहां काम करने के लिये ठेकेदार मिलना कठिन होता है अतः अधिकतर यह विभाग के द्वारा ही करना पड़ता है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग का विशेष कक्ष जो बनाया गया है इस वर्ष की समाप्ति से पहले बकाया काम पूरा कर सकेगा और १९६१–६२ में नये काम भी करेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैं इस प्रश्न का विशिष्ट उत्तर देने में असमर्थ हूं। परन्तु यह बात कि अधिक अफसर इस काम पर लगाये गये हैं और नया कक्ष बनाया गया है, इससे स्पष्टतः यह संकेत मिलता है कि अधिक काम किया जायेगा। तीसरी योजना में संचार मंत्रालय अपना काम बहुत बढ़ाना चाहता है और इसी कारण मैं ने कहा है कि हमारा चीफ इन्जीनियर यह समझता है कि कुछ और पद बनाये जाने चाहियें और हमने इन पदों की मंजूरी के लिये गृह-कार्य और वित्त मंत्रालय से प्रार्थना की है।

---

†मूल अंग्रजी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस बात में कुछ सचाई है कि पोस्ट एंड टेलीग्राफ के लिए जो पहले बिल्डिंग बनायी गयी थी उसमें अब डाइरेक्टर आ गये हैं, और अब यह बिल्डिंग क्यों बनायी जा रही है, और इस पर कितना व्यय पड़ेगा ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जी, नहीं। मैं मानता हूं माननीय सदस्य किसी खास इमारत के बारे में सूचना चाहते हैं। मैं नहीं जानता कि इसका किस प्रकार प्रयोग किया गया था। यह डाक व तार विभाग को दी गई है और उसका सर्वोत्तम उपयोग करना उसका काम है।

†**श्री म० ला० द्विवेदी :** उन्होंने प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया है। बनाई जाने वाली वर्तमान इमारत की क्या लागत है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** माननीय सदस्य को पृथक प्रश्न पूछना होगा।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** इस बात की दृष्टि से कि भारत सरकार ने अगरतला में डाक व तार के दफ्तर के निर्माण के लिये धन आवंटित किया है, क्योंकि वर्तमान पुरानी इमारत में हमेशा बढ़ने वाला कार्य भार समा नहीं सकता, क्योंकि धन को प्रति वर्ष व्यपगत होने दिया जाता है, क्या निर्माण कार्य इस वर्ष आरम्भ किया जायेगा या नहीं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक मैं जानता हूं, इस देश में इस विभाग के लिये १००,००० इमारतें हो सकती हैं। मैं बिना तैयारी कैसे प्रत्येक भवन के बारे में उत्तर दे सकता हूं ? यदि माननीय सदस्य मुझे किसी विशिष्ट भवन के बारे में लिखेंगे तो मैं सूचना दे दूंगा।

†**श्री बांगशी ठाकुर :** प्रति वर्ष धन आवंटित किया जाता है और प्रति वर्ष धन व्यपगत होता है।

†**अध्यक्ष महोदय :** संभवतः माननीय सदस्य राज्यों में अच्छा वितरण चाहते हैं।

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक उस विशिष्ट राज्य में इंजिनियरी के काम का सम्बन्ध है, उसका अपना कोई संगठन नहीं था। इसलिये त्रिपुरा राज्य में कामों की कार्यान्विति में कुछ विलम्ब हो गया।

†**श्री यादव नारायण जाधव :** क्या इस उद्देश्य के लिये कोई अस्थायी योजना तैयार की गई है कि १ लाख और अधिक जनसंख्या वाले स्थान आगामी पांच वर्षों में इसके अन्तर्गत आ जायेंगे।

†**श्री अनिल कु० चंदा :** इसका फैसला करना संचार मंत्रालय का काम है कि आया वे हम से ऐसा करवाना चाहते हैं।

श्री भक्त दर्शन : श्रीमन्, मेरे प्रश्न के दूसरे खंड का जो उत्तर दिया गया वह स्पष्ट नहीं है। मैं यह जानना चाहता था कि सन् १९६१–६२ में कितने रुपये का काम होगा। मुझे बताया गया कि बिल्डिंग्स तो बनेंगी। लेकिन मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस साल पहले से ज्यादा काम होगा ?

†**श्री अनिल कु० चंदा :** माननीय सदस्य के प्रश्न में निर्माण के स्वरूप का उल्लेख है और इसलिये मैंने आरम्भ किये जाने वाले कामों का विवरण दे दिया है। जहां तक मैं जानता हूं १९६१–६२ में प्रस्तावित काम पर लगभग २ करोड़ रुपये, १९६२–६३ में ३ करोड़ रुपये खर्च आयेंगे। इस का यह अर्थ है कि प्रति वर्ष एक करोड़ रुपये की लागत का अतिरिक्त निर्माण कार्य करने का विचार है।

---

†मूल अंग्रेजी में

लौह अयस्क का निर्यात

†*८६७. **श्री दामानी : क्या वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम विदेशों को लौह अयस्क बेचने के लिए दीर्घकालीन करारों के सम्बन्ध में बातचीत करने में सफल हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो उसका व्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, हां ।

(ख) लौह अयस्क के संभरण के लिये विभिन्न देशों के साथ किये गये दीर्घकालीन करारों को दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२-क]**

†**श्री दामानी :** विवरण के अनुसार, जापान के साथ पांच वर्षों की अवधि में २० लाख टन लौह अयस्क की बिक्री के बारे में बातचीत की गई है । जापान को हमारी पिछली बिक्री की शर्तों और निबंधनों की तुलना में इस नई बिक्री की शर्तें और निबंधन क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो :** प्रत्येक वर्ष के लिये मूल्य बातचीत के द्वारा तय किया जाता है । मूल्य उस समय के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों के आधार पर नियत किये जाते हैं । चालू वर्ष के लिये बातचीत जारी है ।

†**श्री दामानी :** क्या चैकोस्लोवाकिया, पोलैंड और अन्य देशों को दीर्घकालीन संभरण के लिये की गई बिक्री लेन-देन के आधार पर है या केवल निर्यात आधार पर है ?

†**श्री कानूनगो :** चैकोस्लोवाकिया के लिये निर्यात वार्षिक व्यापार करारों के आधार पर है और समय समय पर भुगतान का समायोजन किया जाता है । जो आयात एवं निर्यात व्यापारों पर निर्भर होता है । यह विशिष्ट आदान प्रदान नहीं है ।

†**श्री अंसार हरवानी :** क्या राजकीय व्यापार निगम ने करार किया है कि बढ़िया किस्म के अयस्क के साथ उन्हें कुछ कम ग्रेड का अयस्क भी लेना होगा और यदि हां, तो उनको कितने प्रतिशत कम ग्रेड का अयस्क लेना होगा ?

†**श्री कानूनगो :** हम ऐसा करने का प्रयत्न करते रहे हैं । परन्तु हमारी कठिनाई ढोने की है क्योंकि पत्तनों तक कम ग्रेड के अयस्क को ढोने पर बहुत खर्च होता है ।

†**श्री कासलीवाल :** क्या लौह अयस्क का सम्पूर्ण निर्यात अब राजकीय व्यापार निगम के द्वारा किया जा रहा है या गैर सरकारी लोगों को भी निर्यात करने दिया जाता है ?

†**श्री कानूनगो :** यह सर्वथा राजकीय व्यापार निगम के द्वारा किया जाता है ।

†**श्री दामानी :** क्या राजकीय व्यापार निगम ने ऐसा कोई संकेत दिया है कि इस वर्ष और अगले वर्ष वह कितने लोहा निर्यात की आशा करता है ?

†**श्री कानूनगो :** जी, हां, करार किये गये हैं । यह अब सार्वजनिक संपत्ति है । सब को मालूम है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री आचार** : रुमानिया के बारे में विवरण में है कि १७ लाख टन का करार बिना किसी शर्त किया गया है, किन्तु ६,५०,००० टन के बारे में कहा गया है कि यह बेचने वालों की इच्छा है, अर्थात् हमारी इच्छा है । इसका क्या कारण है ? क्या हम संभरण नहीं कर सकते ?

†**श्री कानूनगो** : नहीं, हम नहीं कर सकते क्योंकि हमारा परिवहन इतना लदा हुआ है कि हम सब क्रेताओं की जरूरतों को पूरा नहीं कर सकते ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : इटली को लौह-अयस्क के निर्यात के लिये कुछ बातचीत की जा रही थी, किन्तु यह मंगलौर पत्तन को बड़े पत्तन के रूप में विकसित करने के बारे में फैसला होने तक लम्बित था । चूंकि उसके बारे में फैसला किया जा चुका है, इटली के साथ बातचीत किस स्तर पर है ?

†**श्री कानूनगो** : मंगलौर पत्तन के विकास में बहुत अधिक प्रगति नहीं हुई है । पत्तन के विकास के अतिरिक्त, पृष्ठदेश में संचार का मामला भी बहुत महत्वपूर्ण है। वे संचार अच्छे नहीं हैं ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव** : सरकार तत्कालिक निर्यात संविदायें नहीं बल्कि दीर्घकालीन संविदाएं कर रही है । सरकार अब के पश्चात् दो या तीन सालों के लिये करार कर रही है । मैं उसके बारे में बात कर रहा हूं ।

†**श्री कानूनगो** : मंगलौर पत्तन के विकास के पश्चात् जो तीसरी योजना में शामिल है, कुछ सीमा तक प्रगति के बाद बिक्री के लिये बातचीत करना उपयोगी होगा अब नहीं ।

†**श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : इन दीर्घकालीन संविदाओं के अतिरिक्त, क्या राजकीय व्यापार निगम अन्य देशों को अल्पकालीन आधार पर लौह-अयस्क का भी निर्यात कर रहा है ? यदि हां, तो सरकार किन परम्परागेततर देशों को लौहा अयस्क का निर्यात कर रहा है ?

†**श्री कानूनगो** : जी, हां । राजकीय व्यापार निगम वह करने को तैयार है । परन्तु जैसा मैंने पहले कहा बिक्री के लिये पेशकश करने में कठिनाइयां अन्तर्देशीय परिवहन तथा पत्तन पर ढोने/रखने के कारण है ।

†**श्री दामानी** : पिछला प्रश्न पूछने का मेरा उद्देश्य यह था । क्योंकि हम तीसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में अपना निर्यात बढ़ाना चाहते हैं, क्या राजकीय व्यापार निगम ने कोई योजना तैयार की है ? क्या वह बता सकता है कि व कितना लौह अयस्क निर्यात कर सकते हैं और इस वर्ष तथा आगामी वर्ष के लिये लक्ष्य क्या है ?

†**श्री कानूनगो** : चालू वर्ष और अगले वर्ष का लक्ष्य वहां है । १९६१ के लिये ३५ लाख टन का अनुमान है । हम इसे धीरे धीरे बढ़ाने की आशा करते हैं । परन्तु जब तक परिवहन सुविधायें उपलब्ध नहीं होतीं हम लक्ष्यों के बारे में निश्चय से नहीं कह सकते ।

पोलिस्ट्रीन पाउडर

*८६८. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्लास्टिक उद्योग में पोलिस्ट्रीन के अभ्यंश में कटौती के कारण संकट उत्पन्न हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को कारखाने वालों से इस बारे में कोई आवेदन-पत्र मिला है कि कटौती बहाल कर दी जाये ; और

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) यदि हां, तो सरकार ने इस सम्बन्ध में क्या कदम उठाया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). जी, नहीं। सम्भरण बढ़ाने के लिये कुछ आवेदन-पत्र मिले हैं। नीचे लिखी कार्यवाही की जा रही है :—

(१) छोटे पैमाने के निर्माताओं को देश में मिलने वाले माल के अलावा पर्याप्त परिमाण में आयात करने की अनुमति भी दे दी गई है।

(२) पोलिस्ट्रीन का उत्पादन बढ़ाने के लिये डी० एल० एफ० सहायता के अधीन देश के निर्माताओं को अतिरिक्त कच्चा माल जैसे स्टीरीन उपलब्ध किया जा रहा है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि पोलिस्ट्रीन के कट करने से किस मात्रा में यहां की प्लास्टिक इंडस्ट्री को नुक्सान पहुंचा है।

श्री मनुभाई शाह : कोई नुक्सान नहीं पहुंचा है। यह इतनी ज्यादा तादाद में बढ़ रही है कि हमारे पास इतना फारेन एक्सचेंज नहीं है कि हम उस पर खर्च करें और इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ायें।

श्री विभूति मिश्र: क्या सरकार ने कोई उपाय यहां सोचा है जिसमें कि पोलिस्ट्रीन की जगह पर कोई सब्स्टिट्यूट निकले ताकि कभी इसका इम्पोर्ट बन्द होने का मौका आये तो भी हमारे यहां इंडस्ट्रीज पनप सकें।

श्री मनुभाई शाह : तीन साल में कंट्री का प्रोडक्शन इस डाइरेक्शन में कोई दस गुणा हो जायेगा और हम एक्सपोर्ट कर सकेंगे।

श्री त्यागी : क्या इस बात की कोई कोशिश की गई है कि जो प्लास्टिक सामान यहां बनता है वह बाहर के मुल्कों को भी एक्सपोर्ट हो सके ?

श्री मनुभाई शाह : वह तो हो रहा है। लेकिन यह क्वेश्चन और किस्म का है। यह छोटी इंडस्ट्रीज को पोलिस्ट्रीन पाउडर के सप्लाई के सम्बन्ध में है। प्लास्टिक का एक्सपोर्ट हो रहा है और आगे और ज्यादा होने की गुंजाइश है।

†**श्री स० चं० सामन्त :** क्या माननीय मंत्री को कलकत्ता में छोटे पैमाने के उद्योगों की ओर से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां। मैं स्वयं वहां था और डा० बी० सी० राय के सभापतित्व में हमने सब मोल्डरों से मुलाकात की और उनको जितना माल पहले मिलता था उससे अधिक वितरित किया।

†**श्री त्यागी :** मा० मंत्री ने अभी बताया है कि पोलिस्ट्रीन से तैयार वस्तुओं का निर्यात किया जा रहा है। फिर मुझे इस पदार्थ के लिये कोई आयात लाइसेंस न दिये जाने का कारण समझ में नहीं आता ?

†**श्री मनुभाई शाह :** निर्यात से हमें जितनी विदेशी मुद्रा मिलती है उसकी तुलना में आयात पर विदेशी मुद्रा अधिक खर्च होती है। इसी कारण शुद्ध विकलन है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

श्री म० ला० द्विवेदी : मुझे व्यक्तिगत रूप से मालूम है कि बहुत से उद्योगों को आधे समय काम करने के लिये भी पोलिस्ट्रीन पाउडर नहीं मिलता है। मैं जानना चाहता हूं कि यदि पोलिस्ट्रीन अधिक मात्रा म उपलब्ध नहीं है तो अधिक उद्योगों को लगाने की आज्ञा क्यों दी जाती है ? और अगर दी जाती है तो उसका उचित प्रबन्ध करने की व्यवस्था क्यों नहीं की जाती ?

श्री मनुभाई शाह : सब जगहों में रोका गया है, हर एक स्टेट से कहा गया है कि वे इस इंडस्ट्रीज को फिलहाल न बढ़ायें, जब तक कंट्री में इस चीज के लिये कच्चा माल पैदा न हो।

†**श्री प्रभात कार :** पश्चिमी बंगाल में प्लास्टिक निर्माताओं की संस्था क प्रधान के साथ मा० मंत्री की बैठक के बावजूद, इन निर्माताओं को जो माल दिया जाता है वह अभी जरूरत के मुताबिक पर्याप्त नहीं है। क्या यह सच है कि इन प्रतिनिधियों के साथ हुई बैठक में यह बताया गया था कि वहां संभरणकर्ता यह पाउडर उन लोगों को बेच रहा है जो कोई व्यापार नहीं करते और क्या कुछ ज्ञापन इसके संबंध में पेश किये गये थे ?

†**श्री मनुभाई शाह :** जी, हां। ऐसी शिकायतें वहां अवश्य प्राप्त हुई थीं। उद्योग निर्देशकों पश्चिम बंगाल सरकार को मुख्यमंत्री ने और मैंने हिदायत दी कि वह प्रत्येक मामले की जांच करे। उसने बहुतेरे उत्पादकों को रजिस्टर से निकाल दिया है।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि जो प्लास्टिक इम्पोर्ट होकर आता है उसके बटवारे पर कोई नियन्त्रण है जिसमें कि सभी को समान रूप से मिल सके।

श्री मनुभाई शाह : नियंत्रण है जहां तक कच्चे माल का ताल्लुक है, लेकिन जो इंडस्ट्रीज छोटे आर्टिकल बनाती हैं, उन पर कोई नियंत्रण नहीं है।

कोलाइट का निर्माण

+

†*८७३. { **श्री मुरारका :** / **श्री प्र० चं० बरूआ :** }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या किसी गैर-सरकारी पार्टी को कोलाइट, मोटर स्पिरिट और अन्य सहायक उत्पादों का निर्माण करने की अनुमति दी गई है ;

(ख) क्या इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय इस परियोजना को सरकारी क्षेत्र के अधीन लेना चाहता था ; और

(ग) किन कारणों से सरकार ने यह योजना गैर-सरकारी क्षेत्र के लिए मंजूर की ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (ग). मामला विचाराधीन है।

†**श्री मुरारका :** क्या सरकार का ध्यान उस समाचार की ओर आकर्षित किया गया है जिसमें यह कहा गया था कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय की आपत्ति के बावजूद यह परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जा चुकी है ? यदि हां तो क्या इसको लगाने के स्थान का फैसला किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री मनुभाई शाह : यह समाचार पूर्णतया गलत था ।

†अध्यक्ष महोदय : यह गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दिया गया है ।

†श्री मनुभाई शाह : यह फैसला अभी नहीं किया गया है कि यह सरकारी क्षेत्र में होना चाहिये या गैर-सरकारी क्षेत्र में । जैसा मैंने उत्तर में बताया, मामला विचाराधीन है ।

†श्री मुरारका : इस परियोजना में कुल कितना धन लगाये जाने की आशा है ?

†श्री मनुभाई शाह : लगभग २ $^1/_2$ करोड़ रुपये । परन्तु समिति ने चर्चाओं में यह अनुभव किया कि यह अनुमान कम है । लगभग ७ करोड़ रुपये लगेंगे ।

†अध्यक्ष महोदय : कोलाइट क्या है ?

†श्री मुरारका : यह अर्ध-कोक है ।

क्या यह तथ्य नहीं है कि इस्पात, खान और ईंधन मंत्रालय ने कहा है कि इतने महत्व की परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दी जा सकती और लाइसेंस देने वाली समिति ने इस आपत्ति को अस्वीकार कर दिया है ?

†श्री मनुभाई शाह : नहीं, ऐसी बात नहीं है । अन्तर्मंत्रालय चर्चा चल रही है । जिस सीमा तक सरकार इसे सरकारी क्षेत्र में कर सकती है वह ऐसा करेगी । जहां तक वह कर नहीं सकेगी वह इसे आरम्भ करने के लिये गैर-सरकारी क्षेत्र को अनुमति देगी ।

†श्री प्र० चं० बरुआ : क्या इस्पात, खान और ईंधन] मंत्रालय तुरन्त इस परियोजना को करने को तैयार नहीं थी और कुछ समय लेना चाहती थी ?

†श्री मनुभाई शाह : ये सब अनुमान हैं । जब कोई मामला विचाराधीन होता है, तो माननीय सदस्यों को यह ख्याल कसे होता है कि कौन सा मंत्रालय क्या कहता है ?

†श्री ब्रजराज सिंह : मैं आपका ध्यान औद्योगिक नीति संकल्प १९५६ की ओर दिलाना चाहता हूं । मा० मंत्री का उत्तर यह है कि यह बात विचाराधीन है कि क्या यह परियोजना सरकारी क्षेत्र को दी जानी चाहिये या यदि सरकारी क्षेत्र इसे नहीं कर सकता तो यह गैर-सरकारी क्षेत्र को दी जानी चाहिये । मा० सदस्य श्री मुरारका ने कहा है कि संभवतः इस प्रकार का निर्णय पहले किया जा चका है । मेरा मतलब यह है कि औद्योगिक नीति संकल्प १९५६ के अनसार यह परियोजना गैर-सरकारी क्षेत्र को नहीं दी जा सकती । अब इसे गैर-सरकारी क्षेत्र को देने का कैसे विचार किया जा रहा है ?

†श्री मनुभाई शाह : ऐसी बात नहीं है । मा० सदस्य औद्योगिक नीति संकल्प को पढ़ सकते हैं । मैंने पहले मा० सदस्य की बात का खंडन नहीं किया । यह मिश्रित क्षेत्र है । कोयला और कोक दोनों गर-सरकारी तथा सरकारी क्षेत्र में तैयार किये जा रहे हैं ।

†श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या यह सच नहीं है कि इस प्रकार की फैक्टरियां गैर-सरकारी क्षेत्र को औद्योगिक नीति संकल्प के अधीन नहीं दी जा सकती?

†श्री मनुभाई शाह : मा० सदस्य पुनः अनुसूची को पढ़ सकते हैं । दूसरी योजना के अन्तर्गत गैर-सरकारी क्षेत्र में १२० लाख टन कोयला उत्पादन करना था और सरकारी क्षेत्र में १०० लाख टन । यह मिश्रित क्षेत्र है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्पादित किये जाने वाला १०० लाख टन पुरानी खानों से था न कि नई खानों से ।

†**श्री मनुभाई शाह :** वास्तविक बात पुरानी या नई खानों की नहीं है । कोयला परिष्करण का काम भी मिश्रित क्षेत्र में है । दोनों क्षेत्रों में कोक भी तैयार किया जा रहा है । यदि औद्योगिक नीति संकल्प के अन्तर्गत आवश्यकता हो तो ऐसी प्रत्येक योजना इस अनुमोदन से पूर्व कि यह सरकारी क्षेत्र में होनी चाहिये या गैर-सरकारी क्षेत्र में, मंत्री मंडल की अनुमति के लिये जाती है ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय :** औद्योगिक नीति संकल्प सम्बन्धी नियंत्रण का मामला यहां तक नहीं सुलझाया जा सकता । मा० सदस्य कृपया मा० मंत्री से मुलाकात करें । यदि उन्हें कोई शंका हो तो मैं उसे यहां उठाने की अनुमति दूंगा ।

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** यह बड़ा भारी उल्लंघन है ।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि यह औद्योगिक नीति संकल्प का भारी उल्लंघन है तो निश्चय ही उनको अवसर मिलेगा । मा० मंत्री कहते हैं कि उल्लंघन नहीं है । इसलिये वे इकट्ठे बैठ कर एक दूसरे से बात करके तसल्ली करें । यदि वे सन्तुष्ट नहीं होने पाते, तो मैं देखूंगा ।

†**श्री महन्ती :** क्या यह सच है कि कोलाइट केवल निर्णय का एक तरीका है और कोयला की तरह एक खनिज नहीं है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** यह कम तापमान कार्बनीकरण है । मैं प्रविधिक ब्यौरे में पड़ कर सभा का समय नहीं लूंगा । यह कई उप-उत्पाद पैदा करता है जो कोक ओवन बैटरी में तैयार किये जाते हैं ।

†**श्री कासलीवाल :** यह मामला कब से विचाराधीन है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** लगभग छः महीनों से मामला सब मन्त्रालयों और योजना आयोग के विचाराधीन है

†**श्री त० ब० विट्ठल राव :** कोठा गुडिग्रम में दूसरी योजना में शामिल किये जाने के लिये एक कम तापमान कार्बनीकरण संयंत्र अनुमोदित किया गया था । विदेशी मुद्रा की कमी के कारण यह आरम्भ नहीं किया गया । जब सरकारी क्षेत्र की परियोजना के लिये विदेशी मुद्रा नहीं मिल सकती, गैर सरकारी दल को विदेशी मुद्रा कैसे मिल सकती है ?

†**श्री मनुभाई शाह :** माननीय सदस्य निर्णय की पूर्वाशा कर रहे हैं । जब मैं कहता हूं कि मामला विचाराधीन है, तो इसके सब पहलुओं पर विचार किया जाएगा । दूसरी योजना में किसी परियोजना का जो कुछ हो सकता है तीसरी योजना के लिये वैसा होना जरूरी नहीं है ।

निर्यात

†*८७५. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री २१ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १००२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने निर्माताओं तथा निर्यातकों के बीच निर्यात प्रोत्साहन के वितरण के सम्बन्ध में इस बीच जांच पूरी कर ली है ; और

---

†मूल अंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो उसकी उपपत्तियां क्या हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) और (ख). इंजीनियरिंग सामान सम्बन्धी विशेष निर्यात संवर्द्धन योजना कुछ संशोधनों सहित उन निर्यातकों पर भी लागू कर दी गयी है जो निर्माता नहीं हैं। अन्य निर्यातकों को यह सुविधायें देने के प्रश्न पर इंजीनियरिंग सामान के बारे में छूट देकर प्राप्त किये गये अनुभवों के आधार पर विचार किया जायेगा।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या उन निर्यातकों को, जो निर्माता नहीं हैं, भी प्रोत्साहन दिया जाता है और यदि हां, तो किन मामलों में और किस रूप में ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** उन निर्यातकों को, जो निर्माता नहीं हैं, खेल कूद के सामान, काजू, तम्बाकू, समुद्रीय खाद्य, कछुए की टांगें और नारियल जटा उत्पादों जैसे विशिष्ट उत्पादों के मामले में प्रोत्साहन दिया जाता है। उन वस्तुओं के बारे में जहां कोई विशेष निर्माण तरीका नहीं है और आयातित कच्चा माल आवश्यक नहीं है, निर्यातकों और निर्माताओं दोनों के लिये सुविधायें उपलब्ध हैं।

†**श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या सरकार चाय के निर्यात के मामले में ऐसा करना चाहती है ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** चाय का निर्यात चाय बोर्ड द्वारा एक विशेष तरीके से किया जाता है, जिसके माननीय सदस्य भी एक सदस्य हैं। चाय का निर्यात वे लोग करते हैं जिन्हें चाय बोर्ड ने लाइसेंस दिये हैं। व निर्माता भी हो सकते हैं और केवल निर्यातक भी हो सकते हैं। वास्तव में दोनों प्रकार के निर्यातक हैं।

†**श्री महन्ती :** क्या यह कहना सही होगा कि निर्मित इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात के मामले में पुराने निर्यातकों की अपेक्षा निर्माताओं को प्राथमिकता दी जावेगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** अधिकांश सामान के बारे में निर्माताओं को अधिक सुविधायें—प्रोत्साहन मिलती हैं क्योंकि उनको इनके बनाने में आवश्यक कच्चे माल के आयात का अधिकार है। परन्तु निर्यातकों को उन चीजोंके बारे में प्रोत्साहन दिया जाता है जिनके लिय किसी विक्रय पश्चात् सेवा की आवम्यकता नहीं है, उदाहरणतः बर्तन और अन्य चीजें। उनका निर्यात निर्माताओं के अतिरिक्त निर्यातकों द्वारा भी किया जा सकता है और उनको कुछ प्रोत्साहन दिय जाते हैं।

†**श्री महन्ती :** प्रश्न के प्रथम भाग के उत्तर में मंत्री महोदय ने बताया कि ऐसे निर्माण में जिसमें कोई विशष तरीका नहीं लगता, पुराने निर्यातकों को भी निर्यात प्रोत्साहन में हिस्सा मिलेगा। क्या इंजीनियरिंग सामानों के निर्माण में जिसमें विशेष प्रविधिक तरीके की आवश्यकता है, पुराने निर्यातकों को निर्माताओं की अपेक्षा प्राथमिकता दी जायगी ?

†**श्री सतीश चन्द्र :** पुराने निर्यातक जैसे कोई नहीं है। आज के दिनों में कोई भी निर्यात कर सकता है।

†**कुछ माननीय सदस्य :** जी नहीं।

†**श्री सतीश चन्द्र :** जी, हां। इंजीनियरी के सामान में। जो भी कोई व्यक्ति हमारे इंजीनियरी के सामान के बारे में विदेशों में मण्डी प्राप्त कर सके, वह निर्यात कर सकता है। प्रश्न निर्माताओं और निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के बारे में है। निर्माताओं के मामले में, प्रोत्साहन कच्चें माल के आयात और अन्य तरीके से दिया जाता है। अब तक यह केवल निर्माताओं तक सीमित था। हमने उन सामानों

---

†मूल अंग्रेजी में

के मामले में जिनके बारे में विक्रय पश्चात् सेवा की आवश्यकता नहीं है, इसको अन्य सभी निर्यातकों पर लागू कर दिया है। मशीनें और संयंत्र अथवा मोटर कारें केवल निर्माता ही निर्यात कर सकते हैं। यदि कोई ऐसी आसान चीज है, जिसमें विक्रय पश्चात् सेवा की आवश्यकता नहीं है, उसे कोई भी निर्यात कर सकता है।

†**श्री कासलीवाल :** निर्यात प्रोत्साहन में वापस भुगतान का भाग ले रहा है और क्या वापस भुगतान में अथवा अन्यथा शनैः शनैः कमी हो रही है?

†**श्री सतीश चन्द्र :** देश में आयातित कच्चे माल पर लगाया गया सीमा शुल्क अथवा उत्पादन शुल्क वापस कर दिया जाता है। वापस-भुगतान यह है।

गन्दी बस्ती हटाना

†*८७६. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री बालकृष्णन् : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गन्दी बस्ती हटाने की योजनाएं सभी नगरों में लागू कर दी गयी हैं;

(ख) क्या एक लाख और उससे ऊपर की जनसंख्या वाले नगरों को प्राथमिकता दी जाती है; और

(ग) यदि हां, तो इस योजना के अधीन कौन-कौन से नगर आयेंगे?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]**

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस योजना के विस्तार की कोई गुंजाइश है और यदि हां, तो इस योजना में कौन से नगर शामिल किये जायेंगे?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** यह तो राज्य सरकारों को निर्णय करना है कि कौन से नगरों में गन्दी बस्तियों को हटाया जायेगा। परन्तु हाल के निर्णय के अनुसार, प्राथमिकता उस नगर को दी जाये जहां एक लाख से अधिक जनसंख्या है। सेन समिति की रिपोर्ट सरकार द्वारा स्वीकार किये जाने के बाद, कुछ विशेष कारणों से, गन्दी बस्तियों को हटाने का कार्य कलकत्ता, दिल्ली, मद्रास, बम्बई, अहमदाबाद और कानपुर इन छः बड़े नगरों तक ही सीमित रखना पड़ा।

†**श्री राम कृष्ण गुप्त :** क्या इस बारे में राज्य सरकारों से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं?

†**अध्यक्ष महोदय :** चौधरी ब्रह्म प्रकाश।

†**चौ० ब्रह्म प्रकाश :** सरकार को पता होगा कि क्रियान्वयन के लिये....

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मैंने अभी दूसरे प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** वह बैठ क्यों गये?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री अनिल कु० चन्दा:** अन्य शहरों में भी गन्दी बस्तियों को हटाने की परियोजनायें स्वीकार करने की राज्य सरकार को पूर्ण क्षमता है ।

†**चौ० ब्रह्म प्रकाश :** सरकार को पता होगा कि गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना की क्रियान्विति के लिये, भूमि सबसे बड़ी समस्या है। क्या सरकार ने इन गन्दी बस्तियों को हटाने की योजनाओं के लिये भूमि उपलब्ध कराने के लिये कोई ठोस कदम उठाये हैं ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** हमने गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये भूमि अर्जन और अन्य आवास परियोजनाओं के लिये राज्यों के लिये केन्द्र से ऋण लेने के लिये वित्तीय उपबन्ध किया है ।

†**श्री च० क० भट्टाचार्य :** क्या सरकार का ध्यान कलकत्ता में एक विदेशी विशेषज्ञ की राय की ओर आकृष्ट किया है कि गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना से विस्थापित हुए व्यक्तियों को उन्हीं स्थानों पर बड़ी इमारतें बना कर बसाया जाये बजाय इसके कि वह भूमि अमीर लोगों को बेची जाये ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** मुझे इस राय का पता नहीं है परन्तु भारत सरकार और राज्य सरकारों की यह राय है कि जहां तक सम्भव हो, गन्दी बस्तियों के निवासियों को जहां तक हो सके पहली बस्तियों के निकट बसाया जाय । उनको ठीक उसी स्थान पर बसाना सम्भव शायद न हो क्योंकि गन्दी बस्ती का मुख्य कारण भीड़भाड़ है अर्थात् जहां एक एकड़ में लगभग १०० व्यक्ति रहने चाहियें, वहां एक एकड़ में ५०० से ६०० व्यक्ति तक रहते हैं । स्पष्टतः यदि हम गन्दी बस्तियों को हटाना चाहें तो उन ५०० या ६०० व्यक्तियों को फिर से उसी स्थान पर नहीं बसाया जा सकता ।

†**डा० गोविन्द दास :** क्या माननीय मन्त्री जी को मालूम है कि अभी हाल ही में जबलपुर जिले में कटनी में जो बाढ़ आई थी उसमें कटनी के चारों तरफ से स्लम्ज़ के जो मकान हैं वे बह गए थे। क्या इसमें कोई सहायता मध्य प्रदेश की सरकार को केन्द्रीय सरकार से मिल सकती है कि उन स्थानों पर नई बिल्डिंग्ज़ या नए मकान इस तरह के बनाये जायें जिससे वहां स्लम्ज़ न रहें ? मैं जानना चाहता हूं कि क्या इस सम्बन्ध में मध्य प्रदेश की सरकार ने केन्द्रीय सरकार को कुछ लिखा है ?

†**श्री अनिल कु० चन्दा :** जहां तक मुझे स्मरण है, बाढ़ द्वारा गिराये गये गन्दी बस्तियों के मकानों को पुनः बनाने के बारे में हमें मध्य प्रदेश सरकार से कोई प्रार्थना नहीं मिली है । परन्तु, निश्चय ही, यदि राज्य सरकार से ऐसी कोई प्रार्थना आयी, तो हम उस प्रश्न की जांच करेंगे ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

नयी दिल्ली में नलकूप

†*८५९ { **पंडित द्वा० ना० तिवारी :**
श्री के० भे० मालवीय :
श्री विश्व नाथ राय : }

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बाढ़ रोकने तथा भूमि-गत जल की सतह का बढ़ना रोकने के लिये नयी दिल्ली में कितने नलकूप बनाये गये हैं;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) अब तक कितना खर्च किया गया है ; और

(ग) जिस प्रयोजन के लिये वे बनाये गये थे, क्या उसके लिये उनका उपयोग किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) ३०३ नलकूप खोदे गये हैं ।

(ख) ६,३६, ८५० रुपये ।

(ग) ३०३ नलकूपों में से १६ का इस्तैमाल किया जा रहा है जो सब तरह से पूर्ण हैं ।

ट्रांसफार्मर तैयार करना

†*८६६. { **श्री नारायणन् कुट्टी मेनन :**
श्री पुन्नूस :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में ट्रांसफार्मर बनाने का कारखाना खोलने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो क्या उसके लिये कोई लाइसेंस दिया गया है ;

(ग) क्या कोई विदेशी वित्तीय या प्रविधिक सहयोग प्राप्त किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो वह किस प्रकार का है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) से (घ). जी, हां । ट्रांसफार्मर बनाने के लिये केरल में एक औद्योगिक उपक्रम स्थापित करने के लिये मेसर्ज हिताची ट्रांसफार्मर्स एण्ड इलैक्ट्रिकल्ज़ (केरल) लिमिटेड, त्रिवेन्द्रम का एक प्रस्ताव है ।

यह प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है और यह आशा की जाती है कि शीघ्र ही निर्णय कर लिया जायेगा ।

जापान के मेसर्ज़ हिताची से विदेशी सहयोग मिला है और सहयोग की शर्तों पर विचार किया जा रहा है ।

सरकारी उपक्रमों में लागत लेखा प्रणाली

†*८६६. **श्री विद्या चरण शुक्ल :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ८ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ६६९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्षेत्र के वाणिज्यिक और औद्योगिक कारखानों में लागत लेखा प्रणाली वही है जो गैर-सरकारी क्षेत्र के औद्योगिक और वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों में साधारणतया प्रचलित है ; और

(ख) यदि नहीं, तो किस संबंध में यह उससे भिन्न है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह): (क) और (ख). जी, हां। सरकारी क्षेत्र में औद्योगिक उपक्रमों में लागत लेखापाल पद्धति सामान्यत: गैर-सरकारी क्षेत्र में अन्य औद्योगिक और वाणिज्यिक समवायों में ऐसे ही एककों में लागू जैसी ही है। यह पद्धति निर्माण, लागत और उत्पाद लागत निकालने के लिये बनायी गयी है।

मकान बनाने के कार्यक्रम के लिए सहायता

†*८७०. श्रीमती इला पालचौधरी: क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार एक ऐसी योजना पर विचार कर रही है कि जीवन बीमा निगम तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान मकान बनाने का कार्यक्रम पूरा करने के लिये एक बड़ी रकम दे ; और

(ख) यदि हां, तो जीवन बीमा निगम कितनी रकम देगा उसका वास्तविक ब्योरा क्या है ?

†निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख) तृतीय पंचवर्षीय योजना में आवास कार्यक्रम के लिये जीवन बीमा निगम ६० करोड़ रुपये देगी।

कलकत्ते में चाय के दलाल

**†*८७१. { श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :
श्री सरजू पाण्डेय :**

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच कि कलकत्ता चाय नीलाम बाजार में चाय दलाली का काम करने वाले सात सार्थों में से चार विदेशी संस्थाएं हैं ;

(ख) नीलाम के लिए रखी गयी चाय की कुल मात्रा के कितने प्रतिशत का व्यापार ये चार विदेशी कम्पनियां करती हैं ;

(ग) क्या चाय नीलाम बाजार पर उनका पूरा नियंत्रण है और यदि हां, तो इस राष्ट्रीय उद्योग पर से यह विदेशी नियंत्रण हटाने के लिए क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है;

(घ) क्या यह सच है कि भारतीय दलालों के लिए मुख्य कठिनाई यह है कि ब्रिटिश दलाल चाय कारखानों के लिए आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करते हैं और इस प्रकार उनकी बिक्री पर बन्धन लगा देते हैं ; और

(ङ) बागानों को इस बन्धन से छुटकारा दिलाने के लिए आवश्यक पूंजी देने के मामले में क्या कार्यवाही करने का सरकार का विचार है ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) से (ङ). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

---

†मूल अंग्रेजी में

विवरण

(क) कलकत्ता में चालू ७ दलाली काम करने वाली फर्मों में से तीन पूर्ण रूपेण भारतीय हैं और बाकी चार भारतीय रुपया समवाय हैं जिनमें भारतीय और गैर भारतीय दोनों शेयर होलडर हैं, तीन फर्मों में गैर-भारतीयों के अधिक शयर हैं।

(ख) और (ग). यद्यपि चार बड़ी दलाली का काम करने वाली फर्में जिनमें भारतीय और गैर-भारतीय दोनों शेयर होल्डर हैं, अधिकांश नीलामी बिक्री का काम संभालती हैं, इससे नीलाम पर नियंत्रण नहीं है क्यों कि नीलाम मुख्य और निर्बाध रूप से होता है और सभी पंजीकृत क्रेताओं को नीलामी में बोली लगाने का बराबर अवसर मिलता है।

(घ) ये चारों बड़ी दलाली का काम करने वारी फर्में काफी समय से चल रही हैं और इसलिये इनके वित्तीय संसाधन अधिक होने ही हैं जिससे ये भारतीय उत्पादको को वित्तीय रूप से कमजोर सेक्शन पर रुपया लगाती हैं। यदि पूर्ण रूपेण भारतीय फर्में फसल पर धन लगाना चाहें तो वे भी अधिक पूंजी लगा सकती हैं। यदि दलाली का काम करने वाली बड़ी फर्मों को दी गयी सुविधाओं में कमी की जाये, तो इससे वित्तीय रूप से कुछ कमजोर भारतीय उत्पादकों को कठिनाई होगी।

(ङ) सरकार चाय बागानों द्वारा पूंजी विकास में धन लगाने के लिये अनुभव की गयी कठिनाइयों से चिन्तित है। इस बात को ध्यान में रखते हुए सहायता की कई योजनायें चालू की गयी हैं।

टेप रिकार्डर बनाना

†*८७२. { **श्री बि० दास गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल में टेप रेकार्डर तैयार अरने का कोई कारखाना खोला गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उत्पादन कितना है और क्या वह किसी विदेशी सहयोग से कायम किया गया है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

मास्को में भारतीय प्रदर्शनी

†*८७४. { **श्री अजित सिंह सरहदी :**
श्रीमती इला पालचौधरी : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत तथा रूस के बीच व्यापार की संभावना और अवसर बढ़ाने के लिये मास्को में कोई भारतीय प्रदर्शनी अभी हाल में की गई ब्रिटिश प्रदर्शनी के तरह आयोजित करने की कोई योजना है ;

(ख) यदि हां, तो वह प्रदर्शनी कब की जायेगी ; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या देश के गैर सरकारी व्यापारियों को अपने माल का प्रदर्शन करने के लिये अपनी दूकानें लगाने का मौका दिया जायेगा ?

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) ऐसा कोई प्रस्ताव इस समय विचाराधीन है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

पाकिस्तान से अल्पसंख्यक जाति के लोगों का आगमन

†*८७७. { **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम पाकिस्तान में अल्पसंख्यक जाति के काफी लोग वह असुरक्षित होने के कारण अभी हाल के महीनों में राजस्थान सीमा से होकर भारत आ रहे हैं ;

(ख) यदि हां, तो पिछले दो महीनों में ऐसे कितने व्यक्ति भारत आये ; और

(ग) इस संबंध में क्या कार्यवाहीं की गयी या की जाने वाली है ?

†वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और उपलब्ध होने पर सभा पटल पर रख दी जावेगी।

सतग्राम कोयला खान

†*८७८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३८९ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसनसोल में सतग्राम कोयला खान में नौकरी से अलग/बर्खास्त किये गये कर्मचारियों को फिर नियुक्त करने के प्रश्न पर सरकार ने विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला ?

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) और (ख). ८ मार्च, १९६१ को एक फैसला किया गया था जिससे प्रबन्धकों ने ४० मुअत्तिल/बर्खास्त श्रमिकों को पुनः रोजगार पर लगाने का प्रस्ताव किया था । इनमें से २८ श्रमिक काम पर आये और उन्हें पुनः रोजगार पर लगा लिया गया; बाकी १२ ने कोई उत्तर नहीं दिया ।

---

†मूल अंग्रेजी में

सिक्किम के लिये विकास योजना

†*८७९. { **श्री चुनी लाल :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री अरविन्द घोषाल :
श्री अजित सिंह सरहदी :
श्री प्र० चं० बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री डामर : }

क्या **प्रधान मंत्री** २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४१२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सिक्किम के लिए दूसरी विकास योजना पर विचार किया है और उसे अन्तिम रूप दे दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

†**वैदेशिक-कार्य मंत्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां) :** (क) जी, हां।

(ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है।

[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]

उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना

*८८०. { **श्री भक्त दर्शन :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १०८२ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना स्थापित करने की प्रस्थापना किस अवस्था में है ?

उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : योजना मंजूर कर दी गयी है।

अध्यापक प्रशासकों का प्रशिक्षण

†*८८१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री तंगामणि:
श्री कुन्हन : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अध्यापक प्रशासकों के प्रशिक्षण का तीसरा शिक्षा क्रम (कोर्स) बम्बई में इस बीच चालू किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस के लिये कितने प्रशिक्षार्थी चुने गये हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : (क) जी, हां । १८ जुलाई, १९६१ को

(ख) इस पाठ्यक्रम के लिये ४३ अभ्यर्थी चुने गये ।

कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन

†*८८२. { **श्री इन्द्रजीत गुप्त** :
श्री रामकृष्ण गुप्त : }

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री २४ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १६८९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम को संशोधित करने के प्रस्ताव के संबंध में इस बीच कोई प्रगति हुई है ;

(ख) जिन प्रस्तावों पर विचार हो रहा है क्या उन में वे प्रस्ताव भी शामिल हैं जिनका समर्थन कर्मचारी राज्य बीमा निगम में कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने किया था ; और

(ग) क्या मालिकों या कर्मचारियों या दोनों के द्वारा दिये जाने वाले अंशदान की दर बढ़ाने का कोई प्रस्ताव है ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) कर्मचारी राज्य बीमा निगम द्वारा नियुक्त की गई उप-समिति ने प्रस्तावित संशोधनों पर विचार कर लिया है। इस के प्रतिवेदन पर निगम २६-८-१९६१ को अपनी बैठक में विचार करेगा ।

(ख) जी, हां ।

(ग) नियोजकों अथवा कर्मचारियों द्वारा अंशदान की दरों में वृद्धि के लिये अधिनियम में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, दरों के वैज्ञानिकन का प्रस्ताव है और इस में कुछ हेरफेर करनी होगी ।

खान कर्मचारियों में थकान संबंधी समिति

†*८८३. श्री त० ब० विट्ठलराव : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या खान कर्मचारियों में थकान सम्बन्धी समिति ने इस बीच अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है ;

(ख) यदि हां, तो उस की मुख्य सिफारिशें क्या हैं ;

(ग) यदि उपयुक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो तो रिपोर्ट के कब तक मिल जाने की संभावना है ; और

(घ) खानों के निरीक्षण के लिये "खान निरीक्षकों" की व्यवस्था करने के लिये कानून कब बनाया जायेगा ?

†श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र) : (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) समिति ने कार्य के कार्यक्रम की प्रारूप रूपरेखा स्वीकार की है। जांच का वास्तविक कार्य आवश्यक कर्मचारी और उपकरण उपलब्ध होने के बाद आरम्भ किया जायेगा।

(घ) इस को संशोधनों के अगले दल में शामिल किया जायेगा जिन पर सुरक्षा सम्मेलन की सिफारिशों के परिणामस्वरूप स्थापित की गई समिति की रिपोर्टें आने पर विचार किया जायेगा।

सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति

†*८८४. { **श्री स० मो० बनर्जी :**
सरदार इकबाल सिंह :

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशें अब सभी एककों में लागू हो गई हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो कितने एककों ने ऐसा नहीं किया है ; और

(ग) ऐसा न करने के क्या कारण हैं ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) :** (क) और (ख). ३३ में से ५ कारखानों ने सिफारिशों को क्रियान्वित नहीं किया है। २ अन्य कारखानों के बारे में क्रियान्वयन के लिये समझौते हुए हैं।

(ग) बाकी ३ एककों में क्रियान्वयन के ब्यौरों के बारे में नियोजकों और श्रमिकों में मतभेद है। सम्बन्धित राज्य सरकारें मित्रवत और शीघ्र समझौते के लिये पक्षों की सहायता कर रही हैं।

सीमेंट के कारखाने

†*८८५. { **श्री मुरारका :**
श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में सीमेंट के कारखाने स्थापित करने के लिये कितने लाइसेंस दिये गये ;

(ख) इस अवधि में कितने कारखाने स्थापित हुए ; और

(ग) क्या सरकार अप्रयुक्त लाइसेंसों को रद्द कर देती है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) नये उद्योग स्थापित करने के लिये २२ और वर्तमान अथवा प्रस्तावित कारखानों के सारभूत प्रसार के लिये २०।

(ख) सात नये कारखाने स्थापित किये गये और २३ का मूलभूत विस्तार-कार्य पूरा किया गया। इस के अतिरिक्त एक मूलभूत विस्तार-कार्य अधूरा किया गया। इन में से, छः नये कारखाने और १६ सारभूत विस्तार द्वितीय योजना-काल से पूर्व जारी किये गये लाइसेंसों से सम्बद्ध हैं।

(ग) नये कारखाने स्थापित करने के लिये १२ लाइसेंस खतम कर दिये गये हैं। बाकी लाइसेंस वाली योजनाओं का परीक्षण किया गया है और जहां आवश्यक है, लाइसेंसों की अवधि बढ़ा दी गई है अथवा बढ़ाई जा रही है।

†मूल अंग्रेजी में

काली मिर्च, आदि का निर्यात

†*८८६. **श्रीमती इलापाल चौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को पिछले दिनों भारत से विदेशों को निर्यात की गई काली मिर्च, इलायची, काजू, कच्चा चमड़ा और खाल आदि की खराब किस्म के बारे में शिकायतें मिली हैं ;

(ख) यदि हां, तो उनका संक्षिप्त ब्यौरा क्या है और वे किन किन देशों से प्राप्त हुई है ; और

(ग) इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है ।

विवरण

(क) और (ख). सामान की किस्म के नमूने से न मिलने के बारे में कई सामान के बारे में विभिन्न देशों में क्रेताओं से कुछ शिकायतें आई हैं । जैसे ही ये प्राप्त होती हैं, इन पर विचार किया जाता है और यह जानकारी एकत्र करने में पर्याप्त समय और दिमाग खर्च किये बगैर ऐसे मामलों की कोई सूची तैयार करना व्यवहार्य नहीं है ।

(ग) सरकार ने नवम्बर, १९६० में किस्म नियंत्रण और नौभरण-पूर्व परीक्षण सम्बन्धी एक तदर्थ समिति नियुक्त की है जिस का प्रमुख उद्देश्य भारत से निर्यात किये जाने वाले विभिन्न सामान पर किस्म नियंत्रण करने के प्रश्न की जांच करने और इस बारे में सरकार को सिफारिशें देना है । इस समिति ने हाल ही में अपना प्रतिवेदन दिया है ।

रूस को निम्न श्रेणी के तम्बाकू का निर्यात

†*८८७. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस निम्न श्रेणी का भारतीय तम्बाकू खरीद रहा है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वर्ष में इस तम्बाकू की कितनी मात्रा उस देश में आयात की जायेगी; और

(ग) चीन द्वारा खरीद बन्द किये जाने के कारण मंडी में निम्न श्रेणी के तम्बाकू का जो अतिप्रदाय[१] हो गया था उसमें इसे कितनी कमी होगी ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी हां ।

(ख) १९६१ की फसल का निम्न श्रेणी का तम्बाकू १९.४ लाख पौंड ।

(ग) रूस से तम्बाकू खरीदने से कुछ सहायता मिली है परन्तु ऐसा पता लगा है कि निम्न श्रेणी के तम्बाकू के बड़े भंडार अभी बिना बिके पड़े हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[१]Gleat,

मध्य प्रदेश में अल्यूमिनियम का कारखाना

†*८८८. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्रीमती मैमूना सुल्तान : }

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने मध्य प्रदेश में अल्यूमिनियम का एक कारखाना स्थापित करने के लिये एक गैर-सरकारी फर्म के प्रार्थनापत्र पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम रहा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). प्रार्थनापत्र पर अब भी विचार किया जा रहा है ।

न्यूयार्क में विश्व मेला

†*८८९. { **श्री चुनी लाल :**
श्री राम कृष्ण गुप्त :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११८० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६४ में न्यूयार्क में होने वाले "विश्व मेले" में भारत के भाग लेने के बारे में क्या निश्चय किया गया है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) :** यह निर्णय कर लिया गया है कि भारत मेले में भाग लेगा । उचित स्थान निश्चित करने तथा आवश्यक प्रबन्ध करने के उपाय किये जा रहे हैं । ब्यौरे अभी बनाये जा रहे हैं ।

कलकत्ता में विस्थापित व्यक्तियों की शाहपुर और दुर्गापुर बस्तियां

†*८९०. { **श्री इन्द्र जीत गुप्त :**
श्री मुहम्मद इलियास : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या न्यू अलीपुर, कलकत्ता की शाहपुर और दुर्गापुर बस्तियों में १९४८ से रहने वाले बहुत से विस्थापित परिवारों को मकान खाली करने के नोटिस दिये गये हैं ;

(ख) यदि हां, तो मकान खाली कराने के क्या कारण हैं ; और

(ग) क्या सम्बन्धित परिवारों को बसने के लिये कोई वैकल्पिक स्थान, आर्थिक प्रतिकर और या मकान बनाने के लिये ऋण दिये गये हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** (क) से (ग). २२ अगस्त १९६१ को लोक-सभा में प्रतिरक्षा मंत्री द्वारा तारांकित प्रश्न संख्या ८३५ के उत्तर की ओर ध्यान आकर्षित कराया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

भारत को विदेशी सहायता

†*८९१. श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
श्री स० अ० मेहदी :
श्री मे० क० कुमारन :
श्री महन्ती :
महाराजकुमार विजय आनन्द :
श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री हेम बरुआ :

क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उन्होंने भारत को विदेशी सहायता के बारे में विदेशी राज्यों और सरकारों के प्रधानों को लिखा है ;

(ख) यदि हां, तो किन-किन देशों को पत्र भेजे गये हैं; और

(ग) किन-किन देशों ने अनकूल उत्तर दिये हैं ?

†**वैदेशिक-कार्य मन्त्री के सभा-सचिव (श्री सादत अली खां)**: (क) कुछ विदेशी राज्यों और सरकारों के प्रधानों को तीसरी योजना के लिए वैदेशिक सहायता की आवश्यकताओं के बारे में लिखा गया है ।

(ख) धौर (ग). पत्र गोपनीय है । परन्तु यह भी बताया जा सकता है कि सामान्यतः उत्तर पक्ष में ही मिला था ।

ट्यूनिशिया का व्यापार दल

†*८९२. श्री प्र० चं० बरुआ :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री प्र० गं० देव :
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मई, १९६१ में ट्यूनिशिया का एक व्यापार दल भारत आया था;

(ख) यदि हां, तो दल के साथ किन किन विशेष विषयों पर विचार विनिमय हुआ; और

(ग) उसका क्या परिणाम रहा ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी, हां ।

(ख) १९६० में राज्य व्यापार निगम ने ट्यूनिशिया के बाह्य व्यापार के कार्यालय से समझौता किया था कि चाय तथा जूट के निर्यात के बदले में फास्फेट का आयात हो । इस ठेके की क्रियान्विति के ब्यौरेवार प्रबन्धों के बारे में दल से चर्चा हुई थीं ।

(ग) आवश्यक प्रबन्ध किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

कच्चे पटसन के मूल्य

†*८६३. { **श्रीमती इला पालचौधरी :**
श्री इन्द्रजीत गुप्त :
श्री अ० चं० गुह :
श्री सुरेन्द्र नाथ द्विवेदी :
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस "सीजन में" कच्चे पटसन का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के बारे में कोई निश्चय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो मूल्य की घोषणा कब की जायेगी;

(ग) क्या न्यूनतम मूल्यों के मामले में किसी राज्य सरकार ने या इंडियन जूट मिल्स एसोसियेशन ने कोई सिफारिश की है; और

(घ) घोषित किये जाने वाले किन्हीं न्यूनतम मूल्यों को बनाये रखने के लिए क्या उपाय अपनाये जायेंगे ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) जी, नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) और (घ). न्यूनतम मूल्य बताये बिना आइ० ज० एम० ए० ने एक मध्यवर्ती भंडार बनाने का सुझाव दिया है । मध्यवर्ती भंडार बनाने तथा मूल्यों के समस्त प्रश्न पर सक्रिय रूप में विचार किया जा रहा है ।

ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स

†२०८६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या १२५८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड के निर्माण के लिए विदेशी सहायता के प्रबन्ध के तथा निर्माण कार्यक्रम के ब्यौरों को अन्तिम रूप देने में और क्या प्रगति हुई है ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) :** श्री बी० हिम्मतसिंहका, कलकत्ता तथा अमरीका में ग्रेट लेक्स कारपोरेशन के बीच कैल्साइन्ड पैट्रोलियम कोध बनाने की शर्तें स्वीकार कर ली गई हैं । निर्माण कार्यक्रम आदि के ब्यौरे फर्म से अभी नहीं मिले हैं ।

भारत सरकार ने मैसर्स बांगुर ब्रदर्स की ग्रेफाइट उत्पाद निर्माण करने की योजना को सिद्धान्ततः स्वीकार कर लिया है; उनके अमरीका के ग्रेट लेक्स कारपोरेशन से सहयोग के प्रस्ताव भी मिल गये हैं तथा शर्तें विचाराधीन हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के रिकार्ड बनाना

†२०९०. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६४८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के रिकार्ड बनाने में और क्या प्रगति हुई है; और

(ख) काम कब तक पूरा हो जाने की आशा है ?

†**सूचना और प्रसारण मन्त्री (डा० केसकर)** : ३ अप्रैल, १९६१ से अब तक निम्नलिखित संस्मरणों के रिकार्ड बनाये गये हैं जो महात्मा गांधी की 'रेडियो बायोग्राफी' के अंग हैं :

१. आश्रम में रहने वाले प्रसिद्ध श्री तुलसी मेहर श्रेष्ठ द्वारा महात्मा गांधी के संस्मरण—समय १२ मिनट ।

२. श्री मेलविले डि मैलों द्वारा माहात्मा गांधी के संस्मरणों के बारे में श्रीमती राजकुमारी अमृतकौर से इंटरव्यु

(ख) काम पूरा करने के लिये कोई समय अनसूची नहीं बनाई गई है । परन्तु 'रेडियो बायोग्राफी' क्रमों में पूरी की जायेगी और महात्मा गांधी के जन्म अथवा मृत्यु का वार्षिक समारोह बायोग्राफी में आयेगा ।

पंजाब में औद्योगिक बस्तियां

†२०९१. { **श्री रामकृष्ण गुप्त** :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा : }

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में औद्योगिक बस्तियों में अब तक क्या प्रगति की गयी है;

(ख) इन बस्तियों में प्रत्येक में वार्षिक उत्पादन का अनुमान क्या है; और

(ग) वर्ष १९६१–६२ में कितनी नई औद्योगिक बस्तियां स्थापित की जायेंगी और वे कहां स्थापित की जावेंगी ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]**

अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड

†२०९२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६१ के उत्तर कैं सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हस्तशिल्प सहकारी संस्थाओं की प्रादेशिक गोष्ठी सम्बन्धी अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड की सिफारिशों पर विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी, हां ।

(ख) अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड द्वारा संगठित हस्तशिल्प सहकारी संस्थाओं की प्रादेशिक गोष्ठी की अधिकांश सिफारिश राज्य सरकारों से सम्बन्धित हैं और बोर्ड ने यह मामला उनके साथ उठाया है । जिन सिफारिशों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाना है, वे प्रमुखतः हस्तशिल्प सहकारी संस्थाओं को वित्तीय सहायता के तरीके के बारे में है और इनके बारे में तृतीय पंचवर्षीय योजना में हस्तशिल्प समेत कुटीर तथा लघु उद्योगों के लिये केन्द्रीय सहायता के तरीके का पुर्नविलोकन करने के लिये नियुक्त की गई समिति को बता दिया गया है ।

संयुक्त प्रबन्ध परिषदें

†२०९३. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने ट्रेड यूनियनों द्वारा दिये गये सुझाव के अनुसार औद्योगिक संस्थापनों में संयुक्त प्रबन्ध परिषदों की स्थापना की संभावना पर विचार किया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)**: (क) और (ख). मामले के सम्बन्ध में ट्रेड यूनियनों द्वारा सुझाव दिये गये कुछ प्रबन्धकों के साथ लिखापढ़ी की गई है और जहां कहीं संभव हो वहां संयुक्त प्रबन्ध पषिदें स्थापित करने के प्रयत्न किये जा रहे हैं ।

लंका को प्लाईवुड का निर्यात

†२०९४. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३ अप्रैल, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या २६६३ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को लंका को प्लाईवुड के निर्यात को बढ़ाने के लिए ठोस सुझाव देने वाला दक्षिण भारतीय प्लाईवड निर्माता संघ, कालीकट का दूसरा प्रतिवेदन प्राप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसमें क्या मुख्य सुझाव दिये गये हैं ?

†**उद्योग उपमन्त्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). अभी तक नहीं, श्रीमान् ।

दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार

†२०९५. **श्री पांगरकर** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार द्वारा वर्ष १९६०–६१ में दक्षिण-पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार संवर्धन के लिए क्या कदम उठाये गये हैं; और

(ख) क्या इन कदमों के परिणामस्वरूप दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)**: (क) १९६०–६१ में निर्यात संवर्धन परिषदों द्वारा प्रेरित चार व्यापार प्रतिनिधिमण्डल दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को भेजे गये थे ।

दक्षिण पूर्व एशिया में हमारे दूतावासों से संबद्ध प्रदर्शन कक्षों में भारतीय माल के प्रदर्शन की व्यवस्था की गई है ।

वियनशियने में एक पूर्णतः भारतीय प्रदर्शिनी आयोजित की गई थी ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

१९६० में भारत ने भी बैंकाक में आयोजित वाई० डब्लू० सी० ए० मेले में भाग लिया था।

निर्यात संवर्धन के लिए उठाये गये सामान्य कदमों से दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को निर्यात में भी सहायता मिली है।

(ख) इनमें से कुछ देशों को निर्यात में वृद्धि हुई है परन्तु उठाये गये कदमों का पूरा प्रभाव कुछ समय के पश्चात् ही देखा जा सकता है।

हथकरघा वस्त्र का निर्यात

†२०९६. { **श्री पांगरकर :**
श्री कै० प० सिन्हा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९६०–६१ में भारत से कितना हथकरघा वस्त्र निर्यात किया गया ;

(ख) उपरोक्त अवधि में इस निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई ; और

(ग) उपरोक्त में किन किन देशों ने भारत से हथकरघा वस्त्र आयात किया ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) अप्रैल, १९६० फरवरी, १९६१ में २,५०,०४,९२७ मीटर।

(ख) उपरोक्त निर्यात से ४,४८,७५,४३२ रुपए।

(ग) मुख्य आयातक देश मलाया, लंका, सिंगापुर, अदन, नाइजीरिया, संयुक्तराज्य अमरीका और ब्रिटेन थे।

महाराष्ट्र में नए उद्योगों के लिये लाइसेंस

†२०९७. **श्री पांगरकर :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) महाराष्ट्र में नए उद्योग प्रारंभ करने के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में कितने लाइसेंस जारी किए गए ;

(ख) क्या इन सब लाइसेंसों को काम में लाया गया ; और

(ग) यदि नहीं, तो कितने लाइसेंस अप्रयुक्त हैं ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) महाराष्ट्र में नए उपक्रमों की स्थापना के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजना अवधि में ४२५ लाइसेंस जारी किए गए थे।

(ख) और (ग). इनमें से वाईस लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं। अन्य समस्त मामलों में या तो उपक्रमों की स्थापना हो चुकी है अथवा स्थापित किए जाने के प्रक्रम में हैं।

नेफा क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ

†२०९८. **श्री न० म० देव :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नेफा क्षेत्र में बहुत बड़ी मात्रा में विस्फोट पदार्थों की चोरी हुई ; और

(ख) यदि हां, तो सरकार इस संबंध में क्या कदम उठाने का विचार कर रही है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: क) और (ख). आसाम राज्य में मारघेरीटा के निकट नेफा क्षेत्र में पहाड़ी सड़कों के निर्माण के संबंध में इकट्ठे किये गये कुछ विस्फोटक पदार्थों की चोरी हुई है। चोरी में ५० पौंड जिलेटाइन, १०,०६० डिनोटेटर और फ्यूज़ वायर के ६६ कॉइल सम्मिलित हैं। चोरी की रिपोर्ट पुलिस में कर दी गई है जो उसकी जांच कर रही है।

यह हिदायत जारी की गई है कि नेफा में समस्त विस्फोटक पदार्थ आसाम राइफल्स क्षेत्र में जमा किया जाना चाहिए। मारघेरीटा में विस्फोटक पदार्थ एक अनुमोदित मैगज़ीन में जमा किए जायेंगे।

प्रचार सामग्री पर व्यय

२०९९. **श्री खुशवक्त राय**: क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों में वैदेशिक-कार्य मंत्रालय ने प्रचार सामग्री के प्रकाशन पर कितना व्यय किया है; और

(ख) इसमें से कितना प्रकाशित साहित्य प्रतिवर्ष भारत में और विदेशों में निःशुल्क वितरित किया गया?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू): (क) ११,२८,२७१,३४ रुपए।

(ख)	१९५६–५७ . . .	१,६७,७००	प्रतियां (लगभग)
	१९५७–५८ . . .	१,७१,५७०	,, ,,
	१९५८–५९ . . .	१,७६,०५०	,, ,,
	१९५९–६० . . .	१,८७,१३०	,, ,,
	१९६०–६१ . . .	१,९७,७०४	,, ,,

उत्तर प्रदेश में उद्योग

२१००. **श्री खुशवक्त राय**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत वर्ष और इस वर्ष उत्तर प्रदेश के निजी उद्योगपतियों को कितने लाइसेंस किन-किन उद्योगों के लिये दिये गये;

(ख) ये उद्योग किन-किन स्थानों पर स्थापित किये जायेंगे;

(ग) क्या यह भी सच है कि जिला खेड़ी में गोलागोर्कणनाथ स्थान पर कागज़ का कारखाना लगाने के लिये लाइसेंस दिया गया है;

(घ) यह लाइसेंस किस व्यक्ति के नाम दिया गया है; और

(ङ) कागज़ बनाने के लिये क्या कच्ची सामग्री प्रयुक्त की जायेगी और वह कहां से प्राप्त की जायेगी

†मूल अंग्रेज़ी में

उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) तथा (ख). उद्योग (विकास तथा नियमन) अधिनियम, १९६१ के अधीन जारी किये गये सभी लाइसेंसों का ब्योरा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ निर्माण की वस्तुओं तथा उन उद्योगों के स्थानों के बारे में भी पूरी जानकारी होती है, जरनल आफ इंडस्ट्री एण्ड ट्रेड नामक पत्र के अंकों में प्रकाशित किया जाता है। इस पत्र की प्रतियां संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

(ग) जी, हां ।

(घ) मेसर्स हिन्दुस्तान शुगर मिल्स लिमिटेड, गोलागोकर्णनाथ, जिला खेड़ी, उत्तर प्रदेश ।

(ङ) गन्ने की खोई जो उनके अपने चीनी कारखाने तथा पड़ोस के दूसरे चीनी कारखानों से प्राप्त की जाएगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा भर्ती

†२१०१. { **श्री प्र० गं० देव :**
महाराजकुमार विजय आनन्द :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान २४ जून, १९६१ के ब्लिटज़ में राज्य व्यापार निगम में कर्मचारियों की भर्ती के संबंध में लगाय गए गंभीर आरोपों की ओर आकर्षित किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) मामले की जांच की जा रही है ।

भोपाल में औद्योगिक बस्ती

२१०२. **श्री क० भे० मालवीय** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने के पास एक औद्योगिक बस्ती बसाई जायगी ;

(ख) यदि हां, तो वहां कौन से उद्योग रहेंगे ; और

(ग) सरकार द्वारा इस सम्बन्ध में क्या सुविधायें दी जायेंगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) जी, हां । भोपाल में हैवी इलैक्ट्रिकल्स कारखाने के निकट एक कार्यानुकूल औद्योगिक बस्ती बसाने का प्रस्ताव है ।

(ख) इसमें ऐसे उद्योग स्थापित किये जायेंगे जो हैवी इलैक्ट्रिकल्स के सहायक कारखानों के रूप में काम करते हुए पुर्जे और स्टोर्स का सामान तैयार करेंगे। ये सहायक उद्योग तांबे के कन्डकटर, पीतल के एक्सट्रूज़न, अधिक फैलने वाले मुलायम इस्पात, पेच और ढिबरियां बनाने, लचीले लोहे को ढालने, गढ़ाई करने, ऐनोडाइज्ड लेबिल्स, स्प्रिंगें, पेंट और वार्निशें, पैकिंग की पेटियां बनाने तथा बकेलाइट को ढालने के होंगे ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

(ग) सरकार इसे वे सभी सुविधायें देगी जो अन्य औद्योगिक बस्तियों को दी जाती हैं, जैसे पानी और बिजली वाले शड, किराये में राजकीय सहायता, कच्चे माल का गारंटी से सम्भरण करना तथा किराया-खरीद पर मशीनें देना आदि। औद्योगिकों के लिये अन्य सुविधायें जैसे शो-रूम तथा प्रशिक्षण की सुविधायें भी दी जायेंगी।

राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की गई वस्तुयें

२१०३. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिसम्बर, १९६० से जुलाई, १९६१ तक भारत के राज्य व्यापार निगम द्वारा किन-किन वस्तुओं का किन-किन देशों को निर्यात किया गया ; और

(ख) उपरोक्त निर्यात से भारत को देशवार कितनी आमदनी हुई ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो): (क) और (ख). एक विवरण साथ में नत्थी है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]**

खादी की बिक्री

२१०४. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय खादी का कुल कितना माल बिना बिका हुआ पड़ा है ; और

(ख) खादी की बिक्री बढ़ाने के लिये सरकार क्या विशेष कार्यवाही करना चाहती है ?

उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) ५ करोड़ रु०।

(ख) खादी की फुटकर बिक्री पर काफी समय तक के लिये ६ न० पै० प्रति रुपया अतिरिक्त छूट देने का प्रस्ताव है। प्रतिमानित स्तर से घटिया किस्म की खादी की फुटकर बिक्री पर कुछ और अधिक छूट देने का प्रस्ताव है, जिससे संस्थाएं प्रतिमानित स्तर से घटिया किस्म के कपड़े के वर्तमान स्टाक को निकाल सकें।

इसके अतिरिक्त खादी संस्थाओं और खादी कमीशन ने खादी बेचने तथा उसकी किस्म में सुधार करने और प्रतिमानीकरण करने के लिये एक गहन प्रयत्न भी शुरू कर दिया है। इन्होंने नये शिक्षित कतवारों और बुनकरों द्वारा तैयार किये गये प्रतिमानित स्तर से घटिया किस्म के सूत और कपड़े का प्रतिशत कम करने के लिये भी उपयुक्त उपाय किये हैं।

स्टेनलैस स्टील के बर्तन

२१०५. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को पता है कि देश में स्टेनलैस स्टील के बर्तनों की बहुत कमी है और वे बहुत मंहगे मिलते हैं ;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस कमी को दूर करने और कीमतें घटाने के लिये कोई योजना बनाई है ; और

(ग) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) से (ग). जानकारी इकट्ठी की जा रही है और सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

लघु उद्योगों के लिये रिजर्व बैंक गारण्टी

२१०६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जुलाई, १९६१ को छोटे उद्योगों को दी जाने वाली रिजर्व बैंक गारन्टी किन-किन राज्यों के किन-किन ज़िलों में दी जा रही थी ; और

(ख) इस वित्तीय वर्ष में वह और किन-किन राज्यों के किन-किन ज़िलों में लागू की जायेगी ?

उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह): (क) उन राज्यों और उनके ज़िलों के नाम, जिन में लघु उद्योगों को दी जाने वाली रिजर्व बैंक गारन्टी की योजना इस समय चल रही है, नीचे दिये गये हैं :—

क्रम संख्या	राज्य का नाम	ज़िले का नाम
१	आन्ध्र प्रदेश . . .	†पूर्वी गोदावरी हैदराबाद कृष्णा †वारंगल
२	आसाम .	कामरूप
३	विहार	†पटना रांची
४	दिल्ली . .	दिल्ली (संघ राज्य क्षेत्र)
५	गुजरात .	अहमदाबाद †बड़ौदा †राजकोट सूरत
६	जम्मू तथा काश्मीर	†जम्मू †श्रीनगर
७	केरल	†पालघाट †क्विलान †त्रिचूर त्रिवेन्द्रम

क्रम संख्या	राज्य का नाम	ज़िले का नाम
८	मध्य प्रदेश	गिर्द
		†इंदौर
		†रायपुर
९	मद्रास	†चिंगलपट
		कोयम्बटूर
		मद्रास
		†मदुरई
		†सेलम
१०	महाराष्ट्र	वृहत्तर बंम्बई
		कोल्हापुर
		†नागपुर
		†पूना
		थाना
११	मैसूर	बंगलौर
		†धारवाड़
१२	उड़ीसा	कटक
१३	पन्जाब	†अम्बाला
		अमृतसर
		गुरदासपुर
		गुड़गांव
		†जालन्धर
		लुधियाना
१४	राजस्थान	जयपुर
		†जोधपुर
१५	उत्तर प्रदेश	आगरा
		†अलीगढ़
		†इलाहाबाद
		कानपुर
		मेरठ
		†मुरादाबाद
		†वाराणसी
१६	पं० बंगाल	†बर्दवान
		वृहत्तर कलकत्ता
		हावड़ा

(ख) यह योजना हाल में २६ जिलों († चिह्नांकित) में भी लागू की गयी है। इन जिलों की प्रगति को देखने के बाद इसको और आगे विस्तार करने के प्रश्न पर विचार किया जायेगा।

पश्चिम नेपाल में कांजीरोवा पर्वत श्रेणी

२१०७. श्री क० भे० मालवीय : क्या प्रधान मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पश्चिम नेपाल में कांजीरोबा पर्वत श्रेणी की स्थिति और नाम संबंधी गलतियां भारतीय सर्वेक्षण नक्शों में हैं; और

(ख) यदि हां, तो इन गलतियों को सुधारने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है ?

प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). संबद्ध नक्शे उस नापजोख और सर्वेक्षण पर आधारित हैं, जो १६२६–२७ में किया गया था। उनमें जो पर्वत श्रेणियां दिखाई गई हैं, उनके नामों की जांच नेपाल अधिकारियों ने की थी। सर्वेक्षण करने योग्य आगामी मौसम में उस इलाके का फिर से सर्वेक्षण किए जाने की आशा है, और जहां भी ज़रूरत होगी, नक्शों में समुचित संशोधन कर दिया जाएगा।

कपड़े का आयात

२१०८. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि कपड़े का आयात अब तक किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो किस-किस किस्म का कपड़ा किन-किन देशों से आयात किया जाता है; और

(ग) क्या यह भी सच है कि इन किस्मों के कपड़े भारत में नहीं बनते हैं ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) जिन देशों को भारतीय कपड़े का निर्यात होता है उनके साथ पारस्परिक व्यापार करने के प्रतीक स्वरूप पुराने आयातकों के कोटे के १। प्रतिशत सूती कपड़े का नाम मात्र का आयात करने की स्वीकृति दी जाती है।

(ख) कपड़े की निम्नलिखित किस्मों का आयात किया जाता है :—

टिवल और साटन, बढ़िया किस्म की इटालियन मलमल, छाते का कपड़ा, बारीक कपड़ा और मलमल, आरगण्डी पापलीन, ब्रिटोन जालियां, वायल, लापेट की साटन, ड्रिलें, जीनें, कैम्ब्रिक, कोरड्रो लिम्ब्रिक और फैशन वाली छींटें।

निम्न देशों से आयात किया जाता है :—

ब्रिटेन, आस्ट्रिया, बेल्जियम, चैकोस्लोवाकिया, फ्रांस, फिनलैण्ड, जर्मनी, हंगरी, हांगकांग, जापान, मलाया, स्विटजरलैण्ड, सिंगापुर, स्पेन और अमरीका।

(ग) देश में विभिन्न परिमाण में इन सभी किस्मों का कपड़ा तैयार होता है।

इण्डिया इण्टरनेशनल सेंटर द्वारा आयात

२१०६. श्री क० भे० मालवीय : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इण्डिया इण्टरनेशनल सेंटर ने १४ लाख रुपये का सामान विदेश से मंगाने की अनुमति मांगी है;

(ख) क्या इस राशि का सारा सामान भारत में ही खरीदा जा सकता है; और

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार इस सेंटर को लाइसेंस देगी ?

वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो) : (क) दि इण्डिया इण्टरनेशनल सेन्टर ने केवल ७,२८.५०० रुपये के सामान का आयात करने की अनुमति मांगी थी।

(ख) सभी सामान भारत में नहीं बनता।

(ग) विदेशी मुद्रा नियन्त्रण प्रतिलिपियों से रहित ६ लाइसेंस जारी किये जा चुके हैं जिनका कुल मूल्य ७,२८,५०० रु० है। यह सारा सामान राकफेलर फाउन्डेशन ने उपहार के रूप में दिया था, इस कारण इसके लिये विदेशी मुद्रा द्वारा अथवा अन्य किसी प्रकार से भुगतान नहीं करना पड़ा।

हिन्दी में टेंडर

२११०. श्री क० भे० मालवीय : क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग द्वारा जारी किये गये टेंडर सिर्फ अंग्रेजी में होते हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या उनके हिन्दी अनुवाद हिन्दी पत्रों में प्रकाशित किये जायेंगे; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और क्या इस प्रश्न पर गम्भीरता से विचार किया जायेगा ?

निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) केन्द्रीय सरकारी निर्माण विभाग द्वारा टेंडर सूचनाओं के विज्ञापन सूचना एवं प्रसार मन्त्रालय के विज्ञापन एवं दृश्य प्रचार निदेशालय को भेज दिये जाते हैं। विज्ञापनों के प्रकाशन के लिये पत्रों का चुनाव वही निदेशालय करता है। वह निदेशालय अंग्रेजी पत्रों के साथ साथ हिन्दी और प्रादेशिक भाषाओं के पत्रों को भी विज्ञापन देता है। ये विज्ञापन प्रत्येक विज्ञापन की आवश्यकताओं और उस भाषा-प्रदेश को, जिसके लिए वह विशेष रुचि का हो, ध्यान में रख कर दिये जाते हैं।

(ख) और (ग). प्रश्न नहीं उठता।

विद्युत चालित करघे

†२०११. **श्री सोमानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अनधिकृत बिजली के करघों को अधिकृत बिजली के करघों में परिवर्तित करने की योजना के सम्बन्ध में वस्त्र आयुक्त द्वारा प्राप्त प्रार्थनापत्रों में आने वाले बिजली के करघों की संख्या कितनी है;

(ख) क्या एक शर्त यह थी कि केवल वह गैर रजिस्टर्ड बिजली के करघे, जो ३१ अक्टूबर, १९६० को मौजूद थे और उस तारीख के पूर्व जारी किये गये उत्पादन शुल्क लाइसेंस पर चल रहे थे, रजिस्ट्रेशन के योग्य होंगे;

(ग) ऐसे कितने बिजली के करघे हैं, जो इन शर्तों को पूरा करने वाले पाये गये और इसलिये उन्हें नियमित कर दिया गया और ऐसे कितने बिजली के करघे हैं जिनके प्रार्थनापत्र इन शर्तों को पूरा करने वाले नहीं पाये गये;

(घ) उन बिजली के करघों को सील करने के लिये क्या कदम उठाए गए हैं जिनके प्रार्थना-पत्र नामंजूर किये गये हैं और जिन्होंने रजिस्ट्रेशन के लिये प्रार्थना पत्र ही नहीं दिए ;

(ङ) अभी तक कितने बिजली के करघे सील किये गये हैं;

(च) रूई के सूत पर चलने वाले बिजली के करघों की संख्या कितनी है जिन्हें ३१ अक्टूबर, १९६० को उत्पादन शुल्क लाइसेंस प्राप्त था; और

(छ) वित्तीय वर्ष १९६०–६१ में रूई के सूत पर चलने वाले बिजली के करघों से कितना उत्पादन शुल्क वसूल किया गया है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (छ). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

आसाम में पठारिया जंगल के गांवों में सर्वेक्षण

†२०१२. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मन्त्री** १३ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या १५२० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आसाम के पठारिया जंगल के पांच गांवों में सर्वेक्षण कार्य पूरा हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)**: (क) नहीं, श्रीमान ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

मध्य प्रदेश में उद्योग

†२११३. **श्री वीरेन्द्र बहादुर सिंहजी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह उन गैर-सरकारी उपक्रमों की संख्या, जिन्हें १९६०-६१ में मध्य प्रदेश में उद्योग खोलने के लिये लाइसेन्स दिये गये थे, बताने वाला एक विवरण (बड़े, मध्यम और छोटे उद्योगों का ब्यौरा अलग अलग दिया जायेगा) पटल पर रखेंगे ; और

†मूल अंग्रेजी में

(ख) गैर-सरकारी पार्टियों और व्यक्तियों के कितने प्रार्थना पत्र **आजकल** सरकार के पास अनिश्चित पड़े हैं (प्रस्तावों तथा प्रस्तावित उद्योगों का ब्यौरा देते हुए) ?

†**उद्योग मन्त्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) १९६०–६१ में उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनयम, १९५१ के अन्तर्गत दिये गये लाइसेन्सों का ब्यौरा, जिसमें उपक्रमों, स्थानों, निर्मित होने वाली वस्तुओं के नाम दिये हैं, उद्योग तथा व्यापार पत्रिका के कालिक अंकों में प्रकाशित हो चुके हैं जिसकी प्रतियां संसद पुस्तकालय में उपलब्ध हैं ।

ख) प्रार्थना पत्रों में दी गई पार्टियों की जानकारी को गोपनीय रखा जाता है और इसका बताना लोकहित में न होगा । अनिश्चित पड़े प्रार्थनापत्रों के बारे में जानकारी एकत्रित की जा रही है और सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पंजाब में गन्दी बस्तियां हटाने की योजना

†२११४. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **निर्माण, आवास और सम्भरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में पंजाब राज्य को गन्दी बस्तियां हटाने की योजना के अन्तर्गत कितना धन दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और सम्भरण उपमन्त्री (श्री अनिल कु० चन्दा):** तीसरी योजना में गन्दी बस्तियां हटाना/सुधार योजना के अन्तर्गत पंजाब सरकार को केन्द्रीय सहायता के रूप में ३५.३० लाख रु० दिये जायेंगे ।

कुल्लू घाटी में ऊन उद्योग

†२११५. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुल्लू घाटी में ऊन उद्योग को बढ़ावा देने के लिये कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**वाणिज्य मन्त्री (श्री कानूनगो) :** (क) केन्द्रीय सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना नहीं है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पारपत्रों के लिये प्रार्थनापत्र

†२११६. **श्री बलराज मधोक :** क्या **प्रधान मन्त्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अप्रैल, १९६१ में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली में कितने व्यापारियों ने निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये पारपत्रों दिये जाने के लिये प्रार्थनापत्र दिये थे और उनमें से कितने इस के कारण अस्वीकार हो गये 'उद्देश्य स्वीकार्य नहीं, हैं';

(ख) मन्त्रालय को कितनी अपीलें भेजी गईं और किस आधार पर स्वीकृत हुईं; और

(ग) जो व्यापारी निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विदेश जाना चाहते हैं उन्हें पारपत्र देने की सरकार की क्या नीति है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**प्रधान मन्त्री तथा वैदेशिक-कार्य मन्त्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) अप्रैल, १९६१ में क्षेत्रीय पारपत्र कार्यालय, दिल्ली में पारपत्र के लिये ४९ ऐसे व्यापारियों के प्रार्थनापत्र प्राप्त हुए जो निर्यात बढ़ाने की सम्भावनाओं का पता लगाने के लिये विदेश जाना चाहते थे। इन सब को पारपत्र दे दिये गये ।

(ख) उपरोक्त भाग (क) के उत्तर को ध्यान में रख कर हुए अपीलों का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) उन सद्भावी व्यापारियों को अबाध रूप से पारपत्र दिये जाते हैं जो निर्यात बढ़ाने की संभावनाओं का पता लगाने के लिये विदेश जाना चाहते हैं, परन्तु वे इस प्रयोजन के निर्धारित शर्तें पूरा करें ।

हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण

†२११७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६०-६१ में हिमाचल प्रदेश में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित आदिम जातियों के कुल कितने लड़कों तथा लड़कियों ने औद्योगिक प्रशिक्षण प्राप्त किया ;

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में ऐसी कितने लड़के व लड़कियां विभिन्न उद्योगों में काम पर लगे ; और

(ग) उन्हें प्रशिक्षण की और सुविधायें देने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमन्त्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) अनुसूचित जातियां --१३ ।

अनुसूचित आदिम जातियां--शून्य ।

अन्य पिछड़ वर्ग--सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह रखी नहीं जा रही ।

(ख) सूचना उपलब्ध नहीं है क्योंकि यह रखी नहीं जा रही है ।

(ग) १९६०-६१ में कोई अधिक स्थान नहीं रखे गये परन्तु तीसरी पंचवर्षीय योजना हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थाओं में ५७२ स्थान और बढ़ाने का विचार है । अनुसूचित जातियों के लिये १२।। प्रतिशत और अनुसूचित आदिम जातियों के लिय ५ प्रतिशत स्थान सुरक्षित होने के कारण, उन के लिये उपलब्ध स्थानों की संख्या भी तदनुसार बढ़ जायेगी ।

रूपक फिल्म

†२११८. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री एक ऐसा विवरण रखने की कृपा करेंगे जिस में १९६१ के पूर्वार्ध में निर्मित रूपक फिल्मों का भाषावार और केन्द्रीय फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा प्रमाणित फिल्मों के आंकड़े दिये हों और यह बतायेंगे कि क्या मराठी फिल्मों में कोई वृद्धि हुई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : १ जनवरी से ३० जून, १९६१ तक, फिल्म सेन्सर बोर्ड द्वारा सिनेमा अधिनियम, १९५२ के अन्तर्गत प्रमाणित रूपक फिल्मों के भाषावार आंकड़े निम्न हैं : :—

१. बंगला . .	१८
२. गुजराती . .	२
३. हिन्दी . . .	४४
४. कन्नड . . .	३
५. मलयालम . .	४
६. मराठी . . .	८
७. उड़िया . . .	१
८. पंजाबी . . .	३
९. तामिल . . .	२४
१०. तेलगू . .	२४
११. उर्दू . .	३
योग .	१३४

मराठी फिल्मों की संख्या १९६० में इसी अवधि की संख्या अपेक्षा ३ से बढ़ गई है ।

फिल्म समारोह

†२११९. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **सूचना और प्रसारण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९६१ में अब तक भारतीय फिल्म अनेक फिल्म समारोहों में सम्मिलित हुई है;

(ख) यदि हां, तो वे कौन कौन फिल्म हैं और कहां कहां सम्मिलित हुई हैं ; और

(ग) हमारी फिल्मों को क्या क्या पुरस्कार मिले हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) और (ग). एक विवरण संलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]**

नेपाल सरकार को सहायता

†२१२०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल सरकार को उसकी विकास योजना की कार्यान्विति के लिये जो सहायता दी जा रही है क्या उसके बारे में कोई और प्रगति हुई है; और

(ख) अब तक कुल कितनी सहायता दी गई है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). पिछले नौ वर्षों में अब तक कुल लगभग ११ करोड़ रु० की सहायता दी गई है । हम तीसरी पंचवर्षीय योजना में लगभग १८ करोड़ रु० की सहायता-प्रोग्राम के लिये वचनबद्ध हैं ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के छापे मारने, गोली चलाने आदि के मामले

†२१२१. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६१ में अब तक पूर्वी व पश्चिमी दोनों ओर पाकिस्तानी राष्ट्रजनों या सशस्त्र सेनाओं और टुकड़ियों के छापे मारने, गोली चलाने, अपहरण करने और तस्कर व्यापार करने के कितने मामले हुए ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) पूर्वी और पश्चिमी दोनों सीमाओं पर जुलाई, १९६१ तक पाकिस्तानी राष्ट्रजनों या सशस्त्र सेनाओं द्वारा छापा मारने, गोली चलाने और अपहरण करने के मामलों के बारे में जानकारी लोक-सभा के २९ मार्च, १९६१ और १९ अगस्त, १९६१ के क्रमानुसार अतारांकित प्रश्न संख्या २४६८ और तारांकित प्रश्न संख्या ६८१ के उत्तर में दी जा चुकी है । .

जनवरी-जून, १९६१ की अवधि में पश्चिमी सीमा पर ११७ और पूर्वी सीमा पर १७१ (कुल २८८) मामले तस्कर व्यापार के हुए ।

गन्दी बस्तियों के निवासियों को दूसरे स्थान पर भेजना

†२१२२. **श्री रामकृष्ण गुप्त** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २१ अप्रैल, १९६१ को लोक-सभा में दिये गये प्रधान मंत्री के वक्तव्य के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट क्षेत्र से गन्दी बस्तियों में रहने वालों को अन्य स्थानों पर भेजने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ; और

(ख) इसका क्या परिणाम रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चंदा)** : (क) और (ख). राजघाट के पास किशनचन्द डरी-क्षेत्र से लगभग ८४० परिवार श्रीनिवासपुरी तथा मार्जिनल बान्ध, शाहदरा भेज दिये गये हैं । डेरी क्षेत्र में लगभग ४०० परिवार इन नये स्थानों पर जाने के इच्छूक नहीं हैं और दिल्ली नगरपालिका निगम इन परिवारों को हटाने की कार्यवाही कर रहा है । वे राजघाट की सीमा में अनधिकार पूर्ण कब्जा कर के बैठे हुए अन्य व्यक्तियों को दूसरे मकानों में रखने के लिये भूमि अधिग्रहण करने पर भी विचार कर रहे हैं ।

दूध के नये माप

†२१२३. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दूध के व्यापारियों के लिये दूध के नये माप-बर्तनों की बड़ी मांग है ;

(ख) यदि हां, तो अब तक कितने माप-बर्तनों पर मुहर लगी है;

(ग) कुल कितनी मांग है ; और

(घ) कुल मांग कब तक पूरी हो जायगी ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उप-मंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) दूध के व्यापारियों के लिये मीटरिक माप वाले बर्तनों की दिल्ली में मांग है जहां उनका प्रयोग अनिवार्य कर दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रजी में

कुछ अन्य क्षेत्रों में भी, जहां उनके प्रयोग की अनुमति दे दी गई है, इनकी थोड़ी मांग है ।

(ख) १.८ लाख जिनमें से दिल्ली में २६,००० हैं ।

(ग) १५ लाख, जिनमें से ४०,००० की दिल्ली में है ।

(घ) आशा है एक मास में सारी मांग पूरी हो जायगी । कार्यक्रम के अनुसार, देशभर में तौल के मीटरिक मापों का प्रयोग १-४-१९६३ को अनिवार्य हो जायगा । आशा है कि तब तक सारी मांग पूरी हो जायगी ।

पंचकुइयां रोड पर क्वार्टरों का निर्माण

†२१२४. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री अ० क० गोपालन :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नई दिल्ली के पंचकुइयां रोड क्षेत्र में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिये रहने के क्वार्टरों के निर्माण की योजनायें तथा प्राक्कलन तैयार हो गये हैं और उन्हें अन्तिम रूप दे दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो निर्माण-कार्य कब आरम्भ होगा ?

†निर्माण, आवास और संभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रम

†२१२५. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :
श्री अरविंद घोषाल :
श्री हेम बरुआ :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री आचार :
श्री राजेन्द्र सिंह :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४०७ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने सरकारी क्षेत्र में संस्थापनों के संचालन की जांच पड़ताल करने के लिए संसद् सदस्यों की एक विशेष स्थायी समिति बनाने के प्रस्ताव पर इस बीच विचार कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम रहा है ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) और (ख). मामला अब भी सरकार के विचाराधीन है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जकार्ता और बैंगकाक में भारतीय फिल्म समारोह

†२१२६. { **श्री रामकृष्ण गुप्त**
श्री चुनी लाल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २८ फरवरी, १६६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ४२२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या निर्यात संवर्धन समिति के प्रस्ताव के अनुसार जकार्ता और बैंगकाक में भारतीय फ़िल्म समारोह आयोजित करने का ब्यौरा निश्चित हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख). ५ से १२ अगस्त, १६६१ तक जकार्ता में एक भारतीय फिल्म समारोह हुआ था। नौ फिल्में, 'नया दौर', 'छोटी बहिन', 'चौदहवीं का चांद', 'अपुर संसार', 'काबुलीवाला', 'मिस्सिअम्मल', 'पवमन्नियू', 'पदिक्कथा मेथाई', और 'मा इन्ती महालक्ष्मी' प्रदर्शन के लिए भेजी गई थीं। एक गैर-सरकारी प्रतिनिधिमंडल भी, जिसमें पांच फिल्म कलाकार और दो व्यापारी थे, भेजा गया था। बैंगकाक में भारतीय फिल्म समारोह का ब्यौरा अभी तक निश्चित नहीं हुआ है।

कृषि भूमियां, ग्रामीण निष्क्रांत मकान, आदि

†२१२७. { **श्री राम कृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब में कृषि भूमियों, ग्रामीण निष्क्रान्त मकानों और दुकानों का कोई प्राधिकृत रिकार्ड नहीं है ;

(ख) क्या यह भी सच है कि इन मकानों, भूमि और दुकानों के प्रयोगकर्ताओं पर किराये की बहुत बड़ी राशि बाकी है; और

(ग) यदि हां, तो उसकी वसूली के लिए क्या कार्यवाही की गई है या की जायेगी ?

†**पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) नहीं।

(ख) और (ग). लगभग ४७ लाख रु० लेने थे और ३२ लाख रु० वसूल हो चुके हैं। बकाया वसूल करने के लिए भी प्रयत्न किया जा रहा है।

आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र का देहाती प्रोग्राम

†२१२८. { **श्री रामकृष्ण गुप्त :**
श्री चुनी लाल :

क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली केन्द्र का देहाती प्रोग्राम मिला जुला होता है और वह ब्रज तथा हरियाना बोली में प्रसारित होता है;

(ख) यदि हां, तो दोनों बोलियां किस-किस क्षेत्र में बोली जाती हैं;

†मूल अंग्रेजी में

(ग) क्या यह सच है कि हरियाना क्षेत्र के कुछ जिले, अर्थात्, महिन्दरगढ़ और हिसार इस प्रोग्राम में सम्मिलित नहीं किये जाते; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) हां, श्रीमान् । यह एक मिला-जुला प्रोग्राम है और हिन्दी व ब्रज और हरियाना बोलियों में होता है ।

(ख) (१) ब्रज बोली का क्षेत्र है :

मेरठ, बुलन्दशहर, अलीगढ़, मथुरा, मुज्जफरनगर, सहारनपुर, आगरा जिले ।

(२) हरियाना बोली का क्षेत्र है :
गुड़गांव, रोहतक और करनाल जिले ।

(ग) हां, श्रीमान् ।

(घ) यद्यपि यह सच है कि महिन्दरगढ़ और हिसार के जिले सम्मिलित नहीं हैं, यह याद रखना चाहिए कि दिल्ली केन्द्र के देहाती प्रोग्राम भाग (ख) में उल्लिखित क्षेत्रों की सांस्कृतिक मांग की ही पूर्ति करते हैं । पंजाब और उत्तर प्रदेश के जिलों के लिए समुचित व्यवहारिक कार्यों के लिए दिल्ली से प्रसारण करना संभव नहीं है क्योंकि प्रान्तीय सरकार या अधिकारियों के अनुदेश और परामर्श केवल जलन्धर या लखनऊ से प्रसारित हो सकते हैं ।

अखबारी कागज का दुरुपयोग

†२१२९. **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री रामकृष्ण गुप्त :
श्री चुनी लाल :
श्री भक्त दर्शन :
श्री पांगरकर :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २९ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ११७४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि वास्तविक प्रयोगकर्ताओं द्वारा आयात किये गये अखबारी कागज का दुरुपयोग किये जाने के बारे में जो जांच पड़ताल हो रही थी, उसका अन्तिम परिणाम क्या निकला है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : अभी जांच पड़ताल हो रही है ।

खादी का उत्पादन

†२१३०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने तीसरी पंच वर्षीय योजना में खादी के उत्पादन के लिए अन्तिम रूप से कितनी धन राशि नियत की है; और

(ख) उनके मंत्रालय ने कितनी धन राशि का सुझाव दिया था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) ९९ करोड़ रु० ।

(ख) वही राशि ।

†मूल अंग्रेजी में

विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे वाली सम्पत्ति का सर्वेक्षण

†२१३१. **श्रीमती इला पाल चौधरी** : क्या **प्रधान** मंत्री २८ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ६५१ के भाग (घ) और (ङ) के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिमी बंगाल के विभिन्न भागों में हिन्दुओं और मुसलमानों की सम्पत्तियों का, जिन पर पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों ने कब्ज़ा कर लिया है, सर्वेक्षण इस बीच समाप्त हो गया है; और

(ख) यदि हां, तो सर्वेक्षण का ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) केवल कलकत्ता, हावड़ा और २४ परगना के क्षेत्र में सर्वेक्षण पूरा हो गया है ।

(ख) हिन्दुओं और मुसलमानों दोनों की ५६७ सम्पत्तियों का सर्वेक्षण हुआ था। पश्चिमी बंगाल सरकार केन्द्रीय सरकार के परामर्श से निम्न विषयों पर विचार कर रही है :—

(१) जिन परिवारों ने सम्पत्तियों पर आजकल अनधिकार कब्ज़ा कर रखा है उन्हें, सम्पत्तियों के मालिकों को पर्याप्त प्रतिकर देकर, उन्हीं सम्पत्तियों पर बसाने या मकान, आदि बनाना और उनमें इन परिवारों को पुनः बसा कर इन सम्पत्तियों को इस प्रकार खाली कराने का प्रयत्न करना ।

साधारण वित्तीय प्राक्कलन यह है कि भूमि तथा ऊपरी निर्माण को प्राप्त करने के लिए ही एक करोड़ तीन लाख रुपये की आवश्यकता है ।

साबुन की किस्म सुधारने के लिये अनुसंधान

†२१३२ { **श्री श्रीनारायण दास** :
श्री राधा रमण :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ऐसे किसी प्रस्ताव पर विचार कर रही है कि देश में बगैर बिजली से चलने वाले कारखानों में तैयार किये गये साबुन की किस्म का स्तर ऊंचा करने के उद्देश्य से अनुसंधान करने के लिए लघुउद्योग सेवाशालाओं में अनुसन्धान और परीक्षण प्रयोगशाला खोली जाय;

(ख) यदि हां, तो उस प्रस्ताव का ठीक ठीक रूप क्या है; और

(ग) उस पर विचार किस दशा में है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) से (ग). लघुउद्योग सेवा शालाओं में रासायनिक परीक्षण प्रयोगशालाएं बनायी जा रही हैं जो बगैर बिजली से चलने वाले कारखानों को अपने साबुन की किस्म अच्छी करने और उस किस्म के प्रमापीकरण में सहायता करते हैं । उस प्रमापीकरण में किसी विशेष प्रकार का अनुसंधान चालू करने की अपेक्षा मुख्यतः कच्चे माल के उपयोग और उसके परिष्करण को प्रमाणित करना ही है । ऐसी प्रयोगशालायें नई दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास, पटना, लुधियाना और बंगलौर में लघुउद्योग सेवा शालाओं में काम कर रही

†मूल अंग्रेजी में

हैं। बाकी शालाओं को भी आवश्यक साधन सामग्री तथा उपकरणों से सुसज्जित करने के लिये कार्यवाही की गयी है।

नगर हवेली में विधान परिषद

†२१३३. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री राधा रमण :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नगर हवेली के लिये वर्तमान पंचायत के स्थान पर नयी पंचायत का चुनाव हो गया है और वह युक्त क्षेत्रों की विधान परिषद् के तौर पर काम कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी रचना और गठन का ठीक ठीक रूप क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). दादरा और नगर हवेली में इस वर्ष मई-जून में दल पंचायतों द्वारा, जो स्वतः वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचनों से बनाये गये थे, २१ प्रतिनिधियों की एक नयी वरिष्ठ पंचायत चुनी गयी थी। वरिष्ठ पंचायत की रचना और गठन दादरा और नगर हवेली अधिनियम, १९६१ के, जो अभी संसद् के सामने है, उपबन्धों द्वारा भविष्य में प्रसासित होगा।

पटसन का सट्टा व्यापार

†२१३४. **श्री इन्द्रजीत गुप्त** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पटसन आयुक्त को अभी हाल में दी गयी विशेष शक्तियों के अधीन कितना कच्चा पटसन जो छिपा कर संचित रखा हुआ था, बाहर निकाला गया है;

(ख) वायदा बाजार में सट्टा व्यापार नियन्त्रित करने के लिये पटसन आयुक्त ने क्या कार्यवाही की है;

(ग) क्या ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज वायदे के व्यापार पर कोई निर्बन्धन लगाने के विरुद्ध हैं; और

(घ) इस मामले में सरकार की क्या राय है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (घ). विवरण संलग्न है।

विवरण

पटसन (लाइसेन्स और नियन्त्रण) आदेश, १९६१ के प्रख्यापित होते ही कच्चे पटसन के मूल्य गिरने लगे और फिर कच्चे जूट के स्टाक अधिगृहण का अवसर ही न आया। फिर भी, पटसन आयुक्त ने एक बार कलकत्ता में कच्चे पटसन के बड़े बड़े व्यापारियों से पूछा था कि स्टाक का विवरण दें। जिनकी जांच की गई और वे सही थे। वायदा बाजार आयोग ने भी, पटसन आयुक्त जिसके अब एक सदस्य हैं, १९६० में सट्टे को रोकने के लिये तुरन्त कार्यवाही की थी। विशेष रूप से नवम्बर १९६० से वायदा बाजार मे "द्वैध रक्षण" बिल्कुल बन्द हो गया था और बदले जाने वाले विशिष्ट परिदान संविदा के लिये नई सीमायें और अधिक "मार्जिन" लागू कर दिये गये। ये प्रतिबन्ध जो कि "ईस्ट इण्डिया जूट एण्ड हेसियन एक्सचेंज" की सहमति से लगाये गये थे इस साल जून में, जबकि बाजार गिरने लगा, हटा लिये गये।

---

†मूल अंग्रेजी में

पंजाब का औद्योगिक विकास

†२१३५ { श्री हेमराज :
सरदार इकबाल सिंह :
श्री अ० मु० तारिक :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या वाणिज्य तथा उद्योग मन्त्री ४ मार्च, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ९०८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंजाब में उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में नैशनल कौंसिल ऑफ अप्लाइड इकोनोमिक रिसर्च की रिपोर्ट तैयार हो गयी है;

(ख) क्या उस रिपोर्ट की प्रति केन्द्रीय सरकार को मिल चुकी है; और

(ग) यदि हां, तो क्या उसकी प्रति सभा पटल पर रख दी जायेगी ?

†उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) : (क) पंजाब सरकार ने बताया है कि पंजाब में उद्योगों के विकास के सम्बन्ध में सर्वेक्षण रिपोर्ट तैयार हो चुकी है। लेकिन वह अभी पांडुलिपि के रूप में ही है और आशा है कि वह शीघ्र ही प्रकाशित की जायेगी।

(ख) जी नहीं।

(ग) उसकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में रख दी जायेंगी;

तिब्बत के साथ व्यापार

†२१३६. श्री हेमराज : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जो भारतीय व्यापारी १९६१ में तिब्बत आना चाहते हैं उन्हें चीनी सरकार ने क्या क्या सुविधायें दी हैं; और

(ख) १९५८, १९५९ और १९६० में कितने भारतीय व्यापारी कितने राज्यों से और किन किन राज्यों से तिब्बत गये ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जहां तक सरकार को जानकारी है, तिब्बत जाने वाले हमारे व्यापारियों को कोई बहुत अधिक सुविधायें नहीं दी गयी हैं। उन्हें वहां व्यापार के लिये जाने दिया जाता है और उन पर कई निर्बन्धन लगाये गये हैं। इनमें से कुछ का उल्लेख चीनी सरकार के साथ राजकीय पत्र व्यवहार में किया गया है। (देखिये भारत-चीन सम्बन्ध विषयक श्वेत पत्र)

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) आवश्यक जानकारी इस प्रकार है :—

	११५८	१९५९	१९६०
जम्मू और काश्मीर . .	४५८	३३४	१२२
पंजाब . .	१६८	१००	६४
हिमाचल प्रदेश . . .	२२१	५१७	१३३
उत्तर प्रदेश	१८५४	१७९६	१८३९
पश्चिम बंगाल . . .	२७	..	७
उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण .	१६३६	१६	१३
सिक्किम प्रोटैक्टरेट . . .	५३५	३५४	१७९
	४८९९	३११७	२३८७

कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन

†२१३७. **श्री त० ब० विट्ठलराव** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम के अधीन दी जाने वाली क्षतिपूर्ति की और अधिक ऊंची दर की व्यवस्था करने वाली चौथी अनुसूची का संशोधन करने के लिये विधान प्रस्तुत करने में देर लगने के क्या कारण हैं; और

(ख) वह सम्भवत: कब तक पेश किया जायगा ?

†**श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली)** : (क) और (ख). संशोधन के मुख्य प्रस्ताव क्षतिपूर्ति की दरें बढ़ाने, इकट्ठी रकमों के भुगतान की जगह सावधिक भुगतान और मजूरी सीमा ४०० रुपये से ५०० रुपये माहवार बढ़ाने के सम्बन्ध में है। इन प्रस्तावों के लिये अधिनियम में परिवर्तन करना होगा और आवश्यक कार्यवाही की जा रही है।

नागा विद्रोही

†२१३८. **श्री स० मो० बनर्जी** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नागा विद्रोही नेता श्री फिजो नागालैण्ड के विद्रोहियों के घनिष्ठ सम्पर्क में हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह कुछ अभिकरणों की सहायता से हो रहा है;

(ग) यदि हां तो यह कौन से अभिकरण हैं; और

(घ) क्या इसमें कुछ विदेशी धर्म प्रचारकों का भी हाथ है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) से (घ). हमारे सुरक्षा सैनिकों ने अभी हाल ही में एक विद्रोही अड्डे से फिजो का एक पत्र बरामद किया था। यह बहुत सम्भव है कि फिजो बर्मा के रास्ते पत्रों के जरिये नागा आक्रमणकारियों के सम्पर्क में है लेकिन सरकार को इस सम्बन्ध में कोई ठीक ठाक जानकारी नहीं है।

---

†मूल अंग्रेजी में

जैसा कि मालूम है, लन्दन "आब्जर्वर" के श्री गैविन यंग, जो फिजो के सम्पर्क में है, कुछ महीने पहले बर्मा से नागा विद्रोही शिविर में गये थे ।

फिजो और नागा विद्रोही आक्रमणकारियों के बीच सम्पर्क में किन्हीं विदेशी धर्म प्रचारकों का हाथ है या नहीं इस बारे में सरकार को कोई जानकारी नहीं है ।

कुरसिया में प्रादेशिक अस्पताल

†२१३९. **श्री पांगरकर** : क्या **श्रम और रोजगार** मन्त्री १५ फरवरी, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ३५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोयला खान कल्याण संगठन द्वारा कुरसिया में एक प्रादेशिक अस्पताल का निर्माण इस बीच शुरू हो गया है; और

(ख) वह सम्भवतः कब तक पूरा हो जायेगा ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) जी हां ।

(ख) करीब १८ महीनों में ।

मंत्रियों के लिये फर्नीचर

२१४०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सरकार के मन्त्री, उपमन्त्री राज्य मन्त्री और सभा-सचिवों के निवास स्थानों पर कितने मूल्य का फर्नीचर आदि साज सामान रह सकेगा, क्या इस सम्बन्ध में सरकार ने कोई नीति निर्धारित की थी;

(ख) यदि हां, तो वह क्या थी और क्या संसद् से उसकी स्वीकृति ले ली गयी थी;

(ग) इस समय क्या उसी आधार पर यह सामान उपर्युक्त व्यक्तियों के निवास-स्थानों में हैं अथवा कुछ अधिक है, यदि अधिक है तो कितना और कहां अधिक है; और

(घ) क्या यह सामान मंत्रियों को मिलने वाले वेतन और भत्ते से अलग दिया जाता है ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) से (घ). एक विवरण सदन की मेज पर रख दिया गया है । **[पुस्तकालय में रख दिया गया। देखिये एल० टी० ३१५३/६१]**

दुग्ध खाद्य का निर्माण

†२१४१ { **श्री सुबोध हंसदा** :
श्री स० चं० सामन्त :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दुग्ध खाद्य तैयार करने के लिये पंजाब में भारत-स्विस परियोजना पूरी हो चुकी है;

(ख) यदि नहीं, तो वह कब पूरी होगी; और

(ग) कुल अनावर्त्तक व्यय कितना है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) अभी नहीं ।

(ख) अनुमान है कि कुछ ही महीनों में वह पूरी हो जायगी ।

(ग) ६० लाख रुपये (लगभग) ।

दिल्ली में लघु उद्योग सेवा संस्था

†२१४२. **श्री दामानी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली लघु उद्योग सेवा संस्था द्वारा राज्यों में इसी प्रकार की संस्थाओं को जानकारी आदि भेजने में काफी समय लग जाता है; और

(ख) यदि हां, तो राज्य एककों को शीघ्र जानकारी दिये जाने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) और (ख). दिल्ली सहित प्रत्येक राज्य में एक लघु उद्योग सेवा संस्था है और प्रत्येक के अपने अपने प्रविधिक कर्मचारी हैं । इसलिये दूसरे राज्यों में ऐसी शालाओं को लघु उद्योग सेवा शाला, नई दिल्ली, द्वारा जानकारी दिये जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

दिल्ली में बुनाई का ऊन तैयार करने वालों से अभ्यावेदन

†२१४३. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंग कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली में बुनाई का ऊन तैयार करने वालों को उन बुनकरों से काफी कड़ा मुकाबला करना पड़ रहा है जिन्होंने स्टाक रोक रखा है और जो स्वयंचालित परिष्करण संयंत्र स्थापित कर रहे हैं ;

(ख) क्या उन्होंने अपना मामला सरकार के पास भेजा है ;

(ग) यदि हां, तो उस अभ्यावेदन का ब्यौरा क्या है ; और

(घ) उस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) जी नहीं ।

(ख) और (ग). हाथबुनाई वाला ऊन तैयार करने वालों की यह शिकायत रही है कि भूरा हाथबुनाई वाला ऊन पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल रहा है । उनका कहना है कि कमी इस कारण है कि कताई मिलें स्वतः ही ऐसा ऊन तैयार कर रही हैं ।

(घ) भारत में फेडरेशन आफ वूलन मैनुफैक्चरर्स और आल इंडिया वलन मिल्स एसोसिएशन ने अभी हाल ही में दिल्ली के हैंडनिटिंग वूल प्रासेसर्स एसोसिएशन के परामर्श से यह मंजूर किया है कि परस्पर सहमत मूल्य पर दिल्ली कें निर्माताओं को वितरण के लिये १/५ लाख पौंड भूरा हाथबुनाई वाला ऊन दिया जायें ।

---

†मूल अंग्रेजी में

खेती की वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार

†२१४४. **श्रीमती इला पालचौधरी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दुनिया में खेती से उत्पादन बढ़ने और खेती की वस्तुओं के अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का परिमाण और मूल्य बढ़ने के बावजूद खेती की वस्तुएं निर्यात करने वाले देशों के व्यापार की शर्तें "१९६० में एक नवीन निम्न बिन्दु" तक पहुंच गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो भारत की निर्यात आय पर इस स्थिति का क्या प्रभाव पड़ता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) खाद्य तथा कृषि संगठन १९६१ की अपनी "वस्तु समीक्षा" में इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है ।

(ख) कई निर्यात वस्तुओं के लिये ऊंची कीमतें प्राप्त होने के कारण १९६० में भारत आय और व्यापार की शर्तें वास्तव में अच्छी हो गई हैं ।

सुगम संगीत के लिये केन्द्रीय स्वरपरीक्षण बोर्ड

२१४५. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री २५ अगस्त, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या १४९१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सुगम संगीत के लिये एक स्वरपरीक्षण बोर्ड की स्थापना के बारे में निर्णय कर लिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो बोर्ड का गठन क्या है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) सुगम संगीत के लिये केन्द्रीय स्वर परीक्षण बोर्ड के ४ पैनल दिल्ली, बम्बई, मद्रास और कलकत्ता में होंगे । प्रत्यक पैनल में क्षेत्र की विभिन्न भाषाओं के संगीत पारखी होंगे । प्रत्येक भाषा के दो या तीन व्यक्तियों को, जो उस भाषा विशेष के अच्छे जानकार होंगे, पैनल का सदस्य नियुक्त किया जायेगा ।

विदेशों में समय से अधिक ठहरने वाले भारतीय छात्र

२१४६. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बहुत से भारतीय जो उच्च शिक्षा के उद्देश्य से विदेशों में गये थे और आज भी अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद तथा पासपोर्ट में लिखित अवधि समाप्त होने पर भी वहीं रह रहे हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उनमें से कितने विज्ञान, टेक्नोलोजी तथा चिकित्सा विज्ञान के विद्यार्थी हैं ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). विदेशों में जाने वाले हजारों भारतीय छात्रों में से सिर्फ थोड़े से ही अपनी पढ़ाई समाप्त कर लेने के बाद वहां रुक जाते हैं । सरकार की सूचना के अनुसार, १७ विद्यार्थी (१० विज्ञान के और ७ टेक्नोलोजी के), जो भारत सरकार के वज़ीफ़ पर विदेशों में गये थे, अपनी पढ़ाई समाप्त करने के बाद भारत नहीं लौटे ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उत्तर पूर्व सीमांत अभिकरण (नेफा) में असमिया भाषा

†२१४७. **श्रीमती मफीदा अहमद** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) में असमिया सिखाने के लिये अध्यापकों की भरती के लिये निर्धारित प्रक्रिया वहां शिक्षा के माध्यम के रूप में असमिया भाषा लागू करने की सरकार की शिक्षा सम्बन्धी नीति के अनुरूप नहीं है ; और

(ख) यदि हां, तो उचित रूप में उसे कार्यान्वित करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). उत्तर-पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) प्रशासन की नीति यह है कि वहां असमिया सिखाने के लिये या असमिया के माध्यम से पढ़ाने के लिये भरती किये जाने वाले लोग या तो असम के होने चाहियें या उन्हें असमिया की जानकारी होनी चाहिये या उसे सीखने की उनमें रुचि होनी चाहिये। अप्रशिक्षित गैर-असमिया अध्यापकों की भरती उन्हीं तक सीमित है जिन के पास प्रविधिक विषयों की योग्यता हो।

गैर-असमिया अध्यापक असमिया कक्षाओं में जाते हैं और अधिकतर ग्रैजुएट अध्यापकों ने विभिन्न श्रणियों की असमिया परीक्षायें पहले ही पास कर ली हैं ?

जगतपुर (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती

†२१४८ **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उड़ीसा में कटक जिले में जगतपुर में औद्योगिक बस्ती बनाने का काम पूरा हो गया है ;

(ख) यदि हां तो कितने शेड पूरे हो चुके हैं ;

(ग) इस औद्योगिक बस्ती में कौन कौन से उद्योग चालू करने का विचार है ; और

(घ) इस औद्योगिक बस्ती के निर्माण पर कुल कितनी रकम खर्च की गई है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) कटक औद्योगिक बस्ती का एक भाग जगतपुर में बनाया जा रहा है। इस बस्ती में भीतर बिजली लगाने तथा बाहर पानी सप्लाई की व्यवस्था संबंधी काम को छोड़ कर सभी निर्माण कार्य पूरा हो गया है।

(ख) बी टाइप फैक्टरी इमारतों की ४ और सी टाइप फैक्टरी इमारतों की ६ इमारतें पूरी हो चुकी हैं।

(ग) यह बस्ती दीवाल घड़ियां और छोटी घड़ियां तैयार करने के लिये एक औद्योगिक बस्ती के तौर पर अलग रखी गई है। इस के अलावा, कन्ड्यूट पाइप, अलौह मिश्र धातु, स्ट्रा बोर्ड, फासफोरस ब्रान्ज आदि तैयार करने के उद्योग स्थापित करने के लिये आवंटन पहले ही किया जा चुका है।

(घ) ३१ मार्च, १९६१ तक ६,८०,७७१ रुपये की रकम खर्च की जा चुकी है।

---

†मूल अंग्रेजी में

पश्चिम बंगाल में शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना[1]

†२१४९. **श्री अरविन्द घोषाल**: क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने पश्चिम बंगाल में अपनी शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना कार्यान्वित करने की कोशिश की है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या परिणाम रहा और औद्योगिक संगठनों से क्या प्रत्युत्तर प्राप्त हुआ ?

†**श्रम और रोजगार तथा योजना उपमंत्री (श्री ल० ना० मिश्र)** : (क) राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना पश्चिम बंगाल में कार्यान्वित की गई है और विभिन्न योजनाओं का प्रशासनिक नियंत्रण जैसाकि अन्य राज्यों में है, संबंधित राज्य सरकारों के हाथ में होता है ।

(ख) कुल २६ औद्योगिक उपक्रमों के लिये कुल ५७३ सीटें मंजूर की गई थीं । इन में से २८४ सीटें ७ उपक्रमों में ३० जून, १९६१ तक चालू की गई हैं। बाकी सीटों पर भरती करने के लिय राज्य सरकार कार्यवाही कर रही है ।

पैकेजिंग की समस्या का अध्ययन करने के लिए विदेश भेजा गया शिष्टमंडल

†२१५०. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पैकेजिंग की समस्या का अध्ययन करने के लिये राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद् ने कोई शिष्टमंडल विदेश भेजा था ; और

(ख) यदि हां, तो वह किन किन देशों में गया था और उन की रिपोर्ट क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) वह शिष्टमंडल स्विट्ज़रलैण्ड, अमरीका और जापान गया था । उस की रिपोर्ट सभा-पटल पर रखी जा रही है ।

भारतीय जूतों का निर्यात

†२१५१. **श्री अरविंद घोषाल** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अफ्रीकी देशों में भारतीय जूतों का निर्यात १९६० में कम हो गया था ;

(ख) यदि हां, तो कितना ; और

(ग) उस के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)**: (क) और (ख). १९६० में अफ्रीकी देशों को ३७·४९ लाख रुपये के जूते निर्यात किये गये थे जबकि १९५९ में ३७·७८ लाख रुपये के जूते भेजे गये थे । १९६० में निर्यात किये गये जूते-जोड़ों की संख्या पिछले साल की संख्या की तुलना में अधिक थी ।

(ग) मांग सस्ते जूतों की हो गई थी ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[1]Apprenticeship training scheme.

ऊन के लच्छों[1] का उत्पादन

†२१५२. **श्री अरविंद घोषाल**: क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत में ऊन के लच्छे तैयार करने का कोई कारखाना है ; और

(ख) यदि हां, तो कहां और उसकी क्या क्षमता है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) जी हां ।

(ख) मेसर्स डन्कन ब्रदर्स ने इंग्लैण्ड के मेसर्स आइजाक होल्डेन के सहयोग से पश्चिम बंगाल में कलकत्ते के पास एक कारखाना खोला है । लाइसेन्स प्राप्त क्षमता १ करोड़ पौंड ऊन के लच्छों की है ।

दूसरा कारखाना लुधियाना में स्थित है । उसकी क्षमता १२ लाख पौंड है ।

कपूर का मूल्य

†२१५३. { **श्री बि० दास गुप्त :**
श्री अरविन्द घोषाल :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्य व्यापार निगम द्वारा कपूर का व्यापार अपने हाथ में ले लिये जाने के बाद कपूर का भाव असाधारण रूप से बढ़ गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्यों और कितने प्रतिशत ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) कपूर का आयात और वितरण नवम्बर १९५८ में राज्य व्यापार निगम को सौंप दिया गया था जिसके बाद बाजार भाव वास्तव में कुछ महीनों के लिए गिर गया था । फिर भी, सितम्बर, १९५९ से भाव काफी ऊंचा हो गया है ।

(ख) मुख्यतः कमी के कारण भाव बढ़ गया और वह वृद्धि ६० से ७० प्रतिशत तक थी ।

एन्ड्रयूज गंज में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी

२१५४. **श्री बाजपेयी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ६ मई, १९६१ को सांस्कृतिक कल्याण परिषद्, एंड्रयूज़ गंज, दिल्ली का एक प्रतिनिधि-मंडल उपमंत्री जी से मिला था और उन्हें एक ज्ञापन प्रस्तुत किया था ;

(ख) यदि हां, तो उस ज्ञापन में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों की किन कठिनाइयों की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया है ;

(ग) क्या यह सच है कि उपर्युक्त बस्ती में रहने वाले कर्मचारियों को प्रति मास कपड़ा टांगने के लिये रखी हुई किल्ली पर ५० नये पैसे किराया देना पड़ता है ; और

(घ) उस ज्ञापन के सम्बन्ध में अब तक क्या कार्यवाही की गई है, अथवा करने का विचार है ?

निर्माण, आवास और सभरण उप-मंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

[1]Wool Tops

(ग) सम्भवतः यह निर्देश सड़ांध-रोक (कंजर्वेंसी) प्रभार की ओर है, जो प्रति क्वार्टर ५० नये पैसे प्रति मास है। इस प्रभार की वसूली बन्द की जा चुकी है और वसूल की जा चुकी राशि को वापस लौटाने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

पांडिचेरी विधान सभा संकल्प

†२१५५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पांडिचेरी विभान सभा में सर्व सम्मति से पारित अनेक संकल्पों को वहां के प्रशासन ने कार्यान्वित नहीं किया है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी नहीं। पांडिचेरी विधान सभा द्वारा पारित सभी संकल्पों पर यथोचित विचार किया जाता है और उन पर उचित कार्यवाही की जाती है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा भारतीय प्रदेश में अनधिकृत प्रवेश

†२१५६ { **श्री आसर** :
श्री मुहम्मद इलियास :
श्री न० म० देव :

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ३१ मई, १९६१ को मुर्शिदाबाद जिले में फिरोजपुर गांव सीमा पर काफी बड़ी संख्या में पाकिस्तानी राष्ट्रजन जो घातक हथियारों से लैस थे, भारतीय प्रदेश में घुस आये और ९० पशु जिनमें ४० दुधारू गायें भी थीं, पूर्व पाकिस्तान में भगा ले गये ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार ने क्या कार्यवाही की ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) और (ख). जी हां। यह घटना ३० मई, १९६१ को हुई जब कि कुछ पाकिस्तानी-राष्ट्रजन जिला मुर्शिदाबाद, थाना रघुनाथगंज में फिरोजपुर में भारतीय प्रदेश में घुस आये और भारतीयों के ९२ पशु (४४ गायें और ४८ भैंसें) जबर्दस्ती पाकिस्तान भगा ले गये।

(ग) पश्चिम बंगाल सरकार ने तुरन्त ही यह मामला पूर्व पाकिस्तान सरकार के सामने रखा। उसके बाद १३ जून और १६-१७ जुलाई, १९६१ को राजशाही (पाकिस्तान) और मुर्शिदाबाद (भारत) के जिला पदाधिकारियों के एक संयुक्त सम्मेलन में यह मामला उठाया गया। पाकिस्तानी प्रतिनिधि ने बताया कि पशु पाकिस्तान में चले गये थे और ५८ पशु, न कि ९२, लावारिस सम्पत्ति के रूप में पकड़ लिये गये थे। बाड़े के खर्च का भुगतान कर देने के बाद और भारतीय मालिकों द्वारा उनकी शिनाख्त किये जाने के बाद उन्होंने इन पशुओं को वापिस करना मंजूर किया।

---

†मूल अंग्रेजी में

चाय उद्योग

†२१५७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री ४ मार्च, १९६१ के तारांकित प्रश्न संख्या ५१८ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अभी तक चाय उद्योग को कितनी मशीनरी तथा उपकरण दिया गया है ;

(ख) मशीनरी तथा उपकरण दिये जाने के लिए क्या प्रक्रिया है ; और

(ग) वे सामान्य शर्तें क्या हैं, जिनके आधार पर मशीनरी व उपकरण दिये जाते हैं ?

†वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) ५१,०८,८२५ रु० की कीमत के १०५ व्यादेश, जो कि मशीनों की १९२ चीजों के संबंध में है, संभरण कर्ताओं को दिये जा चुके हैं, १९२ चीजों में से ३७ चीजें चाय बागानों के लिए भेज दी गयी और शेष चीजें भी भेजी जा रही हैं ।

(ख) और (ग) : मशीनरी, उपकरण देने के लिए निम्न प्रक्रिया का पालन किया जाता है :

(१) निम्न बातों का परीक्षण करने के बाद निर्धारित फार्म पर दिये गये आवेदन पत्र को स्वीकार या अस्वीकार किया जाता है :

(क) कि मांगी गई मशीनरी या उपकरण सामान्य रूप से आवश्यक है और वर्तमान व्यवस्था में के अनुकल है और निर्माण के स्तर में सुधार करेगी या प्रति एकड़ उत्पादन में वृद्धि होगी ।

(ख) कि आवेदन करने वाली कम्पनी पर्याप्त विश्वसनीय है, अर्थात् आर्थिक दृष्टि से ठोस जो कि क्रय-उधार की किश्तों के ब्याज समेत वापस लौटा सकने में समर्थ है ।

(ग) कि आवेदन करने वाली कम्पनी के पास इतना धन नहीं है कि वह स्वयं मशीनरी खरीद ले या उसके पास मशीनरी खरीदने हेतु धन लेने का अन्य कोई साधन नहीं है सिवाय चाय बोर्ड को ।

(२) जिन लोगों की अर्जी मंजूर कर ली जाती है, उनके पास इन निवेदन के पास स्वीकृति पत्र भेज दिये जाते हैं कि वे मशीनरी की लागत तथा/या उपकरण के मूल्य का १० प्रतिशत धन, जिसमें भाड़ा, बीमा, मशीन लगाने का खर्च आदि शामिल होता है, जमानत के रूप में जमा कर दें ।

(३) जमानत के आ जाने के बाद जिस मशीनरी तथा/या उपकरण के लिए आवेदन पत्र होता है, उसके लिए संभरण कर्ता के पास व्यादेश भेज दिया जाता है ।

(४) भेजे जाने के लिए उपलब्ध मशीन के संबंध में उधार लेने वाले के साथ आवश्यक उधार-क्रय करार कर लिया जाता है ।

(५) संभरणकर्त्ता से यह सूचना मिलने पर कि मशीनरी तथा/या उपकरण तैयार हो गया है, उधार लेने वाले तथा बोर्ड के प्रतिनिधियों द्वारा उसका मुआइना किया जाता है । इस प्रकार संयुक्त मुआइना पूर्ण हो जाने के बाद संभरणकर्त्ता को मशीनरी भेजने का आदेश दिया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(६) मशीन के बागान पर पहुंचने तथा लगा दिये जाने के बाद आवेदक को उसकी लागत का १० प्रतिशत धन चाय बोर्ड को देना पड़ता है।

(७) मशीनरी तथा/या उपकरण के उधार-क्रय मूल्य की शेष राशि में जिसमें मशीनरी लगाने का खर्च भी सम्मिलित होता है, से उपरोक्त दी गई राशि को निकाल कर शेष राशि का भुगतान ७ बराबर की किश्तों में करना होता है--पहली किश्त उपरोक्त (६) में उल्लिखित राशि के जमा करने के एक साल के बाद वाली तिथि को आरम्भ हो जाती है।

(८) किश्तों का हिसाब लगाने में आवेदक से ६ प्रतिशत वार्षिक का ब्याज भी लिया जाता है। रजिस्टर्ड कोआपरेटिव सोसाइटियों के कारखानों तथा बागानों से ४ $^{1}/_{2}$ प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है।

रूस को पटसन के सामान का निर्यात

†२१५८. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रूस में भारतीय पटसन के सामान के लिए निरन्तर मांग बढ़ने की अच्छी संभावना है ;

(ख) यदि हां, तो १९५८, १९५९ और १९६० में पटसन का कितना सामान वहां भेजा गया; और

(ग) चालू वर्ष में कितना सामान भेजे जाने का अनुमान है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी हां।

(ख) १९५८ से अब तक रूस को भेजे गये पटसन के सामान का विवरण नीचे दिया जाता है :

वर्ष	मात्रा टन	मूल्य करोड़ रु०
१९५८	१५९६९	२.४६
१९५९	२०८२९	३.०८
१९६०	२४११४	३.८१

(ग) जून, १९६१ के अन्त तक ४.३८ करोड़ रु० की लागत का १८,८०० टन सामान भेजा गया। शेष ६ महीने में १.४४ करोड़ रु० की लागत का ८००० टन सामान भेजे जाने की आशा है, इस प्रकार १९६१ में कुल ५.८२ करोड़ रु० की कीमत का जूट का सामान वहां भेजा जायेगा।

उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात

†२१५९. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उपभोक्ता वस्तुओं के निर्यात के लिए अभी भी भारत मौरीशस की उपेक्षा ही करता है ;

---

†मूल अंग्रेजी में

(ख) यदि हां, तो किस सीमा तक ; और]

(ग) इस उपेक्षा के क्या कारण हैं ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र):** (क) जी नहीं। मौरीशस को भारत का निर्यात कम नहीं हुआ है ।

(ख) और (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

हिन्दी में संदेश

२१६०. **श्री प्रकाशवीर शास्त्री** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार की ओर से विदेशी सरकारों को उनके राष्ट्रीय दिवसों तथा अन्य अवसरों पर कितने संदेश भेजे गये और उनमें से कितने हिन्दी में भेजे गये ; और

(ख) ऐसे सभी सन्देशों को हिन्दी में भेजने की क्या कोई व्यवस्था है ; और

(ग) यदि नहीं, तो कब से ऐसी व्यवस्था की जाने वाली है ?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :(क) १९६० के **दौरान** में राष्ट्रीय दिवसों के अवसर पर ७१ और अन्य अवसरों पर ६६ सन्देश दूसरे देशों को भेजे गये। इनमें से कोई भी सन्देश हिन्दी में नहीं भेजा गया ।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह मालूम नहीं है कि इस प्रकार के प्रबन्ध कब संभव होंगे ।

परिसमापक

२१६१. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५९-६० और १९६०-६१ में कितने परिसमापकों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी ; और

(ख) उनमें से कितनों को उनके काम से हटाया गया ?

वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो) : (क) १९५९-६० में १३६ और १९६०-६१ में १२६ कम्पनियों के परिसमापकों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई की गयी थी ।

(ख) १९५९-६० में १२ और १९६०-६१ में ४ परिसमापकों को उनके काम से हटाया गया ।

प्रादेशिक श्रम संस्थायें

२१६२. **श्री म० ला० द्विवेदी** : क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर, कलकत्ता और मद्रास में स्थापित की जाने वाली प्रादेशिक श्रम संस्थाओं की इमारतों के बनाये जाने की दिशा में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

श्रम उपमंत्री (श्री आबिद अली) : स्थिति इस प्रकार है :—

†मूल अंग्रेजी में

प्रादेशिक श्रम संस्थान, कानपुर :

केन्द्रीय सार्वजनिक निर्माण विभाग और निर्माण कार्य करने वाले ठेकेदारों में बातचीत हो रही है।

प्रादेशिक श्रम संस्थान, कलकत्ता :

कुवां, अहाते की दीवाल, भराव और समतल बनाने सम्बन्धी सहायक काम शुरू किये जा चुके हैं। मुख्य इमारत की नींव रखने का कार्य भी आरम्भ हो चुका है।

प्रादेशिक श्रम संस्थान , मद्रास :

नक्शे तैयार किये जा चुके हैं और अनुमानित व्यय की तफसील बनाई जा रही है।

दण्डकारण्य में स्कूलों तथा कालेजों की स्थापना

†२१९३. { **श्री मोहम्मद इलियास :**
श्री न० म० देव : }

क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दण्डकारण्य में १९६० और १९६१ में प्राइमरी तथा सेकेन्डरी स्कूलों और कालेजों की स्थापना पर अब तक कुल कितना धन खर्च किया गया ; और

(ख) दण्डकारण्य में अब तक कितने स्कूल और कालेज खोले जा चुके हैं ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना)** : (क)

१९६०–६१	१,५६,११३ रुपये
१९६१–६२ (केवल अप्रैल व मई १९६१)	१४१४३

(ख) प्राइमरी स्कूल	५४
मिडिल स्कूल	३

दण्डकारण्य विकास प्राधिकार ने वहां अभी तक कोई कालेज नहीं स्थापित किया है।

हिन्द महासागर में अमरीकी क्षेप्यास्त्र

†२१९४. { **डा० राम सुभग सिंह :**
श्री प्र० गं० देव : }

क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अमरीका ने ७ जुलाई, १९६१ को हिन्द महासागर में एक क्षेप्यास्त्र फेंका था ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां, समाचार-पत्रों में ऐसा समाचार आया है।

(ख) कोई ब्यौरा उपलब्ध नहीं है।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

राष्ट्रसंघ मुख्यालय का हटाया जाना

†२१६५. **श्री हेम बरुग्रा** : क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मास्को से दिये गये इस ग्राशय के प्रस्ताव की ग्रोर सरकार का ध्यान गया है कि राष्ट्रसंघ के मुख्यालय को न्यूयार्क से हटा कर वीयना ले जाया जाये ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में सरकार का क्या विचार है ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) ग्रौर (ख). गत सितम्बर में रष्ट्रसंघ की महासभा में भाषण देते समय रूस के प्रधान मंत्री ने राष्ट्रसंघ के मुख्यालय को न्यूयार्क से हटाने का प्रश्न उठाया था ग्रौर उसके बाद ग्रखबारों में कई समाचार ग्राये हैं कि संभवतः रूस के ग्रधिकारी चाहते हैं कि उसे वीयना ले जाया जाये पर सरकार को किसी ग्रौपचारिक प्रस्ताव के बारे में पता नहीं है ग्रतः सरकार के विचार का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में ग्रवैध प्रवेश

†२१६६. **श्री वी० चं० शर्मा** : क्या **प्रधान मं ी** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल के महीनों में सशस्त्र पुर्तगाली सेनाग्रों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में ग्रवैध प्रवेश की घटनायें हुई हैं ; ग्रौर

(ख) यदि हां, तो उनका ब्योरा क्या है तथा इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गयी ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : १६-६-६१ को चार पुर्तगाली यूरोपीय भारतीय राज्य क्षेत्र में घुस ग्राये । उनके पास स्टेनगन तथा रिवाल्वर थे ग्रौर ऐसा लगता था कि ग्रनजाने में ही वे हमारी सीमा में ग्रा गये थे जब वे हमारे राज्य क्षेत्र में करीब २०० गज़ घुस ग्राये, तो उनको पता लगा कि वे भारतीय राज्य क्षेत्र में ग्रा गये हैं ग्रौर वे गोवा को वापस चले गये । उनके ग्राने ग्रौर वापस जाने के बीच जो बहुत थोड़ा सा समय था उसमें उनको पकड़ पाना सम्भव नहीं था ।

क्राफ्ट पेपर का निर्माण

†२१६७. **श्री दलजीत सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री ३० ग्रगस्त, १९६१ के ग्रतारांकित प्रश्न संख्या १७१० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बांस से क्राफ्ट पेपर बनाने की दिशा में वन ग्रनुसंधान संस्था में इस बीच क्या प्रगति हुई है ; ग्रौर

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना में क्राफ्ट पेपर बनाने के कारखाने कहां-कहां स्थापित किये जायेंगे ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जैसा कि माननीय सदस्य द्वारा निर्दिष्ट प्रश्न में बताया गया था, वन ग्रनुसंधान संस्था का प्रयोग सफल हो गया है ग्रौर निम्नलिखित कारखाने बांस से कागज़ बना रहे हैं :—

(१) ग्रोरियण्टल पेपर मिल्स लिमिटेड, ब्रजराजनगर ।

(२) रोहताश इण्डस्ट्रीज़ लिमिटेड, डालमियानगर ।

---

†मूल ग्रंग्रेजी में

(३) स्टार पेपर मिल्स, सहारनपुर ।

(४) पुनालुर पेपर मिल्स, पुनालुर, केरल राज्य ।

(५) पेपर एण्ड पल्प कनवर्जन खोपौली, महाराष्ट्र स्टेट ।

(६) वेस्ट कोस्ट पेपर मिल्स, पण्डेली, मैसूर राज्य ।

बांस से क्राफ्ट पेपर बनाने के काम की दिशा में वन अनुसंधान संस्था ने कोई अग्रेतर काम नहीं किया है ।

(ख) पर्डी (गुजरात स्टेट) और कलकत्ते में क्राफ्ट पेपर बनाने के दो कारखाने खोलने की योजना है।

कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये अनुसन्धान संस्था

†२१६८. **श्री कोडियान** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में कुटीर तथा छोट पैमाने के उद्योगों के लिये अनुसंधान संस्था स्थापित करना चाहती है;

(ख) यदि हां, तो कितनी संस्थायें स्थापित की जायेंगी ;

(ग) क्या सरकार ऐसी कोई संस्था केरल में स्थापित करना चाहती है ; और

(घ) इन संस्थाओं को स्थापित करने में केन्द्र को कुल कितना धन व्यय करना पड़ेगा ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) तीसरी पंचवर्षीय योजना काल में जम्मू तथा काश्मीर में एक अनुसंधान संस्था खालने का विचार है ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) इस संस्था को स्थापित करने में १५ लाख रूपये खर्च होने का अनुमान है ।

डा० राम सुभग सिंह की लद्दाख यात्रा

†२१६९. **श्री आसर** : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सरकार के कहने पर डा० राम सुभग सिंह ने लद्दाख की यात्रा की थी, क्या उन्होंने अपनी यात्रा की रिपोर्ट सरकार को दे दी है ; और

(ख) यदि हां, तो उस रिपोर्ट की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

!**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) जी हां ।

(ख) गत जुलाई में डा० राम सुभग सिंह ने लद्दाख की जो यात्रा की थी , उसकी जो रिपोर्ट उन्होंने दी है, उसमें अनेक बातों का, जिसमें वहां की जलवायु, धर्म, शिक्षा, कृषि, वनरोपण, हमारी सेना तथा वहां की जनता की राजनैतिक चेतना आदि भी सम्मिलत है, उल्लेख है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

पानी के टैक्स की वसूली

†२१७०. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट समाधि के क्वार्टरों में रहने वाले केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से पानी का टैक्स वसूल करने सम्बन्धी मामले का पुनरीक्षण कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के कर्मचारियों से १९५४ और १९५५ की अवधि का भी पानी का टैक्स वसूल किया जा रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). मामले पर विचार किया जा रहा है ।

किराये का लौटाया जाना

†२१७१. **श्री तंगामणि** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६४ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर्मचारियों से लिया गया किराया उन्हें लौटा दिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो क्यों ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). मामला अभी विचाराधीन है ।

पश्चिमी पाकिस्तान से अभिलेख

†२१७२. **सरदार इकबाल सिंह** : क्या **पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर-पश्चिम सीमान्त प्रदेश, बलूचिस्तान, सिन्ध और बहावलपुर के विस्थापित व्यक्तियों के सम्बन्ध में क्या राजस्व के पूर्ण दस्तावेज पाकिस्तान सरकार से प्राप्त हो गये हैं ;

(ख) क्या इन दस्तावेजों की जांच कर ली गयी है ;

(ग) क्या इन क्षेत्रों के विस्थापित व्यक्तियों के दावों का अन्तिम निर्णय कर दिया जायेगा ; और

(घ) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में किस नीति का अनुसरण किया जायेगा ?

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहर चन्द खन्ना)** : (क) जी नहीं । अभी कुछ दस्तावेज आने हैं ।

(ख) जब ये दस्तावेज आते हैं, तो उनकी जांच की जाती है और सम्बन्धित दावों के मामलों का परीक्षण किया जाता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

(ग) जी हां । जिन क्षेत्रों के सम्बन्ध में सम्पूर्ण राजस्व दस्तावेज प्राप्त हो गये हैं, उनसे सम्बन्धित दावों का अन्तिम निर्णय दस्तावेजों के अनुसार कर दिया जायेगा ।

(घ) पाकिस्तान से जब डदस्तावेज आते हैं, तो सम्बन्धित भूमि के दावों का परीक्षण किया जाता है और दस्तावेज की प्रविष्टियों के आधार पर दावों में सुधार किया जाता है ।

जाली पासपोर्ट

२१७३. श्री प० ला० बारूपाल : क्या **प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वर्ष कितने ऐसे "विदेशी राष्ट्रजन" पकड़े गए थे जो कि जाली पासपोर्ट लिए हुए थे ; और

(ख) जाली पासपोर्ट बनाने वाले कितने मामले पिछले वर्ष पकड़े गए?

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) और (ख). १ जनवरी, १९६० से ३० सितम्बर, १९६० तक की अवधि में जो विदेशी पकड़े गए, उनके आंकड़े सुलभ हैं। इस अवधि में १३० विदेशी जाली पासपोर्टों पर यात्रा करते हुए पकड़े गए ।

केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजन

†**२१७४. श्री तंगामणि :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में कितने डिवीजन हैं, तथा उनके नाम क्या हैं ;

(ख) प्रत्येक डिवीजन में काम के अनुसार मजदूरी पाने वाले कितने कर्मचारी हैं ;

(ग) प्रत्येक डिवीजन में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिनके वेतन संशोधित वेतन क्रम में निर्धारित किये गये हैं ; और

(घ) प्रत्येक डिवीजन में ऐसे कितने कर्मचारी हैं, जिन्हें वेतन निर्धारित करने के बाद बकाया वेतन दे दिया गया है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) मांगी गयी जानकारी का एक विवरण सलग्न है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबंध संख्या २८]**

(ख) से (घ). जानकारी इकटठी की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

कटक में आकाशवाणी केन्द्र

†**२१७५. श्री चिन्तामणि पाणिग्रही :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कटक के आकाशवाणी केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार समिति का गठन क्या है ;

(ख) किस आधार पर इसके सदस्यों को लिया जाता है ; और

(ग) सदस्यों को क्या राशि मिलती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) मांगी गई जानकारी का एक विवरण संलग्न है ।

(ख) उन लोगों में से सदस्यों को चुना जाता है, जिन्हें जीवन के विभिन्न क्षेत्रों का, विशेषतया सांस्कृतिक गतिविधियों से सम्बद्ध, अनुभव होता है और जिन्हें प्रसारण के काम में रुचि लेने वाला समझा जाता है और इस केन्द्र से प्रसारित किये जाने वाले विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के सुधार के लिये उपयोगी सुझाव देने लायक समझा जाता है ।

(ग) इन समितियों में अवैतनिक आधार पर सदस्यों को नियुक्त किया जाता है । समितियों की बैठकों में भाग लेने पर होने वाले खर्चे को पूरा करने के लिए नियमों के अनुसार इन्हें यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिये जाते हैं ।

बिवरण

कटक आकाशवाणी केन्द्र की कार्यक्रम सलाहकार **समिति के** सदस्यों के नाम :—

१. डा० (श्रीमती) बी० दास महापात्र
२. श्री लोकनाथ पटनायक
३. श्री सेमुअल दास
४. डा० पी० परिजा
५. प्रो० ए० बी० महन्ती
६. कुमार विद्याधरसिंह देव
७. श्री घासीराम मांझी, एल० एल० ए०
८. श्री अनन्त त्रिपाठी शर्मा
९. श्री मुरारी प्रसाद मिश्र
१०. श्रीमती बसन्त कुमारी देवी

हिमालय की झीलों पर वृत-चित्र

२१७६. श्री नवल प्रभाकर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार का फिल्म डिवीजन हिमालय की झीलों पर एक रंगीन वृत-चित्र बना रहा है ;

(ख) यदि हां, तो उसके कब तक तैयार हो जाने की आशा है ; और

(ग) क्या सरकार का विचार हिम-नदों पर भी एक वृत-चित्र बनाने का है ?

सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) जी, हां ।

(ख) मार्च, १९६३ ।

(ग) हिमालय-नदियों पर एक संयुक्त वृत-चित्र बनाने की कोई तजवीज नहीं है । फिर भी, अतीत में फिल्म डिवीजन ने गंगा और जेहलम नदियों पर, जो हिमालय से

---

†मूल अंग्रजी में

निकाल कर बहती हैं, दोनो फिल्में रिलीज की हैं । हाल ही में फिल्म डिवीजन ने गंगा पर एक शिक्षण-सम्बन्धी फिल्म भी बनाई है । उत्तर प्रदेश सरकार के अनुरोध पर गंगा पर एक और फिल्म बनाने का प्रश्न इस समय विचाराधीन है ।

हिन्दी में फार्म छापना

२१७७. श्री प्रकाशवीर शास्त्री : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी क्वार्टरों को सबलेट करने के बयान लेने के लिए जो फार्म निर्धारित हैं उन्हें हिन्दी में छपवा लिया गया है ; और

(ख) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं ?

निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) : (क) नहीं ।

(ख) सम्बन्धित प्रपत्र (फार्म) अनुवाद के लिये केन्द्रीय हिन्दी निदेशालय को भेज दिये गये हैं। ज्यों ही हिन्दी अनुवाद प्राप्त हो जायेगा, उन प्रपत्रों को द्विभाषी रूप में (शीर्षक अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में होंगे) छपवा लिया जायेगा ।

गाजियाबाद का औद्योगिक विस्तार

†**२१७८. श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के औद्योगिक विस्तार के लिए केन्द्रीय सरकार से २ करोड़ रुपये के अनुदान की मांग की है ; और

(ख) यदि हां, तो इन मामलों में क्या निर्णय किया गया ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह) :** (क) और (ख). उत्तर प्रदेश सरकार ने गाजियाबाद के सामान्य विकास के लिये केन्द्र सरकार से सहायता की माग की है। यह योजना इस क्षेत्र के केवल औद्योगिक विस्तार के लिए ही नहीं है । मामला अभी विचाराधीन है ।

महाराष्ट्र में बिलेट का आवंटन

†**२१७९. श्री कुन्हन :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २६ अप्रैल, १६६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ३८६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छोट पैमाने के उन कारखानों के क्या नाम हैं, जिन्हें महाराष्ट्र राज्य में विकास आयुक्त द्वारा बिलेट का आवण्टन किया गया है ;

(ख) क्या विकास आयुक्त के सामने बिलेट के आवण्टन के कोई आवदन-पत्र लम्बित हैं ;

(ग) यदि हां, तो कितने आवेदन-पत्र; और

(घ) उन्हें कब तक आवण्टन कर दिया जायेगा ?

---

†मल अंग्रेजी में

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) छोट पैमाने के उद्योगों के विकास ग्रायुक्त किसी राज्य के उद्योगों को बिलेट का ग्रावण्टन नहीं करते। विकास ग्रायुक्त ने महाराष्ट्र को ८३५ टन बिलेट राज्य के छोटे पैमाने के उद्योगों में वितरित करने के लिये ग्रावण्टित किया है।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

बन्दरों का निर्यात

†२१८०. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत से निर्यात किये जाने वाले बन्दरों को रेलों में ऐसी ग्रवस्था में ले जाया जाता है, जो पशुग्रों के प्रति निर्दयता निवारण ग्रधिनियम, १९६० (१९६० का संख्या ५९) की धारा ११ के उपबन्धों के विरुद्ध है ;

(ख) विदेशों में भेजे गये बन्दरों पर किस प्रकार के प्रयोग किये जाते हैं;

(ग) क्या यह सच है कि ग्राणविक शस्त्रों के प्रयोगों में बहुत से बन्दर मर जाते हैं ;

(घ) गत तीन वर्षों में निर्यात किये गये बन्दरों की क्रमशः संख्या क्या है ग्रौर उन्हें किस मूल्य पर बेचा गया ; ग्रौर

(ङ) बन्दरों के निर्यात से कृषि को क्या लाभ होता है ?

†**वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र)** : (क) जी नहीं।

(ख) चिकित्सा ग्रनुसंधान तथा पोलियो वेक्सीन बनाने के लिये बन्दरों का निर्यात किये जाने की ग्रनुमति है।

(ग) सरकार को ऐसी किसी बात का पता नहीं है।

(घ) १९५८, १९५९ ग्रौर १९६० में निर्यात किये गये बन्दरों की संख्या व उनका मूल्य नीचे दिया जाता है :—

वर्ष	संख्या	मूल्य
१९५८ . .	१०१,०५३	६२,११,००० रुपय
१९५९ . . .	१५५,६१४	८९,३६,००० रुपय
१९६० . . .	१३७,५५१	७४,४९,००० रुपय

(ङ) खाद्यान्न की फसलों की बरबादी कम हो जाती है।

हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड

†२१८१. **श्री कालिका सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मेसर्स हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड, सिन्धिया हाउस, बलार्ड स्टेट, बम्बई—१ उत्तर प्रदेश में एटा में एक कारखाना स्थापित कर रहा है ;

†मूल ग्रंग्रजी में

(ख) यदि हां, तो कारखाने का नाम, काम, 'प्लॉन' और 'स्पेसिफिकेशन्स' क्या हैं ;

(ग) इस कारखाने में कौन-सी खाई जाने वाली और न खाई जाने वाली चीजें तैयार की जायेंगी । और इस कारखाने द्वारा उत्तर प्रदेश में इन चीजों की मांग की कितनी पूर्ति हो जायगी; और

(घ) उक्त कम्पनी के ऐसे कारखाने अन्य किन किन स्थानों पर हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) जी हां ।

(ख) **नाम**--'मेसर्स हिन्दुस्तान लिवर लिमिटड' ।

काम--'स्किम मिल्क पाउडर', घी' और 'केसीन' का निर्माण ।

कारखाने का प्लान व स्पेसिफिकेशन्स--पता नहीं है ।

(ग) अभी यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि इस कारखाने के उत्पादन से उत्तर प्रदेश की मांग किस हद तक पूरी हो जायगी ।

(घ) एक भी नहीं ।

विदेशी समवाय

†२१८२. **श्री कालिका सिंह** : क्या वाणिज्य तथा उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) समवाय (प्रार्थनापत्रों पर शुल्क) नियम, १९६१ के नियम २ और ३ के अन्तर्गत कितने विदेशी समवायों ने प्रार्थनापत्र दिऐ थे ;

(ख) नए स्थानापन्न नियम, २ के अन्तर्गत कितने विदेशी समवायों ने प्रार्थनापत्र दिए; और

(ग) क्या वर्ष १९५७, १९५८ और १९५९ की तुलना में १९६० और १९६१ में विदेशी समवायों की संख्या और विदेशी समवायों की अंश पूंजी का मूल्य वृद्धि पर है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) उत्पन्न नहीं होता क्योंकि समवाय (प्रार्थनापत्रों पर शुल्क) नियम, १९६१ जैसे कि वे मूलतः थे, विदेशी समवायों पर लागू नहीं होते थे ।

(ख) पूर्वोक्त नियमों, जैसे कि वे बाद में संशोधित किये गये, के नियम २ के अन्तर्गत विदेशी समवाय को समवाय अधिनियम, १९५६ के किसी भी उपबन्ध के अन्तर्गत दिए गए प्रत्येक प्रार्थनापत्र के साथ उसमें निर्दिष्ट उचित फीस भी भेजनी पड़ती है और ऐसे चार प्रार्थनापत्र अभी तक प्राप्त हुए हैं । परन्तु किसी विदेशी समवाय द्वारा कथित नियम २ के अन्तर्गत कोई प्रार्थनापत्र दिय जाने का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) वर्ष १९५९-६० और १९६० में चालू विदेशी समवायों की संख्या वर्ष १९५७-५८ से कुछ अधिक परन्तु १९५८-५९ से कुछ कम थी । .

विदेशी समवायों की अंश पूंजी के मूल्य सम्बन्धी सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है और उसके एकत्रित करने में जितना समय और श्रम लगेगा उसकी तुलना में परिणाम नगन्य होगा ।

---

†मूल अंग्रेजी में

उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां

†२१८३. **श्री चिन्तामणि पाणिग्रही** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा सरकार को राज्य में १९६१–६२ में नई औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये कोई वित्तीय सहायता दी है ;

(ख) यदि हां, तो कितनी ; और

(ग) ये नई औद्योगिक बस्तियां १९६१–६२ में किन किन स्थानों में स्थापित की जा रही हैं ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). वर्तमान प्रक्रिया के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा राज्य सरकारों को उनकी औद्योगिक बस्तियों की स्थापना की योजनाओं के लिये वित्तीय सहायता वित्तीय वर्ष के अन्त में उनके प्रथम ९ महीनों के वास्तविक व्यय और वर्ष की अन्तिम तिमाही के अनुमानित व्यय के आधार पर मंजूर की जाती है । समस्त राशि राज्य-सरकारों को ऋण के रूप में मंजूर की जाती है । उड़ीसा सरकार ने उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिये अपने चालू वर्ष के बजट में ३२ लाख रुपये का उपबन्ध किया है जिसमें २० से लाख रुपये नई औद्योगिक बस्तियों की स्थापना के लिय निर्धारित किये गये हैं ।

(ग) वित्तीय वर्ष १९६१–६२ में दो नई औद्योगिक बस्तियां एक ढकानाल में और दूसरी बारीयादे में स्थापित की जा रही है ।

एक्सरे उपकरण का निर्माण

†२१८४. **श्री स० चं० सामन्त** :
श्री सुबोध हंसदा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जिन तीन सार्थों को देश में एक्सरे उपकरण के निर्माण का कार्य सौंपा गया है उन्हें आवश्यक संयंत्र और उपकरण उपलब्ध किये गये हैं ;

(ख) यदि नहीं, तो क्या कठिनाइयां है ;

(ग) यदि हां, तो एक्सरे उपकरण के कितने एककों का निर्माण किया जा चुका है; और

(घ) उत्पादन कब प्रारंभ हुआ था ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) से (घ). संभवत: प्रश्न का निर्देश २५ नवम्बर, १९६० के तारांकित प्रश्न संख्या ४६३ के उत्तर में उल्लिखित तीन योजनाओं से है। एक विवरण संलग्न है जिसमें नवीनतम स्थिति का संकेत किया गया है।

विवरण

कलकत्ता के मेसर्स रेडन हाउस उद्योग विकास तथा विनियमन अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत एक्सरे उपकरण के बड़े पैमाने पर निर्माण के लिये १९५९ में लाईसेंस मंजूर किए जाने के पूर्व भी, कुछ एक्सरे उपकरणों का निर्माण छोटे पैमाने पर कर रहे थे । उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्पादन

†मूल अंग्रेजी में

प्रारंभ करने के लिये प्रभावपूर्ण कदम उठाए हैं और साधारण किस्म के, दो एक उच्चशक्ति के सेटों को सम्मिलित करके एक्सरे उपकरणों का निर्माण प्रारम्भ किया है । १९६० में और १९६१ के प्रथम छै महीनों में उनके उत्पादन का मूल्य क्रमशः २.६ लाख रुपये, और १.५ लाख रुपये था । (एककों में उत्पादन के आंकड़े उपलब्ध नहीं है ।)

मेसर्स सीमेन्स इंजीनियरिंग कम्पनी लिमिटेड, बम्बई ने संयंत्र और मशीनों के आयात के लिय व्यादेश दिए हैं जिनमें से अधिकांश आ भी चुकी है । मेसर्स एस्कोर्ट्स लिमिटेड, दिल्ली ने आवश्यक संयंत्र और उपकरणों के लिये व्यादेश दिये हैं जिनमें से कुछ आ चुके हैं और शेष भेजे जा रहे हैं । दोनों फर्मों के १९६१ के अन्त के पूर्व एक्सरे उपकरण का उत्पादन प्रारम्भ कर देने की आशा है ।

ट्रैक्टर

†२१८५. **श्री सुबिमन घोष** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में ट्रैक्टरों की वार्षिक आवश्यकता कितनी है ;

(ख) क्या भारत में ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कोई फर्म है; और

(ग) यदि हां, तो कितनी फर्में हैं और उनके द्वारा प्रतिवर्ष कितना उत्पादन किया जाता है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)** : (क) १० और ५० हार्सपावर के बीच के कृषि ट्रैक्टरों की वर्तमान वार्षिक आवश्यकता का अनुमान ८००० लगाया गया है । तीसरी पंचवर्षीय योजना के अन्त तक वार्षिक आवश्यकता का अनुमान १०,००० लगाया जाता है ।

(ख) और (ग). उद्योग (विकास तथा विनियमन) अधिनियम, १९५१ के अन्तर्गत विभिन्न रेंजों में कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण के लिये कुल ११००० क्षमता के लिये चार फर्मों को लाइसेंस दिये गये हैं और प्रतिवर्ष ३००० कृषि ट्रैक्टरों के निर्माण की एक अन्य योजना का सिद्धान्ततः अनुमोदन किया गया है । इनमें से एक फर्म में सितम्बर, १९६० से उत्पादन प्रारम्भ हो गया है और उसने अभी तक १८० ट्रैक्टर बनाए हैं । दो और फर्मों में शीघ्र उत्पादन प्रारम्भ हो जाने की आशा है ।

सरोजिनी नगर में क्वार्टर

†२१८६. **श्री बलराज मधोक** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गन्दी जलनिस्सारण व्यवस्था होने के कारण २ अगस्त, १९६१ को सरोजिनी नगर और सरकारी कर्मचारियों की अन्य बस्तियों के पहली मंजिल के अनेक क्वार्टरों में पानी घुस आया था ; और

(ख) सरकार ने ऐसी स्थिति की पुनरावृत्ति को रोकने के लिये क्या कदम उठाए हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). वर्षा का पानी सरोजिनी नगर और कई अन्य सरकारी बस्तियों के नीचे के फ्लैटों में घुस आया था ।

†मूल अंग्रेजी में

दिल्ली में १ २ अगस्त, १९६१ की रात्रि को असाधारण भारी वर्षा हुई थी। तीन-चार घण्टों में लगभग ८'' वर्षा हुई। जलनिस्सारण व्यवस्था साधारण वर्षा के लिये की जाने के कारण इतने पानी की शीघ्र निकासी के लिये अपर्याप्त सिद्ध हुई।

२०/२१ जुलाई, १९५८ की भारी वर्षा के बाद दिल्ली में बाढ़ और अन्य समान संकटों के विरुद्ध उपायों का आयोजन करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी। उस समिति का प्रतिवेदन सभा-पटल पर रखा गया था। स्थानीय निकायों ने, जो जलनिस्सारण एवं मलप्रवाह व्यवस्था के लिये जिम्मेदार हैं, कथित समिति की सिफारिश के अनुसार नालियों के सुधार का कार्य प्रारम्भ किया है।

औद्योगिक श्रमिकों के लिये आकाशवाणी कार्यक्रम

†२१८७. **श्री बालकृष्णन् : क्या सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या औद्योगिक संस्थापनों के प्रबन्धक आकाशवाणी के औद्योगिक श्रमिकों के कार्यक्रम के संगठित रूप से सुने जाने के सम्बन्ध में सहायता कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो इस कार्यक्रम को लोकप्रिय बनाने के लिये किस प्रकार का समन्वय किया जा रहा है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) और (ख): औद्योगिक संस्थापनों द्वारा अभी तक रेडियो कार्यक्रमों के सामूहिक रूप से सुनाये जाने का प्रयत्न नहीं किया गया है। परन्तु औद्योगिक कार्यक्रमों का प्रसारण करने वाले रेडियो स्टेशनों को यह हिदायत दी गई है कि वे नियोजकों से अपने कर्मचारियों के लिये रेडियो कार्यक्रम के सामूहिक रूप से सुने जाने की व्यवस्था करने के लिये कहें।

पाकिस्तान से सीमेंट का आयात

†२१८८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत पाकिस्तान से सीमेंट आयात करने का विचार कर रहा है; और

(ख) यदि हां, तो उस का ब्यौरा क्या है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: (क) और (ख). पश्चिम पाकिस्तान के वाह सीमेंट वर्क्स से, जो एसोशिएटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड की संस्था है, ३०,००० टन पोर्टलैंड सीमेंट के तदर्थ आयात की अनुमति देने का निर्णय किया गया है तथा आयात के व्यय का एसोशियेटेड सीमेंट कम्पनी लिमिटेड के पाकिस्तान में भावी प्रेष्य लाभों में समायोजन किया जायेगा।

सूती कपड़े की मिलों का प्रबन्ध

†२१८९. **श्री तंगामणि** : क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री २३ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ४६६ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उद्योग (विकास तथा वनियमन) अधिनियम की धारा १५ के अन्तर्गत स्थापित की गई शेष चार मिलों के सम्बन्ध में समितियों के प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो प्रतिवेदन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूगो):** (क) और (ख). इन में से दो मिलों के सम्बन्ध में सरकार को प्रतिवेदन प्राप्त हो गये हैं। इन एककों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा किसी कार्यवाही की आवश्यकता नहीं समझी गई क्योंकि जांच समिति द्वारा प्रतिवेदन दिये जाने के पश्चात् दोनों मिलों के कार्य में सुधार हुआ है।

तीसरी मिल की जांच के लिये दिया गया आदेश रद्द कर दिया गया था और चौथी मिल के संबंध में समिति का प्रतिवेदन प्रतीक्षित है।

समाचारपत्र

†२१९०. **श्री तंगामणि :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री १५ फरवरी, १९६१ के अतारांकित प्रश्न संख्या ५० के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उन समाचारपत्रों के मामले में क्या कार्यवाही की गई है जिनकी बिक्री अधिक बताई गई है; और

(ख) समचारपत्रों के रजिस्ट्रार को निर्दिष्ट अन्य समाचारपत्रों के सम्बन्ध में उसकी क्या रिपोर्ट है ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर):** (क) और (ख). प्रेस और पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ के अन्तर्गत निर्मित समाचारपत्र पंजीयन (केन्द्रीय) नियम, १९५६ के नियम ६ के अन्तर्गत प्रत्येक समाचारपत्र को प्रति वर्ष प्रेस रजिस्ट्रार को एक विवरण देना पड़ता है। जिसमें अन्य बातों के साथ समाचारपत्र की औसत बिक्री बतानी पड़ती है। जिन मामलों में बिक्री की संख्या अधिक बताई गई मालूम हुई उनमें संबंधित राज्य सरकारों से उनके दावों के सत्यापन के लिये कहा गया। ये जांच पर्याप्त सिद्ध नहीं हुई क्योंकि कोई ठोस साक्ष्य उपलब्ध नहीं था जिस पर उन समाचारपत्रों पर प्रेस तथा पुस्तक पंजीयन अधिनियम, १८६७ के अन्तर्गत गलत सूचना देने के लि` कार्यवाही की जाये। इसलिये एक नये प्रकार का प्रमाण पत्र निर्धारित करने का निर्णय किया गया जिस पर समाचारपत्र की बिक्री की संख्या को प्रमाणित करने के लिये एक चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा योग्य लेखा परीक्षक के हस्ताक्षर होंगे। इस प्रमाणपत्र से दावे को प्रमाणित करने की जिम्मेदारी पूर्णतः चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट अथवा योग्य लेखापरीक्षक पर आ पड़ी। दूसरे यह भी निर्णय किया गया कि समाचारपत्रों की बिक्री के दावों का सत्यापन अधिकारियों के एक विशेष दल द्वारा किया जाना चाहिये जिसका प्रधान प्रेस रजिस्ट्रार हो। जिन मामलों में प्रेस रजिस्ट्रार की जांच से प्रकाशक द्वारा बताई गई बिक्री अधिक पाई गई है उनमें समाचारपत्रों का अखबारी कागज का वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय द्वारा आवण्टन के लिये सिफारिश किया गया कोटा कम कर दिया गया है। यह कार्यवाही उन समस्त समाचारपत्रों के संबंध में की गई है जिनकी बिक्री संख्या बढ़ा कर बताई गई निकली। जहां अखबारी कागज का दुरुपयोग सिद्ध करने के लिये प्रथम दृष्टि में पर्याप्त साक्ष्य मिला, वे मामले वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय को उचित कार्यवाही के लिये निर्दिष्ट किये गये हैं।

भारत में चीनियों की कम्पनियां

†२१९१. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत में चीनियों की कितनी कम्पनियां चल रही हैं; और

(ख) उनका मुख्य कारोबार क्या है ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) एक। (बैंक आफ चाइना आफ दि पीपल्स रिपब्लिक आफ चाइना)

(ख) बैंकिंग ।

ऐंड्रयूज गंज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टर

†२१६२. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ऐंड्रयूज गंज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों का पानी के खर्च का हिसाब लगा कर उसे निश्चित कर दिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह कितना है;

(ग) क्या यह सच है कि ऐंड्रयूज गंज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के क्वार्टरों के लिये गुसलखाने और शौचालय अलग बनाये गये हैं और उनकी सफाई के लिये क्वार्टरों में रहने वालों को प्राइवेट भंगी रखने पड़ते हैं; और

(घ) यदि हां, तो अलाटियों से सफाई का खर्च क्यों वसूल किया जाता है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) और (ख). ऐंड्रयूज गंज में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों से प्रति क्वार्टर २ रुपये ५० नये पैसे मासिक पानी का खर्च लिया जाता है। जो कि दिल्ली नगर निगम द्वारा निश्चित किया गया है।

(ग) जी हां। दो क्वार्टरों के लिये एक गुसलखाना और एक शौचालय बनाया गया है।

(घ) सफाई का खर्च गलती से वसूल किया जा रहा था जो कि बन्द कर दिया गया है। कुछ लोगों को वह राशि लौटाई जा चुकी है और शेष को हिसाब किताब ठीक होने पर लौटा दी जायेगी।

'जी' टाइप क्वार्टर

†२१६३. **श्री राम गरीब** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली/नई दिल्ली में 'जी' टाइप के बहुत से नये क्वार्टर बने हैं फिर भी वे उन सरकारी कर्मचारियों को अलाट नहीं किये जा रहे हैं जो उन्हें प्राप्त कर सकते हैं जबकि उनकी प्राथमिकता की तिथियां १६५३ और १६५४ हैं;

(ख) क्या सरकार को विदित है कि अधिक वेतन पाने वाले बहुत से कर्मचारियों को 'जी' टाइप के क्वार्टर अलाट किये जा रहे हैं इस से उन कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को बड़ी कठिनाई हो रही है जिन्हें 'जी' टाइप क्वार्टर पाने का अधिकार है; और

(ग) यदि ऊपर के भाग (क) और (ख) के उत्तर स्वीकारात्मक हों तो सरकार इन कर्मचारियों को कब 'जी' टाइप क्वार्टर उपलब्ध करेगी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा)** : (क) जी हां। 'जी' श्रेणी के क्वार्टरों के लिये जिन कर्मचारियों की प्राथमिकता तिथियां १६५३ के बाद की हैं उनकी अभी बारी नहीं आई।

†मूल अंग्रेज़ी में

(ख) जी हां। नियमों के अनुसार 'जी' क्लास के क्वार्टर उन कर्मचारियों को भी मिल सकते हैं जिन्हें 'एफ' क्लास का क्वार्टर प्राप्त करने का अधिकार है। जब बिना बारी के अलाटमेंट की जाती है तो एक या दो श्रेणी नीचे की अलाटमेंट भी कर दी जाती है।

(ग) 'जी' क्लास के बहुत से क्वार्टर इस वर्ष की समाप्ति तक तैयार हो जायेंगे। सम्बन्धित कर्मचारियों की स्थिति में इससे बहुत सुधार होगा।

जूट के डंठलों से कागज का गूदा बनाना

†२१९४. { **श्री फ० गो० सेन :**
श्री भोलानाथ विश्वास :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जूट के डंठलों से कागज का गूदा तैयार करने के प्रयोग सफल रहे हैं और उस से बढ़िया किस्म का कागज बन सकता है ; और

(ख) क्या जूट के डंठलों से गूदा तैयार करने के उपकरण को बढ़ाने और उस का विस्तार करने के लिये सरकार ने कोई ठोस कार्यवाही की है ?

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह):** (क) और (ख). वन गवेषणा संस्था में किये गये प्रयोगों के प्रारम्भिक परिणामों से पता चलता है कि जूट के डंठलों से अखबारी कागज बनाने का गदा सफलतापूर्वक तैयार किया जा सकता है। इसकी पुष्टि के लिये और प्रयोग किये जा रहे हैं ?

जम्मू और काश्मीर में दिये गये लाइसेंस

†२१९५. { **डा० क० ब० मेनन :**
श्री रामजी वर्मा :

क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जम्मू तथा काश्मीर क्षेत्र के लिये विदेशों से माल आयात करने के कितने लाइसेंस विभिन्न फर्मों और व्यक्तियों को दिये गये हैं।

(ख) इन लाइसेंस पाने वालों में से कितनों का कारोबार जम्मू तथा काश्मीर में है; और

(ग) ऐसे लाइसेंस होलडर कितने हैं जिनका कारोबार देश के अन्य भागों में भी फैला हुआ है ?

†**वाणिज्य मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) से (ग). जानकारी एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जायेगी।

भारतीय चाय सम्मेलन

†२१९६. **श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या **वाणिज्य तथा उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने भारतीय चाय सम्मेलन को, जो कलकत्ते में नवम्बर, १९६१ में होने को था, कभी भविष्य में रखने का निश्चय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसे निलम्बित करने के क्या कारण हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में

†वाणिज्य तथा उद्योग उपमंत्री (श्री सतीश चन्द्र) : (क) और (ख) : ब्रिटेन द्वारा यूरोपीय साझा बाजार में शामिल होने की बात से अंतर्राष्ट्रीय चाय व्यापार पर होने वाली प्रतिक्रिया को देखना संभव न होने के कारण इस वर्ष यह सम्मेलन बुलाने का विचार त्याग दिया गया।

भारत-चीन सीमा विवाद

†२१९७. श्री प्र० चं० बरुआ : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रह्मा, चीन और भारत की सीमा मिलने के स्थान के बारे में भारतीय नोट का चीन सरकार से उत्तर मिल गया है ;

(ख) यदि हां, तो वह क्या है ; और

(ग) उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग). उत्तर विचाराधीन है।

विज्ञापन

†२१९८. श्री बा० चं० कामले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों में सरकारी और अर्द्ध सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन देने के नियमों की प्रति टेबल पर रखी जायगी; और

(ख) आम तौर पर प्रादेशिक भाषाओं के दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक पत्रों में ऐसे विज्ञापन न देने के क्या कारण हैं ?

†सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) : (क) मंत्रालय द्वारा 'विभिन्न प्रादेशिक भाषाओं में दैनिक, साप्ताहिक और मासिक पत्रों में सरकारी अथवा अर्द्ध सरकारी निकायों द्वारा विज्ञापन दे के कोई औपचारिक नियम' नहीं हैं।

(ख) यह कहना सही नहीं है कि प्रादेशिक भाषाओं में ऐसे विज्ञापन नहीं दिये जाते हैं। इस के विपरीत सरकारी विज्ञापनों को उन में देना हमारा ध्येय है और उनका अधिकाधिक उपयोग किया जाता है। इस कार्य के लिये १९५५–५६ में भारतीय पत्रों का प्रयोग २९९ से बढ़ कर १९६०–६१ में ७११ हो गया है।

ऐन्ड्रयूजगंज, नई दिल्ली में बाजार

†२१९९. श्री वाजपेयी : क्या निर्माण, आवास और संभरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकारी बस्ती एन्ड्रयूजगंज, नई दिल्ली में कोई बाजार नहीं है जिस के कारण वहां के निवासियों को बड़ी दिक्कत उठानी पड़ती है ;

(ख) यदि हां, तो क्या वहां बाजार बनाने का कोई विचार है ;

(ग) क्या यह सच है कि कुछ लोग, जिन ने घरेलू सामान बेचने का कुछ अस्थायी प्रबन्ध किया है, निगम के अधिकारियों द्वारा सताये जाते हैं; और

---

†मूल अंग्रेजी में

(घ) क्या सरकार ने इस प्रस्ताव पर विचार किया है कि जब तक वहां बाजार न बने तब तक अस्थायी दूकानदारों को अपनी झोंपड़ियां वहां रखने की अनुमति दे दें ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) और (ख). सरकार ने एक बाजार पहले ही बना दिया है ।

(ग) जब कभी कोई व्यक्ति सार्वजनिक स्थान या फुटपाथ पर अनधिकार चेष्टा करता है तो उसके विरुद्ध निगम एक्ट की धारा ३२२ के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है । इस में सताये जाने का कोई सवाल नहीं है । सार्वजनिक स्थानों को ऐसी चेष्टा से बचाना जरूरी है ।

(घ) सरकारी जमीन पर अनधिकृत निर्माण होने देना वांछनीय नहीं है ।

मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन ऋण

†२२००. **श्री अर्जुन सिंह भदौरिया :**
श्री मो० ब० ठाकुर :
श्री बै० च० मलिक :

क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९६१ की दूसरी तिमाही (अप्रैल से जून १९६१) में दिल्ली संघ क्षेत्र में मध्यम वर्ग आवास योजना के अधीन ऋण के लिये कितने लोगों ने आवेदन किया ;

(ख) उनमें से कितनों को ऋण नहीं दिया गया ;

(ग) इसके क्या कारण हैं; और

(घ) क्या ऋण न देने के कारण बताते हुए उन्हें कोई सूचना दी है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण उपमंत्री (श्री अनिल कु० चन्दा) :** (क) ६२ ।

(ख) ३३ ।

(ग) योजना के अधीन ऋण—सहायता के लिये ५ व्यक्ति योग्य नहीं थे । शेष २८ आवेदन अपूर्ण होने के कारण उस तिमाही में स्वीकृत नहीं किये जा सके ।

स्थगन प्रस्ताव

यमुना बांध का टूटना

†**अध्यक्ष महोदय :** यमुना का बांध टूट जाने और उसके फलस्वरूप ५० हजार व्यक्तियों की सम्पति एवं जीवन की क्षति के सम्बन्ध में श्री स० मो० बनर्जी ने जो स्थगन प्रस्ताव कल दिया था । माननीय गृह-मंत्री आज उस के बारे में एक वक्तव्य देंगे ।

†**गृह-कार्य मंत्री (श्री लाल बहादुर शास्त्री) :** यदि आप चाहें तो उस वक्तव्य को मैं सभा पटल पर रख दूं । वह वक्तव्य २½ पृष्ठ का है।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह सभा पटल पर रखा जा सकता है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : ऐसी स्थिति में आप स्थगन प्रस्ताव के बारे में कैसे निर्णय कर सकते हैं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इ ा वक्त ा य के अनु ार आप दे ेंगे कि रकार हर संभव का ार्वाही कर रही है । जहां तक स्थगन प्रस्ताव की बात है सरकार का ध्यान इस बात की ओर दिला दिया गया है तथा सभा भी यह अच्छी तरह जानती है । मेरा सुझाव है कि माननीय सदस्य इस वक्तव्य को पढ़ लें और उस सम्बन्ध में यदि वे कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो ऐसा करने के लिये मैं उन्हें कल अनुमति दे दूंगा । यदि वे कोई सुझाव भी देना चाहते हैं तो मैं उसकी भी अनुमति दे दूंगा ।

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : हम यह जानना चाहते हैं कि सरकार ने गत वर्ष से लेकर अब तक क्या किया है ? क्योंकि पिछले साल भी बाढ़ आई थी ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : यदि माननीय सदस्य वक्तव्य पढ़ें तो उन्हें पता चल जायेगा । मैंने उन सभी कार्यवाहियों की चर्चा की है जो कि एक साल के दौरान में हमने की हैं । प्रतिरक्षा मंत्रालय ने जो वक्तव्य तैयार किया है उसकी एक प्रति भी मुझे अभी अभी मिली है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ये दोनों प्रतियां सभा पटल पर रख दी जायें मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : स्थिति में सुधार हुआ है और बाढ़ से कोई डर की बात नहीं है ।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** (कोयम्बटूर) : बाढ़ के बारे में हम ने पहले एक स्थगन प्रस्ताव की सूचना दी थी । आप ने उसे रद्द करते हुए कहा था कि यदि कोई प्रस्ताव लाया जाये तो आप इसके बारे में चर्चा करने की अनुमति दे सकते हैं । अतः मेरा निवेदन है कि आप इस विषय पर चर्चा करने की हमें अनुमति दें ।

†**अध्यक्ष महोदय** : अभी मैंने उस दिन अनियत दिन वाले प्रस्ताव की अनुमति दी थी जो कि बाढ़ सम्बन्धी स्थिति के बारे में विचार करने के सम्बन्ध में है । यह मामला भी उसके साथ साथ ही लिया जायेगा । चूंकि हमें सप्ताह में समय नहीं है अतः अगले सप्ताह यह विषय लिया जायेगा ।

†**श्री भा० कृ० गायक वाड़** (नासिक) : वक्तव्य की प्रतियां सदस्यों को दी जाये ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इसकी प्रतियां सदस्यों को दी जायेंगी ।

†**श्री लाल बहादुर शास्त्री** : मैं इस वक्तव्य को सभा पटल पर रखता हूं* । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एल० टी० ३१५४/६१]**

नागालैंड में दुर्घटना

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री हेम बरुआ की ओर से नागालैंड की अन्तरिम परिषद् के सभापति श्री आओ को २२ अगस्त १९६१ को पेट में गोली मार देने की कथित घटना से नागालैंड में व्याप्त तनाव और असुरक्षा की स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना प्राप्त हुई है ।

---

†मूल अंग्रेज़ी में

*जिन दो वक्तव्यों का निर्देश किया गया है उनमें नीहित सूचना वाला केवल एक वक्तव्य सभा पटल पर रखा गया ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहर लाल नेहरू)** : मैं तो नहीं समझता कि वहां स्थिति गम्भीर है। यह बात अच्छी नहीं है कि डा० आओ को गोली मार दी गई । यह बड़े दुर्भाग्य की बात है लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि वहां सर्वत्र तनाव की स्थिति है। सौभाग्य की बात है कि डा० आओ का तुरन्त आपरेशन किया गया और उनकी हालत ठीक होती जा रही है । इस प्रकार की घटना बड़े पैमाने पर विद्रोह का लक्षण नहीं वरन् विद्रोहियों की निराशा मनोवृत्ति का द्योतक है। हमला वाला व्यक्ति शाल ओढ़ कर डा० आओ से बातचीत करने आया था। वे जिस समय साथ साथ थे तब उस व्यक्ति ने अपनी शाल फैंक दी और उन्हें गोली मार दी । इस हालत में सेना क्या कर सकती है। मैं समझता हूं कि इस बारे में इससे अधिक और कुछ नहीं कहा जा सकता ।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस प्रकार की घटनाएं साधारणतः नहीं होतीं। कभी हो जाया करती हैं ।

†**श्री हेम बरूआ** (गौहाटी) : वहां पिछले दस वर्षों से विद्रोहात्मक कार्यवाहियां हो रही हैं। नागालैंड बन जाने के बाद भी उनमें कमी नहीं हुई है। हम चाहते हैं कि सेना वहां अच्छी तरह देखभाल करे। बड़े दुःख की बात तो यह है कि पुलिस उस व्यक्ति को अभी तक गिरफ्तार नहीं कर सकी है ।

†**श्री जवाहरलाल नेहरू** : मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। वहां इतने घने जंगल हैं कि लोग आसानी से उन जंगलों में चले जाते हैं और पकड़ में नहीं आते।

†**अध्यक्ष महोदय** : म इस स्थगन प्रस्ताव की अनुमति नहीं देता। लेकिन इतना अवश्य सत्य है कि यह दुखद घटना है।

जम्मू में नंदपुर पर पाकिस्तानियों का कथित आक्रमण

†**अध्यक्ष महोदय** : मुझे श्री बलराज मधोक की ओर से जम्मू के नन्दपुर नामक स्थान पर २१ और २२ अगस्त, १९६१ को पाकिस्तानियों द्वारा किये गये हमले से उत्पन्न स्थिति के बारे में स्थगन प्रस्ताव की सूचना मिली है।

मैं यह मालूम करना चाहता हूं कि उनको यह सूचना कहां से मिली है।

†**श्री बलराज मधोक** (नई दिल्ली) : रामगढ़ जम्मू सियालकोट सीमा पर स्थित है। यह युद्ध-विराम सीमा पर नहीं है। यह नगर जम्मू से २० मील दूर पाकिस्तान की सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में पाकिस्तानी बार बार आक्रमण करते हैं। यह घटना २१-२२ अगस्त, को हुई और सारी रात गोली चलती रही ।

मुझे यह सूचना जम्मू नगर प्रजा परिषद् के मंत्री श्री गोपाल सच्चर ने टेलीफोन पर दी है। मुझे यह सूचना मिली है कि बहुत से लोग जम्मू आये और उन्होंने यह खबर बताई। दुख की बात यह है कि इन लोगों को आत्मरक्षा के लिये जो शस्त्र दिये गये थे कुछ दिन हुए, तब उनसे वापस ले लिये गये थे अतः ये अपनी आत्मरक्षा भी न कर सके। इसलिये यह आवश्यक है कि इस स्थिति पर यहां विचार किया जाये। और इन आक्रमणों को रोकने के लिये कुछ किया जाये।

---

†मूल अंग्रेजी में

†श्री जवाहरलाल नेहरू : माननीय सदस्य को जो सूचना मिली है वह सम्भवतः अति-रंजित है। तथ्य यह है कि कुछ दिन हुये तब इस क्षेत्र में कुछ कठिनाई आई थी। गत वर्ष पाकिस्तानियों की फौज जम्मू सियालकोट सीमा पर आई थी हमने उसका विरोध किया। संयुक्त राष्ट्र पर्यवेक्षकों की देखरेख में दोनों देशों के पुलिस पदाधिकारियों की बैठकें हुई और यह तय हुआ कि जब तक मामले के बारे में कोई निर्णय नहीं हो जाता तब तक पाकिस्तानी सेनायें वहां गश्त नहीं करेंगी। पिछले वर्ष से यह स्थिति चली आ रही है।

गत १८ अगस्त को पाकिस्तानी सेना ने वहां फिर गश्त लगाया और इसको तै करने के लिये फिर बैठकें हुई लेकिन खेद है कि मामले का निपटारा न हो सका। पाकिस्तानी सेना ने इस क्षेत्र में गश्त लगाने पर बल दिया और हमने विरोध किया फलस्वरूप उन्होंने गोली चलाई और अपनी आत्मरक्षा के लिये हमने भी गोली चलाई। हमारी ओर से कोई क्षति नहीं हुई। आजकल वहां कोई गोली नहीं चल रही है। तथ्य तो यह है कि हमारी सेना उस समय घटनास्थल पर नहीं थी। सीमा पर इस गश्त की सूचना मुख्य पर्यवेक्षक को दे दी गई है। माननीय सदस्य का यह कहना गलत है कि दो वर्ष पूर्व पाकिस्तानियों ने हमारे एक पदाधिकारी को तथा ११ सिपाहियों को मार दिया था। अतः इस समय वहां कोई गम्भीर स्थिति नहीं है।

†श्री बलराज मधोक : इस क्षेत्र में पाकिस्तानियों ने १३ एकड़ भूमि पर अधिकार कर लिया है। चूंकि स्थानीय निवासियों से हथियार वापस ले लिये गये हैं अतः वहां आतंक व्याप्त है। इसलिये इस सम्बन्ध में वहां कुछ न कुछ अवश्य किया जाना चाहिये। यदि सेना अथवा पुलिस वहां हर समय नहीं रह सकती तो उन निवासियों को अपने हथियार वापस मिल जाने चाहियें ताकि वे अपनी आत्मरक्षा कर सकें।

†अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य का यह सुझाव है।

†श्री जवाहरलाल नेहरू : पाकिस्तानियों ने वहां किसी क्षेत्र पर अधिकार नहीं किया है।

†अध्यक्ष महोदय : प्रधान मंत्री ने जो वक्तव्य दिया है उसको देखते हुये यह आवश्यक नहीं है कि मैं स्थगन प्रस्ताव की अनुमति दूं।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

प्रधान मंत्री और अकाली दल के नेताओं के बीच वार्ता

†प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : मैं मास्टर तारासिंह और सन्त फतह सिंह तथा मेरे बीच गत १५ दिन के भीतर जो पत्र-व्यवहार हुआ है उसकी प्रतियां सभा पटल पर रखता हूं। कुल मिला कर ५ या ६ पत्र हैं। चूंकि सभा पंजाब में क्या हो रहा है इसको जानने के लिये उत्सुक है अतः मैंने यह ठीक समझा कि मैं उन पत्रों को सभा पटल पर रख दूं। अंतिम पत्र संत फतह सिंह की ओर से संदेश के रूप में मुझे घर पर रात्रि को २ बजे प्राप्त हुआ

†मूल अंग्रेजी में

और एक या दो घंटे पूर्व ही उसका उत्तर उनको भेज दिया गया है। मैं उन सब को सभा पटल पर रखता हूं। **[देखिये परिशिष्ठ ३, अनुबन्ध संख्या २९]**

†**श्री ब्रजराज सिंह** (फिरोजाबाद) : इस सम्बन्ध में मैंने एक अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाने वाला प्रस्ताव भी रखा है। मैं समझता हूं कि वह स्वीकार कर लिया गया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैंने उसे स्वीकार कर लिया था। लेकिन माननीय सदस्य यहां उपस्थित नहीं थे। उनकी एक घंटे तक प्रतीक्षा की।

†**श्री अ० क० गोपालन** (कासरगोड): क्या इस प्रस्ताव के बारे में चर्चा होगी।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं नहीं जानता कि क्या चर्चा के लिये यह उपयुक्त अवसर है। मैं प्रधान मंत्री अथवा सम्बन्धित मंत्री से यह जानना चाहता हूं कि क्या चर्चा के लिये उपयुक्त अवसर है ?

†**श्री जवाहरलाल नेहरू :** हमें कोई आपत्ति नहीं है। मैंने पत्र सभापटल पर रख दिये हैं उनसे स्थिति का पता चल जायेगा।

†**श्री नौशीर भरूचा** (खानदेश) : हम यह जानना चाहते हैं कि इस सम्बन्ध में सरकार की नीति क्या होगी। अच्छा तो यह होगा कि प्रधान मंत्री पहले इस बारे में एक वक्तव्य दें।

†**श्री त्यागी** (देहरादून) : इन पत्रों की प्रतियां सदस्यों में परिचालित की जाएं।

†**अध्यक्ष महोदय :** अच्छी बात है जो सदस्य इन पत्रों की प्रतियां चाहते हैं वे कल नोटिस आफिस से ले लें। मैं प्रतियां छपा कर तैयार रख दूंगा। मेरा सुझाव यह है कि माननीय सदस्य इस पत्र व्यवहार को पढ़ लें उसके बाद चर्चा के लिये समय निकालेंगे।

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

पुनर्वास मंत्रालय को जारी रखना

†**श्री प्रभातकार :** नियम १९७ के अधीन मैं पुनर्वास तथा अल्प संख्यक-कार्य मंत्री का ध्यान पश्चिमी बंगाल सरकार की भारत सरकार से पुनर्वास मंत्रालय के जारी रखने की कथित प्रार्थना की ओर दिलाता हूं एवं उनसे निवेदन करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य भी दें।

†**पुनर्वास तथा अल्पसंख्यक-कार्य मंत्री (श्री मेहरचन्द खन्ना) :** यह मंत्रालय सितम्बर १९४७ में आज से १४ वर्ष पूर्व शुरू किया गया था। इसका काम विभाजन के बाद पाकिस्तान से भारी संख्या में आने वाले विस्थापितों को बसाने का था। पूर्वी क्षेत्र में पाकिस्तान अबाधित रूप में १९५९ के अंत तक विस्थापित लोग आते रहे। इनका इस प्रकार से आना पुनर्वास मंत्रालय

---

†मूल अंग्रेजी में

की सुयोजित योजना को अपनाने में रुकावट डालता रहा। प्राथमिकता अनुजन प्रमाण पत्र जारी करके १६५७ के शुरू में यह काम शुरू किया गया। १ अप्रैल, १६५८ के बाद जो अर्वजित विस्थापित आयेंगे उनको पुनर्वास की सहायता नहीं दी जायेगी यह निश्चय किया गया। उसके बाद से पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले विस्थापितों को बसाने के सम्बन्ध में ठोस एवं निश्चित कदम उठाये गये ।

२. १६५६ के शुरू में पुनर्वास मंत्रालय पूर्वी क्षेत्र की राज्य सरकार से यह मालूम किया कि विस्थापितों को बसाने का कितना काम बाकी रह गया है। आसाम, बिहार, त्रिपुरा और उड़ीसा में १६६०-६१ के दौरान में विस्थापितों को बसाने का काम पूरा हो गया था। और इन राज्यों में पुनर्वास विभाग बन्द कर दिये गये थे। पश्चिमी बंगाल सरकार ने १६५६-६० में जो बातें रखीं उनके सम्बन्ध में स्वीकृति दी जा चुकी थी। शेष काम के बारे में उनकी सूचना १६६० के अंत में मिली। और फरवरी, १६६१ में सचिव स्तर पर उनके बारे में एक बैठक में विचार किया गया ।

३. जून १६६० में प्रधान मंत्री ने एक बैठक में जिसमें पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री तथा वहां के पुनर्वास मंत्री भी शामिल थे यह फैसला किया था कि पुनर्वास मंत्रालय के कार्य के मुख्य भाग को १२ से १५ मास के अन्दर पूरा किया जाना चाहिये तथा उसके बाद शेष कार्य को भारत सरकार के मुख्य मंत्रालयों में बांट दिया जाये तथा इस मंत्रालय को बंद कर दिया जाये। इस निर्णय के अनुसार दीर्घकालीन कार्य की कुछ मदें जिनके सम्बन्ध में शेष रह गई समस्या सम्बन्धी निर्धारण कार्य किया जा चुका था और निधि की व्यवस्था कर दी गई थी; भारत सरकार के अन्य स्थायी मंत्रालयों को सौंप दी गई है। बची हुई मदों के सम्बन्ध में पश्चिमी बंगाल के अनिर्णीत प्रश्न पर, राज्य सरकार द्वारा परीक्षित मदों को पूरा करने के लिये कितना समय आवश्यक होगा तथा उन्हें पूरा करने का सब से अच्छा तरीका क्या हो सकता है इन बातों पर विस्तार से परीक्षण किया जा रहा है ।

जो काम बाकी रह गया है वे निम्न हैं :—

(i) पश्चिमी बंगाल में उन परिवारों को बसाना जो शिविरों में नहीं रह रहे हैं।

(ii) शिविरों में रहने वाले उन विस्थापितों की आर्थिक समस्या का समाधान यदि कोई है तो, जिन्होंने कि दंड कारण्य में जाने से इन्कार कर दिया है।

(iii) पश्चिमी बंगाल में शिविरों में रहने वाले उन विस्थापितों को बसाने का काम पूरा करना जो दंडकारण्य में चले गये हैं।

४. इस परीक्षण में सम्भवत: एक दो महीने लगेंगे जिसके बाद भारत सरकार निर्णय करेगी कि क्या शेष कार्य को पूरा करने के लिये पुनर्वास मंत्रालय जैसे विशेष अभिकरण की अब भी आवश्यकता है अथवा उस काम को भारत सरकार के एक दो मंत्रालयों को सौंपा जा सकता है। मैंने पश्चिमी बंगाल के मुख्य मंत्री तथा पुनर्वास मंत्री को यह आश्वासन दे दिया है। इस सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा कोई निर्णय लेने से पूर्व राज्य सरकार से अवश्य ही परामर्श लेगी।

†**श्री अजित सिंह सरहदी** (लुधियाना) : क्या मंत्री महोदय पश्चिमी क्षेत्र में विस्थापितों को बसाने के सम्बन्ध में जो काम शेष रह गया है उसके बारे में कोई विवरण सभा पटल पर रखगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

क्या उनको इस बात की जानकारी है कि लोगों का यह कहना है कि जब तक पश्चिमी पाकिस्तान से आये विस्थापितों को न बसाया जाये तक तब यह मंत्रालय काम करे।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** यह प्रश्न पूर्वी क्षेत्र के बारे में ही था। पश्चिमी क्षेत्र के बारे में जानकारी तैयार हो रही है। लेकिन जो भी निर्णय होगा वह दोनों ही क्षेत्रों के बारे में होगा।

†**श्री इन्द्रजीत गुप्त** (कलकत्ता—दक्षिण-पश्चिम) : माननीय मंत्री ने दंडकारण्य सम्बन्धी प्रतिवेदन में बताया है कि अब तक वहां २००० परिवारों को बसाया गया है। क्या २ महीने के भीतर यह संभव है १२—१३००० परिवारों को इतने थोड़े समय में वहां बसाया जा सकता है।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैंने इस समस्या को तीन भागों में बांटा है। एक तो केवल पश्चिमी बंगाल में विस्थापितों को बसाने के बारे में है। वहां कुछ लोगों को बसाने का काम रह गया है। इसमें कितना धन एवं समय लगेगा इस बारे में किसी को कोई आपत्ति नहीं है।

दूसरी बात यह है कि लगभग १५,००० से २०,००० परिवारों को दंडकारण्य में जाने का आदेश दे दिया गया है किन्तु वे वहां गये नहीं हैं। उनका क्या होगा। यदि इनमें से अधिकांशतः नहीं जाते हैं तो पश्चिमी बंगाल की अर्थ व्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तीसरी बात दंडकारण्य की अपनी है। यदि वहां ये लोग चले जाते हैं तो वहां की समस्या भी कुछ अंश तक ठीक हो जायेगी। यदि नहीं जाते हैं तो वहां की समस्या भी हल करनी होगी।

†**श्री प्रभातकार** (हुगली) : दंडकारण्य में ५००० परिवारों को बसाया जा सकता है। लेकिन आपने १५,००० परिवारों को नोटिस दिया है। शेष १०,००० परिवारों के बारे में क्या होगा।

†**श्री मेहरचन्द खन्ना :** मैं एक बात भूल गया। दंडकारण्य योजना को क्रियान्वित करने के लिये हमारे पास जनशक्ति की भी बहुत कमी है। कठिनाई यह है कि पश्चिमी बंगाल के लोग दंडकारण्य जाना चाहते और अन्य राज्य के लोगों को मैं वहां ले नहीं सकता। पिछले ५ महीनों में वहां १२५ परिवार के औसत से लोग वहां गये हैं।

†**श्री स० मो० बनर्जी** (कानपुर) : क्या यह सच है कि लोगों ने पुनर्श्रेणीकरण के लिये आवेदन किया है ?

†**श्री मेहर चन्द खन्ना :** पुनर्श्रेणीकरण का प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। पश्चिमी बंगाल में बैनामा योजना क्रियान्वित की गई है। गत ५ वर्षों में २५००० शिविर विस्थापितों को लगभग १० करोड़ रुपये खर्च के लिये दिये गये हैं। वहां कृषि करने के लिये भूमि है लेकिन शिविरों में रहने वाले विस्थापित कहते हैं कि वे शहरों में जाना चाहते हैं। जब तक नोटिस नहीं दिये जाते तब तक आप श्रेणी बदल सकते हैं। इसका उनको अधिकार है। लेकिन नोटिस देने के बाद उसकी बात नहीं सुनी जायेगी उसे जाना ही होगा क्योंकि उसके बाद उसे शिविर में रहने की अनुमति नहीं दी जायेगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं चाहता हूं कि ये विस्थापित लोग वहां बसें। कुछ राजनैतिक संगठन उनको बहकाते हैं। लेकिन फिर भी हम प्रयत्न कर रहे हैं कि वे लोग वहां जा कर बसें। उन के लिये सरकार ने उन पर ५० करोड़ रुपये व्यय किये हैं। एक दिन था जब मुझ पर यह आरोप लगाया गया था कि मैं उनको बसाने में असमर्थ हूं और आज जब मैं उनको बसाना चाहता हूं तो वे जाने को तैयार भी नहीं हैं। अब तक मैं उनकी बात सुनता रहा लेकिन अब उनको कोई छूट नहीं दी जायेगी। यदि अब वे बसना नहीं चाहते तो उन के लिये इस से अधिक और कुछ नहीं किया जा सकता।

सभा पटल पर रखे गये पत्र

†**उद्योग मंत्री (श्री मनुभाई शाह)**: मैं उत्पादकता दलों को निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(एक) अमरीका, इटली और जापान में प्लास्टिक उद्योग के बारे में प्रतिवेदन (१९६०)

(दो) जापान, अमरीका और इटली में कारखाने के मकान, नक्शे और निर्माण के बारे में प्रतिवेदन (१९६१)

(तीन) ब्रिटेन, अमरीका और पश्चिम जर्मनी में विपणन तथा वितरण के बारे में प्रतिवेदन (१९६१)

(चार) अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी में राल मिश्रित कोयला खनन उद्योगों के बारे में प्रतिवदन (१९६१)

(पांच) स्विट्जरलैंड, अमरीका और जापान में पैकेजिंग उद्योग के बारे में प्रतिवेदन (१९६१)।

[पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये संख्या क्रमशः एल० टी० ३१४७/६१; ३७४८/६१; ३१४९/६१; ३१४५०/६१; और ३१५१/६१]

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही-सारांश

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय—राष्ट्रीय उद्योग विकास निगम लिमिटेड और विकास शाखा सम्बन्धी १२२वें और १२३वें प्रतिवेदन के बारे में प्राक्कलन समिति की बैठकों के कार्यवाही-सारांशों की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं।

प्राक्कलन समिति

एकसौ चालीसवां प्रतिवेदन

†**श्री दासप्पा** (बंगलौर) : मैं स्वास्थ्य मंत्रालय चिकित्सा सेवाएं—भाग २ सम्बन्धी पैंतालीसवें प्रतिवेदन में की गई सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही के बारे में प्राक्कलन समिति का एकसौ चालीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी—समिति

सत्तासीवां प्रतिवेदन

†**सरदार हुकम सिंह** (भटिंडा): मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्तासीवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं ।

तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के उत्तर में शुद्धि

†**वैदेशिक-कार्य उपमंत्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन)** : इस सभा में १६ अगस्त, १९६१ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ के बारे में पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में कुछ तथ्य सम्बन्धी भूलों को ठीक करने की अनुमति चाहती हूं । यह प्रश्न ले० कर्नल भट्टाचार्य को ४ अप्रैल, १९६१ को पाकिस्तानी सैनिकों द्वारा अवध रूप से अपहरण करने के बारे में था । वस्तुस्थिति यह है कि ले० कर्नल भट्टाचार्य भारतीय सेना के कर्मचारी हैं । जब वह कार्यरत थे और भारत पाक सीमा पर देख भाल कर रहे थे तो पश्चिमी बंगाल के २४ परगना जिले के प्यारा नामक गांव में पाकिस्तानी सशस्त्र सैनिकों ने अवैध रूप से उनका अपहरण कर लिया ।

†**अध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है कि क्या उन्हें पाकिस्तान की अदालत में कोई विधि सहायता दी गई है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : विधि-सहायता दी जा रही है । लेकिन यह सहायता पाकिस्तानी प्राधिकारियों द्वारा दी जा रही है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : क्या हमारी सरकार कोई विधि-सहायता दे रही है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : जी नहीं । इस मामले में हम पाकिस्तानी अदालत को अपने क्षेत्राधिकार में नहीं मानते ।

अध्यक्ष महोदय : मंत्री ने कहा है कि सरकार इस गिरफ्तारी को जायज नहीं समझती । सरकार की राय है कि वह भारतीय राज्य क्षेत्र में जबरदस्ती पकड़ कर ले जाया गया । जहां तक वैध सहायता देने तथा उसे बचाने का प्रश्न है इस के उत्तर में कहा गया कि पाकिस्तान उसे वैध सहायता दे रहा है ।

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : पाकिस्तान के न्यायालय ने उनसे पूछा था कि क्या वह वकील की सहायता लेना चाहता है । इस पर उन्होंने अपनी सहमति प्रकट की । हमारे विचार से तो यह सारी चीजें ही गलत हुई हैं । एक भारतीय नागरिक को भारतीय अधिकार क्षेत्र से पकड़ कर उसपर मुकदमा चलाया जा रहा है । हम इसे उचित नहीं समझते । कर्नल भट्टाचार्य ने हम से किसी वैध सहायता के लिये प्रार्थना नहीं की है । सभा को यह भी ज्ञात है कि इस बात का प्रयत्न कर रहे हैं कि कर्नल भट्टाचार्य को वापस भेज दिया जाय ।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी** (कलकत्ता—मध्य) : क्या यह सही नहीं है कि कर्नल भट्टाचार्य ने हमारे उपायुक्त के साथ हुई भेंट में यह कहा था कि उन के पास पैसा नहीं है ? क्या इस बात को देखते हुए सरकार का ऐसा उपेक्षापूर्ण रवैया बरतना उचित है ?

†**श्रीमती लक्ष्मी मेनन** : हम इस संबंध में कोई हीला हवाला नहीं कर रहे हैं । माननीय सदस्य को ज्ञात होगा कि कर्नल भट्टाचार्य पर सैनिक न्यायालय में कई आरोपों पर मुकदमा चल रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री नाथ पाई (राजापुर)** : हम केवल यह जानना चाहते हैं कि एक भारतीय अधिकारी की, जिसे भारतीय भूमि से जबरदस्ती ले जाया गया है, सरकार किस प्रकार मदद करना चाहती है। विशेषतः तब जब इस प्रकार के संवाद प्रकाशित हुए हैं कि उन्हें सताया जा रहा है। वस्तुतः पाकिस्तान संसार को यह दिखलाकर कि उन पर बाकायदा मुकदमा चलाया गया है उन्हें दंड देना चाहता है अतः सरकार को बतलाना चाहिये कि वह इस संबंध में क्या कर रही है ?

†**अध्यक्ष महोदय** : सरकार उक्त बातों पर विचार कर रही है।

दिल्ली नगर निगम (संशोधन) विधेयक

†**गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री दातार)** : मैं प्रस्ताव करता हूं कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ में अग्रेतर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

†**उपाध्यक्ष महोदय** : प्रश्न यह है :

> "कि दिल्ली नगर निगम अधिनियम, १९५७ में अग्रेत्तर संशोधन करने वाले विधेयक को पुरस्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

†**श्री दातार** : मैं विधयक पुरस्थापित करता हूं।

तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे प्रस्ताव—**जारी**

†**अध्यक्ष महोदय** : सभा अब २१ अगस्त, १९६१ को प्रधान मंत्री द्वारा प्रस्तुत किये गये निम्नलिखित प्रस्ताव पर अग्रेतर विचार करेगी।

> "कि तृतीय पंचवर्षीय योजना पर, जो ७ अगस्त, १९६१ को सभा पटल पर रखी गयी थी, विचार किया जाये।"

†**श्री आचार** (मंगलौर) : मैं दक्षिण की रेलवे लाइनों का उल्लेख करना चाहता हूं। योजना में लिखा गया है कि चार लाइनों यथा (१) मंगलोर हसन, (२) बंगलौर सलेम (३) मनमदुराई—विरुदनगर तथा सिकिन्द दैत्री को तीसरी योजना में शामिल करने पर विचार किया जा रहा है। हर्ष की बात है कि मंगलौर पत्तन का विकास कार्य भी इस योजना में शामिल किया गया। वस्तुतः यह श्री एम० विश्वेसरैया की बहुत पुरानी अभिलाशा थी। इस के विकास से मैसूर के व्यापार को अन्तराष्ट्रीय क्षेत्र में प्रवेश करने का अवसर मिलेगा। जहां तक रेलवे लाइनों का संबंध है केवल यह कहना पर्याप्त नहीं है कि इन पर विचार किया जा रहा है अपितु इन्हें तीसरी योजना में निश्चित रूप से शामिल करना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

अब मैं उन योजनाओं को लेता हूं जो कि तीसरी योजना में शामिल की गयी हैं तथापि जिसके संबंध में हम इच्छुक नहीं हैं। उदाहरणार्थ कुर्ग जिले में हरांगी नदी पर हरांगी और कावेरी पर कम्बकाड बांध बनाने की योजना है। इसका यह फल होगा कि कुर्ग की काफी के सारे बागान नष्ट हो जायेंगे। सारी घाटियां पानी से भर जायेंगी और गांव डूब जायेंगे। इसमें सन्देह नहीं कि यदि जल का उपयोग किसी अन्य प्रकार से हो सके तो किया जाना चाहिये तथा यदि थोड़े ही लोगों को इससे प्रभाव हो तो भी ऐसी योजनायें देश हित के लिये क्रियान्वित की जानी चाहियें तथापि इससे जिले की जनता और भूमि को पर्याप्त हानि होगी। इस संबंध में वहां की जनता ने अभ्यावेदन भी दिया है तथा मुझे यह जान कर खुशी हुई है कि योजना आयोग के एक सदस्य तथा एक मंत्री भी वहां आये थे। मैं अनुरोध करता हूं कि इन योजनाओं पर पुनर्विचार किया जाये।

जहां तक योजना के संबंध में गांव के निवासियों के उत्साह का संबंध है इसमें कोई सन्देह नहीं कि गांव के लोगों में उत्साह की कमी है और इसका ही यह फल है कि सामुदायिक विकास योजनायें भी ठीक प्रकार से काम नहीं कर रही हैं, तथापि सरकार को इस ओर पूरा ध्यान देना चाहिये इस संबंध में मैं सरकार तथा योजना आयोग का ध्यान उड़ीसा के मुख्य मंत्री श्री विजयानन्द पटनायक की ग्रामीण औद्योगीकरण की योजना की ओर दिलाना चाहता हूं। सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिये।

अब मैं प्रादेशिक विषमता को लेता हूं। वस्तुतः कुछ ही क्षेत्रों को विकास कार्यों का लाभ मिल रहा है। उदाहरणार्थ मालेवद क्षेत्र जो कि जहां खानें इत्यादि कई संसाधन मौजूद हैं वहां के विकास पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। वस्तुतः वहां कई क्षेत्रों में पर्याप्त खनिज पदार्थ हैं जिनका भूतत्वीय सर्वेक्षण अभी तक नहीं हो सका है।

जहां तक निर्यात का प्रश्न है, हम इस ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दे रहे हैं। उदाहरणार्थ मसालों के निर्यात के लिये जिसके लिये भारत प्राचीन काल से प्रसिद्ध है कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इतना ही नहीं उत्पादन की ओर भी विशेष ध्यान नहीं दिया जा हा है। सरकार ने अभी हाल मसाला बोर्ड का निर्माण किया है यह प्रसन्नता की बात है।

मैं सरकार का ध्यान नारियल जटा बोर्ड की ओर भी दिलाना चाहता हूं। बोर्ड के अधिकांश सदस्य केवल एक ही राज्य के हैं फलस्वरूप अधिकांश राशि उसी राज्य में व्यय की जाती है। जब कि मैसूर में भी नारियल जटा का काफी काम होता है बोर्ड को इस प्रकार काम करना चाहिये कि नारियल की जटा उत्पन्न करने वाले सभी राज्यों में यह काम किया जाये।

अब मैं मुद्रास्फीति का प्रश्न लेता हूं। तीसरी योजना में ५०० करोड़ रुपये की घाटे की अर्थ व्यवस्था और १७०० करोड़ रुपये की अप्रत्यक्ष करों कीव्यवस्था की गयी है। इसका यह परिणाम होगा कि अधिक महंगाई होगी। जहां तक प्रत्यक्ष करों का प्रश्न है वह ऐसे ही लोगों पर लगना चाहिये जो कि इसे वहन करने योग्य हों, ग्रामीण लोगों पर अधिक कर लगाना अनुचित है।

†**श्री सोमानी** (दोसा) : निसन्देह पिछली दो योजनाओं में हमारी अर्थव्यवस्था अवरुद्धावस्था से आगे बढ़ कर सक्रियावस्था की ओर बढ़ी है। मुझे विश्वास है कि इस योजना में हम

†मूल अंग्रेजी में

आत्मनिर्भर अवस्था की ओर प्रयाण करने योग्य हो जायेंगे। यद्यपि पहिले योजना के आकार को बहुत बड़ा समझा गया था तथापि अब मेरे विचार से सभी इस बात से सहमत हैं कि यह योजना वास्तविक है।

अब मैं सरकार की मूल्य संबंधी नीति को लेता हूं। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस नीति का हल कृषि और उद्योग के क्षेत्र में पर्याप्त उत्पादन में है। हमें इस प्रकार की नीति अपनानी चाहिये कि सभी क्षेत्रों में अधिकाधिक उत्पादन हो सके। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक इस समस्या का वास्तविक हल नहीं निकल सकता है। वस्तुतः सरकार की कठोर मूल्य नीति का परिणाम यह हुआ है कि इस्पात, सीमेंट और कोयला इत्यादि के उत्पादन पर पर्याप्त प्रभाव पड़ा है। हमारी मूल्य निर्धारण संबंधी नीति ने कभी भी प्रोत्साहन को पूर्ववर्तिओं के साथ संयुक्त करने की आवश्यकता नहीं समझी है। और ऐसे उद्योगों में जो कि देश के लिये बुनियादी महत्व के नहीं हैं पर्याप्त पूंजी आई है। वस्ततु: आवश्यकता इस बात की है कि बुनियादी उद्योगों के लिये उचित मूल्य का निर्धारण किया जाये जिससे कि वे उद्योग अपने संसाधनों का विकास कर सकें।

अब मैं प्रादेशिक विषमताओं के प्रश्न को लेता हूं। यह अत्यन्त दुख का विषय है कि योजना के १० वर्ष बाद भी कुछ विशेष राज्यों और स्थानों को ही पूर्ववर्तिता दी जाती है। उदाहरणार्थ राजस्थान केरल और आसाम में अभी भी अपेक्षाकृत बहुत ही कम पूंजी लगायी गयी है। जबकि अधिक विकसित राज्यों में और भी अधिक पूंजी लगाने की व्यवस्था की जा रही है। अतः सरकार को पिछड़े हुये देशों के विकास करने की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। सरकार को चाहिये कि उन क्षेत्रों में उद्योगों की स्थापना करने के लिये विशेष अवक्षयण भत्ता दिया जाये। उन उद्योगों के प्रति अधिक अधिमन्यता दिखलाई जाये।

अब मैं निर्यात संवर्द्धन के महत्वपूर्ण प्रश्न को लेता हूं। पिछले कई वर्षों से हमारे निर्यात के आंकड़े स्थिर हैं और उनमें किसी प्रकार का विकास नहीं हो रहा है। तीसरी योजना में हमने यह लक्ष्य रखा है कि ३७०० करोड़ रुपये का निर्यात किया जा सके। इसके लिये हमें प्रतिवर्ष ७५० करोड़ रुपये का निर्यात करना होगा।

भारतीय वाणिज्य उद्योग मंडल संघ ने एक विस्तृत अभ्यावेदन इस संबंध में सरकार को प्रस्तुत किया था, इसके उत्तर में सरकार ने डा० रामास्वामी मुदालियर की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की है। मेरा इस विषय में सरकार से यह अनुरोध है कि इस ओर अधिक क्रांतिकारी और सूझबूझपूर्ण रवैया अख्त्यार किया जाये।

यह ध्यान रखना चाहिये कि निर्यात की समस्या और भी कठिन इस कारण हो गयी है कि ब्रिटेन ने यूरोपियन सामान्य बाजार में शामिल होने का निश्चय कर लिया है। अतः सरकार को इस समस्या को नये और वास्तविक दृष्टिकोण से देखना चाहिये।

अब मैं कपड़ा उद्योग के संबंध में कुछ कहना चाहता हूं। यह स्मरण रखना चाहिये कि कपड़ा उद्योग के लिये ६३० करोड़ गज कपड़े का लक्ष्य रखा गया है। मेरे विचार से देश में कपड़े की खपत को ध्यान में रखते हुये हमें चाहिये कि कपड़े के उत्पादन का लक्ष्य इस योजना की अवधि में इससे अधिक रखा जाये। इस संबंध में हमें हथकरघा उद्योगों तथा मिलों के बीच उत्पादन के लक्ष्य को इस प्रकार वितरित करना है कि दोनों में किसी प्रकार की असुविधा न होने पावे।

अन्त में मैं सभा के सभी पक्षों से यह निवेदन करता हूं कि वे इस योजना को सफल बनाने में पूरी तरह से सहयोग करें।

†श्री मी० रु० मसानी (रांची पूर्व) : तीसरी योजना पर कुछ कहने के पूर्व मैं दूसरी योजना का विश्लेषण करना चाहता हूं कि वस्तुतः दूसरी योजना के अन्त में क्या स्थिति है। दूसरी योजना के दौरान प्रतिवर्ष वस्तुओं की कीमतों में ६ प्रतिशत की वृद्धि हुई है। योजना में भी इस बात को स्वीकार किया गया है कि योजना की अवधि में कीमतों में ३० प्रतिशत की वृद्धि हुई है।

सामान्य जनता की आय में कोई वृद्धि नहीं हुई है उनमें बेरोजगारी बढ़ी है। कृषि श्रमिक जांच का द्वितीय प्रतिवेदन जो कि सभा में २१ दिसम्बर, १९६० में रखा गया था उससे यह स्पष्ट है कि कृषि श्रमिकों की बेरोजगारी और कर्जदारी बढ़ी है। निम्न मध्यम वर्ग का जीवन स्तर इन पांच सालों में गिरता गया है।

तब प्रश्न यह है कि इस योजना से लाभ किसको हुआ है। वस्तुतः इस योजना का लाभ या तो शासक दल के लोगों को मिला है या उनके कुछ पिट्ठू व्यापारियों को जिनको कि कई वस्तुओं के निर्माण पर लगभग एकाधिकार दे दिया गया है।

पौंड पावने की राशि लगभग समाप्त हो चुकी है और हम विदेशों से लगभग १७५० करोड़ रुपये ऋण के रूप में ले चुके हैं। इसका यह परिणाम हुआ है कि हम पर विदेशों का कर्ज चढ़ गया है और हम पर उनका ऋण तथा ब्याज का भार बढ़ता जा रहा है जिसे हम चुकाने में असमर्थ हैं।

तीसरी योजना की आवश्यकतायें क्या हैं इसके बारे में यह बताया गया है कि अधिक विनियोजन, कम लागत पर अधिक अच्छा उत्पादन तथा निर्यात, यह तीन आवश्यकतायें हैं। अब प्रश्न पैदा होता है कि इन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिये योजना में क्या व्यवस्था की गयी है ? इसमें देखना यह है कि योजना में निर्धारित किये गये ये तीन उद्देश्य विफल होते हैं अथवा पूरे हो जायेंगे। एक ओर तो यह दावा है कि इसनें बहुत कमाल करने का प्रयत्न किया है। और दूसरी ओर स्थिति यह है कि उसने योजना के कार्य और उपायों द्वारा सभी उद्देश्य नितांत असफल कर दिये हैं। अब यह प्रश्न है कि आखिर योजना के उपाय क्या हैं। वे ये हैं कि आज जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष कराधान चल रहा है जिसके नीचे आम जनता पिस रही है, और जो आगे ही बहुत ही अधिक है, को जारी रखा जायें। जो घाटे की अर्थ-व्यवस्था चल रही है उसे चालू रखा जाये। औद्योगीकरण करना चाहिये परन्तु इस दिशा में स्थिति यह है कि खर्च की चिंता किये बिना औद्योगीकरण किया जा रहा है। और इसके अतिरिक्त भूमि के सामूहिक स्वामित्व की बात चल रही है।

मैं तो इस मामले में बड़ा स्पष्ट हूं कि यदि योजना स्वीकार कर ली गयी तो देश में मुद्रा-स्फीति तथा बेरोजगारी बढ़ेगी और लोगों को जीवनोपयोगी वस्तुएं न मिलने से उनकी मुसीबतें बढ़ जायेंगी। योजना का यह प्रभाव तो होगा ही कि देश में अधिक व्यय वाली अर्थ-व्यवस्था का निर्माण होगा। अन्ततोगत्वा इसका परिणाम यह होगा कि देश में बड़े पैमाने पर तस्कर व्यापार होगा और कई तरह की बातें चलेंगी। यह तो लोगों पर सोवियत ढंग के सरकारी पूंजीवाद को थोपना ही कहा जायेगा। मैं इसको देश के सामूहिक हित की बात नहीं मानता।

इस समय देश को मजबूत अर्थ-व्यवस्था की आवश्यकता है परन्तु मेरा मत यह है कि देश की अर्थ-व्यवस्था को इस समय जो खतरा है वह केवल सरकार से ही नहीं है प्रत्युत यह खतरा सरकारी तथा गैर-सरकारी क्षेत्र के गठबन्धन से निर्माण हुआ है। इसके बहुत बुरे परिणाम हो सकते हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमें देश के मध्यम वर्ग तथा कृषक वर्ग की ओर से इस खतरे का सामना करना होगा। योजना के फलस्वरूप जो केन्द्रीकरण होगा वह भी आवश्यकता से अधिक

†मूल अंग्रेजी में

होगा। इसका परिणाम यह होगा कि आर्थिक शक्ति कुछ लोगों के हाथ में आ जायेगी। एकाधिकार बढ़ेगा। मध्यम वर्ग के लोग पिसेंगे और श्रमजीवी वर्ग के लिए तो इससे भारी खतरा रहेगा ही। इससे तो संविधान में निहित हमारे मूलभूत अधिकार भी खतरे में पड़ जायेंगे। कार्मिक संघों के निर्माण का अधिकार भी छीन लिया जायेगा। सामूहिक तौर पर कोई हड़ताल भी नहीं कर सकेगा। केवल सामूहिक सौदे करने ही वैध रहेंगे। इससे न किसी को लाभ होने वाला है और न किसी के जीवन स्तर के ऊपर उठने की कोई सम्भावना है।

श्री ब्रजराज सिंह (फिरोजाबाद) : अध्यक्ष महोदय, स्वतंत्र पार्टी के प्रवक्ता श्री मसानी के भाषण के बाद मेरा यह सौभाग्य है कि मैं इस योजना का विरोध करूं, लेकिन उन शब्दों में नहीं जिन में स्वतंत्र व्यापार के प्रवक्ता श्री मसानी करते हैं। मैं मानता हूं कि यह आयोजन हिन्दुस्तान को आगे ले जाने वाला नहीं है। लेकिन मैं इसके साथ साथ यह भी कहना चाहता हूं कि जो दिशा श्री मसानी प्रकट करते हैं उसकी वह दिशा नहीं है असल में दूसरी ही दिशा है। श्री मसानी और स्वतंत्र पार्टी के दूसरे लोगों का कहना है कि मुल्क में उपभोग की जो वस्तुएं हैं, श्रृंगार की वस्तुएं हैं, कंज्यूमर गुड्ज़ हैं उनका ज्यादा उत्पादन होना चाहिये। मैं कहना चाहता हूं कि यदि भारी उद्योगों पर बल नहीं दिया जाता है, स्टील, तेल और दूसरी इसी तरह की चीज़ों पर बल नहीं दिया जाता है, तो किसी तरह भी कंज्यूमर गुड्ज़ जिन को कहा जाता है, उनके उत्पादन का कोई प्रश्न ही नहीं उठता है।

दूसरा प्रश्न यह भी है कि यदि भारी उद्योगों को चलाना है तो उन उद्योगों को क्या प्राइवेट सैक्टर के लोग चलाने के लिए तैयार हैं ? यहां आ कर जब प्राइवेट सैक्टर का सवाल उठता है तो ये लोग तो उन उद्योगों को ही चलाने के लिए तैयार होते हैं जिन में सरकार की तरफ से मदद मिलती है। सरकार की तरफ से उनको सहायता इसमें मिल भी रही है और इस तरह से सरकार और बड़े पूंजीपतियों के बीच एक अनहोली एलाएंस है। यह बात जब उन्होंने कही तो मैं उन से सहमत हो गया और सहमत हो सकता हूं। लेकिन मैं समझता हूं कि भारी उद्योगों का अगर विकास करना है तो वह सिर्फ सरकार के द्वारा ही हो सकता है और अगर ऐसा नहीं होता है तो बिना भारी उद्योगों के विकास के हिंदुस्तान का भी अधिकाधिक विकास नहीं हो सकेगा।

जहां तक इन भारी उद्योगों के विकास का सम्बन्ध है, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि वह सही दिशा में नहीं हो रहा है। हम कुछ अंदाज़े लगाते हैं लेकिन उन अंदाज़ों पर हम आखिर तक सही नहीं निकलते हैं, दो तीन गुना हमारा खर्च बढ़ जाता है। हम राउरकेला स्टील प्लांट को ही लें। वहां पर अजीब ढंग से काम चल रहा है। वहां पर ३० लाख रुपया मजदूरों को मजदूरी के तौर पर मिलता है और ७० लाख रुपया हम मैनेजमेंट पर, टैक्नीशियन्ज़ पर तथा उन लोगों पर खर्च कर देते हैं जोकि अपने हाथ से काम नहीं करते हैं और सिर्फ देखा करते हैं कि दूसरे ठीक से काम करते हैं या नहीं करते हैं। इस तरह से कोई भी उद्योग चाहे वह पब्लिक सैक्टर में हो या प्राइवेट सैक्टर में चल नहीं सकता है। मेरा निवेदन है कि जो उद्योग सरकार की तरफ से चलाये जा रहे हैं, जिन को पब्लिक सैक्टर के उद्योग कहा जाता है, उनमें सब से बड़ी गलती यह है, मूलभूत गलती यह है कि खर्चे इतने अधिक बढ़े हुए हैं कि उनकी वजह से कभी भी कोई चीज़ उपभोग की जनता को सस्ते में नहीं दी जा सकती है। एंटीबायोटिक्स फैक्ट्री जोकि पिम्परी में है और जिसका जिक्र हमारे मसानी जी ने भी किया है, उसके बारे में मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार की नीति क्या है तथा उन उद्योगों के बारे में भी क्या नीति है जिन को वह खुद चलाती है, जिन में वह खुद उत्पादन करती है ? पिंपरी फैक्ट्री में जहां एक शीशी तीन आने की बनती है, जनता को वह आज बारह आने की दी जाती है और इस पर भी कहा जाता है कि हम सस्ते पर दे रहे हैं, सस्ती कर रहे हैं। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस योजना में इस तरह का सिद्धान्त

[श्री ब्रजराज सिंह]

निर्धारित नहीं किया जायेगा कि जो उत्पादन का व्यय है वह किस प्रकार से कूता जाये और जब तक इसके बारे में जो निश्चित सिद्धान्त बिजिनेस के हैं, उनको मान कर नहीं चला जायेगा तब तक लोगों को उपभोग की चीज़ें सस्ती देने का सवाल ही पैदा नहीं हो सकता है । इस तरह से हमारा काम नहीं चल सकता है कि ३० लाख तो हम वर्कर्ज़ पर खर्च करें और ७० लाख मैनेजमेंट पर खर्च करें । जब इस सिद्धान्त को मान लिया जाये उसके बाद यह निश्चय किया जाये कि जो उत्पादन व्यय कारखाने में है, उससे ड्यौढे से कम में ही कंज्यूमर के पास वह चीज़ पहूंचनी चाहिये । अगर इससे अधिक में उसके पास वह वस्तु पहुंचती है तब फिर पब्लिक सैक्टर के कोई मानी नहीं रह जायेंगे, तब फिर यही कहा जायेगा कि पब्लिक सैक्टर भी उसी तरह से शोषण करता है जिस तरह से प्राइवेट सैक्टर करता है । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज के हिन्दुस्तान की पृष्ठभूमि में प्रथम पंचवर्षीय योजना में और द्वितीय पंचवर्षीय योजना में एक इस तरह का रास्ता बताया गया जिस से आम जनता का, गरीब जनता का, निम्न वर्ग के आदमियों का शोषण हो रहा है, और तृतीय पंचवर्षीय योजना उसी दिशा में एक कदम है, वह कोई अलग नीति निर्धारित नहीं करती है । आगे भी लगातार इन पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत यही नीतियां चलेंगी, जिस का नतीजा यह होगा कि बेकारी और बढ़ेगी । हम लोगों को शिक्षित नहीं कर सकेंगे, टेकनिकल शिक्षा नहीं दे सकेंगे और उत्पादन जितना हमारा होना चाहिये वह आगे नहीं बढ़ सकेगा । इसी के साथ साथ कुछ इस तरह के मूलभूत संकट पैदा होंगे जैसेकि आज कोयले का संकट आया है । कोयला हम खोद सकते हैं, कोयला हम पैदा कर सकते हैं, लेकिन उसे ढोने के लिये रेलवे की क्षमता नहीं होगी, दूसरी क्षमतायें नहीं होंगी । सीमेंट पैदा हुआ पड़ा रहेगा कारखानों में, लेकिन उस को ढोने की क्षमता हमारे पास नहीं रहेगी । यह मूलभूत गलतियां हैं पंच वर्षीय योजना में, जिस की तरफ इस सदन को और मुल्क को ध्यान देना चाहिये ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जब तक इस योजना में हम सिद्धान्त रूप से परिवर्तन नहीं करेंगे, संशोधन नहीं करेंगे तब तक यह योजना मुल्क के हित में नहीं हो सकती । खुद आयोजक मानते हैं कि अभी हमारे यहां करीब ९० लाख लोग बेकार हैं, उन के साथ तृतीय पंचवर्षीय योजना के अन्त तक ३० लाख लोग और जड़ जायेंगे । आखिर यह किस तरह का आयोजन है कि हम योजनायें भी बनाते जाते हैं फिर भी हमारी समस्यायें हल नहीं होतीं ? दो योजनायें खत्म हो चुकी हैं, तृतीय योजना चल रही है, इस के लिये हम मुल्क के लोगों से कहते हैं कि तुम को त्याग करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा क्योंकि हमें योजना को सफल बनाना है, साथ ही हम मानते हैं कि तृतीय पंचवर्षीय के अन्त तक मुल्क में १ करोड़ २० लाख लोग बेकार होंगे जिन के लिये सरकार को काम देने की कोई व्यवस्था नहीं होगी ।

(उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या यह मुल्क को आगे बढ़ाने की योजना है ? अंग्रेजों ने इस मुल्क का विकास बिना किसी योजना के किया, हमारे मुल्क का शोषण करते हुए विकास किया और करोड़ों रुपयों की बिल्डिंगें बनाईं, सेक्रेटेरियेट बनाया, यह पार्लियामेंट की बिल्डिंग बनाई । आखिर उन्होंने भी तो यह काम किया बिना किसी योजना के । मैं कहूंगा कि यह जो तृतीय पंचवर्षीय योजना आज हमारे सामने रखी गई है वह कोई योजना नहीं है जो इस तरह से विकास से हमें हटाये और जिस में बेकारी लगातार बढ़े । जिस योजना में जो हमारे कांस्टिट्यूशन के मूलभूत

सिद्धान्त हैं उन की अवहेलना की जाय वह योजना किस तरीके से मुल्क को प्रेरित कर सकती है ? जब इस योजना के लिये कहा जाता है देश की जनता से, दूसरी पार्टियों से, जो विरोधी दल हैं उन से, कि यह नैशनल प्लैन मानी जाय, राष्ट्रीय योजना मानी जाय और इस के सम्बन्ध में हमारा हाथ बटाइये, तब मुझे अफसोस होता है । सम्भवतः अपनी पार्टी की भलाई के लिये यह सारी बातें कही जाती हैं । यह जान कर भी दुःख होता है कि कुछ विरोधी दलों के लोग आते हैं और कहते हैं कि हम विरोधी दल के हैं, लेकिन साथ ही साथ यह कहेंगे कि कर लगाने का जो कार्य है वह राजनीति से बाहर निकाल लिया जाय । मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर कर लगाने का कार्य राजनीति से बाहर निकाल लिया जायेगा तो क्या यह राजनीति में रहेगा कि प्लैनिंग मिनिस्टर कौन रहे, कानून मिनिस्टर कौन रहे, गृह मंत्री कौन हो ? यही काम राजनीति के द्वारा चलेगा ? इस लिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना को यदि सफल बनाना है और सही दिशा में सफल बनाना है जिससे कि बेकारी की समस्या हल हो सके, शिक्षा की समस्या हल हो सके, लोगों को खाना मिल सके, लोगों को जरूरत की चीजें मिल सकें और उन का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके, तो इस में मूलभूत परिवर्तन करने होंगे । और यदि इन मूलभूत परिवर्तनों के साथ इस योजना को सफल बनाना है तो फिर वही बातें माननी पड़ेंगी जो आम तौर से इस मुल्क में कही जा रही हैं । यह कोई तरीका नहीं है कि हमें समानता लानी है, बराबरी लानी है लेकिन उस के ऊपर अमल न किया जाय ।

अब हमारे सामने जो तृतीय पंचवर्षीय योजना का ड्राफ्ट पेश हुआ है, उस के जो पहले दो तीन चैप्टर्स हैं उन्हें पढ़ने से ऐसा लगता है कि शायद हम सही दिशा में जा रहे हैं, लेकिन वह सिर्फ लक्ष्यमात्र रह जाता है, शब्द मात्र रह जाते हैं । उस को अमल में नहीं लाया जाता है, उस को वर्किंग में नहीं लाया जाता है और कहीं पर कोई अमल करने का सवाल नहीं है, वर्ना इस तरह की स्थिति हो नहीं सकती थी । हम बराबरी का समाज बनाना चाहते हैं । बराबरी और समता का समाज बनाने की जब बात है तब यह क्यों कहा जाता है कि अब मुल्क में जो टैक्स लगेंगे वह अप्रत्यक्ष लगेंगे, प्रत्यक्ष करों के बढ़ाने का सवाल नहीं है ? प्लैनिंग कमिशन खुद एक कमेटी बनाता है पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो फल निकला वह कहां गया इस का पता लगाने के लिये । प्रधान मंत्री कहते हैं कि उन को मालूम नहीं है, सरकार को मालूम नहीं है कि दो पंचवर्षीय योजनाओं का जो फल निकला, जो कैपिटल लगाया गया, उसका फल कहां गया, किन लोगों की ओर चला गया । इसके लिये उनको कमेटी नियुक्त करनी पड़ती है मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इस के लिये किसी भी कमेटी के नियुक्त करने की जरूरत नहीं है । इस के फल निश्चित रूप से जो आप के गुर्गे हैं उन के पास हैं । आम जनता कराह रही है, त्रस्त है, शोषित है, परेशान है, उस को पूछने वाला कोई नहीं है । यह योजना का प्रभाव है, आप की नीतियों का प्रभाव है ।

आज हमारे मंत्री महोदयों को १५०० रु० मिलेंगे, २२०० रु० मिलेंगे, लेकिन साथ साथ बंगलों पर कितना खर्च होगा, कितना टूर पर खर्च होगा, कितना और तरह की सुविधाओं पर खर्च होगा, इस की कोई सीमा होनी चाहिये । जब इस की कोई सीमा नहीं होती है तो यह कहना कि हम वेतनों में समता ला रहे हैं, ठीक नहीं है । अब तक हम यह नहीं कह सकते कि जो पूंजीपति है उस की आमदनी क्यों बढ़ रही है । इस लिये पहली चीज जो मैं कहना चाहता हूं वह यह है कि अगर हमें तृतीय पंचवर्षीय योजना को सफल बनाना है और देश के हित में सफल बनाना है तो हमें नीति निर्धारित करनी होगी कि देश में लोगों की आमदनियों में क्या अन्तर होगा । हम को इस में १ और १० के फर्क का लक्ष्य बनाना होगा । हम जानते हैं कि जब हम बिना इस के बराबरी

[श्री ब्रजराज सिंह]

नहीं ला सकते हैं, जब हम पुरी तरह से समता नहीं ला सकते हैं, तो इस के लिये लक्ष्य निर्धारित करना पड़ेगा कि छोटी से छोटी आमदनी इतनी हो और बड़ी से बड़ी आमदनी इतनी हो। मैं देखता हूं कि तृतीय पंच वर्षीय योजना में इस की ओर कोई इशारा नहीं मिलता है, अगर किसी तरह का कोई इशारा मिलता है तो यह कि आज जो अतिरिक्त सुविधायें लोगों को मिली हुई हैं वे वही रहेंगी। एक तरफ पूंजीपति हैं जो आप से मिल रहे हैं और दूसरी तरफ आप की सुविधायें हैं जिन से आप अपना जीवन स्तर बढ़ाना चाहते हैं। आप जनता का जीवन स्तर घटता चला जा रहा है। आखिर क्या तरीका आप अपनायेंगे देश की जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाने का ?

आप मानते हैं, देश मानता है, सब लोग मानते हैं कि हर साल कोई ६० या ७० लाख लोग हिन्दुस्तान के नये नागरिक बन जाते हैं। आप की पंच वर्षीय योजनायें किसी भी शक्ल में चलें, सब मिला कर ४० या ५० लाख से ज्यादा लोगों का जीवन स्तर ऊंचा नहीं उठता है। इस का नतीजा क्या होगा ? हर साल २० लाख ऐसे आदमी पैदा होंगे जो आपकी इस योजना के फलस्वरूप बेकार रहेंगे और जिन का जीवन स्तर नीचा ही रहेगा। आप केवल ४० से ५० लाख तक लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठायेंगे। ७० लाख नये लोग पैदा होंगे जिन का जीवन स्तर पहले से गिरा हुआ है, उन के जीवन स्तर को ऊंचा बनाने का सवाल नहीं उठेगा। हर साल आप २० लाख नये लोग जोड़ते जायेंगे। उन का जीवन स्तर नीचे गिरेगा और वे गरीबी के दलदल में फसेंगे और नारकीय जीवन व्यतीत करेंगे। इस लिये अगर हमें कहीं पर भी देश की जनता का कोई हित करना है, कोई ऐसी योजना बनानी है जिस से हम देश की जनता का जीवन स्तर ऊंचा उठा सकें तो हम को इस योजना को किसानों की ओर अभिमुख करना पड़ेगा, मजदूरों के लिये, शोषितों के लिये, पीड़ितों के लिये बनाना पड़ेगा। हम देखते हैं कि इस में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। अगर कोई व्यवस्था इस तरह की नहीं है तो क्यों नहीं है ?

इस योजना में यह बुराई पाई जाती है कि मुल्क के अन्दर जो असिंचित भूमि है उस असिंचित भूमि को सिंचित करने के लिये कोई व्यवस्था नहीं है। कहीं पर भी कोई व्यवस्था नहीं है कि १५ सालों में या २० सालों में इस तरह का प्रबन्ध हम कर देंगे कि आज जो भूमि असिंचित है, जिस को पानी नहीं मिल रहा है, उस को पानी देने के लिये व्यवस्था हो सकेगी। कोई व्यवस्था कहीं पर नहीं है कि जिन छोटे उद्योगों को चलाने के लिये बिजली की जरूरत है उन को इतने दिन के अन्दर हम बिजली दे देंगे। जब तक हम नीचे के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा नहीं उठा पाते हैं तब तक ऐसी चीज़ें नहीं पैदा की जायेंगी जो कि सिर्फ उपभोग की चीज़ें कही जा सकती हैं, जिन को आराम की चीज़ें कहा जा सकता है, ऐसी कोई व्यवस्था इस योजना में नहीं है। मैं पुछना चाहता हूं कि एक तरफ तो तीसरे दर्जे के डब्बे करोड़ों लोगों के लिये नहीं हैं दूसरी तरफ कुछ लोगों के लिये एअर कंडिशन्ड कोचेज तैयार की जाती हैं तो क्या हम रेलों के वे डब्बे और वैगन नहीं बना सकते जिन के द्वारा हम कोयला और सीमेंट ढो सकें जिन की उपभोक्ता को जरूरत है ? तीसरी तरफ हम ४, ४ करोड़ रु० के तीन हवाई जहाज खरीदते हैं। आखिर यह क्यों किया जाता है ? मैं कहता हूं कि सारी योजना गलत है, यह देश की जनता के हित में नहीं है। यह कुछ लोगों के, जोकि प्रशासक लोग हैं, जो राज्य में आ कर इकट्ठा हो गये हैं, उन के हित में है। उन्होंने अपने हित के लिये इस को बना लिया है, इस से देश की जनता का भला होने वाला नहीं है।

इस लिये मैं कहना चाहूंगा कि यदि इस देश की जनता के हित में इस योजना को बनाना है तो हमें ऐसी नीति निर्धारित करनी होगी जिस से देश के किसानों का, देश के गरीब मजदूरों

का, और ऐसे आदमियों का जो मेहनत करने वाले हैं, कुछ भला हो सके। मैं इस दलील में नहीं जाना चाहता कि इस योजना से हिन्दुस्तान की जनता की आमदनियों में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा है या उन की आमदनियों को आप बढ़ायें। यह तो एक तरह से जब से मस्विदा प्रकाशित हुआ है एक साल पहले, तभी से मुल्क में चर्चा का विषय रहा है, और इस सदन में जो बहस हो रही है उस में भी इस के सम्बन्ध में कहा गया है, लेकिन मैं यह कहना चाहा हूं कि जब आमदनियों में फर्क नहीं पड़ा है नीचे के लोगों के ऊपर अधिक ध्यान देने की जरूरत है तो हमें यह सोचना पड़ेगा कि जिस किसान का उत्पादन कम होता है, जिस किसान की जमीन से ज्यादा लाभ नहीं होता है, उस पर लगान लगे या नहीं। आप कहेंगे कि अब इन्डाइरेक्ट टैक्सेशन नहीं हो सकता है, प्रत्यक्ष कर में कोई क्षमता नहीं रह गई है, इस लिये आप अप्रत्यक्ष कर बढ़ायेंगे। अगर आप अप्रत्यक्ष कर बढ़ाने वाले हैं तो वह हर उस आदमी पर पड़ेगा जो उस चीज का उपभोग करता है। जिस पर कर लगता है मैं पुछना चाहता हूं कि हिन्दुस्तान के जिन किसानों के पास अनार्थिक ज़ोतें हैं, जिनके पास पांच एकड़ से कम जमीन है, और ऐसी ज़ोतें ८६ प्रतिशत हैं, क्या उनके लगान को माफ करने की कोई बात सोची जाती है? उसके बजाय यह कहा जाता है कि चूंकि तृतीय योजना में १७१० करोड़ रुपए के नए कर बढ़ाने हैं इसलिए इन ज़ोतों का लगान दूना किया जा सकता है। मैं कहना चाहता हूं कि यदि इस योजना को किसी भी शक्ल में किसान के हित में चलाना है तो ये जो ८६ प्रतिशत अनार्थिक ज़ोतें हैं, जो कि ५ एकड़ से कम की हैं, आपको उनका लगान माफ करना पड़ेगा। ऐसा करने से अपको ५० करोड़ रुपया सालाना से ज्यादा का नुक्सान होने वाला नहीं है। मेरे पास वक्त नहीं है नहीं तो मैं आपको ऐसी तीन चार योजनाएं बतला सकता हूं जिनके द्वारा आपको यह ५० करोड़ रुपया मिल सकता है जिससे मुल्क का भला हो सकता है और इन ८६ प्रतिशत किसानों की अधिक उत्पादन करने की क्षमता बढ़ सकती है और उनको अधिक उत्पादन करने के लिए प्रोत्साहन मिल सकता है। लेकिन मैं समझता हूं कि सरकार ऐसा नहीं करेगी। और उसका कारण है। उसका कारण यह है कि अगर इन ८६ प्रतिशत किसानों में अधिक उत्पादन करने की क्षमता पैदा हो जाती है तो वे भी हिन्दुस्तान के शासन में शामिल होना चाहेंगे और आज ज़ो हिन्दुस्तान में हुकूमत की गद्दियों पर कलक्टर, कमिश्नर, सेक्रेटरी आदि के रूप में बैठे हुए हैं वे उन गद्दियों पर नहीं रह सकेंगे। इसलिए उन गद्दियों को सुरक्षित रखने के लिए यह जरूरी हो जाता है कि हिन्दुस्तान का जो यह शोषित वर्ग है इसको आगे न बढ़ने दिया जाए।

मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि जब से देश को आज़ादी मिली है उसके बाद से कितनी अच्छी नौकरियां हरिजनों और आदिवासियों को मिल पायी हैं। उनको ये नौकरियां क्यों नहीं मिलीं। इसकी एक वजह है। मैं निवेदन करूंगा कि हिन्दुस्तान की सरकार यह जानती है कि आज हिन्दुस्तान में एक प्रतिशत से ज्यादा ऐसे लोग नहीं हैं जो कि अंग्रेजी जानते हैं फिर भी राजकाज को चलाने के लिए अंग्रेजी को कायम रखे हुए हैं क्योंकि अगर ऐसा नहीं किया जाता तो देश की भाषाएं विकसित होंगी और तब फिर वे लोग जो कि आज गद्दियों पर बैठे हुए हैं वे वहां कायम नहीं रह सकेंगे। अगर देश की भाषाएं विकसित होंगी तो वे किसान जिनकी ज़ोतें अनार्थिक हैं उठेंगे और जब वे उठेंगे तो जो आज का मंत्री है उसको कंडे बीनना पड़ेंगे और चूंकि कंडे बीनना उनको पसन्द नहीं है इसलिए वे ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे किसी न किसी तरह वे अपनी गद्दियों पर कायम रह सकें।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अगर हमको देश के हित में इस योजना को चलाना है तो हमको आगे बढ़ना होगा। मैं श्री मनुभाई शाह से पुछना चाहता हूं कि उन्होंने अभी तक छोटे उद्योगों को बढाने के लिए क्या किया है। देश में सब लोग मानते हैं कि हम छोटे उद्योगों में ज्यादा लोगों को काम दे सकते हैं और देश की बेकारी की समस्या सारे बेकार लोगों को काम दिए बगैर हल नहीं हो सकती, लेकिन कभी इस तरह की बात सामने नहीं आती जिससे हम देखें कि सरकार कोई

[श्री ब्रजराज सिंह]

ऐसी योजना बना रही है कि जिसमें सब लोगों को काम मिल सके और छोटे उद्योगों को बढ़ावा मिले ।

मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सारी योजना की दृष्टि ही ठीक नहीं है और जब तक इस दृष्टि को सही नहीं किया जाता तब तक हमारे देश के शासकों को यह कहने का अधिकार नहीं है कि यह राष्ट्रीय योजना है, उनको यह अपील करने का अधिकार नहीं है कि आओ सब लोग मिल कर इस योजना को चलाएं । आज स्थिति यह है कि एक तरफ तो लोगों को खाना नहीं मिलता और दूसरी तरफ बड़ी बड़ी प्लान्स बनायी जा रही हैं और नए नए टैक्स लगाने की योजना बनायी जा रही है कि जिनका असर अपने ऊपर न पड़ कर दूसरों पर पड़े । जब तक यह तरीका राष्ट्रीय योजना को चलाने का रहेगा तब तक जनता से मिल कर इसे सफल बनाने की अपील का कोई असर होने वाला नहीं है । इसलिए इस अवस्था में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप चाहें कि हम इन टैक्सों को राजनीति से अलग कर दें और आपको जनता पर १७१० करोड़ के नए टैक्स लादने का अधिकार दे दें, तो हम ऐसा नहीं करेंगे, हम हर उस टैक्स का विरोध करेंगे जो कि आम जनता पर जा कर पड़ेगा और जिससे आम जनता का हित साधन नहीं होता । हम देखते हैं कि आपकी यह योजना देश के हित में नहीं जाती । आपकी दो योजनाएं समाप्त हो चुकीं लेकिन आप देखें कि इनसे किसको फायदा हुआ है । यह मेरा कहना ही नहीं है, इसको हिन्दुस्तान के प्रधान मंत्री भी मानते हैं और उन्होंने इस बात का पता लगाने के लिए एक कमेटी बनायी है कि इन योजनाओं से किसको लाभ पहुंचा है । यह कमेटी साल दो साल में अपनी रिपोर्ट देगी । लेकिन हमको वैसे ही पता है कि इन योजनाओं से किसको फायदा पहुंचा है, उसके लिए कमेटी बनाने की जरूरत नहीं है ।

अब वक्त आ गया है कि अगर आप चाहते हैं कि इस योजना को राष्ट्रीय योजना माना जाए तो इसमें जो मूलभूत गलतियां हैं उनको आप सुधारें । इसमें बेकारी को दूर करने की एक निश्चित योजना होनी चाहिए । चाहे और काम रुक जाएं, चाहे मिनिस्टरों के लिए बड़ी बड़ी इमारतें न बनें, चाहे कीमती हवाई जहाज न आएं, चाहे एअरकंडीशन्ड डब्बे न बनें, लेकिन यह व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए कि अगर कोई आदमी काम करना चाहे तो उसको काम दिया जा सके । इस तरह की घोषणा होनी चाहिए । इस तरह की घोषणा होनी चाहिए कि हमारे संविधान के मूलभूत सिद्धान्त के मुताबिक जब यह योजना खत्म होगी तब मुल्क में कोई आदमी निरक्षर नहीं रहेगा । क्या ऐसी घोषणा की गयी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि ऐसी घोषणा होनी चाहिए कि जो लोग अपने खर्च से ऊंची शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए कालेजों और विश्वविद्यालयों के दरवाजे बन्द नहीं किए जाएंगे । आज लोग किसी तरह से पैसा जुटा कर अपने बच्चों को ऊंची शिक्षा दिलाने का खर्च उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन यह कहा जाता है कि नहीं तुमको ऊंची शिक्षा नहीं दी जाएगी । आज लोगों के लिए ऊंची शिक्षा के दरवाजे बन्द हैं । कहा जाता है कि ऊंची शिक्षा केवल कुछ सिलेक्टिड लोगों को दी जाएगी । मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जब तक आप इस योजना में इस प्रकार के मूलभूत परिवर्तन नहीं करते तब तक इसको राष्ट्रीय योजना नहीं कहा जा सकता । और जब तक यह राष्ट्रीय योजना नहीं है, आप हमसे कहें कि हमको टैक्स लगाने का अधिकार दीजिए, उसमें रुकावट मत डालिए, तो मैं कहूंगा कि यह सम्भव नहीं है । जब तक यह एक पार्टी की योजना है, जो कि कुछ लोगों के भले के लिए चलाई जा रही है, जब तक कि यह कुछ लाख लोगों की उन्नति के लिए चलायी जा रही है, और जब तक आम जनता को इससे लाभ नहीं होगा, तब तक आप यह आशा नहीं कर सकते कि हम आपको आम जनता पर टैक्स लगाने का अधिकार दे दें ।

हम देखते हैं कि इन योजनाओं के फलस्वरूप देश की आम जनता की आमदनी घटी है, केवल कुछ लोगों की आमदनी बढ़ी है। ऐसी योजना को चलाने के लिए आप आम जनता पर १७१० करोड़ का कर लगाने का अधिकार चाहते हैं। और यही नहीं, इसके अलावा आप ५५० करोड़ का कर नए नोट छाप कर लगाना चाहते हैं और ४४० करोड़ आप पैनीसिलिन की तीन आने की शीशी को १२ आने में बेच कर जैसे साधनों से प्राप्त करना चाहते हैं। इस तरह आप यह ४४० करोड़ रुपया पबलिक सेक्टर में चलने वाले उद्योग से प्राप्त करना चाहते हैं। इस सब को देखें तो मालूम होगा कि आप १७१० करोड़ का ही नया टैक्स नहीं लगाना चाहते। अगर इस ५५० और ४४० करोड़ की रकम को भी इसमें जोड़ा जाए तो आप देखेंगे कि कुल मिला कर २५०० करोड़ से भी ऊपर का टैक्स हो जाएगा। मेरा निवेदन है कि जनता इस टैक्स को देने के लिए तैयार होगी यदि यह बात स्पष्ट कर दी जाए कि यह रुपया आम जनता के हित में खर्च होगा, इसका उपयोग किसान, मजदूर और शोषित वर्गों की उन्नति के लिये किया जाएगा। लेकिन आप देश की जनता की दशा को देखें तो आपको मालूम होगा कि इन योजनाओं से आम जनता को लाभ नहीं हो रहा है। और जब तक इस योजना में ऐसी व्यवस्था नहीं की जाएगी कि इससे आम जनता का हित हो तब तक इसको राष्ट्रीय योजना नहीं कहा जा सकता। ऐसी अवस्था में मैं नहीं समझता कि इस योजना को राजनीति से बाहर रखा जा सकता है और कोई नए करों का विरोध नहीं करेगा। इन नए करों का विरोध होगा क्योंकि यह योजना जनता के हित में नहीं है और ये टैक्स जनता के हित में नहीं होंगे।

अन्त में मैं एक बात कह कर अपना भाषण समाप्त करता हूं। जैसा कि आपको मालूम है, देश पर चीन ने आक्रमण किया और देश की एक लाख वर्गमील भूमि पर अपना कब्जा कर लिया है। उसे उस भूमि से हटाने के लिए कोई बात नहीं कही जा रही है और न ऐसा करने के लिए कोई तैयारी की जा रही है, न अपनी रक्षा पंक्ति को मजबूत बनाया जा रहा है और न और कोई बात की जा रही है। इसलिए मेरा निवेदन है कि अगर आप इस योजना को जनता के सहयोग से चलाना चाहते हैं तो आपको यह भी सोचना पड़ेगा कि किस तरह हम उस खोई हुई जमीन को फिर अपने कब्जे में करें। और यह काम तब तक नहीं हो सकता जब तक कि मुल्क मजबूत नहीं होगा। और ऐसा तब तक नहीं हो सकता जब तक कि आप इस योजना में मूलभूत परिवर्तन और संशोधन नहीं करेंगे। मैं आ ा करूंगा कि इस आखिरी स्टेज पर भी शासकों में बुद्धि पैदा होगी और वे इस योजना में ऐसे परिवर्तन करेंगे जिससे इसे देश की आम जनता के हित में लगाया जा सके।

†**श्री प्र० सि० दौलता** (झज्जर): सब से पहले मैं सदन के नेताओं, जो कि हमारे राष्ट्र के नेता भी हैं, इस योजना के लिए मुबारकबाद देता हूं। इस योजना की सफलता के लिए दो बातें बड़ी जरूरी हैं। एक तो यह कि हम अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में तटस्थ नीति का पालन करें और दूसरी यह कि राष्ट्रीय नीति का निर्माण इस ढंग से हो कि पिछड़े हुए वर्ग को आगे आने और उठने का पूरा अवसर मिले। योजना के सम्बन्ध में मेरा निवेदन है कि आर्थिक विकास की दृष्टि से हमें कृषि और औद्योगिक दोनों चीजों को देखना होगा। औद्योगिक क्षेत्र में सरकारी और गैर-सरकारी का प्रश्न है। इस दिशा में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि यदि हम सचमुच समाजवाद की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें गैर-सरकारी क्षेत्र में उचित प्रकार नियंत्रणों से काम लेना ही होगा। इस बारे में कुछ विशेष प्रकार के कदम उठाना भी बड़ा ही जरूरी है। इसके लिए यह भी बड़ा जरूरी है कि समाचार पत्रों पर जो उद्योग संस्थाओं का एक धिकार है उसे भी हटाया जाय। ये अखबार सरकारी क्षेत्र के विरुद्ध बहुत प्रचार करते हैं और सरकारी क्षेत्र का पक्ष प्रस्तुत करने वाला कोई नहीं होता। दूसरी बात यह भी है कि योजना को ठीक ढंग से कार्यान्वित करवाने के लिए नौकरशाही का भी सुधार करना होगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री प्र० सि० दौलता]

तीसरी बात यह भी है कि पदारुढ़ दल में भी बड़े बड़े राजाओं, महाराजाओं और पूंजीपतियों का एक दल है जो समाजवाद की स्थापना के मार्ग में रुकावटें डाल रहा है। इस प्रकार की व्यवस्था की जानी चाहिए कि सरकारी कर्मचारियों तक पूंजीपतियों तथा उद्योगपतियों की कोई पहुंच न हो और ये लोग सत्तारूढ़ दल इन लोगों को विधान मण्डलों में कोई स्थान न दे।

पंजाब के सम्बन्ध में मेरा यह मत रहा है कि इसकी बहुत ही उपेक्षा की गयी है और विभिन्न मदों के अन्तर्गत दिया गया धन बहुत ही कम और अपर्याप्त है। मैं इस बात पर जोर देना चाहता हूं कि जल और विद्युत के बारे में पंजाब के हितों की रक्षा की जानी चाहिए। मेरा यह कहना है कि पंजाब की समस्या पर विचार करते हुए हरियाना के लोगों के प्रतिनिधियों की राय की उपेक्षा न की जाय। उन्हें पूर्ण रूप में विश्वास में लिया जाय ताकि हरियाने में किसी प्रकार का असन्तोष न हो। एक बात मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि हरियाने के लोग वर्तमान स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं चाहते। इस समय यदि कोई परिवर्तन किया गया तो यह वहां साम्प्रदायिकता को सीधा प्रोत्साहन देने का काम करेगा।

पंजाबी भाषी राज्य और हरियाना प्रान्त के निर्माण के प्रश्न को इस प्रश्न के साथ नहीं मिलाना चाहिए कि साम्प्रदायिकता के समर्थकों का मुकाबला कैसे किया जाय। इस समय यदि कोई परिवर्तन किया गया, तो इसका अर्थ उन्हें और रियायत देना होगा। जहां तक हम संसद् सदस्यों का सम्बन्ध है, हम नहीं चाहते कि पंजाब को एक भाषीय राज्य बनाया जाय। हम प्रधान मंत्री के इस कथन से सहमत नहीं हैं कि पंजाबी पंजाब की मुख्य भाषा है। हरियाना क्षेत्र में स्थानीय लोग कभी पंजाबी नहीं बोलते। जनगणना के आधार पर, वहां के एक प्रतिशत लोग भी पंजाबी नहीं बोलते। और जो बाहर से आये हैं, वे भी पंजाबी बोलना पसन्द नहीं करते।

हम पंजाब के और अधिक विभाजन का विरोध करते हैं। यदि वर्तमान स्थिति को बदलना ही है, तो हरियाना प्रान्त भी बनाना पड़ेगा।। हम यह नहीं चाहते दो या तीन जिले दिल्ली से मिलाकर दिल्ली नगर निगम के साथ मिला दिये जायें।

हमें न तो एक भाषी राज्य और न ही हरियाना का विभाजन मंजूर है।

†**श्री भगवती (दरंग)** : यह अच्छी बात है कि योजना के सामाजिक उद्देश्य पर जोर दिया गया है। हमें प्रजातन्त्रात्मक तरीकों से योजना को सफल बनाना होगा। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोगों को सामाजवादी आयोजना का महत्व समझाया जाय, क्योंकि इस समय देश में समाजवाद के विरुद्ध शक्तियां काम कर रही हैं।

सामान्यतया लोग योजना को स्वीकार करते हैं। उन्हें शिकायत है, तो इसके कार्यालय के बारे में है। दुर्भाग्य से हम योजनाओं को समाजवादी तरीकों से कार्यान्वित नहीं कर रहे हैं। इसका एक उदाहरण नई दिल्ली में ही मौजूद है। यहां बहुत से स्कूल हैं, जिनकी इमारतें और खेल के मैदान नहीं हैं किन्तु बहुत से व्यक्तियों के पास बड़े बड़े भवन और मैदान हैं।

देश में मजूरी और आय की बहुत असमानता है, जो कि दूर होनी चाहिए। मूल्य बढ़ रहे हैं, किन्तु श्रमिकों की मजूरी में कोई वृद्धि नहीं हुई। राष्ट्रीय आय का वितरण उचित रूप से नहीं हुआ। जहां तक हो सके ऐसा करने का प्रयत्न करना चाहिए। आशा है कि सरकार तीसरी योजना के अन्तर्गत आसाम में सुदृढ़ तथा समृद्ध औद्योगिक अर्थ-व्यवस्था के निर्माण के लिए ठोस

†मूल अंग्रेजी में

कदम उठायेगी । आसाम में बाढ़ और भूमि कटाव के नियंत्रण के लिए मास्टर प्लान बनाने के लिए एक उच्चस्तरीय प्रविधिक निकाय गठित करना चाहिए ।

आसाम में परिवहन, बिजली आदि की कमी और अन्य सुविधाओं के न होने के कारण औद्योगिक विकास नहीं हो सका । मैं निवेदन करूंगा कि आसाम में रेल और नदी परिवहन को विकसित करने के लिये योजना आयोग को अधिक रुपया देना चाहिये । यह भी आवश्यक है कि नई रेलवे लाइनें भी बनाई जायें ।

†**इस्पात, खान और ईंधन मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)** : मैं इस्पात संबंधी कार्यक्रम के बारे में एक दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूं । तीसरी योजना के दौरान इस्पात विकास कार्यक्रम के प्रति हमारा दृष्टिकोण यह है कि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समर्थ हो जायें । हमारा उद्देश्य यह कि सरकारी क्षेत्रों के संयंत्रों की संस्थापित क्षमता का पूरा उपयोग किया जाये ।

दुर्गापुर और भिलाई कारखानों का जो विस्तार किया जाने वाला है उससे रेलवे तथा अन्य निर्माण कार्यों की अधिकांश आवश्यकताएं पूरी हो जायेंगी । इन की अतिरिक्त क्षमता से तीसरी पंचवर्षीय योजना की अतिरिक्त आवश्यकतायें पूरी की जायेंगी और उसके बाद रेलवे और सामान्य निर्माण कार्यों की इस समय इस्पात की अन्य वस्तुओं की संभरण स्थिति तो कुछ आसान है, चादरों जैसे चपटे सामान के संभरण के बारे में कठिनाई है । इस बात को ध्यान में रखते हुए, हम इस प्रकार के सामान की अतिरिक्त आवश्यकतायें रूरकेला संयंत्र की क्षमता की वृद्धि से पूरा करेंगे । किन्तु इस सामान की मांग इतनी अधिक है कि इस के लिये बोकारों का कारखाना भी स्थापित करना पड़ेगा जिसमें केवल चपटा सामान ही बनेगा । कुछ लोगों ने राय दी है कि वर्तमान इस्पात कारखानों अर्थात् दुर्गापुर, भिलाई और रूरकेला को बढ़ाना ही काफी है । मैं ने बताया है कि बोकारों पर नया कारखाना खोलना क्यों आवश्यक है ।

श्री म० ला० द्विवेदी (हमीरपुर) : मैं एक प्रश्न पूछना चाहता हूं । मैं जानना चाहता हूं कि कब तक मुल्क में इतना फ्लैट प्रोडक्ट बनने लगेगा कि हमारी इंडस्ट्रीज की जरूरतें पूरी हो सकें । आपने टाइम लिमिट नहीं बतायी ।

सरदार स्वर्ण सिंह : जहां तक टाइम लिमिट का सवाल है, मेरे ख्याल से प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक दो बार कहा है कि आयन्दा दस पन्द्रह साल में हम जितना फ्लेट प्रोडक्ट या दूसरी चीजें पैदा करेंगे वे हमारी इंडस्ट्री की जरूरत के लिए काफी नहीं होंगी । उनका मतलब यह था कि जैसे जैसे हम ये चीजें पैदा करते जायेंगे, हमारी इंडस्ट्रीज़ भी बराबर बढ़ती जायेंगी और हम उनकी सारी जरूरतें पूरी नहीं कर सकेंगे क्यों कि हमारे रिसोरसेज़ ज्यादा नहीं हैं ।

यहां कारखाना स्थापित करने का एक कारण यह भी है कि दीर्घकालीन दृष्टि से यह उपयोगी होगा क्योंकि इसे और विकसित किया जा सकेगा ।

†**आचार्य कृपालानी** (सीतामढ़ी) : यदि मशीनें बिगड़ जायें, तो उनको ठीक करने का कोई प्रबन्ध किया गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : ऐसी स्थिति का सामना करना ही पड़ता है ।

मैं मानता हूं कि इस्पात कारखानों का उत्पादन हमारी आशाओं के अनुसार नहीं हुआ है । किन्तु हमें यह ध्यान में रखना चाहिये कि औद्योगिक रूप से विकसित देशों में भी कारखाने दो तीन

---

†मूल अंग्रेजी में

[सरदार स्वर्ण सिंह]

वर्ष के बाद ही पूरा उत्पादन कर पाते हैं। इस के अतिरिक्त हमें यह भी याद रखना चाहिये कि उन देशों में न केवल प्रक्षित अपितु अनुभवी कर्मचारी भी होते हैं। जहां तक हमारा संबंध है हम ने बहुत से इंजीनियरों आदि को सफलतापूर्वक प्रशिक्षित किया है। उन्हें हमें बाहर से भर्ती करना पड़ा था, क्योंकि निजी इस्पात उद्योग अपने प्रशिक्षित कर्मचारी हमें नहीं दे सकते थे।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : क्या इन लोगों को भर्ती करने में प्रादेशिक अनुपात का ध्यान रखा गया था ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं इसका उत्तर बाद में दूंगा।

हमने जो व्यक्ति प्रशिक्षित किये हैं, वे अन्य देशों के कर्मचारियों का हर तरह से मुकाबला कर सकते हैं किन्तु प्रशिक्षण अनुभव का स्थान तो नहीं ले सकता। उन्हें अभी संयंत्रों को अपने हाथ से चलाने में कुछ समय लगेगा। फिर भी हम अनुभवी व्यक्ति नियुक्त करके उन्हें और कुशल बना रहे हैं और इस से हमें लाभ हो रहा है।

जहां तक भर्ती में प्रादेशिक अनुपात का संबंध है, यह इतना महत्वपूर्ण विषय नहीं है। यह नहीं भूलना चाहिए कि इस्पात कारखाने राष्ट्रीय कारखाने हैं और हमें उन का पूरा लाभ उठाना चाहिये। इस लिए भर्ती के लिए व्यक्तिओं की उपयोगिता को ही ध्यान में रखना चाहिये न कि प्रादेशिक अनुपात को।

मशीनें यदि बिगड़ जायें, तो उन को ठीक करने का प्रयत्न तो हम करते ही हैं और कठिनाइयों का सामना भी करते हैं। किन्तु यह याद रखना चाहिये कि दूसरी योजना में इस्पात के उत्पादन को स्थापित कर के इसे चार गुणा बढ़ाना एक ऐसा प्रयत्न है जो और कहीं नहीं किया गया। हमने यह उत्तरदायित्व अपने ऊपर लिया है क्योंकि हमारी जनसंख्या जिसकी सेवा हम ने करनी है, बहुत अधिक है। चूंकि हमारी आवश्यकतायें इतनी अधिक हैं, इसलिए हमें लक्ष्य भी ऊंचे रखने हैं। मैं समझता हूं कि हम ने इस अर्थ में अपने लक्ष्य प्राप्त कर लिए हैं कि इस्पात कारखाने स्थापित हो गये हैं और गैर-सरकारी क्षेत्र के दो इस्पात कारखानों को बढ़ाने का काम भी पूरा किया जा चुका है।

आचार्य कृपलानी और एक दो अन्य सदस्यों ने व्यय के अधिक होने का उल्लेख किया है। पिछले सत्र में मैं ने स्पष्ट कर दिया था कि व्यय मूल अनुमानों से अधिक क्यों हुआ है। आप कह सकते हैं कि मूल अनुमान कुछ कम थे और उनमें कमीबेशी की गुंजाइश नहीं थी। किन्तु यह नहीं कहा जा सकता कि जो व्यय वास्तव में हुआ है वह गलत था या अनुचित था। मैं पहले बता चुका हूं कि कारखानों के स्थान पर जमीन और मिट्टी की किस्म कुछ और ही निकल आई थी। कोई यह नहीं कह सकता कि निर्माण कार्यों में जो प्रक्रिया अपनाई गई थी, उस से रुपया व्यर्थ गया है, या उस से रुपया बचाया जा सकता था। मैं कहूंगा कि यह काम ही इस प्रकार का है कि इस में व्यय के मूल अनुमानों से बढ़ जाने की संभावना रहती है। इतने व्यय के बावजूद भी, मुझे विश्वास है कि इस्पात के उत्पादन में हम किसी भी देश का मुकाबला कर सकते हैं, यद्यपि कई वर्षों तक हम निर्यात मंडियों में उन के साथ प्रतियोगिता नहीं कर सकेंगे। हम निर्यात अवश्य करना चाहेंगे, किन्तु हमारा ख्याल है कि हमारी अपनी आवश्यकताएं विकास के साथ इतनी बढ़ जायेंगी कि हम केवल थोड़ी मात्रा ही निर्यात कर सकेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

संसाधनों के मामले में हम भाग्यशाली हैं। हमारे यहां का लौह अयस्क खास अच्छा है ; कोयला इतना अच्छा नहीं, पर उसका परिष्कार करके उसे अच्छा बनाया जा सकता है। हमारे यहां के लोग सीखने के लिये उत्सुक हैं और प्रशिक्षण तथा प्रोत्साहन का वे बड़ी तेजी से अनुभव प्राप्त करते जा रहे हैं।

इसीलिये मुझे कभी-कभी ऐसी बातें सुन कर बड़ा आश्चर्य होता है जिनमें निराशा का पुट होता है। हमारी सफलताओं को कम करके आंकते हैं वे। वह भी एक ऐसे क्षेत्र की सफलताओं को जिसने काफी महत्वपूर्ण पार्ट अदा करने वाली सफलतायें प्राप्त करके दिखाई हैं। इस क्षेत्र के उद्योग काफी पेचीदा किस्म के हैं, उदाहरण के लिये धातुकार्मिकी का संयंत्र लीजिये, या आप इस्पात कारखानों को देखिये। इस्पात कारखाने का संधारण विभाग ही इतना बड़ा होता है जितना कि चितरंजन का इंजन बनाने का कारखाना है। इस्पात कारखाने का उप-उत्पाद कारखाना सिन्दरी से भी बड़ा है।

इस्पात कारखानों की बात करते समय, हमें उस उद्योग की पेचीदा प्रक्रियाओं का ध्यान में रखना चाहिये। आचार्य कृपालानी ने मेरे साथ जाकर स्वयं इन इस्पात कारखानों को देखा है। इसलिये मुझे आशा थी कि उनका दृष्टिकोण कुछ भिन्न होगा। इस्पात कारखाने में प्रकृति से प्राप्त संसाधनों को मानवता की सेवा के योग्य बनाया जाता है। काम बड़ा पेचीदा और मुश्किल सा है। लेकिन उसके कारण निराशावादी बन जाने की तो कोई वजह नहीं।

†**आचार्य कृपालानी** : क्या योजनाकारों ने इन सब चीजों का ख्याल नहीं रखा।

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : रखा था। लेकिन उस वक्त यह उनकी समझ में नहीं आ सका कि संयंत्र लगाने के बाद भी उसे पूरी क्षमता से चलाने में इतना समय लग जायेगा। मैं मानता हूं कि हमें उस समय ही यह समझ लेना चाहिये था। लेकिन अब महसूस किया गया है अगली योजना के पूरे काल तक भी शायद इस्पात कारखाने अपनी पूरी क्षमता से उत्पादन नहीं कर पायेंगे। जैसा कि श्री नौशीर भरूचा ने कहा है, इन कारखानों को पूरी क्षमता से काम करने में काफी समय लग जाता है।

हमें ध्यान रखना चाहिये कि विदेशी मुद्रा का दबाव कम करने के लिये इस्पात का उत्पादन अत्यावश्यक है। उसके कारण अभी प्रारंभिक काल में भी विदेशी मुद्रा की काफी बचत होने लगी है। हमें उन चीजों का आयात नहीं करना पड़ता। अत्यावश्यक वस्तुओं के निर्माण से यही मितव्यता होती है। नहीं तो वह विदेशी मुद्रा देश से बाहर जाती।

चर्चा के दौरान यही कुछ प्रश्न उठाये गये थे और मैं उनका स्पष्टीकरण करना चाहता था।

†**श्रीमती पार्वती कृष्णन्** : मैं चाहती हूं कि तृतीय पंचवर्षीय योजना का मूल्यांकन करने के लिये प्रथम दो योजनाओं का पुनरीक्षण करूं। मैं चाहती हूं कि उनके आधार पर तृतीय योजना को अधिकाधिक जनता के लिये लाभदायक बनाया जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त ने अभी कहा है कि दस वर्ष के योजनीकरण के बाद भी हमारे देश में अनाज की प्रति व्यक्ति युद्ध-पूर्व के स्तर तक नहीं पहुंच सकी है। युद्ध-पूर्व काल में प्रतिदिन प्रति व्यक्ति अनाज की सुलभता १६.३ औंस थी, जो १९५९ में १३.१ औंस ही रह गई है। कपड़े की प्रति व्यक्ति सुलभता भी तब १६ गज थी, जो अब १६.३ गज ही रह गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती पार्वती कृष्णन्]

हमने सरकारी क्षेत्र में बड़े-बड़े कारखाने खड़े किये हैं फिर भी सामान्य जनता की हालत गिरी हुई ही है। जनता में योजना के प्रति उत्साह तभी पैदा हो सकता है जब जनता उसमें अपनी खुशहाली देखे। श्री रंगा और श्री मसानी जैसे आलोचकों को योजना की नुक्ताचीनी करने का अवसर इसीलिये मिलता है कि उसमें कुछ त्रुटियां भी हैं हमें उन त्रुटियों को स्वीकार करना चाहिये।

श्री रंगा और श्री मसानी सरकार पर हमेशा आरोप लगाते हैं कि वह सोवियट संघ और चीन के समाजवाद की नकल कर रही है। कांग्रेस दल की ओर से उसका उत्तर दिया जाता है कि उनको सोवियट संघ और चीन से कोई सरोकार नहीं है।

आज सभी मानते हैं कि यदि देश को उन्नति करना है तो भारी उद्योग खड़े किये जाने चाहिये। देश की खुशहाली उन पर ही निर्भर है।

इसी लिये सरकार और योजना आयोग को इस बात पर ध्यान देना चाहिये कि दस साल के योजनीकरण के बाद भी आम जनता को वह सुविधायें प्राप्त नहीं हुईं जो होनी चाहिये थीं। हमारे देश में डाक्टरों और चिकित्सा-सुविधाओं की कमी है ही, साथ ही जल-संभरण और जल-निस्सारण तक की समुचित व्यवस्था मौजीद नहीं है। तृतीय योजना में भी उनको समुचित महत्व नहीं दिया गया है।

कोयम्बटूर बड़ी तेजी से औद्योगिक प्रगति कर रहा है, फिर भी उसकी ओर कोई ध्यान नहीं दिया गया है।

इस योजना से यह भी आशा नहीं बंधती कि ६ से ११ वर्ष की अवस्था तक के बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा मिल सकेगी। यदि देश में ऐसी ही निरक्षरता बनी रही, तो सदा ही श्री रंगा और मसानी जैसे आलोचक बने रहेंगे।

प्राथमिक शिक्षा के लिये आवंटित राशि क्रमशः घटती जा रही है। सामाजिक प्रगति के बिना आर्थिक प्रगति से हमारा उद्देश्य पूरा नहीं हो सकेगा।

बालिकाओं की शिक्षा के प्रसार की संभावनायें भी इसी प्रकार धूमिल हैं।

आज हमारे यहां गांवों में शिक्षा की व्यवस्था ऐसी है ही नहीं कि वे आगे की शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का लाभ उठा सकें। उनकी शिक्षा की व्यवस्था बड़ी असमान है। वहां सभी विषय एक ही अध्यापक पढ़ाता है, जब कि शहरों में अलग अलग विषयों के अलग-अलग अध्यापक होते हैं। इस असमानता को मिटाये बिना देश की शिक्षा व्यवस्था के क्षेत्र में प्रगति नहीं की जा सकती।

देश में एकता और सामाजिक सहयोग की स्थापना तभी हो सकती है जब शिक्षा का आधार ठोस हो। इसीलिये मेरी अपील है कि शिक्षा के लिये अधिक राशियों की व्यवस्था की जाये। संसाधनों का उपयोग इस ढंग से किया जाये कि अधिकाधिक जनता को लाभ पहुंच सके।

उदाहरण के लिये, जैसा श्री इन्द्रजीत गुप्त ने बताया था, यदि कुछ महत्वपूर्ण वस्तुओं का व्यापार सरकार राज्य व्यापार निगम को सौंप दे तो निर्यात-व्यापार नियंत्रित करके बचत भी की जा सकती है

समाजवादी ढंग का समाज बनाने के लिये आवश्यक है कि आयात-निर्यात व्यापार का पूरा-पूरा नियंत्रण किया जाये ।

तकनीकी प्रगति से हम समाज में समृद्धि तो ला सकते हैं, पर समाजवाद तो वह नहीं होगा। समाजवाद का अर्थ तो यह है कि समृद्ध समाज में साधारण जनता की समृद्धि बढ़े। और तभी प्रगति के प्रति जनता में उत्साह पैदा होगा। यदि सरकार सचमुच जनता में उत्साह पैदा करना चाहती है तो उसे ऐसे परिपत्र जारी नहीं करने चाहियें कि सरकारी कर्मचारियों को चुनाव-सभाओं में नहीं जाना चाहिये ।

†**श्री मुरारका** (झुंझनू) : देश के प्रगतिशील तत्वों ने इस योजना को प्रगति का सार-तत्व, और दकियानूसी विचारों के लोगों ने इसे बुराई का सार-तत्व बताया है। मैं इसे अच्छी और यथार्थवादी योजना मानता हूं। इसलिये कि मैं योजनाकारों की कठिनाइयां समझता हूं। उन्हें विभिन्न परस्पर-विरोधी आर्थिक प्रवृत्तियों में संतुलन कायम करना पड़ा है। और फिर उनके पास सही किस्म के आंकड़े भी मौजूद नहीं हैं ।

श्री जयपाल सिंह (रांची पश्चिम—रक्षित-अनुसूचित जातियां) : एक औचित्य प्रश्न है। सभा में इतनी महत्वपूर्ण चर्चा के समय भी इस योजना के निर्माताओं में से एक भी उपस्थित नहीं है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं होना चाहिये। आशा है कि शीघ्र ही कई मंत्री सभा में आ जायेंगे ।

†**श्री मुरारका** : योजनाकारों के सामने दूसरी समस्या सीमित संसाधनों की भी है। फिर जनसंख्या बढ़ती जा रही है।

श्री रंगा सरकारी क्षेत्र के विस्तार के विरुद्ध हैं। मैं इससे सहमत नहीं। अमरीका में भी एक काफी बड़े २० प्रतिशत क्षेत्र के संसाधनों का संगठन राज्य ही करता है। भारत में तो सरकारी क्षेत्र केवल १४ प्रतिशत ही है ।

[**डा० सुशीला नायर** पीठासीन हुई]

आचार्य कृपालानी ने जापान और जर्मनी का उदाहरण पेश किया है कि वहां राष्ट्रीय आय में १२ प्रतिशत वृद्धि हुई, जब कि मूल्य-स्तर केवल एक या दो प्रतिशत ही बढ़ा है।

उन देशों के साथ भारत की तुलना करना गलत होगा, क्योंकि उन देशों में पहले से एक ठोस औद्योगिक आधार मौजूद था। इसी प्रकार श्री अशोक मेहता ने टर्की और ईराक की जो मिसालें दीं, वे भी गलत हैं, क्योंकि उन देशों में हमारे देश की भांति जनसंख्या की वृद्धि नहीं हुई। हमारे यहां पिछले दो दशकों में जनसंख्या लगभग दो गुनी हो गई है ।

†**श्री नाथ पाई** (राजापुर) : श्री अशोक मेहता ने प्रति व्यक्ति आय के बारे में कहा था, जनसंख्या के बारे में नहीं ।

†**श्री मुरारका** : उन्होंने प्रगति की रफ्तार धीमी होने की शिकायत की थी। मैं उसका कारण बता रहा हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री मुरारका]

कम्युनिस्ट दल के नेता श्री अ० क० गोपालन ने कहा है कि तृतीय योजना में त्रुटियों को छिपाया गया है। ऐसी आलोचना अनुचित है। योजना में ही कहा गया है कि द्वितीय योजना काल में राष्ट्रीय आय की वृद्धि का लक्ष्य २५ प्रतिशत था, लेकिन वास्तविक बृद्धि २० प्रतिशत ही हुई।

योजना में ही बताया गया है कि जहां १,१०० करोड़ रुपयों के घाटे का अनुमान था, वहां घाटा २,१०० करोड़ रुपये का रहा। योजना में इसी तरह बड़ी स्पष्टवादिता के साथ पिछली कई असफलताओं को दिखाया गया है, उनको छिपाने की कोशिश नहीं की गई।

हमारी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता हर नई योजना के साथ बढ़ती जा रही है। प्रथम योजना में वह सरकारी क्षेत्र में १० प्रतिशत थी, और अब तृतीय योजना में ३० प्रतिशत हो गई है।

जब कि निर्यातों के क्षेत्र में हमारे अदृश्य निर्यात १९५६-५७ में १११ करोड़ रुपये के थे, अब १९६०-६१ में ५५ करोड़ रुपये के ही रह गये हैं। सरकार को इस समस्या की ओर ध्यान देना चाहिये ।

कुछ बातों में यह योजना अपूर्ण लगती है। कोयले और इस्पात की कमी भी सारी योजना को विफल बना सकती है ।

हमारे योजनीकरण में कर्मचारियों को लक्ष्यों की पूर्ति के लिये प्रोत्साहित करने की योजना भी होनी चाहिये। समग्र लक्ष्यों के अतिरिक्त वार्षिक लक्ष्य भी होने चाहियें। उत्पादित वस्तुओं की किस्म, उनके मूल्य तथा उत्पादकता के लक्ष्य भी निर्धारित होने चाहियें।

हमारी योजना में एक बड़ी त्रुटि यह है कि उसका आरम्भ ९० लाख बेरोजगार व्यक्तियों को लेकर हो रहा है। योजना के अन्त तक बेरोजगारों की संख्या १२० लाख हो जायेगी। इसके लिये सरकार को छोटी-छोटी कई निर्माण-योजनायें जैसे गृह निर्माण योजनायें चलानी चाहिये थीं। उससे बेरोजगारी भी कम होती और मकानों की कमी भी कुछ पूरी होती।

परिवहन की आवश्यकता योजना की प्रगति के साथ बढ़ती ही जायेगी। लेकिन उसका लक्ष्य कम रखा गया है। रेलवे परिवहन का लक्ष्य २४५० लाख टन के स्थान पर २८०० लाख टन होना चाहिये था ।

द्वितीय योजना काल में विद्युत् का लक्ष्य ६९ लाख किलोवाट था, लेकिन हम ५७ लाख किलोवाट तक ही पहुंच सके। १९४८ से १९५५ तक के काल के अध्ययन से यही निष्कर्ष निकलता है कि औद्योगिक उत्पादन में दस प्रतिशत वृद्धि के लिये विद्युत् के उपभोग में १६ प्रतिशत बृद्धि की आवश्यकता पड़ती है ।

इस हिसाब से तृतीय योजना में विद्युत् उत्पादन का लक्ष्य १२७ लाख किलोवाट के स्थान पर कम से कम १५५ लाख किलोवाट होना चाहिये ।

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र)** : मैं इस वाद-विवाद के दौरान उठाई गई कुछ ही बातों का उत्तर देने के लिये खड़ा हुआ हूं। वैसे मेरे वरिष्ठ सहयोगी सभी मुख्य-मुख्य प्रश्नों का उत्तर देंगे। मेरे एक सहयोगी ने अभी इस्पात-कार्य क्रम के कुछ पहलू आप के सामने रख ही दिये हैं। इस लिये मेरा भार काफी कम हो गया है।

अब हम अपने देश के इतिहास के एक अत्यंत महत्वपूर्ण युग में प्रवेश कर रहे हैं इस तृतीय योजना के साथ। यह काल हमारे देश के लिये निर्णायक सिद्ध होगा। १९६० से १९७० तक का काल हमारे

†मूल अंग्रेजी में

सामाजिक ढांचे में परिवर्तन लायेगा । पिछले दशक में हम सामन्तवादी, परम्परागत ढांचे को पीछे छोड़कर पूंजीवाद-पूर्व ढांचे की अवस्था में पहुंचे हैं । अब हमें उसी प्रक्रिया को और अधिक विस्तृत तथा तीव्र बनाना चाहिये ।

आप उद्योग को लीजिये । उद्योगों के क्षेत्र में, उनकी बनावट में परिवर्तन आया है । उत्पादन की पद्धति भी बदली है, इस तरह कि हम बुनियादी उद्योगों की ओर बढ़े हैं । देहाती क्षेत्र में भी साम्पतिक सम्बन्ध बदले हैं और उत्पादक तत्वों का पलड़ा भारी हुआ है । कृषीय उत्पादन में विविधता आती जा रही है । तीसरी चीज यह कि प्रत्येक योजना काल में सरकारी क्षेत्र में उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई है । देश के कुल उत्पादन में सरकारी क्षेत्र का योगदान ६ से १० पांइट तक बढ़ गया है । जनता के पेशे तो अभी इतने नहीं बदल पाये हैं, लेकिन अगले दशक में आप देखेंगे कि कृषि पर निर्भर रहने वाली जनसंख्या ७० से घटकर ६० प्रतिशत ही रह जायेगी । यह काफी बड़ा काम है, क्योंकि इस के लिये हमें गैर-कृषय क्षेत्र में ७०० लाख लोगों के लिये रोजगार की संभावना पैदा करनी पड़ेगी । तभी जनता के पेशों के ढांचे में परिवर्तन लाया जा सकता है ।

समाज के संगठनात्मक ढांचे के सम्बन्ध में आपको पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण और सहकारी समितियों के विकास की जानकारी है ही ।

इसी आधार पर मैं कहता हूं कि अगले दशक में हमारे सामाजिक ढांचे में बड़े-बड़े परिवर्तन होंगे । तृतीय योजना काल में सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में औद्योगीकरण तथा पूंजी-निर्माण की अभूतपूर्व प्रगति होगी ।

विरोधी दल के सदस्यों ने कहा है कि इस औद्योगीकरण के फलस्वरूप आर्थिक शक्ति का केन्द्रीयकरण भी बढ़ा है । चन्द लोगों के हाथों में आर्थिक शक्ति केन्द्रित हो गई है । मैं मनता हूं कि यह खतरा है और हमने इसीलिये औद्योगीकरण और सामाजीकरण दोनों की प्रक्रियाओं को एक साथ शुरू किया है । इतिहास में अभी तक शायद किसी ने भी ऐसा प्रयास नहीं किया ।

योजना का यह प्रारूप तो गणित के कुछ अंक भर हैं । उसका वास्तविक रूप तो हमें और आपको विकसित करना है सरकारी और गैर-सरकारी दोनों स्तरों पर । और इसकी संभावनाओं का पूरा लाभ आम जनता के सहयोग से ही उठाया जा सकता है ।

कल कुछ माननीय सदस्यों ने हम से प्रश्न किया था कि इस योजना की कार्यान्विति का क्या होगा ? इसकी कार्यान्विति केवल सरकार पर छोड़ना एक गलत दृष्टिकोण होगा । सारी जनता को इसकी कार्यान्विति करनी है ।

योजना तभी सफल हो सकेगी जब वह हमारे जीवन की सब से बड़ी चुनौती के रूप में स्वीकार की जाये । अभी तक वह नहीं बन पाई है । माननीय सदस्य इसके लिये अपने हृदय टटोलें ।

कभी-कभी कहा जाता है कि सिंचाई की संभावनाओं का पूरा-पूरा लाभ नहीं उठाया गया है । सरकार से आप और क्या आशा कर सकते हैं ? आचार्य कृपलानी ने इसकी ओर संकेत किया था ।

†**आचार्य कृपलानी:** मुझे कोई ज्यादा आशा नहीं थीं ।

मैं एक उदाहरण प्रस्तुत करना चाहता हूं । लोगों के खेतों में पानी जाय यह काम केवल सरकार अथवा सरकारी अधिकारियों का ही नहीं है प्रत्युत् लोगों के प्रतिनिधियों का भी है । प्रत्येक वर्ष हमें ३०,००० से ४०,००० मील भूमि सिंचाई के योग्य बनानी पड़ती है । कृषि उत्पादन का विकास

†मूल अंग्रेजी में

~~[आचार्य कृपलानी]~~ श्री [illegible]:

हो यह कार्य किसी एक राजनीतिक दल का नहीं है प्रत्युत् सब का है। अतः मेरा मत यह है कि योजना पूर्ण रूप से तभी प्रभावशाली होगी जब कि जनता और उसके प्रतिनिधि अपना सहयोग प्रदान करें।

एक और महत्वपूर्ण उदाहरण लीजिये। हमें १५०,००० से ३००,००० ग्राम पंचायतों का विकास करना है। इन पंचायतों को चलाने के लिये हजारों लोगों को प्रशिक्षित करना है। इसके लिये लगभग २० लाख व्यक्ति चाहियें। क्या यह हम सब का सम्मिलित कार्य नहीं ? इस प्रकार के लक्ष्य को प्राप्त करना हम सब का कर्तव्य हो जाता है। लोकतन्त्रीय नियोजन में सभी राजनीतिक दल मिल कर कार्य करते हैं। इतिहास बड़ी तेजी से आगे बढ़ रहा है और हमें इन दो क्षेत्रों में मिल कर कार्य करना है, तब ही हम अपना सिर ऊंचा रख सकेंगे। हमें अपनी जन संख्या की वृद्धि को रोकने के लिये भरसक प्रयत्न करना चाहिये। हमारी जन संख्या वैसे भी अधिक है। ४४ करोड़ लोगों की समस्या हल करना कोई सरल कार्य नहीं है। इस दिशा में जो कुछ हमने गत १० वर्षों में किया है वही अब आने वाले पांच वर्षों में भी किया जायेगा। मैं अपने मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त से सहमत नहीं हूं कि योजनायें जनता में उत्साह पैदा नहीं कर सकीं। जनता के सामने दो योजनाओं की सफलतायें हैं, और यह कहना नितान्त रूप से गलत है कि इस दिशा में जनता में उत्साह का अभाव है। अधिक से अधिक भूमि सिंचाई योग्य बन रही है, अधिक अधिक देश में चीजों का निर्माण हो रहा है और वे विदेशी वस्तुओं का स्थान ले रही हैं। तो क्या इस स्थिति में उत्साह कम होगा। मेरा मत यह है कि ऐसा कहने वाले का यह अपना ही निराशावाद है और वह दूसरे में भी इसी प्रकार का निराशावाद फैलाना चाहते हैं।

इस बात को मैं स्वीकार करता हूं कि यदि सभी राजनीतिक दल सम्मिलित रूप में योजना के प्रति अपने कर्तव्य का पालन करते तो जनता में उत्साह बहुत अधिक होता। और इस दिशा में यह कहना भी गलत है कि योजनाओं के निर्माण में जनता के प्रतिनिधियों का सहयोग नहीं लिया गया। जिले के स्तर पर जो संगठन बने हुए हैं वहां सभी विचारधारा के लोग मिल कर योजनाओं पर चर्चा करते हैं। उसमें जनता के प्रतिनिधि भी होते हैं। योजना पर विचार करने के लिये प्रधान मन्त्री की अध्यक्षता में दस बैठकें हुई। इस समिति के १३ सदस्य हैं, श्री वाजपेयी भी उसके सदस्य हैं, इन्होंने भी उसकी सात बैठकों में भाग लिया, फिर भी आप शिकायत करते हैं कि राजनीतिक दलों का सहयोग प्राप्त नहीं किया गया। योजना पर विचार करने वाली एक ८३ सदस्यों की एक समिति है उसमें भी सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि हैं। इस प्रकार के विचार बहुत बड़ी समितियों में करना तो लाभदायक नहीं रहता। श्री वाजपेयी का यह कहना भी कुछ ठोस वास्तविकता नहीं रखता कि राष्ट्रीय विकास परिषद् में संसद् और राज्यों की विधान सभाओं को अनुमानित आधार पर सम्मिलित करके बढ़ाया जाय। उनका सुझाव व्यवहारिक नहीं है। श्री वाजपेयी का यह आरोप भी गलत है कि सत्तारूढ़ दल के सदस्य योजनाओं की सफलताओं का श्रेय लेते हैं अथवा वे राजनीतिक कार्यों में योजनाओं का लाभ उठाते हैं। यह ठीक है कि जब विरोधी पक्षों के सदस्य योजनाओं के बारे में जनता में भ्रान्ति फैलाते हैं और यह कहते हैं कि इनसे गरीबी बेकारी की कोई भी देश की समस्या हल नहीं हुई तो पदारूढ़ दल के सदस्य इसका प्रचार करके लोगों को बताते हैं कि गरीब और बेकारी को दूर करने के लिये राष्ट्रीय आधार पर उपक्रम हो रहा है। योजनाओं की सफलताओं के सम्बन्ध में यदि उन लोगों द्वारा कुछ उल्लेख कर दिया जाता है तो इसमें कौनसी अनुचित बात है। ऐसा करना मेरे विचार में तो राष्ट्रीय गौरव तथा देश भक्ति का ही प्रतीक रह जायेगा। मुझे इस प्रकार के आरोपों पर सचमुच बड़ा ही खेद है और इस प्रकार की बातों की उपेक्षा ही की जानी चाहिये।

श्री अशोक मेहता द्वारा जो बहुमूल्य सुझाव दिया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। यद्यपि हम उनके साथ सभी बातों में सहमत नहीं तथापि योजना के सम्बन्ध में वह जो कुछ भी कहते हैं वह

बहुत लाभदायक होता है । उनका सुझाव यह है कि करों पर राजनीतिक विवाद नहीं होने चाहियें । यह सुझाव बहुत ही उपयोगी है । यह ठीक ही है कि सभी राजनीतिक दलों को योजनाओं का हार्दिक समर्थन करना चाहिये और उनको कार्यान्वित करने के लिये पूरी सहायता देनी चाहिये । देश के लोगों को यह तो समझ ही लेना चाहिये कि योजना की सफलता के लिये हमें कुछ कष्ट तो सहन करना ही चाहिए । प्रत्येक बजट सत्र के बाद कराधान विरोधी आन्दोलन किसी न किसी रूप में देश में दिखाई देने लगता है । यह ठीक नहीं है, इस प्रकार तो योजना का कुछ भी काम नहीं चलेगा जो कछ, कुछ दलों द्वारा देश में स्थिति निर्माण की जा रही है, उससे मैं तो कई बार कांप उठता हूं । अशिक्षित और सरल लोगों में बहुत भद्दा प्रचार किया जा रहा है । हमें अपने आने वाली सन्तानों के लिये कुछ तो बलिदान करना ही होगा और इन करों का भार वहन करना ही होगा । मनोरंजक बात यह है कि ऐसे लोग भी हैं कि जो यह प्रचार करते हैं कि बिना कर लगाये ही हम सब कुछ सफलता से कर दिखायेंगे । परन्तु मुझे अपने देश की जनता पर विश्वास है । लोग योजना की कीमत देने को तैयार होंगे और अन्तोगत्वा हमारी योजना अवश्य सफल होगी । बिना हाथ हिलाये तो आखिर कुछ प्राप्त होता नहीं ।

आचार्य कृपालानी ने एक बात कही है, मैं उसका उत्तर देना चाहता हूं । आपने कहा है कि हम मशीनें बना रहे हैं ताकि मशीनें बनाई जायें । परन्तु आदमियों का आखिर क्या हो रहा है ? मेरा निवेदन है कि हम मानव के विकास में किसी तरह भी पीछे नहीं रहना चाहते । देश के लोगों के विकास के लिये ही निरन्तर प्रयत्न हो रहा है । देश के प्रत्येक व्यक्ति को अपने विकास के लिये सभी सम्भव अवसर प्रदान किये जा रहे हैं । हर सम्भव उपाय से लोगों की तकनीकी प्रवीणता और क्षमता में वृद्धि करने का प्रयत्न किया जा रहा है । प्रोफेसर गलब्रैथ के अनुसार भी आज का मानव मशीन का दास नहीं बना प्रत्युत मशीन उस पर बुरी तरह से आश्रित है । शिक्षा में भी सुधार किये जा रहे हैं । शिक्षा को काफी बढ़ाया जा रहा है । इस उद्देश्य के लिये अध्यापकों के प्रशिक्षण को प्राथमिकता दी गयी है । छात्रवृत्तियों की अधिक व्यवस्था की गयी है । पिछड़े वर्गों के लोगों को उठाने के लिये भी प्रचार के अव- सर दिये जा रहे हैं । आशा की जा रही है कि तीसरी योजना के अन्त तक ६ से १४ वर्ष तक के बालकों के लिये व्यापक शिक्षा की व्यवस्था हो सकेगी । अध्यापकों की संख्या ६५ से ७५ कर दी गयी है । छात्रवृत्तियों की राशि बढ़ा कर ३.५ करोड़ से १८ करोड़ रुपये कर दी गयी है । इसके अतिरिक्त ३७ करोड़ की व्यवस्था और भी इस उद्देश्य के लिये की जा रही है । यह बड़े महत्व के कार्यक्रम चल रहे हैं । तकनीकी शिक्षा की ओर भी ध्यान दिया जा रहा है ।

स्वास्थ्य के बारे में भी बातें हुई हैं । स्वास्थ्य सम्बन्धी सुविधाओं में काफी प्रगति हुई है । प्रथम योजना के अन्तर्गत इस मद में १४० करोड़ की व्यवस्था की गयी थी । दूसरी योजना के अन्तर्गत इस मद को बढ़ा कर २२५ करोड़ कर दिया गया है । अब तीसरी में यह राशि ३४१ करोड़ की है । इस प्रकार यह बड़ी महत्वपूर्ण प्रगति है । इस दिशा में मेरा निवेदन है कि आखिर यह सब चीजें नियोजित विकास द्वारा ही प्राप्त होंगी ।

श्री गोपालन ने भूमि सुधारों की बात की है । उस सम्बन्ध में निवेदन है कि भूमि सुधार की दिशा में भी पग उठाये जा रहे हैं । विभिन्न राज्यों में भूमि की अधिकतम सीमा निर्धारित की जा रही है । २०० लाख लोगों को सीधे सरकार द्वारा भूमि पट्टे पर दी गयी है । मेरा कहना है कि इतनी बड़ी बात किसी भी देश में इतनी शान्ति और वैधानिक ढंग से नहीं हुई जितनी कि हमारे यहां हुई है ।

जहां तक इनामों की बात है वे रहेंगे अवश्य किन्तु वे बहुत छोटे छोटे होंगे और उनके पास भूमि भी थोड़ी ही रहेगी । लेकिन जो कुछ भी करना है वह शीघ्र ही करने की आवश्यकता है । कुछ स्थानों में किराया घटा दिया गया है ।

अनेक स्थानों पर किराये कम हो गये हैं परन्तु कुछ स्थानों पर वे उस सीमा चौथाई या पांचवें भाग के बराबर बढ़ गये जिसकी योजना की सिफारिश की गई है। कुछ राज्यों में बहुत कम हो गये हैं जैसे गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान में। यदि कुछ स्थानों में किराये उपरोक्त सीमा से भी अधिक बढ़े हैं, तो उसके ऐतिहासिक कारण हैं।

खाली कराना या बदलना कोई विधि की समस्या नहीं है। किसानों की गरीबी बीच में आ जाती है। उनकी कुछ परेशानियां दूर करने के लिये सभी राजनीतिक दलों को उनकी सहायता करनी होगी। अधिकतम के बारे में १२ राज्यों में विधान बन गया है और शेष तीन राज्यों में भी बन रहा है।

इस में सन्देह नहीं कि बदली के कारण आशातीत फालतू भूमि में काफी कमी हो गई है। परन्तु भूमिहीन मजदूरों और छोटे छोटे किसानों की दृष्टि एक बात का ध्यान रखना है। हो सकता है कि कुछ भूमि भूमिहीन को दे दी हो और अब हमें यह देखना है उनके लिये कोई परेशानी पैदा नहीं की जाती।

श्री गोपालन ने कहा था कि ९ करोड़ एकड़ भूमि उपलब्ध है। हमने सर्वेक्षण किया है और कुछ भूमि चुन ली है जो कृषि के योग्य होगी। मैं कहूंगा कि तीसरी पंचवर्षीय योजना में ७ लाख परिवारों को ५० लाख एकड़ भूमि दी जायेगी।

कल मेरे मित्र श्री इन्द्रजीत गुप्त ने निर्यात का उल्लेख किया था। हम इसे अत्यधिक महत्व दे रहे हैं। यदि हम अपनी अर्थ-व्यवस्था को स्वयं निर्मित बनाना चाहें तो निर्यात संवर्धन अत्यधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। अतः हम औसत निर्यात को ६१४ करोड़ रु० से बढ़ा कर तीसरी योजना में ७४० करोड़ रु० करने का विचार कर रहे हैं ताकि यह चौथी योजना के अन्त तक लगभग १३०० से १४०० करोड़ रु० तक का हो जाये।

योरोपीय संयुक्त बाजार के बारे में माननीय वित्त मन्त्री ने एक बड़ा ही व्यापक वक्तव्य दिया है। हो सकता है हमारे निर्यात प्रयत्नों पर कुछ प्रभाव पड़े परन्तु निर्यात का समूचा प्रोग्राम उस पर निर्भर नहीं है। आशा है कि हम अपना प्रोग्राम पूरा कर सकेंगे।

†**श्री दी० चं० शर्मा** (गुरदासपुर) : माननीय उपमन्त्री ने यह कह कर एक बड़ा ही भयानक सिद्धान्त बताया है कि खाली कराना विधि की समस्या नहीं है। मैं चाहता हूं कि माननीय योजना मन्त्री हमें इसके बारे में बतायें।

†**सभापति महोदय** : मेरा सुझाव है कि योजना मन्त्री इसे नोट कर लें और अपने उत्तर में इसका उल्लेख करें।

†**श्रम और रोजगार तथा योजना मंत्री (श्री नन्दा)** : हां।

†**श्री मणियंगाडन** (कोट्टयम) : तीसरी पंचवर्षीय योजना के अनेक पहलुओं पर चर्चा हुई है परन्तु सन्तोषजनक बात यह है कि योजना के दृष्टिकोण और उद्देश्यों के बारे में सामान्य सहमति है।

यह ठीक है कि हम दूसरी योजना के लक्ष्यों को पूरी तरह प्राप्त नहीं कर सके हैं परन्तु जो कुछ भी हम ने प्राप्त किया है उस पर गर्व किया जा सकता है। यहां तक कि विदेशी विशेषज्ञों ने भी हमारी सफलताओं और उन की प्राप्ति के ढंगों की सराहना की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

राष्ट्र के जीवन में दस वर्ष की अवधि बहुत कम है। फिर भी यह निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि इस काल में हम ने जो भी प्राप्त किया है वह बहुत है और कोई भी अन्य राष्ट्र इतने समय में इतना प्राप्त नहीं कर सका है। यदि हम आजकल भारत के गांवों में जनता की स्थिति की तुलना उनकी १० या १५ वर्ष पहिले की स्थिति से करें तो हमें परिवर्तन का पता लग सकता है।

मैं मानता हूं कि अभी बहुत कुछ करना है। परन्तु यह याद रखना है कि हमने बहुत गिरी हालत से आरम्भ किया है। प्रगति का श्रीगणेश हो गया है और यदि कार्य ठीक होता रहे तो भारत का जीवन बहुत ही उज्वल हो जायेगा। फिर हमें, अपनी सफलताओं को इस दृष्टि से देखना है कि हम जनतन्त्रात्मक ढंग से कार्य कर रहे हैं। यह एक नया प्रयोग है जो हमने अपनाया है। साधारणतया यह स्वीकार किया गया है कि हमारी आयोजन सफल है। हमारी अर्थ-व्यवस्था मिली जुली है। सम्पत्ति का समान वितरण कैसे हो सकता है ? अनेक कराधान तथा अन्य कार्यवाही की गई है। आशा है कि इस समस्या का हल निकल आयेगा।

योजना में प्राथमिकता निर्धारित करने में राष्ट्र के वर्तमान तथा भावी हितों का ध्यान रखा गया है।

[श्री हेडा पीठासीन हुये]

उद्योगों के बारे में मेरा विचार है कि इनका आयोजन इस प्रकार हो कि उनसे सहायक उद्योगों की स्थापना में सहायता मिले। फिर, मेरा ख्याल है कि प्रत्येक क्षेत्र में अनुसन्धान तथा वैज्ञानिक प्रगति की बड़ी आवश्यकता है। इस बात को महत्व दिया जाना चाहिये। यदि हम इस प्रगति के साथ नहीं चलते तो हम पिछड़ जायेंगे।

योजना आयोग और सरकार की नीति है कि सन्तुलित प्रादेशिक विकास एक मुख्य उद्देश्य हैं। केरल में हम यह उद्देश्य प्राप्त करने में सफल नहीं हुए हैं। केवल कृषि का विकास ही केरल की समस्याओं को हल नहीं कर सकता। क्योंकि मुख्य समस्या तो बेरोज़गारी की है। केरल में समस्या अधिक भूमि में कृषि करने की नहीं अपितु भूमि पर वन लगाने की है। समाचारों से पता लगता है कि हाल में अनेक व्यक्तियों को सरकारी भूमि से हटाया गया जिस पर उन्हों ने अनधिकार कब्ज़ा कर लिया था। ऐसा रोज़गार न होने के कारण हुआ था। इसका एक हल यह है कि लोगों को केरल से अन्य राज्यों में भेजा जाये जहां भूमि उपलब्ध है। फिर भी, रोजगार के साधन जुटाने होंगे। केरल में बेरोज़गारी सरकार और योजना आयोग दोनों के लिये चुनौती है। केरल भारत का एक भाग है। अतः इसकी आवश्यकता भारत की आवश्यकता समझी जानी चाहिये। क्या योजना आयोग ने वहां की विशेष समस्याओं का अध्ययन करने और उस क्षेत्र के विकास को तीव्र करने की कार्यवाही करने का कष्ट किया है ? इस सम्बन्ध में वित्तीय विचारों को अनुचित महत्व नहीं देना चाहिये।

केरल में कोयला, तेल या लोहा नहीं है परन्तु अन्य सुविधायें हैं। अब मैं रेलों का उल्लेख करूंगा। रेलों की व्यवस्था करने में भी केरल को छोड़ दिया गया है। उद्योग का प्रश्न उठने पर पूछा जाता है कि क्या वहां रेल है ? उनके न होने के कारण उद्योग नहीं दिये जाते। और जब रेलवे बनाने का प्रश्न होता है तो कहा जाता है कि उद्योग नहीं है अतः रेलों की आवश्यकता नहीं है। यह बात समाप्त होनी ही चाहिये।

राज्य सरकार ने ३०० करोड़ रुपये की योजना बनाई थी परन्तु १७० करोड़ रु० ही स्वीकृत हुए हैं। उस समय ख्याल था कि केन्द्रीय क्षेत्र में १०० करोड़ रु० उपलब्ध हो जायेंगे मैं निवेदन करूंगा कि केरल में केन्द्रीय क्षेत्र भी कुछ आवश्यक रु० लगाये और तभी केरल से बेरोजगारी दूर हो सकती है और छोटे उद्योग पनप सकते हैं।

[श्री माणीयंगाडन]

केरल में चाय बागानों के लिये कुछ और अधिक रुपये दिये जाने चाहियें । रबड़ उद्योग का भी विकास किया जाना चाहिये । मेरा सुझाव है कि एक चाय बागान निगम की स्थापना की जानी चाहिये । रबड़ उद्योग से काफी विदेशी विनिमय कमाया जा सकता है । दूसरा सुझाव है कि इन बागान कर्मचारियों के लिये क्वार्टर आदि का भी प्रबन्ध करना चाहिये ।

मुझे इस बात का गौरव है कि देश में सभी का पूरा सहयोग मिल रहा है ।

पंडित ब्रजनारायण "ब्रजेश" (शिवपुरी) :

"कृष्णम् वन्दे जगद्गुरुम्"

सभापति महोदय, योजना के सम्बन्ध में समस्त दलों के द्वारा अपने विचार व्यक्त किये गये हैं । जिस समय सम्माननीय सदस्य अपने विचार व्यक्त करते हैं तो मैं ने देखा है कि दल अथवा पार्टी उनके मन में से जाती नहीं है । जिस दल का वे प्रतिनिधित्व करते हैं, उस दल को ध्यान में रख कर योजना के सम्बन्ध में विचार करना, न्यायसंगत नहीं है । चाहे वह कांग्रेस पार्टी हो, रूलिंग पार्टी हो अथवा विरोधी दल हो, शुद्ध स्वदेश की भावना से हमको योजना के सम्बन्ध में विचार करना चाहिये । यह कहना कि अभी तक देश में कुछ नहीं हुआ है, नितान्त असत्य है और साथ ही यह भी कहना कि सब कुछ हो गया है, यह भी वैसा ही है । देश के निर्माण के लिये, देश को आगे ले जाने के लिये योजना बनाई गई और कार्य हुआ और कुछ बना भी । अगर कोई कहता है कि बिल्कुल कार्य नहीं हुआ है तो मैं समझता हूं कि उसकी आंखें फूट गई हैं और अगर कोई यह कहता है कि इतना हो गया है कि अब और कुछ करने की जरूरत बाकी नहीं रह गयी है तो मैं समझता हूं कि वह दूसरों को मूर्ख बनाने की चेष्टा कर रहा है । इतना अवश्य है कि जितनी शक्ति लगाई गई, जितना धन लगाया गया, उस से जो प्राप्त होना चाहिये था उतना प्राप्त नहीं हुआ है, और यह बात भी सत्य है कि जनता को योजनाओं द्वारा जो सन्तोष मिलना चाहिये था, जो शान्ति मिलनी चाहिये थी वह प्राप्त नहीं हुई है । उसका कारण जो मैं समझ सकता हूं, जो समझा हूं, वह यह है कि किसी भी कार्य को सम्पन्न करने के लिये जिस प्रकार की भावना होनी चाहिये, जैसी पवित्र भावना होनी चाहिये, उस भावना का भी अभाव हो गया है, और सम्पत्ति हम उधार ले रहे हैं । पैसा बाहर से ला रहे हैं और हमारा आचार भ्रष्ट हो गया है ।

"आचारहीनं न पुनन्ति वेदा:"

भ्रष्टाचार जब होगा तो उससे दुर्विचार उत्पन्न होगा और जब दुर्विचार उत्पन्न होगा तो उस दुर्विचार के द्वारा जो कार्य हम करेंगे उस कार्य मेंसफलता की आशा करना निराधार है, एक प्रकार से निःसार है । तब भावना एक प्रकार से अशुद्ध होगी, दुर्विचार होगा और पैसा उधार होगा । पैसा उधार तो मन में होगा दुर्विचार और फिर सफलता की आशा करना भी है बेकार । इसका परिणाम यह हो रहा है कि हम देखते हैं कि राष्ट्र निर्माण के लिये .

श्री बाल्मीकी (बुलन्दशहर रक्षित अनुसूचित जातियां) : क्या आप ने कभी उधार नहीं था ?

पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश : सारे देश उधार लेते हैं और देते हैं । यहां लेने का सवाल नहीं है । लोग ऋण करते हैं :

"ऋणकर्ता पिता शत्रु: माता च व्यभिचारिणी"

मैं यह निवेदन कर रहा था कि जो बड़े बड़े कार्य किये जा रहे हैं, उन कार्यों के द्वारा जो लाभ देश को मिलना चाहिये था, वह नहीं मिला है, और हम कुछ कार्य तो इस प्रकार के करते हैं जिनसे हानि

ही हानि होती है, लाभ नहीं होता है । उदाहरण के लिये मध्य प्रदेश में माता टीला बान्ध बनाया गया । माता टीला बान्ध में करोड़ों रुपये लगे और विशेषज्ञों ने अब यह निर्णय दिया है कि न वह सिंचाई के काम आ सकता है और न बिजली के काम में आ सकता है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : सिंचाई हो रही है ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश : नहीं हो रही है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : हो रही है, मैं खुद देखता हूं, मेरे क्षेत्र में है ।

श्री राजेन्द्र सिंह (छपरा) : आपके खेत में सिंचाई हो रही है ।

श्री म० ला० द्विवेदी : २६,००० एकड़ में सिंचाई हो रही है और ६५,००० एकड़ में होने वाली है ।

पंडित ब्रज नारायण ब्रजेश : मैं निवेदन कर रहा हूं कि जो राय विशेषज्ञों ने दी है उस पर ध्यान दिया जाय । सिंचाई नहीं हो सकती है, इसका यह मतलब नहीं है कि उस में से एक बूंद पानी नहीं निकल सकता है । जितना उस पर खर्च हुआ है, जिस दृष्टि से उसका निर्माण हुआ है वह उपयोग नहीं हुआ है । एक ही उपयोग हो रहा है, कहीं अधिक वृष्टि हो गई तो ललितपुर और झांसी बच नहीं सकेंगे जैसाकि बहुत से बान्धों से हुआ है । पहले जब अतिवृष्टि देश में होती थी तो केवल फसलों को हानि होती थी लेकिन अब यहां अतिवृष्टि होती है तो फसलों के साथ साथ बान्ध, पशु और बाल बच्चे इन सबका पता नहीं लगता है । सभी कुछ साफ हो जाता है । . . . . (Interruptions) मेरा निवेदन है कि मुझे आप बोलने दें । यदि आप बाधा डालेंगे तो मेरी हानि नहीं है । यदि आप मेरे समय में से ले लेंगे तो दूसरों को हानि होगी । मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा ।

मैं निवेदन कर रहा था कि जो कार्य हुए हैं, जो बान्ध बनते हैं वे ठीक से नहीं बनते हैं । सड़कों के बारे में देख लीजिये । एक छोर से दूसरे छोर तक सड़क बन नहीं पाती है और उसका खुदना आरम्भ हो जाता है । किसी कार्य में जो दत्तचित्तता, सावधानी और पवित्रता बरती जानी चाहिये उतनी बरती नहीं जाता है । उसमें हमारा पैसा भी लगता है और समय भी लगता है, जनशक्ति भी लगती है, लेकिन परिणाम जो निकल सकता है वह नहीं निकल पाता है । एक योजना को सफल करने के लिये जिस प्रकार का वायुमंडल देश में निर्माण होना चाहिये, जैसी भावना सरकारी कर्मचारियों में और जनता में होनी चाहिये, उस भावना का अभाव देश में हो रहा है । न तो जनता इस विषय में गम्भीर है और न शासन के कर्मचारी गम्भीर हैं । इसलिये यदि विरोधी लोगों को यह कहने का अवसर मिलता है कि यह सभी प्रयत्न पार्टी को फ्लरिश करने के लिये, पार्टी का पोषण करने के लिये योजना के रूप मे किया जा रहा है, तो यह असत्य बात नहीं हो सकती है क्योंकि उनमें इस चीज को गम्भीरता से लेने का जितना प्रयत्न होना चाहिये उतना नहीं है । लोग समझते हैं कि पैसा बाहर से आ गया, अब खूब खाओ, मौज उड़ाओ । लोग समझते हैं कि यह कर्ज़ा देना ही पड़ेगा । स्थिति यह है कि करोड़ों रुपयों का ब्याज हर वर्ष हमें देना पड़ रहा है । यह हमारी सब से बड़ी ग़ैर-ज़िम्मेदारी है कि हम जिस सन्तान को आनन्द देना चाहते हैं उन पर इतना कर्ज़ा लाद कर जाय कि उन को कपड़ा लत्ता भी पहिनने के लिये न मिले । विदेशी लोग इस लिये प्रसन्न हो रहे हैं कि हिन्दुस्तान को स्वतन्त्रता राजनीतिक दृष्टि से मिल गई पर आर्थिक दृष्टि से देश धीरे धीरे जकड़ा जा रहा है और इतना जकड़ जायेगा कि उसको सांस लेने के लिये भी अवसर नहीं रहेगा । इस लिये कर्ज़ा लेने की जब स्थिति होती है तो कर्ज़ा लिया जाता है, जैसा पीछे से एक माननीय सदस्य ने पूछा कि क्या मैंने कर्ज़ा नहीं लिया है । लेकिन कर्ज़ा बाहर से विष की तरह लिया

[पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश]

जाता है। जिस प्रकार से शरीर को रोग मुक्त करने के लिये विष खाना परमाश्वयक हो जाता है तो वह विष की तरह खाया जाता है, आहार की तरह नहीं खाया जाता। इसलिये जो कर्ज़ा आज लिया जा रहा है वह विष समझ कर लेना चाहिये और अत्यन्त शीघ्र हमें कर्ज़ा को लौटाना पड़ेगा इस दृष्टि से विचार करना चाहिये। लेकिन ऐसा मालूम होता है कि हम कर्ज़ा लेने के है विचुअल होते जा रहे हैं। जनता में यह स्थिति होती जा रही है कि बाहर से आंख मूंद कर कर्ज़ लिया जा रहा है, यह समझ कर कि शायद इसे चकाना नहीं पड़ेगा। जिनके पास खेती बाड़ी नहीं है, भूमि नहीं है, उन लोगों ने कर्ज़ा लिया हुआ है। हमारे ऊपर कर्ज़ा लद़ता जा रहा है। जिन को जरूरत नहीं है वे कर्ज़ा लेते हैं और जो सो काल्ड लीडर्स बीच में होते हैं वे कमिशन खाते हैं। वे समझते हैं उनको तो देना नहीं पड़ेगा, अगर देना भी पड़ेगा तो दूसरे लोग देंगे, हमें क्या करना है। इस तरह से बीच में ही सारा पैसा खत्म हो जाता है। इस प्रकार सम्पत्ति का अपव्यय हो रहा है। बाहर से कर्ज़ा जो आ रहा है उस कर्ज़े का जिस प्रकार से उपयोग होना चाहिये वैसा उपयोग नहीं हो रहा है।

"माले मुफ्त दिले बेरहम"

इस प्रकार की स्थिति देश में निर्माण हो गई है कि लोग समझते हैं कि मुफ्त का माल है, खाओ पियो और मौज उड़ाओ। मुझे यह दुःख हो रहा है कि यह जो कर्ज़े के रूप में सम्पत्ति आ रही है उस का उपयोग ठीक से नहीं हो रहा है। कोई इसको देखने भालने वाला नहीं है। इस प्रकार की गैरजिम्मेदारी देश में चलने नहीं दी जानी चाहिये। जो हमारे संयोजक लोग हैं, उनको इस बात को गम्भीरतापूर्वक समझना चाहिये था कि दो योजनायें समाप्त हो जाने के बाद भी उनका जो परिणाम निकलना चाहिये था अगर वह नहीं निकला तो उसका कारण क्या है? कारण है भ्रष्ट आचार। जब हमारे आदमी ही भ्रष्ट हो गये हैं तो हम किसी कार्य को सम्पन्न कैसे कर सकते हैं?

दूसरा मेरा निवेदन यह है कि राष्ट्र के हित को घर की तरह से लीजिये। घर को सम्पन्न बनाने के लिये सबसे पहली चीज यह होनी चाहिये कि घर के लोगों को अनाज पूरा मिलना चाहिये, देश को रोटी मिलनी चाहिये। पहली समस्या यह है कि हम लोगों प्रत्येक व्यक्ति को तृप्त करें। उसको भूख से मुक्त करें फिर राष्ट्र और संसार की ओर देखें। आदमी संसार की ओर तभी देख सकता है जब उसको पेट भर रोटी मिले। यदि उसे रोटी नहीं मिलती है तो उस के सामने संसार की बात करना व्यर्थ है। मैं कहता हूं कि जब देश में लोग भूखे हों तब हमें गद्दियों पर बैठने का, पंखा चलाने का और तरह तरह के नाच नचाने का क्या अधिकार है? यह सब से पहले बन्द होना चाहिये। यदि हम ह्यूमैनिटी का नारा लगाते हैं तो पहले यह होना चाहिये। यदि हम सोशलिस्ट पैटर्न का नारा लगाते हैं तो मिनिस्टरों में और बाहरी लोगों में कोई फ़र्क नहीं होना चाहिये।

मेरा निवेदन यह है कि देश में अन्नोत्पादन करने की दिशा में हमें जिस प्रकार की सावधानी बरतनी चाहिये थी वह वास्तव में बरती नहीं गई है और अन्न के उत्पादन में हम जागरूकता से काम नहीं कर रहे हैं। हम ज्यादा अनाज पैदा करने का नारा लगाते हैं। कौन किसान है जो नहीं चाहेगा कि अधिक अनाज पैदा करें? लेकिन होता यह है कि यदि उसके पास खेत है तो बैल नहीं हैं, यदि बैल हैं तो खाद नहीं है, खाद है तो अनाज नहीं है, अनाज भी है तो उस के ऊपर चौकीदार है, पटवारी है, कलक्टर है, मिनिस्टर है और लीडर है। इतने आदमी उसके सिर पर हैं, अब आप बतलाइये कि इस स्थिति में वह ज्यादा अनाज कैसे पैदा करेगा? उसके ऊपर कम

से कम बोझ हो, उसके सिर पर वजन न हो और वह शातिन्पूर्वक तथा सफलतापूर्वक अधिक से अधिक अन्नात्पादन कर सके। आज हम उस को इस की सुविधा प्रदान करें तब तो ठीक है, पंडित जी की तरह से उपदेश करने से क्या फायदा है कि ज्यादा अनाज पैदा करो। आप मुझसे कहें कि तुम पैसा पैदा करो तो पैसा पैदा करें कैसे यह भी तो बतलाना पड़ेगा। सब चाहते हैं कि उनके पास ज्यादा पैसा हो और कृषक भी चाहते हैं। इसके लिये कृषकों को जितनी सुविधा देनी चाहिये वह आप नहीं दे रहे हैं, केवल उसे उपदेश दे रहे हैं। मैं ने अनेक स्थानों में देखा है कि पहले खुदाई आरम्भ हुई लेकिन लोगों को खाद नहीं मिली, यदि खाद भी बांट दी गई तो यह नहीं बतलाया गया कि खाद डालने के बाद पानी कितना देना चाहिये। परिणाम यह हुआ कि खाद ने फसल को जला दिया। इस खाद के लिये ज्यादा पानी लगता है। उसके साथ में इतना तीव्र पदार्थ होता है कि यदि उसको पूरी तरह पानी नहीं दिया जायेगा तो वह फसल को जला देगी। इसलिये पहले उन को खूब पानी दिया जाय। तो वह खाद बेकार जाता है। और अन्न का जो सरकार ने संग्रह किया है उसमें अन्न सड़ जाता है, कुछ आपस में बंट जाता है, और उसके बाद जब हिसाब लगाया जाता है तो कम हो जाता है। कम हो जाता है तो फिर उसके लिए भी हिसाब बना लिया जाता है, और हमारी आंखों में धूल झोंक कर सरकार के पास पहुंचा दिया जाता है। तो इस प्रकार की अन्न कोष की स्थिति है। पर्याप्त अन्न कोष बने नहीं हैं, और जो बने हैं वे उत्तम नहीं हैं, उन में अन्न सड़ता है, खराब होता है और ठीक प्रकार से उसका वितरण नहीं होता। तो यह अन्न की स्थिति है।

फिर कहा जाता है कि दुग्ध का अधिक उत्पादन किया जायेगा। लेकिन कलकत्ते के बाज़ार में गायों का खून बहाया जा रहा है। यदि गोहत्या होती है तो साम्प्रदायिकता बढ़ती है। मैं आप से पूछना चाहता हूं कि किस मुसलमान ने यह मांग की है कि गायों की हत्या की जाये, लेकिन गायें कटवायी जा रही हैं और उसका दोष उनके सिर पर लादा जा रहा है, जिसके कारण हिन्दू और मुसलमानों में द्वेष पैदा होता है और फिर आप कहते हैं कि तुमको आपस में लड़ना नहीं चाहिए। पहले तो झगड़ा पैदा करते हैं और फिर पंच फैसला करने बैठते हैं। तो इस चीज को क्यों जीवित रखा जा रहा है जिससे देश में दो वर्गों में द्वेष पैदा होता है और झगड़ा बढ़ता है।

इसके अतिरिक्त खेतों के लिए बैलों की आवश्यकता है उसको पूरा करने के लिए भी आपको गायों की रक्षा करने की आवश्यकता है। एक ओर आप मुद्रा स्फीति के कारण ट्रैक्टराइज़ेशन नहीं कर सकते दूसरी ओर गायों की हत्या के कारण बैल कम हो रहे हैं। जो साधन हमारे पास हैं उनको हम नष्ट कर रहे हैं और जो साधन नहीं हैं उनको हम प्राप्त नहीं कर सकते। हमारी स्थिति यह है :

यो ध्रुवाणि परितज्य, अध्रुवाणि निशेवते।
ध्रुवाणि तस्य नश्यन्ति, अध्रुवम् नष्ट मेव हि॥

जो हमारे पास हैं उसको पहले साफ कर दिया और जो नहीं है उसको प्राप्त करना चाहते हैं, यह हमारी नीति है।

फिर भूमि के वितरण के सम्बन्ध में यह अवस्था है कि जो पहले से खेती करते आ रहे हैं उनको गारंटी नहीं है कि उनकी ज़मीन उनके पास रहेगी या नहीं, और जिन्होंने कभी खेती नहीं की है वे ताक लगाये बैठे हैं कि ज़मीन मिलेगी तो फिर देखेंगे कि उसका क्या किया जाय। तो इस प्रकार भूमि वितरण में भी गड़बड़ी है। और अब तो किसान के मन में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि उसकी भूमि उससे छीन ली जायेगी

[पंडित ब्रजनारायण ब्रजेश]

दूसरे यह जो योजना बनी है इसके सम्बन्ध में प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि यदि लड़ाई छिड़ गई तो फिर कुछ नहीं हो सकेगा। यदि ऐसी अवस्था है तो फिर कोई कैसे योजना के गीत गाया करे। लड़ाई तो कभी भी छिड़ सकती है। तो फिर हमको युद्ध का सामना करने के लिये पहले इन्तिज़ाम करना चाहिये और इस योजना के सम्बन्ध में जितनी गम्भीरता से सोचा जाना चाहिये था उतनी गम्भीरता से विचार नहीं किया गया है। इसमें वार इंडस्ट्रीज पर ज्यादा पैसा लगाया जाना चाहिये था, और इस देश के शत्रुओं का मुकाबला करने की तैयारी का वायुमंडल निर्माण करने के लिये योजना कमीशन को कुछ करना चाहिये था।

फिर शिक्षा के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि इस देश में या तो अशिक्षित हैं या कुशिक्षित हैं, सुशिक्षित इस देश में नहीं हैं। यदि देश में सुशिक्षित होते तो देश का वायुमंडल खराब न होता। इसलिये शिक्षा के बारे में भी गम्भीरता से विचार करना चाहिये और उसके लिये उचित धनराशि खर्च की जानी चाहिये थी जो नहीं की गई।

अन्त में मैं एक और निवेदन करना चाहता हूं। यद्यपि मैं इस वृत्ति का नहीं हूं, पर मध्य प्रदेश में लोगों में यह भावना उत्पन्न हो रही है कि जब सरकार हमको डाकुओं से नहीं बचा सकती वह चीन और पाकिस्तान से हमारी रक्षा कैसे कर सकेगी। वहां आज तक डाकुओं की समस्या हल नहीं हो पाई है। एक डाकू मारा जाता है तो दूसरे चार उसकी जगह खड़े हो जाते हैं। कारण यह है कि पुलिस और डाकुओं के बीच में गठबन्धन है और वे दोनों मिल कर जनता को त्रस्त करते हैं और सारे इलाके में हाहाकार मचा हुआ है।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो योजना बनी है उससे कुछ फल तो होगा ही। पहली जो दो योजनायें बनीं उनसे भी फल हुआ लेकिन जितनी आशा थी उतना नहीं। इसलिये यह तो नहीं कहा जा सकता कि यह योजना किसी काम की नहीं है और इस को फैंक देना चाहिये। लेकिन जितनी जागरूकता से और दत्तचित्त हो कर काम करना चाहिये था वह नहीं किया गया।

अन्त में मैं आप को धन्यवाद देता हूं और बहुत सी अन्य बातें कहने की इच्छा होते हुए अपने लोभ का संवरण करके अपना स्थान ग्रहण करता हूं।

†**श्री राजेन्द्र सिंह** (छपरा) : मुझे इस बात का डर है कि आज हमारे देश के सामने जो स्थिति हैउस के अनुसार सरकार अपनी नीति नहीं बदलेगी। यह बिना संकोच कहा जा सकता है कि राजनैतिक और सामाजिक उद्देश्यों की दृष्टि से ये दोनों योजनायें बहुत ही बुरी तरह से असफल रही हैं।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुये]

शासक दल का यह दावा ठीक नहीं है कि सरकारी क्षेत्र के विस्तार से देश के सामाजिक परिवर्तन का आधार स्थापित हो गया है यह याद रखना चाहिये कि सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत आरम्भ की गई परियोजनाएं केवल वे हैं जिन्हें भारत की गैर-सरकारी पूंजी द्वारा शुरू नहीं किया जा सकता था। इनके शुरू करने के संसाधन केवल सरकार के पास थे।

हर व्यक्ति जानता है कि राष्ट्रीय आय में जो वृद्धि हुई है उसमें जनसाधारण को हिस्सा नहीं मिला। श्रमिकों, किसानों तथा निम्न मध्यम श्रेणी के लोगों की आय में कमी हुई है जबकि बड़े-बड़े उद्योगपतियों ने अपनी आस्तियों और नफों में भारी राशियां जोड़ ली हैं। इस परिस्थिति का सामना करने के लिये सरकार को साहसपूर्ण कदम उठाने पड़ेंगे।

भविष्य के सम्बन्ध में योजना निर्माण के बारे में सरकार अदूरदर्शिता से काम ले रही है। उदाहरण के लिये अपना इस्पात मिलों में हर छोटी चीज़ के लिये भी हम विदेशी विशेषज्ञों पर

---

†मूल अंग्रेज़ी में

निर्भर करते हैं । ढांचा निर्माण अथवा वस्तु कार्य के बहुत से भाग को किया जा सकता था । ढांचे की तैयारी तथा प्ररचना सम्बन्धी कार्य को योजना में उच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिये ।

योजना निर्माताओं को देश के कम से कम विकसित भागों की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये था । लोगों को हमारे औद्योगिक उपक्रमों का प्रबन्ध करने के लिये प्रशिक्षित किया जाना चाहिये और ऐसा करते समय सभी प्रदेशों के संतुलित विकास की आवश्यकता को सामने रखा जाये ।

यद्यपि हम ने बिहार में इस्पात संयंत्रों की स्थापना की है, बिहार के लोगों को उन फैक्टरियों के चलाने के लिये प्रशिक्षित नहीं किया गया है । मेरा निवेदन है कि उत्तर बिहार में कुछ उद्योग स्थापित किये जायें ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, नियोजन हमारे देश में नव निर्माण के मंगल प्रभात के रूप में आया, जिस के प्रकाश की किरणों से भारत के प्रत्येक कोने को आलोक मिला है, और इस सुखद प्रयास के लिये हम मंत्री महोदय को धन्यवाद देंगे । लेकिन अनेकों भाग ऐसे भी हैं जिन पर पिछड़ेपन के सघन बादल अब भी छाये हुए हैं । इन भूभागों का दुर्भाग्य है कि योजना के सूर्य का प्रकाश अभी तक पिछड़े पन के बादलों का भेदन नहीं कर पाया । इस का प्रत्यक्ष फल यह हुआ है कि इन इन भूभागों में अब भी अधिकार छाया हुआ है । यह बात सही है कि उषा के रूप में प्रथम योजना आई और चली गई । दूसरी योजना में हम ने उन कमलों को विकसित किया जिन को शहरों और नगरों के नाम से पुकारा जा सकता है । लेकिन तीसरी योजना में हम जिस सुगन्धमय समीर को बहाना चाहते हैं वह हवा इन पिछड़े हुए क्षेत्रों तक पहुंचेगी, इस में मुझे सन्देह है ।

पहली और दूसरी योजना के सम्बन्ध में हम ने जो काम किये हैं वे, भविष्य में हम जो आश्वासन दे रहे हैं उस के लिये दर्पण हैं, आइने के समान हैं । उस दर्पण में हमें क्या चित्र मिलता है ? भारत मां के दिल्ली रूपी दिल पर हम ८१ करोड़ रुपयों के मणियों की माला पहनाने जा रहे हैं, जबकि बुंदेलखंड में उतनी ही आबादी है जितनी कि दिल्ली में है पर वहां पर १ करोड़ रु० से अधिक योजना का खर्च होने नहीं जा रहा है । जब पिछड़े हुए इलाकों की यह स्थिति है तब हम एक शहर दिल्ली के ऊपर ८१ करोड़ रुपये खर्च करेंगे । यह योजना का सब से विकराल रूप हमारे सामने आया है । आप देखिये, शहरों रूपी आभूषणों पर रत्न जड़े जा रहे हैं, बड़े बड़े बान्धों के बाजूबंद, पाजेब और कंकण मां की शोभा बढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े कारखानों के उद्योगों के, चूल्हे, चक्की, बेलन, तवा और कड़ाही मां के पास रख दिये गये हैं, समाज कल्याण का सुरमा, सांस्कृतिक कार्यक्रम का पाउडर और सामुदायिक विकास का उबटन मां के शरीर पर लगाया गया है । लेकिन ग्रामीण जनता रूपी मां के शरीर पर अब भी वही पुरानी फटी साड़ी है । पुरानी और फटी साड़ी लटक रही है, हां उस पर सामुदायिक विकास खंडों के चमकदार कागज के सितारे हम जरूर जड़ते जा रहे हैं ।

हम देख रहे हैं कि नियोजित विकास होते हुए भी पिछड़े क्षेत्र अभी पिछड़े बने हुए हैं । इस से भी आश्चर्यजनक बात यह है कि योजना के फलस्वरूप कुछ बड़े बड़े क्षेत्र और भी पीछे ले जाये जा रहे हैं । उदाहरण के लिये मैं उत्तर प्रदेश की बात कहना चाहता हूं । सदस्य लोग कहेंगे "**उत्तर प्रदेश दैट इज इंडिया दैट इज भारत**", लेकिन उन को मालूम नहीं है कि उत्तर प्रदेश की हालत क्या है । आप देखिये कि औद्योगीकरण की दिशा में सरकार ने कुल १५ करोड़ रु० देश भर में ऋण के रूप में दिये गये उस में से पश्चिमी बंगाल को २ करोड़ ६६ लाख रु०, मद्रास में १ करोड़ २६ लाख ५० हजार रु० सौराष्ट्र में १ करोड़ ४० लाख रु० दिये गये, लेकिन उत्तर प्रदेश को सौराष्ट्र से भी कम यानी एक करोड़ ४ लाख ७० हजार रु० दिये गये, जबकि वहां की आबादी सारे भारत की १।६ है । एक तरफ वहाँ जो पुरानी कम्पनियां हैं उन को ऋण नहीं मिलता और दूसरी ओर नई इकाइयों को

[श्री म० ला० द्विवेदी]

खोलने की इजाजत नहीं मिलती। तमाम देश में जब जनवरी १९६१ में १४७ उद्योग खोले गये तो उत्तर प्रदेश में केवल ५ उद्योग खोलने की इजाजत दी गई।

अब शिक्षा की दिशा में देखिये। शिक्षा की दिशा में उत्तर प्रदेश अब सोलहवां राज्य है जबकि पहले प्रथम था।

श्री हरिशचन्द्र माथुर (पाली) : १५ ही तो रियासतें हैं, १६वां कैसे हो गया ?

श्री म० ला० द्विवेदी : मैं ने हिसाब लगा कर बतलाया है, आप जोड़ लीजियेगा। उत्तर प्रदेश में छोटे उद्योगों की स्थिति बहुत खराब हो रही है। हम ने सन १९६० के आंकड़े जब देखे तो पता लगा कि उत्तर प्रदेश में ५ लाख ८४ हजार लोग बेकार थे। उन में से उस योजना में केवल ६४ हजार को रोजगार मिला, बाकी ५ लाख और कुछ हजार आदमी बेकार बने रहे। नये बेकार और बढ़ते जा रहे हैं।

श्री दी० चं० शर्मा : यह आंकड़े कहां से लाये हो ?

श्री म० ला० द्विवेदी : आंकड़े लाया हूं किताबों से।

श्री हरिश्चन्द्र माथुर : अरे भाई, १५ स्टेटस हैं १६वां नम्बर कैसे हो गया ?

श्री म० ला० द्विवेदी : जहां पर अधिक शिक्षा न हो, उद्योग न हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, वहां के लोग आय कर क्या देंगे? मैं बतलाना चाहता हूं सदन की सूचना के लिये कि जहां सौराष्ट्र में ७७ हजार, बंगाल में १ लाख ३४ हजार, मद्रास में १३ हजार लोगोंने इनकम टैक्स दिया है, जिन की आमदनी १०,००० रु० सालाना या इस से अधिक कूती गई है, वहां उत्तर प्रदेश में केवल १०,००० आदमियों ने इनकम टैक्स दिया है। इतनी कम आय वहां के लोगों की है। (Interruptions) वहां के लोगों की आमदनी नहीं बढ़ पाई है।

अब आप उच्च शिक्षा की दिशा में देखिय। विश्वविद्यालयों को अनुदान दिय जाते हैं। १९५९-६० में विश्वविद्यालय बम्बई को २४ लाख, बड़ौदा को २१ लाख, गुजरात को ४ लाख, पूना को १८ लाख, मद्रास को ३९ लाख, कलकत्ता को ४३ लाख और आन्ध्र प्रदेश के विश्वविद्यालय को २८ लाख रु० विश्वविद्यालयों के अनुदान के रूप में दिये गये। अब उत्तर प्रदेश की सुनिये। आगरा को २ लाख, लखनऊ को २ लाख और गोरखपुर को ४ लाख ९१ हज़ार और इलाहाबाद को ४ लाख ३५ हजार दिय गये, और इस के बाद इतिश्री हो गई इस तरह से उत्तर प्रदेश को, जो किसी समय में अगुआ कहलाता था, गवर्नमेंट पीछे ले जा रही है।

एक माननीय सदस्य : अलीगढ़ को क्या दिया गया है ?

श्री म० ला० द्विवेदी : अलीगढ़ का यहां पर कोई सम्बन्ध नहीं है क्योंकि वह केन्द्रीय यूनिवर्सिटी है। मैं ने बंगाल के शान्ति निकेतन के बारे में नहीं बतलाया है।

एक माननीय सदस्य : लखनऊ को क्या मिला ?

श्री म० ला० द्विवेदी: लखनऊ का नाम मैं ने गिनाया है। इस प्रकार से उत्तर प्रदेश के कुल विश्वविद्यालयों के लिये, जिन की संख्या ७ या ८ है, केवल १२ या १३ लाख रु० दिया गया जब कि दूसरे विश्वविद्यालयों में से एक एक को २४ लाख, ३९ लाख, २१ लाख रु० तक दिया गया। आप अन्दाज लगा सकते हैं कि इस योजना के फलस्वरूप जो क्षेत्र किसी समय में सम्पन्न और बढ़े हुए

थे उन को पीछे ढकेला जा रहा है पिछली दफा जब बहस हुई थी तो श्री गुलजारी लाल नन्दा ने पिछड़ हुए इलाकों के लिये एक योजना बतलाई थी। सेकेन्ड फाइव इअर प्लैन में लिखा गया था :

राष्ट्रीय विकास परिषद् ने यह सिफारिश की थी कि क्षेत्रीय विषमता को दूर करने के लिये निरंतर प्रयत्न किया जाना चाहिये। उस समय नन्दा जी ने यह आश्वासन दिया था कि पिछड़े क्षेत्रों के उस इलाके की जांच कराएंगे। लेकिन आज तक इस सदन के सामने एसा कोई प्रतिवेदन नहीं आया है जिससे पता चले कि रीजनल डिसपैरिटीज की जांच करायी गयी है, और न यह बताया गया है कि पिछड़े हुए इलाकों की परिभाषा क्या है।

मैं ने कहा कि मेरे इलाके में किसी नदी पर पुल नहीं है और सड़कें नहीं हैं, और कोई उद्योग भी नहीं हैं, तो नन्दा जी ने कहा कि आपके यहां की सब सड़कें डामर की बन चुकी हैं, सब पुल बन चुके हैं केवल एक कालपी का पुल नहीं बना है पर उसकी भी मंजूरी दे दी गयी है। वहां तो केवल एक कालपी के पुल को बनाने की मंजूरी दी गयी थी जो बना नहीं, और किसी पुल का सवाल ही नहीं था। सड़कें वहां अब भी नहीं हैं।

जब मैं ने कहा कि हमारे यहां जो विकास खंड है उसमें बड़ा भ्रष्टाचार है तो उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे। फिर बाद में कहा गया कि वहां जांच की गयी पर वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं है। लेकिन जब कांग्रस कमेटी ने बराबर ६ महीन कोशिश की तो २५ आदमी गिरफ्तार किए गए। वहां यह अवस्था थी कि ब्लाक डवलपमेंट आफिसर कुवें बनाने के लिए रुपये देते थे जो कभी नहीं बनाये गये थे जिस आदमी को रुपए देते थ उसको केवल ३०० रुपए देते थे और स्वयं ५०० रुपए अपने पास रख लेते थ। इस तरह आठ सौ रुपए का वितरण होता था। इसी तरह से झांसी में भी हुआ है। जब एक साल कोशिश की गयी तो लोग पकड़े गए और उन पर मुकदमे चल रहे हैं।

विकास का चिह्न यह होगा कि माता का शरीर ढके। लेकिन आज हो यह रहा है कि और और चीजें तो हो रही हैं लेकिन माता का बदन नंगा है। ग्रामीण जनता की पुकार नहीं सुनी जाती हम बड़े बड़े आश्वासन देते है। दूसरी पंच वर्षीय योजना में लिखा था :

"योजना का उद्देश्य ग्रामीण भारत का पुर्ननिर्माण करता है। औद्योगिक प्रगति की नींव डालनी है और गरीब तथा ऐसे व्यक्तियों को जिन्हें सुविधा प्राप्त नहीं है उन्हें आगे बढ़ने के लिये अधिक से अधिक अवसर देना है ताकि देश संतुलित रूप से उन्नति कर सके।"

मैं पूछना चाहता हूं कि क्या आज भी ग्रामीण जनता की वही हालत नहीं है जो कि उस समय थी जब कि पहली पंचवर्षीय योजना लिखी गयी थी। क्या आज भी वही हालत सह नहीं है। अगर नन्दाजी कह दें कि यह हालत आज नहीं हैं तो मैं मात खा जाऊंगा और आगे कभी ऐसी बात नहीं कहूंगा और केवल पंचवर्षीय योजना की तारीफ करूंगा। मैं योजना का समर्थक हूं और जनता में जाकर इसका प्रचार करता हूं लेकिन मैं देखता हूं कि आपका ध्यान ग्रामीण जनता की ओर नहीं है। कानपुर शहर में आप यूनीवरसिटी भी बना रहे हैं। मैडिकल कालिज भी खोल रहे हैं, इंजिनियरिंग कालिज भी वहां बन रहे हैं, इंडस्ट्रियल एस्टेट भी कानपुर में ही बनाई गई। ये सब काम कानपुर में ही होत हैं। मेरा मतलब कानपुर से ही नहीं है। एसे काम दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता मद्रास आदि बड़े शहरों में ही हो रहे हैं। लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कुछ नहीं किया जाता। जो डिसेंट्रलाइजेशन की बात कही जाती है वह सामने नहीं आती। यह अक्षरशः सत्य है।

हमारी प्लान को अधिकारी, जिनको देहात का कोई अनुभव नहीं होता, बनाते हैं, और मंत्री महोदय बगैर देहात का दौरा किए हुए उसको मंजूर कर देते हैं। कहा जाता है कि यह जनता की प्लान है, जनता के द्वारा बनायी गयी है और जनता के लिए है। लेकिन मेरा दावा है कि यह

कर्मचारियों की प्लान है, कर्मचारियों द्वारा बनायी गयी है और उनके ही उदरपोषण के लिए है ।

अध्यक्ष महोदय मुझे अभी बहुत कुछ कहना है । मुझे कुछ समय कल को दे दिया जाए ।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं उन्हें ५ मिनट का समय और देता हूं ।

श्री म० ला० द्विवेदी : अध्यक्ष महोदय, मैं ने एक समय पर सदन के सम्मुख पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए प्रस्ताव रखा था और उस प्रस्ताव को सदन ने पास कर दिया होता लेकिन मंत्री महोदय ने आश्वासन दिया कि हम पूरा प्रयत्न करेंगे और पिछड़ क्षेत्रों की परिभाषा करेंगे । और उसके लिए एक कमेटी भी नियुक्त करने का आश्वासन दिया था । लेकिन आज तक कोई कमेटी नियुक्त नहीं की गयी । मैं कहता हूं कि डेडीकेटेड लीडरशिप उस समय आती है जब कि आप जनता के नेताओं की आवाज को सुनें । यदि आप ऐसा करेंगे तो जनता में से त्यागपूर्ण नेतृत्व पैदा होगा और वह देश के लिए काम करेगा । लेकिन आज उसका अभाव है ।

दूसरे मैं यह कहना चाहता हूं कि योजना तभी सफल हो सकती है जब कि अधिकारी दक्षता से काम करें । लेकिन प्लान को देखने से नहीं मालूम होता कि कर्मचारियों की दक्षता बढ़ाने की ओर भी ध्यान दिया गया है, न यह मालूम होता है कि भ्रष्टाचार को कम करने के लिए क्या किया जाएगा । आज दफ्तरों में यह अवस्था है कि अगर कोई एक घंटे का काम होता है तो उसमें दो दिन और दो हफ्ते लगा दिए जाते हैं । मैं जानना चाहता हूं कि आपने इस योजना में क्या व्यवस्था रखी है जिसके अनुसार कर्मचारियों की दक्षता बढ़ेगी और उनमें ईमानदारी आएगी । यदि वे ईमानदारी और दक्षता से काम करने लगें तो हमको प्रसन्नता ही होगी क्योंकि वे हमारे भाई ही हैं और उस अवस्था में हम उनके कन्धे से कन्धा मिला कर काम कर सकेंगे । मैं चाहता हूं कि इस योजना में आप ऐसी व्यवस्था करें कि इस बात की जांच भी की जाए कि जो लोग इस योजना को चलाते हैं वे कहां तक निष्पक्षता से और ईमानदारी से काम करते हैं ।

माताटीला बांध का यहां जिक्र आया तो मैं ने कहा कि उससे सिंचाई हो रही है, लेकिन जब वह बांध बना तो यह हाल था कि अगर तीन ट्रक सीमेंट आता था तो दो ट्रक रास्ते में ही बेच दिए जाते थे और केवल एक ट्रक सीमेंट बांध में इस्तैमाल होता था । आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा बांध कितना अच्छा हो सकता है ।

तीसरी बात यह कही गयी है कि जनता को इस योजना के लिए अधिक करों का बोझ बरदाश्त करना चाहिए । जनता तो इस बोझ को बरदाश्त करने को तैयार है लेकिन उसकी आमदनी तो नहीं बढ़ती । दूसरी योजना में जो देहातों में औद्योगिक संस्थान खोलने की बात थी वे नहीं खोले गए, कम से कम बुन्देलखंड में तो नहीं खोले गए । मैं पूछना चाहता हूं कि वे आदमी जिनकी आमदनी नहीं बढ़ी है और मंहगाई बढ़ गयी है वे अधिक करों का बोझ कैसे बरदाश्त कर सकते हैं । जो आदमी भूखा है वह अधिक कर कैसे दे सकेगा । वह कर दे सकता है लेकिन उसकी आमदनी बढ़नी चाहिए । इस तरफ आपका ध्यान जाना चाहिए ।

आपने बड़े बड़े शहरों में अधिक रोजगार के अवसर उपलब्ध किए लेकिन ग्रामीण जनता के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं किए गए हैं । आपने देश की ८३ प्रतिशत जनता के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध नहीं किये हैं ।

---

†मूल अंग्रेजी में

जहां तक शिक्षा का सवाल है आप कहते हैं कि हमारा धर्म निरपेक्ष राज्य है। हम धर्म की तरफ से उदासीन हैं। लेकिन हमारे देश में धर्म कोई मजहब नहीं है। धर्म तो हमारा कर्तव्य है। और जब हम उस धर्म की ओर से जो कि हमको कर्तव्य की शिक्षा देता है उदासीन रहेंगे तो हमारी शिक्षा योजनाओं से क्या लाभ होगा। स्कूलों में लड़कों को न गीता पढ़ाई जाती है, न कुरान पढ़ाया जाता है न बाईबिल पढ़ायी जाती है। लड़के सिनेमा आदि देखते हैं जिनका उन पर बुरा प्रभाव पड़ता है और वे आगे जाकर भ्रष्टाचारी बनते हैं।

राष्ट्रपति महोदय ने बार बार कहा है कि इस देश की शिक्षा पद्धति में आमूल परिवर्तन करने की आवश्यकता है, लेकिन प्लानिंग कमीशन ने और उसमें जो बड़े बड़े विशेषज्ञ हैं उन्होंने शिक्षा पद्धति में कोई परिवर्तन करने की बात नहीं सोची और न सरकार ने सोची। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि आप ६ से ११ वर्ष तक के बच्चों को शिक्षा देने जा रहे हैं पर वह शिक्षा किस प्रकार की होगी। क्या वह शिक्षा इस प्रकार की होगी कि मंत्री के लड़के तो पबलिक स्कूल में पढ़ें और जनता के लड़के बेसिक स्कूल में। बेसिक स्कूलों की यह हालत है कि पढ़ने के कोई साधन नहीं है, स्थान की वहां कमी है, पाट बैठने के लिए नहीं है, पानी टप टप गिरता है, और यह उन लोगों के बच्चों की हालत है जिनको आज मालिक कहा जाता है, जिनके वोट से हम सब चुन कर आते हैं। पानी का वहां कोई इन्तिजाम नहीं है, टैप्स नहीं हैं। आपके बच्चे तो पबलिक स्कूलों में जायें और जो मालिक हैं उनके बच्चे बेसिक स्कलों में जाएं जिनकी हालत मैंने अभी बयान की है, तो यह आपकी योजना कैसे चल सकती है। इस प्रकार की शिक्षा होगी और इस प्रकार से विकास किया जाएगा तो यह जो आपकी योजना है, चल नहीं सकती है और मैं सच कहता हूं कि जनता इसका बोझा बरदाश्त करने के लिए तैयार नहीं होगी। मेरे ज़िले में एक एडवाइज़री कमेटी है। वहां पर हमसे सुझाव मांगे गए और कहा गया कि सड़कें बनानी हैं, एक बीस साला योजना बना दीजिये। हमने केवल दस छोटी बड़ी सड़कें बताई, लेकिन उसमें से एक या दो या तीन को भी स्वीकार नहीं किया गया। जब ऐसी हालत है तब कैसे कहा जा सकता है कि यह जनता का प्लान है। जनता के प्रतिनिधियों और जनता के मत के अनुसार अगर हम प्रायोरिटीज़ मुकर्रर करते हैं तब तो हम कह सकते हैं कि जनता का प्लान है लेकिन जब जनता के प्रतिनिधि सुझाव देते हैं और उनमें एक को भी नहीं माना जाता है तो कैसे कहा जा सकता है कि जनता इसको चलाये। हमें वहां पर बताया गया कि ऊपर से कहा गया है कि सुझाव आप अलग से दे सकते हैं। अगर सुझाव वहां पर नहीं देने हैं और अलग से देने हैं तो कमेटी किस लिये है। अफसरों ने योजना बना दी और उसी पर वहां मुहर लगा दी गई उससे लाभ क्या होगा। उस सूरत में कैसे यह जनता का प्लान हुआ। कंसलटेटिव कमेटी बना दी, उसकी कुछ बैठकें हो गई वहां पर चाय पानी पिला दिया गया और उसके बाद संसद में इसको रख दिया गया और थोड़ा सा समय बोलने का दे दिया गया, इससे क्या लाभ हो सकता है। यह इतनी मोटी किताब है कि इसको तैयार करने पर आपको अफसरों को भी दो तीन बरस लगे होंगे और दस बारह घंटे भी मौका नहीं दिया जाए इस पर विचार करने का इसका क्या मतलब है। देहात के स्तर पर, ब्लाक के स्तर पर, जिले के स्तर पर और डिवीज़न के स्तर पर जनता इस पर विचार करे और उसको इसका पूरा मौका दिया जाए कि वह सुझाव आदि दे तब तो मैं मान सकता हूं कि यह जनता का प्लान है।

इस सब के साथ साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि मैं कांग्रेस का एक निष्ठावान सदस्य हूं और कांग्रेस का और सरकार का इस मामले में साथ दूंगा लेकिन मेरी प्रार्थना यह है कि वास्तव में अगर आप इसको जनता की योजना बनाना चाहते हैं तो इसको आप लचीला रखिये और समय समय पर जहां जहां भी आवश्यकता हो, इसमें सुधार कीजिये, इसमें संशोधन कीजिये। अगर आपने ऐसा किया तो इसको जनता का पूरा पूरा समर्थन प्राप्त होगा और यह सफल भी हो सकेगी।

जहां तक विरोधी दलों का सम्बन्ध है, विरोधी दलों के माननीय सदस्यों का सम्बन्ध है वे निर्माण कार्यों में कोई हाथ नहीं बटाते हैं और जब चुनाव आयेगा तो झंडा लेकर खड़े हो जायेंगे, स्वतंत्र पार्टी के, प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के, जन संघ पार्टी के, और जनता से कहेंगे कि कुछ भी नहीं हो रहा है। ये लोग दुर्मट नहीं उठायेंगे, फावड़ा हाथ में नहीं उठायेंगे और न ही कोई निर्माण का काम करेंगे। ऐसे ऐसे लोग भी चुनाव में मत मांगने के लिए खड़े हो जाते हैं। इस प्रकार का विपक्ष जहां हो, विरोधी दल जहां हो जो केवल चुनाव की दृष्टि में रख कर काम करना चाहता हो, चुनाव पर ही जिसकी नजर हो और कोई रचनात्मक काम न करता हो, तो जो योजना है वह कैसे सफल हो सकती है, यह मेरी समझ में नहीं आता है। विरोधी दल हो और सच्चे तौर पर निर्माण की दिशा में जनता को ले जाये और कुछ काम करके दिखलाये और तब वोट मांगे, तब तो मैं समझूंगा कि उसका विरोध सच्चा विरोध है अन्यथा यह विरोध उनका केवल निकम्मा विरोध है और केवल वोट की खातिर है।

इसलिए मेरा कहना यह है कि जहां मैं सरकार की योजना के सम्बन्ध में तरह तरह की बातें कह सकता हूं वहां पर मैं विरोधी पार्टियों के माननीय सदस्यों से भी कह सकता हूं कि वे अपने कर्तव्यों को समझें और जब तक वे अपने कर्तव्यों को नहीं समझेंगे तब तक देश आगे नहीं बढ़ सकता है। हमारे एक माननीय सदस्य ने कहा कि चीन का खतरा है, लड़ाई का खतरा है और प्रतिरक्षा की योजना बनाई जानी चाहिये। लेकिन वह कर क्या रहे हैं? हिन्दू महासभा के एक माननीय सदस्य माथे पर तिलक लगा कर और टोपी लगा कर घूमेंगे जनता में और वोट की मांग करेंगे लेकिन जनता में जागृति पैदा करने की कोशिश नहीं करेंगे। अगर यह सब कहें कि हमें तैयार होना पड़ेगा और देश की रक्षा करनी होगी, देश को गरीबी को मिटाने के लिये तैयार होना होगा और हम सच्चे अर्थों में तैयार हो जाएंगे तो सरकार को बाध्य होना पड़ेगा ....

मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। समय नहीं है कि मैं और अधिक कुछ कह सकूं और किसी अन्य अवसर से लाभ उठा कर मैं अपने विचार फिर व्यक्त करूंगा। लेकिन मैं प्रार्थना करता हूं कि जो कुछ मैंने कहा है उसको मंत्रीगण अन्यथा न समझें। जो कुछ मैंने कहा है वह देश के रचनात्मक विकास की खातिर और भारतमाता के प्रति प्रेम होने के कारण कहा है। मैंने, सच्चे अर्थों में सुधार हो, इस वास्ते यह सब कुछ कहा है, वैमनस्यवश नहीं।

इसके पश्चात् लोक सभा गुरुवार २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक) के ग्यारह बजे तक के लिये स्थगित हो गई।

दैनिक संक्षेपिका

बुधवार, २३ अगस्त, १९६१
१ भाद्र, १८८२ (शक)

	विषय	पृष्ठ
	प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .	२१२५—४८
तारांकित प्रश्न संख्या		
८५६	नये बाट और माप .	२१२५–२६
८५७	पाकिस्तानियों द्वारा अतिक्रमण .	२१२६–२७
८५८	कारखाना अधिनियम, १९४८ का संशोधन . .	२१२७—२९
८६०	पंचायतों और पंचायत समितियों के जरिये खादी की बिक्री	२१२९—३१
८६१	नमक का उत्पादन	२१३१–३२
८६२	कोयला खानों में ठेके के मजदूर . .	२१३२–३३
८६३	कोयला खान भविष्य निधि योजना में अंशदान	२१३३–३४
८६४	कपड़ा मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति	२१३५—३७
८६५	डाक-तार विभाग की इमारतें	२१३७—३९
८६७	लौह अयस्क का निर्यात . .	२१४०–४१
८६८	पोलिस्ट्रीन पाउडर . .	२१४१—४३
८७३	कोलाइट का निर्माण .	२१४३—४५
८७५	निर्यात .	२१४५—४७
८७६	गन्दी बस्ती हटाना .	२१४७–४८
	प्रश्नों के लिखित उत्तर . . .	२१४८—२२०८
तारांकित प्रश्न संख्या		
८५९	नयी दिल्ली में नलकूप .	२१४८–४९
८६६	ट्रान्सफार्मर तैयार करना . . .	२१४९
८६९	सरकारी उपक्रमों में लागत लेखा प्रणाली	२१४९–५०
८७०	मकान बनाने के कार्यक्रम के लिये सहायता .	२१५०
८७१	कलकत्ते में चाय के दलाल	२१५०–५१
८७२	टेप रेकार्डर बनाना . .	२१५१

	विषय	पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः		
तारांकित प्रश्न संख्या		
८७४	मास्को में भारतीय प्रदर्शनी . .	२१५१–५२
८७७	पाकिस्तान से अल्पसंख्यक जाति के लोगों का आगमन	२१५२
८७८	सतग्राम कोयला खान .	२१५२
८७९	सिक्किम के लिये विकास योजना	२१५३
८८०	उत्तर प्रदेश में अखबारी कागज का कारखाना .	२१५३
८८१	अध्यापक प्रशासकों का प्रशिक्षण .	२१५३–५४
८८२	कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम में संशोधन .	२१५४
८८३	खान कर्मचारियों में थकान सम्बन्धी समिति .	२१५४–५५
८८४	सीमेंट मजूरी बोर्ड की सिफारिशों की कार्यान्विति	२१५५
८८५	सीमेंट के कारखाने .	२१५५
८८६	काली मिर्च, आदि का निर्यात .	२१५६
८८७	रूस को निम्न श्रेणी के तम्बाकू का निर्यात	२१५६
८८८	मध्य प्रदेश में अल्यूमिनियम का कारखाना	२१५७
८८९	न्यूयार्क में विश्व मेला .	२१५७
८९०	कलकत्ता में विस्थापित व्यक्तियों की शाहपुर और दुर्गापुर बस्तियां .	२१५७
८९१	भारत को विदेशी सहायता .	११५८
८९२	ट्यूनीशिया का व्यापार दल	२१५८
८९३	कच्चे पटसन के मूल्य	२१५९
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२०८९	ग्रेफाइट इलैक्ट्रोड्स . . .	२१५९
२०९०	महात्मा गांधी के जीवन से सम्बन्धित घटनाओं के रिकार्ड बनाना	२१६०
२०९१	पंजाब में औद्योगिक बस्तियां	२१६०
२०९२	अखिल भारतीय हस्तशिल्प बोर्ड	२१६०–६१
२०९३	संयुक्त प्रबन्ध परिषदें	२१६१
२०९४	लंका को प्लाईवुड का निर्यात	२१६१
२०९५	दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के साथ व्यापार	२१६१–६२
२०९६	हथकरघा वस्त्र का निर्यात	२१६२
२०९७	महाराष्ट्र में नए उद्योगों के लिये लाइसेंस	२१६२

विषय पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर—क्रमशः

अतारांकित
प्रश्न संख्या

२०९८ नेफा क्षेत्र में विस्फोटक पदार्थ २१६२–६३
२०९९ प्रचार सामग्री पर व्यय . २१६३
२१०० उत्तर प्रदेश में उद्योग . . २१६३–६४
२१०१ राज्य व्यापार निगम द्वारा भरती . २१६४
२१०२ भोपाल में औद्योगिक बस्ती २१६४–६५
२१०३ राज्य व्यापार निगम द्वारा निर्यात की गई वस्तुयें . २१६५
२१०४ खादी की बिक्री २१६५
२१०५ स्टेनलैस स्टील के बर्तन . . २१६५–६६
२१०६ लघु उद्योगों के लिये रिजर्व बैंक गारंटी २१६६–६८
२१०७ पश्चिम नेपाल में कांजीरोवा पर्वत-श्रेणी २१६८
२१०८ कपड़े का आयात . . २१६८
२१०९ इण्डिया इण्टरनेशनल सेंटर द्वारा आयात २१६९
२११० हिन्दी में टेंडर २१६९
२१११ विद्युत् चालित करघे २१७०
२११२ आसाम में पठारिया जंगल के गांवों में सर्वेक्षण . . . २१७०
२११३ मध्य प्रदेश में उद्योग २१७०–७१
२११४ पंजाब में गन्दी बस्तियां हटाने की योजना . . २१७१
२११५ कुल्लू घाटी में ऊन उद्योग २१७१
२११६ पारपत्रों के लिये प्रार्थनापत्र २१७१–७२
२११७ हिमाचल प्रदेश में औद्योगिक प्रशिक्षण . . २१७२
२११८ रूपक फिल्म . . . २१७२–७३
२११९ फिल्म समारोह . . २१७३
२१२० नेपाल सरकार को सहायता २१७३
२१२१ पाकिस्तानी राष्ट्रजनों के छापे मारने, गोली चलाने, आदि के मामले २१७४
२१२२ गन्दी बस्तियों के निवासियों को दूसरे स्थान पर भेजना . . २१७४
२१२३ दूध के नये माप २१७४–७५

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उतर--(क्रमशः)		
अतारांकित प्रश्न संख्या		
२१२४	पंच कुइयां रोड पर क्वार्टरों का निर्माण . .	२१७५
२१२५	सरकारी क्षेत्र के उपक्रम . . .	२१७५
२१२६	जकार्ता और बैंकाक में भारतीय फिल्म समारोह .	२१७६
२१२७	कृषि भूमियां, ग्रामीण निष्क्रान्त मकान, आदि	२१७६
२१२८	आकाशवाणी के दिल्ली केन्द्र का देहाती प्रोग्राम .	२१७६-७७
२१२९	अखबारी कागज का दुरुपयोग .	२१७७
२१३०	खादी का उत्पादन	२१७७
२१३१	विस्थापित व्यक्तियों के कब्जे वाली सम्पत्ति का सर्वेक्षण .	२१७८
२१३२	साबुन की किस्म सुधारने के लिये अनुसन्धान . .	२१७८-७९
२१३३	नगर हवेली में विधान परिषद् . .	२१७९
२१३४	पटसन का सट्टा व्यापार. .	२१७९
२१३५	पंजाब का औद्योगिक विकास	२१८०
२१३६	तिब्बत के साथ व्यापार	२१८०-८१
२१३७	कर्मकार क्षतिपूर्ति अधिनियम में संशोधन .	२१८१
२१३८	नागा विद्रोही . . .	२१८१-८२
२१३९	कुरसिया में प्रादेशिक अस्पताल . . .	२१८२
२१४०	मंत्रियों के लिये फर्नीचर . .	२१८२
२१४१	दुग्ध खाद्य का निर्माण .	२१८२-८३
२१४२	दिल्ली में लघु उद्योग सेवा संस्था	२१८३
२१४३	दिल्ली में बुनाई का ऊन तैयार करने वालों से अभ्यावेदन	२१८३
२१४४	खेती की वस्तुओं का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार . .	२१८४
२१४५	सुगम संगीत के लिये केन्द्रीय स्वर परीक्षण बोर्ड	२१८४
२१४६	विदेशों में समय से अधिक ठहरने वाले भारतीय छात्र . .	२१८४
२१४७	उत्तर पूर्व सीमान्त अभिकरण (नेफा) में असमिया भाषा	२१८५
२१४८	जगतपुर (उड़ीसा) में औद्योगिक बस्ती . .	२१८५
२१४९	पश्चिम बंगाल में शिशिक्षु प्रशिक्षण योजना . .	२१८६
२१५०	पैकेजिंग की समस्या का अध्ययन करने के लिये विदेश भेजा गया शिष्टमण्डल .	२१८६
२१५१	भारतीय जूतों का निर्यात .	२१८६
२१५२	ऊन के लच्छों का उत्पादन	२१८७
२१५३	कपूर का मल्य	२१८७

विषय	पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उतर—(क्रमशः)

तारांकित
प्रश्न संख्या

२१५४	एण्ड्रयूज गंज में रहने वाले चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी . .	२१८७—८८
२१५५	पांडिचेरी विधान सभा संकल्प . .	२१८८
२१५६	पाकिस्तानी राष्ट्रजनों द्वारा भारतीय प्रदेश में अनधिकार प्रवेश	२१८८
२१५७	चाय उद्योग	२१८९—९०
२१५८	रूस को पटसन के सामान का निर्यात .	२१९०
२१५९	उपभोक्ता वस्तुओं का निर्यात .	२१९०—९१
२१६०	हिन्दी में सन्देश .	२१९१
२१६१	परिसमापक .. .	२१९१
२१६२	प्रादेशिक श्रम संस्थायें	२१९१—९२
२१६३	दण्डकारण्य में स्कूलों तथा कालेजों की स्थापना .	२१९२
२१६४	हिन्द महासागर में अमरीकी क्षेप्यास्त्र	२१९२
२१६५	राष्ट्र संघ मुख्यालय का हटाया जाना . .	२१९३
२१६६	पुर्तगालियों द्वारा भारतीय राज्य क्षेत्र में अवैध प्रवेश . .	२१९३
२१६७	क्राफ्ट पेपर का निर्माण	२१९३—९४
२१६८	कुटीर तथा छोटे पैमाने के उद्योगों के लिये अनुसन्धान संस्था .	२१९४
२१६९	डा० राम शुभग सिंह की लद्दाख यात्रा . .	२१९४
२१७०	पानी के टैक्स की वसूली . . .	२१९५
२१७१	किराये का लौटाया जाना . .	२१९५
२१७२	पश्चिमी पाकिस्तान से अभिलेख . .	२१९५—९६
२१७३	जाली पासपोर्ट	२१९६
२१७४	केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग के डिवीजन . . .	२१९६
२१७५	कटक में आकाशवाणी केन्द्र . . .	२१९६—९७
२१७६	हिमालय की झीलों कर वृत्त-चित्र . . .	२१९७—९८
२१७७	हिन्दी में फार्म छापना	२१९८
२१७८	गाजियाबाद का औद्योगिक विस्तार . . .	२१९८
२१७९	महाराष्ट्र में बिलेट का आवण्टन . .	२१९८—९९
२१८०	बन्दरों का निर्यात	२१९९
२१८१	हिन्दुस्तान लिवर लिमिटेड	२१९९—२१००
२१८२	विदेशी समवाय	२२००

विषय		पृष्ठ
प्रश्नों के लिखित उतर—(क्रमशः)		
तारांकित प्रश्न संख्या		
२१८३	उड़ीसा में औद्योगिक बस्तियां	२२०१
२१८४	एक्सरे उपकरण का निर्माण	२२०१–०२
२१८५	ट्रैक्टर	२२०२
२१८६	सरोजिनी नगर में क्वार्टर	२२०२–०३
२१८७	औद्योगिक श्रमिकों के लिये आकाशवाणी कार्यक्रम	२२०३
२१८८	पाकिस्तान से सीमेंट का आयात	२२०३
२१८९	सूती कपड़े की मिलों का प्रबन्ध	२२०३–०४
२१९०	समाचार पत्र	२२०४
२१९१	भारत में चीनियों की कम्पनियां	२२०४–०५
२१९२	एण्ड्रयूज़ गंज में चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियां के क्वार्टर	२२०५
२१९३	"जी" टाइप क्वार्टर	२२०५–०६
२१९४	जूट के डंठलों से कागज का गूदा बनाना	२२०६
२१९५	जम्मू और काश्मीर में दिये गये लाइसेंस	२२०६
२१९६	भारतीय चाय सम्मेलन	२२०६
२१९७	भारत-चीन सीमा विवाद	२२०७
२१९८	विज्ञापन	२२०७
२१९९	एण्ड्रयूज़ गंज, नई दिल्ली में बाजार	२२०७–०८
२२००	मध्यम आय वर्ग आवास योजना के अधीन ऋण	२२०८
स्थगन प्रस्ताव		२२०८–११

अध्यक्ष महोदय ने निम्नलिखित स्थगन प्रस्तावों को, जिनकी सूचना उनके सामने बताये गये सदस्यों ने दी थी प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं दी :—

(१)	यमुना नदी के तटबंध में बड़ी दरार आ जाने से पैदा हुई बाढ़ की स्थिति।	सर्व श्री स० मो० बनर्जी, बलराज मधोक और ब्रज राज सिंह
(२)	नागालैंड में नागा विद्रोहियों की गतिविधियां।	श्री हेम बरुआ
(३)	पाकिस्तानियों द्वारा २१ और २२ अगस्त, १९६१ को जम्मू तथा काश्मीर राज्य के रामगढ़ क्षेत्र में सीमा का अतिक्रमण।	श्री बलराज मधोक

विषय पृष्ठ

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना . . २२१२—१५

श्री प्रभातकार ने पुनर्वास मन्त्रालय को जारी रखने के बारे में भारत सरकार से पश्चिम बंगाल सरकार की कथित प्रार्थना की ओर पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मन्त्री का ध्यान दिलाया।

पुनर्वास तथा अल्प-संख्यक कार्य मन्त्री (श्री मेहर चन्द खन्ना) ने उस संबंध में एक वक्तव्य दिया।

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . . . २२११—१२

(१) प्रधान मन्त्री तथा मास्टर तारासिंह और सन्त फतेह सिंह के बीच हुए पत्र-व्यवहार की एक प्रति।

(२) उत्पादकता दलों की निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक-एक प्रतिः—

(एक) अमरीका, इटली और जापान में प्लास्टिक उद्योग के बारे में प्रतिवेदन (१९६०)

(दो) जापान, अमरीका और इटली में कारखाने के मकान, नक्शे और निर्माण के बारे में प्रतिवेदन (१९६१)

(तीन) ब्रिटेन, अमरीका और पश्चिम जर्मनी में विपणन तथा वितरण के बारे में प्रतिवेदन (१९६१)

(चार) अमरीका, ब्रिटेन, फ्रांस और पश्चिम जर्मनी में राल मिश्रित कोयला खनन उद्योगों के बारे में प्रतिवेदन (१९६१)

(पांच) स्विट्जरलैण्ड, अमरीका और जापान में पैकेजिंग उद्योग के बारे में प्रतिवेदन (१९६१)।

प्राक्कलन समिति के कार्यवाही सारांश—सभा पटल पर रखे गये . . २२१५

१२२वें और १२३वें प्रतिवेदनों के कार्यवाही सारांश की एक प्रति सभा पटल पर रखी गई।

प्राक्कलन समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित . . . २२१५

एक-सौ चालीसवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित २२१६

सत्तासीवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया गया।

मंत्री द्वारा वक्तव्य . . . . . २२१६—१७

वैदेशिक-कार्य उपमन्त्री (श्रीमती लक्ष्मी मेनन) ने पाकिस्तान में कर्नल भट्टाचार्य के मुकदमे के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या ५२६ पर पूछे गये अनुपूरक प्रश्नों के १६ अगस्त, १९६१ को दिये गये उत्तरों को शुद्ध करने के लिये एक वक्तव्य दिया।

विषय	पृष्ठ
विधेयक पुरःस्थापित	२२१७
दिल्ली नगर निगम संशोधन विधेयक	
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव . . .	२२१७—५०
२१ अगस्त, १९६१ को तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्तुत प्रस्ताव और तत्सम्बन्धी स्थापन्न प्रस्तावों पर अग्रेतर चर्चा जारी रही । चर्चा समाप्त नहीं हुई ।	
गुरुवार २४ अगस्त, १९६१/२ भाद्र, १८८३ (शक) के लिये कार्यावलि .	
तृतीय पंचवर्षीय योजना के बारे में प्रस्ताव पर अग्रेतर चर्चा तथा आयकर विधेयक १९६१ पर अग्रेतर विचार और उसे पारित करना ।	

GMGIPND—LS III—1178(Ai) LSD—26-9-61—125.